Drishti IAS

Mains MARATHON

(मुख्य परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर) 2024

नीतिशास्त्र

Delhi
Drishti IAS,
641, Mukherjee Nagar,
Opp. Signature View
Apartment, New Delhi

New Delhi
Drishti IAS,
21, Pusa Road,
Karol Bagh
New Delhi

Uttar Pradesh
Drishti IAS,
Tashkent Marg,
Civil Lines, Prayagraj,
Uttar Pradesh

Rajasthan
Drishti IAS,
Tonk Road,
Vasundhra Colony,
Jaipur, Rajasthan

Madhya Pradesh
Drishti IAS,
Building No. 12, Vishnu Puri,
Main AB Road,
Bhawar Kuan, Indore,
Madhya Pradesh

नीतिशास्त्र

Q1. मानव व्यवहार को आकार देने में नैतिकता की क्या भूमिका है? व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- नैतिकता का परिचय देते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्त्व की व्याख्या कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिकता, सिद्धांतों और मूल्यों के ऐसे समूह को संदर्भित करती है जिससे मानव व्यवहार के साथ निर्णय निर्माण प्रक्रिया को निर्देशन मिलता है। यह मानव जीवन का एक अनिवार्य पहलू है जिससे लोगों के दूसरों लोगों और आसपास के वातावरण के साथ व्यवहार को आकार मिलता है। न्यायसंगत और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण तथा मानव व्यवहार को आकार देने में नैतिकता की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

मुख्य भाग:

मानव व्यवहार को आकार देने में नैतिकता की भूमिका:
- व्यक्तियों को नैतिक और जिम्मेदार विकल्प चुनने में सहायता करने के माध्यम से नैतिकता मानव व्यवहार को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- इससे नैतिक निर्णय लेने की दिशा में लोगों का मार्गदर्शन होता है।
- नैतिकता अक्सर सांस्कृतिक तथा धार्मिक विश्वासों से निकटता से संबंधित होती है और यह सामाजिक मानदंडों, व्यक्तिगत मूल्यों और अनुभवों से प्रभावित हो सकती है।
- नैतिक सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सत्यनिष्ठा की भावना विकसित कर सकते हैं, जिससे अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि के साथ पूर्णता की भावना विकसित हो सकती है।
- इससे सकारात्मक सामाजिक संबंधों को बढ़ावा मिलने के साथ आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर मजबूत संबंध विकसित हो सकते हैं।

व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्त्व:
- इससे सही और गलत व्यवहार के लिये मानक निर्धारित होते हैं जिससे दूसरों के साथ व्यवहार करने में लोगों को मार्गदर्शन मिलता है।
- व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में ईमानदारी, सम्मान और करुणा जैसे नैतिक मूल्य आवश्यक हैं।
  - निजी जीवन में ये मूल्य परिवार, संबंधियों और समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में सहायक होते हैं।
- दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने में सहायक होने के कारण इससे व्यक्तियों को बेहतर जीवन जीने में सहायता मिलती है।
- व्यावसायिक जीवन में एक सफल करियर बनाने और समाज में योगदान देने के लिये नैतिक मूल्य आवश्यक हैं।
- इससे एक ऐसा कार्य वातावरण बनाने में सहायता मिलती है जो निष्पक्षता, ईमानदारी और जवाबदेहिता पर आधारित हो। जो लोग अपने व्यावसायिक जीवन में नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हैं उनके द्वारा सहयोगियों और समुदाय का विश्वास और सम्मान अर्जित करने की संभावना अधिक होती है।

निष्कर्ष:

मानव व्यवहार को आकार देने में नैतिकता की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में ईमानदारी, सम्मान और करुणा जैसे नैतिक मूल्य आवश्यक हैं। विश्वास, सम्मान और उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देकर नैतिक मूल्यों को बनाए रखने से न केवल व्यक्ति को बल्कि बड़े पैमाने पर समुदाय को भी लाभ होता है। इसलिये जीवन के सभी पहलुओं में नैतिक मूल्यों को विकसित करना और उनको लागू करना महत्त्वपूर्ण है।

Q2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? लोक सेवा के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- लोक सेवा के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं को प्रभावी ढंग से समझने, प्रबंधित करने और व्यक्त करने तथा दूसरों की भावनाओं को उचित रूप से पहचानने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता को संदर्भित करती है। सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में मजबूत संबंध बनाने, संघर्षों को सुलझाने और हितधारकों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता आवश्यक है।

मुख्य भाग:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ऐसे कई प्रमुख घटक हैं जो सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। जैसे:

- **आत्म-जागरूकता:** अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने और समझने की क्षमता।
- **स्व-नियमन:** अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता।
- **अभिप्रेरणा:** व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने की प्रेरणा।
- **समानुभूति:** दूसरों की भावनाओं को उचित रूप से समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता।
- **सामाजिक कौशल:** प्रभावी ढंग से व्यवहार करने, संबंध विकसित करने और संघर्षों को हल करने की क्षमता।

लोक सेवक के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रासंगिकता:

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करके लोक सेवक दूसरों के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं।
- इससे उन्हें मज़बूत एवं अधिक प्रभावी समूह बनाने, अधिक स्पष्ट और प्रेरक संवाद करने के साथ हितधारकों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने में मदद मिल सकती है।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोक सेवकों को अधिक आत्मविश्वास के साथ जटिल और भावनात्मक स्थितियों को हल करने में मदद कर सकती है।

निष्कर्ष:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रभावी सार्वजनिक सेवा का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करके, लोक सेवक सहयोगी रूप से कार्य करने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और हितधारकों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं।

Q3. गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में सरकारी निगरानी कार्यक्रमों से संबंधित नैतिक मुद्दों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सरकारी निगरानी कार्यक्रमों की व्याख्या करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- निगरानी कार्यक्रमों और गोपनीयता से संबंधित नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिये।
- दोनों के बीच संतुलन पर ज़ोर देते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ बढ़ने के कारण हाल के वर्षों में सरकारी निगरानी कार्यक्रम और भी विवादास्पद हो गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये संभावित खतरों की पहचान करने के प्रयास में इन कार्यक्रमों में अक्सर ईमेल, फोन कॉल और इंटरनेट गतिविधियों सहित बड़ी मात्रा में डेटा का संग्रह और विश्लेषण करना शामिल होता है।

मुख्य भाग:

इसमें शामिल कुछ नैतिक मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- **गोपनीयता में कमी आना:** सरकारी निगरानी कार्यक्रमों में अक्सर व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, निगरानी और विश्लेषण शामिल होता है। इससे व्यक्तियों के निजी जीवन के संबंध में निजता के अधिकार के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी होना:** ऐसे कार्यक्रमों में अक्सर पारदर्शिता की कमी होती है, जिससे नागरिकों के लिये निगरानी गतिविधियों की सीमा और उद्देश्य को समझना मुश्किल हो जाता है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव होना:** व्यापक निगरानी कार्यक्रमों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्तियों को पता चलता है कि उनके कार्यों की निगरानी की जा रही है तो वे अपनी राय और गतिविधियों पर स्वयं सीमाएँ आरोपित कर सकते हैं।
- **भेदभावपूर्ण लक्ष्यीकरण:** ऐसी चिंताएँ भी रहती हैं कि सरकारी निगरानी कार्यक्रम नस्ल, धर्म या राजनीतिक मान्यताओं जैसे कारकों के आधार पर कुछ समूहों को भेदभावपूर्ण रूप से लक्षित कर सकते हैं।
- **निगरानी वाले राज्य के साथ शक्ति असंतुलन स्थापित होना:** व्यापक सरकारी निगरानी कार्यक्रमों से ऐसे राज्य का निर्माण हो सकता है, जहाँ व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखने के साथ उनके कार्यों को नियंत्रित किया जाता है।

निष्कर्ष:

निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में सरकारी निगरानी कार्यक्रमों से संबंधित नैतिक मुद्दे जटिल और बहुआयामी हैं। ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से आवश्यक हो सकते हैं लेकिन इनमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इनसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न होता हो। सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा गोपनीयता के दुरुपयोग को रोकने के लिये प्रभावी विनियमन और सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये।

Q4. पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक विकास को अधिक प्राथमिकता देने से संबंधित नैतिक दुविधाएँ क्या हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक विकास को अधिक प्राथमिकता देने के महत्त्व को समझाते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- पर्यावरण की तुलना में विकास को प्राथमिकता देने से संबंधित नैतिक मुद्दों की व्याख्या कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक विकास को अधिक प्राथमिकता देने से जटिल नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। आर्थिक विकास, समाज की वृद्धि और प्रगति के लिये आवश्यक है लेकिन अक्सर यह पर्यावरण की कीमत पर होता है। आर्थिक विकास के पर्यावरणीय परिणामों की उपेक्षा करने से पर्यावरण, लोगों और भावी पीढ़ियों पर इसके दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।

मुख्य भाग:
- **पर्यावरणीय क्षरण होना:** पूरी तरह से आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्रदूषण, वनों की कटाई के साथ निवास स्थान का विनाश होता है।
- **सतत् विकास पर प्रश्नचिन्ह लगना:** पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार किये बिना आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने से वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच संसाधनों के अनुचित वितरण को बढ़ावा मिल सकता है। पर्यावरण की कीमत पर अल्पकालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देने से अंतर-पीढ़ीगत न्याय पर प्रश्नचिन्ह लगता है।
- **पर्यावरणीय न्याय:** पर्यावरणीय क्षरण से हाशिये पर रहने वाले समुदायों के साथ कमज़ोर आबादी अधिक प्रभावित होती है जो अक्सर प्रदूषण में वृद्धि और संसाधन की कमी जैसे नकारात्मक परिणामों का खामियाजा भुगतते हैं।
- **दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता:** पर्यावरण संबंधी चिंताओं को अनदेखा करने से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता कमज़ोर हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण की उपेक्षा से संसाधनों की कमी, पारिस्थितिकी असंतुलन होने के साथ प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे अंततः आर्थिक स्थिरता और विकास को खतरा हो सकता है।

निष्कर्ष:

पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक विकास को अधिक प्राथमिकता देने से कई नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं जिन पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। सतत् विकास एवं सभी के लिये न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है। सरकारों और निगमों की जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण की रक्षा करने के साथ सतत् विकास को बढ़ावा दें जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभ हो सके।

Q5. मानव भ्रूण में CRISPR-Cas 9 जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों के उपयोग से संबंधित नैतिक चिंताओं को बताते हुए भावी पीढ़ियों पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- CRISPR Cas 9 तकनीक का परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- CRISPR Cas 9 के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दों का उल्लेख कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

CRISPR "क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स" का संक्षिप्त रूप है। Cas9 मूल रूप से एक एंज़ाइम है जिसका उपयोग कैंची की तरह DNA के बिट्स को जोड़ने, हटाने या मरम्मत करने के क्रम में किसी विशिष्ट स्थान पर DNA के दो स्ट्रैंड को काटने हेतु किया जाता है। यह तकनीक वैज्ञानिकों को जीवों के डीएनए को उच्च सटीकता के साथ संशोधित करने की अनुमति देती है।

मुख्य भाग:

CRISPR-Cas9 तकनीक के उपयोग से कई नैतिक चिंताओं को बढ़ावा मिलने के साथ भविष्य की पीढ़ियों पर इसके संभावित प्रभावों के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं:
- **सूचित सहमति:** इससे आनुवंशिक स्तर पर परिवर्तन के क्रम में भविष्य की पीढ़ियों पर संभावित जोखिमों एवं लाभों के साथ दीर्घकालिक परिणामों के बारे में समझ और सहमति से संबंधित प्रश्न उठते हैं।
- **अनपेक्षित परिणाम:** जीन एडिटिंग तकनीकें अभी भी अपेक्षाकृत नई हैं और पूरी तरह से समझ से परे हैं। इस संदर्भ में अनपेक्षित परिणामों और ऑफ-टारगेट प्रभावों की संभावना, चिंता का विषय बनी हुई है।
- **मानवता के लिये हानिकारक:** जीन संपादन से आनुवंशिक बीमारियों और अक्षमताओं का समाधान किया जा सकता है लेकिन गैर-चिकित्सीय उद्देश्यों के लिये इसका उपयोग करने के संदर्भ में

नैतिक प्रश्न उठते हैं। इससे सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिल सकता है और आनुवंशिक स्तर पर बदलाव की प्रवृत्ति को जन्म मिल सकता है।

- **स्वायत्त विकास बाधित होना:** जर्मलाइन कोशिकाओं (शुक्राणु, अंडे और भ्रूण) में किये गए परिवर्तन, भविष्य की पीढ़ियों में स्थानांतरित होंगे जिससे स्वायत्त विकास के साथ उन व्यक्तियों की भलाई के निहितार्थ के बारे में प्रश्न उठेंगे जो इसमें शामिल नहीं हैं।
- **समानता और पहुँच:** लागत, उपलब्धता या विनियामक बाधाओं के कारण जीन एडिटिंग तकनीकें सभी के लिये व्यापक रूप से सुलभ नहीं हो सकती हैं जिससे मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- **पर्यावरणीय न्याय:** मनुष्यों के आनुवंशिक स्वरूप को बदलने से पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भावी पीढ़ियों के विकास पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग तकनीकों के उपयोग के संदर्भ में विभिन्न नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। इसके संभावित लाभों और जोखिमों के बीच संतुलन बनाना, सूचित सहमति सुनिश्चित करना, अनपेक्षित परिणामों से बचना और इससे जुड़े वैश्विक शासन से संबंधित मुद्दों का समाधान, इन तकनीकों के जिम्मेदार और नैतिक अनुप्रयोग हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।

Q6. रोज़गार के विस्थापन, असमानता को बढ़ावा मिलने के साथ पुनर्प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की आवश्यकता के आलोक में कार्यस्थल पर ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- AI को परिभाषित करते हुए तथा इस संदर्भ में हाल के कुछ उदाहरणों का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- कार्यस्थल में AI को शामिल करने से संबंधित नैतिक चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वर्तमान समय, AI के अनुप्रयोग का समय है। इसका अर्थ निर्णय लेने, कार्य करने और समस्याओं को हल करने के संदर्भ में मशीनों की बुद्धिमत्ता से है। AI के अनुप्रयोग काफी व्यापक हैं। जैसे हाल ही में एक न्यूज चैनल ने न्यूज पढ़ने हेतु AI एंकर का अनुप्रयोग किया है। इस तरह के काफी उदाहरण मौजूद हैं। हालाँकि कार्यस्थल पर AI को शामिल करने के कई लाभ हैं लेकिन जैसे हर वरदान के साथ अभिशाप जुड़ा होता है वैसे ही इसमें भी कई नैतिक चुनौतियाँ शामिल हैं। जैसे:

- **नौकरियों का विस्थापन होना:** चूँकि मशीनें और एल्गोरिदम प्रणाली पारंपरिक रूप से मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को करने में अधिक सक्षम होती हैं इसलिये इससे बेरोज़गारी बढ़ने के साथ आर्थिक व्यवधान का जोखिम उत्पन्न होता है।
- **असमानता को बढ़ावा मिलना:** ऑटोमेशन और AI से समाज में मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा मिल सकता है। इससे कम कुशल या दैनिक श्रमिक असंगत रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इससे आय असमानता को भी बढ़ावा मिल सकता है।
- **प्रशिक्षण और कौशल विकास के स्तर पर अंतर होना:** AI से उन श्रमिकों के बीच अंतराल पैदा हो सकता है जिनके पास नए कौशल सीखने की क्षमता और अवसर हैं और जिनके पास नहीं हैं। इससे करियर में उन्नति, आय और रोज़गार के स्तर पर असमानता हो सकती है।
- **निष्पक्षता:** AI प्रणाली केवल उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी होती है जितना डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया में पक्षपाती डेटा या त्रुटिपूर्ण एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है तो इससे मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव:** चूँकि AI प्रणाली एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग पर आधारित होती है इसीलिये इसमें मनुष्यों के समान भावनात्मक अनुभव का अभाव होता है। भावनाएँ ऐसी जटिल, व्यक्तिपरक अवस्थाएँ हैं जिनमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ शामिल होती हैं।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** ऑटोमेशन और AI व्यापक स्तर पर डेटा पर निर्भर होते हैं, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन किये बिना व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा का सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष:

AI से कार्य की दक्षता में वृद्धि जैसे कई लाभ मिलते हैं लेकिन इससे संबंधित कई नैतिक मुद्दे भी हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। इन नैतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये बड़े पैमाने पर नीति निर्माताओं, व्यवसायों, शिक्षकों और समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। इस क्रम में प्रभावित श्रमिकों के लिये सहायता प्रदान करने के साथ शिक्षा और कौशल विकास आदि में निवेश करने पर बल देना आवश्यक है।

Q7. 'नैतिक अभिक्षमता (Ethical Competence)' शब्द से आप क्या समझते हैं? सिविल सेवक के लिये नैतिक अभिक्षमता विकसित करना क्यों महत्त्वपूर्ण है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- नैतिक अभिक्षमता की व्याख्या करते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- एक सिविल सेवक के लिये नैतिक अभिक्षमता के महत्त्व का वर्णन कीजिये।
- मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिक अभिक्षमता का आशय किसी व्यक्ति के निर्णय लेने और कार्यों में नैतिक सिद्धांतों तथा मूल्यों को समझने, लागू करने और प्रदर्शित करने की क्षमता से है। इसमें नैतिक सिद्धांतों की समझ, नैतिक दुविधाओं को पहचानने में सक्षमता तथा नैतिक विकल्प चुनने एवं नैतिक तरीके से कार्य करने का कौशल शामिल है।

मुख्य भाग:

सिविल सेवक के लिये नैतिक अभिक्षमता का महत्त्व:

- **लोगों के भरोसे को बनाए रखना:** सिविल सेवक सार्वजनिक पदों पर होते हैं और समुदाय के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। नैतिक अभिक्षमता से उन्हें नैतिक सिद्धांतों के अनुसार लोक कल्याण से संबंधित कार्यों हेतु मार्गदर्शन मिलता है।
- **नैतिक निर्णय लेना:** सिविल सेवकों को अक्सर जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ उन्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं। नैतिक अभिक्षमता से यह निष्पक्ष, न्यायसंगत और नैतिक मानकों के अनुरूप निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
- **भ्रष्टाचार में कमी आना:** नैतिक अभिक्षमता से सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार पर रोक लगती है। इससे प्रशासन की जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलता है।
- **विश्वसनीयता में वृद्धि:** नैतिक अभिक्षमता किसी सिविल सेवक को व्यक्तिगत हितों, पूर्वाग्रहों या दबावों से प्रभावित हुए बिना ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेहिता के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में मदद करती है।
- **जवाबदेहिता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलना:** नैतिक अभिक्षमता सिविल सेवकों को जवाबदेहिता और पारदर्शिता के महत्त्व को समझने में मदद करती है। नैतिक अभिक्षमता से उनके जिम्मेदारी से कार्य करने, कदाचार की रिपोर्ट करने और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का पालन करने की अधिक संभावना होती है।
- **सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलना:** नैतिक अभिक्षमता से सिविल सेवा में सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। जब सिविल सेवक नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो इससे न केवल दूसरों के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत होता है बल्कि एक ऐसे वातावरण का विकास होता है जिससे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को महत्त्व मिलता है।

निष्कर्ष:

सिविल सेवक के लिये नैतिक अभिक्षमता महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसे ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ सार्वजनिक हित एवं कल्याण के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा मिलती है। इससे उसे सार्वजनिक सेवा में उत्पन्न होने वाली नैतिक चुनौतियों और दुविधाओं से निपटने में भी मदद मिलती है। नैतिक अभिक्षमता को निरंतर सीखने और अभ्यास प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।

Q8. 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' शब्द से आप क्या समझते हैं? यह सामान्य बुद्धिलब्धि (IQ) से किस प्रकार भिन्न है? विभिन्न हितधारकों के साथ व्यवहार करने के क्रम में किसी सिविल सेवक के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार उपयोगी हो सकती है, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- संक्षिप्त रूप से भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करने के साथ सामान्य बुद्धिलब्धि से इसके अंतर को बताइये।
- उत्तर के मुख्य भाग को दो भागों में विभाजित कीजिये:
  - भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामान्य बुद्धिलब्धि के बीच अंतर स्पष्ट कीजिये।
  - सिविल सेवक के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार उपयोगी हो सकती है, इसका उदाहरण दीजिये।
- उत्तर के मुख्य बिंदुओं को बताते हुए निष्कर्ष दीजिये तथा सिविल सेवकों के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) स्वयं की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रभावित करने की क्षमता से है। इसमें इस बारे में जागरूकता होना शामिल है कि भावनाएँ व्यवहार के निर्धारण के साथ लोगों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। EI, सामान्य बुद्धिलब्धि (IQ) से अलग है जिसमें तर्क, स्मृति और समस्या को सुलझाने के क्रम में किसी की संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापा जाता है।

मुख्य भाग:

EI और IQ के बीच अंतर:

- EI का संबंध इस बात से अधिक है कि कोई अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करता है न कि इस बात से कि किसकी बुद्धि क्षमता कितनी है। IQ का आशय किसी की संभावित बुद्धिमत्ता का मापन है, न कि इसके अनुप्रयोग की क्षमता से।
- EI अधिक लचीला है और इसमें सीखने तथा अभ्यास के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। IQ अधिक स्थिर है एवं इसका निर्धारण काफी हद तक आनुवंशिकी और बचपन के विकास से होता है।
- EI अधिक व्यक्तिगत है और यह स्थिति तथा इसमें शामिल लोगों पर निर्भर होता है। IQ अधिक सार्वभौमिक है जो विभिन्न डोमेन और कार्यों में लागू होता है।
- EI पारस्परिक और सामाजिक कौशल के लिये अधिक प्रासंगिक है जो जीवन और कार्यस्थल पर सफलता के लिये आवश्यक है। IQ अकादमिक और तकनीकी कौशल के लिये अधिक प्रासंगिक है जो सीखने की क्षमता के साथ ज्ञान को अर्जित करने हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।

सिविल सेवक के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता निम्नलिखित तरीके से उपयोगी हो सकती है जैसे:

- **समानुभूति और समझ:** उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले सिविल सेवक हितधारकों के दृष्टिकोण, जरूरतों और चिंताओं को समझते हैं। वे लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और नीतिगत परिवर्तनों से प्रभावित नागरिकों के साथ सहानुभूति रखते हैं, जिससे लोगों के साथ बेहतर जुड़ाव और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **संघर्ष समाधान:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिविल सेवकों की शांत रहने, पारदर्शिता के साथ कार्य करने और प्रत्येक पक्ष की भावनाओं एवं प्रेरणाओं को समझने के माध्यम से संघर्षों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। इससे रचनात्मक संवाद और पारस्परिक रूप से लाभप्रद समाधानों को प्रेरणा मिलती है।
- **सहयोग के साथ टीम भावना को प्रोत्साहन मिलना:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिविल सेवकों को समन्वय, बेहतर संचार और दूसरों की भावनाओं और क्षमताओं को महत्त्व देकर टीम भावना के साथ कार्य करने को प्रेरित करती है। इससे सकारात्मक और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है जिससे उत्पादकता बढ़ती है।
- **नेतृत्व और प्रभाव क्षमता:** नेतृत्व वाले पदों पर सिविल सेवकों के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्त्वपूर्ण है। यह उन्हें अपनी टीमों को प्रेरित करने, अपने दृष्टिकोण को संप्रेषित करने, विश्वास निर्माण तथा नीतिगत पहलों और संगठनात्मक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिये हितधारकों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है।

निष्कर्ष:

सिविल सेवक के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक मूल्यवान कौशल है क्योंकि यह उसे प्रभावी और रचनात्मक तरीके से कार्य निष्पादन में सहयोग करता है। इससे सिविल सेवक अपने कर्त्तव्यों में बेहतर प्रदर्शन करने और व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को निरंतर सीखने तथा अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।

Q9. सुकरात की मुख्य शिक्षाएँ क्या हैं। लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के क्रम में यह शिक्षाएँ किस प्रकार प्रासंगिक हैं? उदाहरणों के साथ समझाइए। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय: सुकरात के बारे में बताते हुए उल्लेख कीजिये कि लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में उनकी शिक्षाओं की महत्त्वपूर्ण प्रासंगिकता है।
- मुख्य भाग: सुकरात की प्रमुख शिक्षाओं एवं लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में इन शिक्षाओं की प्रासंगिकता बताते हुए सुकरात की शिक्षाओं के अनुप्रयोग से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कीजिये।
- निष्कर्ष: लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में सुकरात की शिक्षाओं के महत्त्व को बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सुकरात ग्रीक दार्शनिक थे जिन्हें पश्चिमी दर्शन के संस्थापक तथा विचारों की नैतिक परंपरा को अपनाने वाले पहले नैतिक विचारकों में से एक के रूप में संदर्भित किया जाता है। उन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा था बल्कि उनकी शिक्षाओं को उनके छात्रों प्लेटो और जेनोफन द्वारा संकलित किया गया था। लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में उनकी शिक्षाएँ अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

उनकी कुछ मुख्य शिक्षाएँ:

- सुकरात पद्धति: यह सीखने और सिखाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सोच और समझ को बेहतर बनाने के लिये प्रश्नों और उत्तरों का उपयोग किया जाता है। सुकरात ने सदाचार, न्याय, साहस आदि जैसे विषयों के संदर्भ में इस तरीके का इस्तेमाल किया था। उनका मानना था कि स्वयं से सवाल करके कोई व्यक्ति सच्चाई का पता लगाने के साथ बेहतर इंसान बन सकता है।
- सुकरात का विरोधाभासी सिद्धांत: ये ऐसे कथन हैं जो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं लेकिन इनसे गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उनमें से कुछ निम्न हैं जैसे: "केवल एक चीज जो मैं जानता हूँ वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता", "कोई भी स्वेच्छा से गलत नहीं करता

है", "सद्गुण ही ज्ञान है" आदि। ये विरोधाभास पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने के साथ किसी को अपने मूल्यों और कार्यों पर पुनर्विचार करने हेतु प्रेरित करते हैं।

- सुकरात की नैतिकता: इसके अनुसार सद्गुण सबसे उच्च मूल्य है और इससे खुशी का मार्ग प्रशस्त होता है। सुकरात के अनुसार सद्गुण को प्रश्न पूछकर तथा उत्तर देकर सीखा जा सकता है। उनके अनुसार व्यक्ति को अपने तर्क और विवेक से कार्य करना चाहिये न कि दूसरों के अनुसार।

ये शिक्षाएँ लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के क्रम में प्रासंगिक हैं क्योंकि इससे व्यक्ति निम्नलिखित के लिये प्रोत्साहित होता है:

- कोई भी कार्रवाई करने से पहले मुद्दों की स्पष्टता और उन्हें समझने पर बल देना।
- अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और उद्देश्यों पर सवाल उठाने के साथ विभिन्न दृष्टिकोणों और तर्कों पर विचार करना।
- अपने आचरण में उत्कृष्टता और सत्यनिष्ठा को महत्त्व देने के साथ भ्रष्टाचार से दूर रहना।
- दूसरों की प्रतिष्ठा और अधिकारों का सम्मान करने के साथ करुणा और समानुभूति के साथ कार्य करना।
- लोकतंत्र, न्याय, समानता और लोक हित के मूल्यों पर बल देना।

लोक सेवा में इन शिक्षाओं के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ उदाहरण:

- विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के संबंध में सार्वजनिक परामर्श, विचार-विमर्श और मूल्यांकन करने के क्रम में सुकरात की पद्धति का उपयोग किया जाना।
- अहंकार, अज्ञानता एवं हठधर्मिता को दूर करने तथा विनम्रता, जिज्ञासा, समालोचनात्मक विचार एवं आत्म-सुधार को बढ़ावा देने के लिये सुकरात के विरोधाभासी सिद्धांतों का पालन करना।
- आचार संहिता, नैतिकता और लोक सेवा से संबंधित मूल्यों का पालन करने और इनसे समझौता करने वाले किसी भी प्रलोभन या दबाव का प्रतिरोध करने हेतु सुकरात के नैतिकता संबंधी सिद्धांतों का पालन किया जाना।

निष्कर्ष:

समालोचनात्मक विचार, ज्ञान की खोज, नैतिकता और लोक कल्याण को प्राथमिकता देने से संबंधित सुकरात की शिक्षाएँ लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने के क्रम में सहायक होती हैं। जो लोक सेवक इन शिक्षाओं को अपनाते हैं वे तार्किक एवं नैतिक रूप से उचित निर्णय ले सकते हैं जिससे अंततः समाज के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा मिलता है।

Q10. सभी पक्षी वर्षा के दौरान आश्रय ढूँढते हैं लेकिन ईगल बादलों से ऊपर उड़कर बारिश से बचने की कोशिश करता है। अर्थात समस्याएँ आना आम बात है लेकिन फर्क हमारे नज़रिये से पड़ता है। -ए.पी.जे अब्दुल कलाम

एक सिविल सेवक के लिये इस उद्धरण के अर्थ और निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय: इस उद्धरण के अर्थ का विश्लेषण करते हुए वर्षा के दौरान आश्रय की तलाश करने वाले पक्षियों और बादलों के ऊपर उड़ने वाले ईगल की क्षमता के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिये।
- मुख्य भाग: सिविल सेवक के संदर्भ में इस उद्धरण के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।
- निष्कर्ष: समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने में अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण किस प्रकार से सिविल सेवकों के बीच अंतर को दर्शाता है, यह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

यह उद्धरण चुनौतियों और प्रतिकूलताओं की स्थितियों से निपटने में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। इससे प्रदर्शित होता है कि हर कोई समस्याओं का सामना कर सकता है तथा यह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह इस संदर्भ में किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। यह सिविल सेवकों के संदर्भ में काफी प्रासंगिक है, जो अपनी भूमिकाओं में कई चुनौतियों का सामना करते हैं।

मुख्य भाग:

सिविल सेवक के लिये इस उद्धरण का अर्थ यह पहचानने में निहित है कि सार्वजनिक सेवा में समस्याएँ अपरिहार्य हैं। हालाँकि इन समस्याओं के प्रति अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण इसके लिये प्रभावी समाधान खोजने तथा समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सिविल सेवक के संदर्भ में इस उद्धरण के निहितार्थ:

- **लचीलापन:** सिविल सेवक को समस्याओं के प्रति लचीला रवैया अपनाने की जरूरत होती है। उन्हें निराश होने के बजाय नवीन समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिये और अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिये।
- **अनुकूलनशीलता:** इस उद्धरण से पता चलता है कि ईगल की बादलों के ऊपर उड़ने की क्षमता एक सक्रिय और अनुकूलनीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसी तरह सिविल सेवकों को लचीला होना चाहिये तथा चुनौतियों का समाधान करने में नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिये।
- **सकारात्मक मानसिकता:** सिविल सेवक के लिये सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना आवश्यक है। इससे समस्याओं को अवसरों के रूप में परिवर्तित करने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और बाधाओं को दूर करने के क्रम में दूसरों को प्रेरित करने में मदद मिलती है।
- **नेतृत्व क्षमता:** सिविल सेवक का रवैया संबंधित हितधारकों को प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक और समाधान-उन्मुख मानसिकता को अपनाकर यह दूसरों को दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

ए.पी.जे अब्दुल कलाम के उद्धरण से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि समस्याएँ अवश्यंभावी हैं लेकिन जिस नजरिये से उनका समाधान किया जाता है, उससे काफी फर्क पड़ता है। सिविल सेवकों के लिये यह उद्धरण चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने और लोक सेवा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के क्रम में लचीलापन, अनुकूलन क्षमता, सकारात्मक मानसिकता और नेतृत्व के महत्त्व को रेखांकित करता है।

Q11. सिविल सेवकों हेतु उपयुक्त चाणक्य के दर्शन के मुख्य सिद्धांतों की चर्चा कीजिये तथा बताइये कि समकालीन भारतीय प्रशासन हेतु ये सिद्धांत किस प्रकार प्रासंगिक हैं। (150 शब्द)

उत्तर :

परिचय:

प्राचीनकाल में चाणक्य एक भारतीय शिक्षक और दार्शनिक थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रमुख पुस्तक लिखी थी जो तत्कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और नैतिकता के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। सिविल सेवकों के लिये चाणक्य की अर्थशास्त्र और उनके अन्य संग्रहों से संबंधित दर्शन प्रासंगिक हैं।

मुख्य भाग:

उनके दर्शन के कुछ मुख्य सिद्धांत:

- **धर्म (कर्त्तव्य):** चाणक्य का मानना था कि सिविल सेवक को नैतिक विधि के साथ न्याय तथा धार्मिकता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिये। इन्हें कमजोरों की रक्षा करने के साथ दुष्टों को दंड देने और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने पर बल देना चाहिये।
- **वफादारी:** चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि सिविल सेवक को अपने राजा और अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिये, न कि व्यक्तिगत हितों या बाहरी प्रभावों से प्रभावित होना चाहिये। इन्हें ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करनी चाहिये।
- **विवेक:** चाणक्य ने कहा कि सिविल सेवक को अपने निर्णयों और कार्यों में विवेकपूर्ण रहने के साथ बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिये। इन्हें फिजूलखर्ची, अनावश्यक झगड़ों और नकारात्मक गठजोड़ से बचना चाहिये। इन्हें बदलती परिस्थितियों से अवगत रहने के साथ उसके अनुसार अनुकूलन करना चाहिये।
- **सक्षमता:** चाणक्य ने इस बात पर बल दिया कि सिविल सेवक को अपने कार्यक्षेत्र में कुशल और सक्षम होना चाहिये। उसे राज्य के कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान होना चाहिये। उसे प्रभावी ढंग से संवाद करने, संसाधनों का कुशलता से प्रबंधन करने और समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने में भी सक्षम होना चाहिये।

ये सिद्धांत समकालीन भारतीय नौकरशाही के लिये प्रासंगिक हैं क्योंकि इनसे सुशासन और नैतिक आचरण के लिये व्यापक रूपरेखा मिलती है। **यह निम्नलिखित रूपों में सिविल सेवकों के लिये सहायक हो सकते हैं जैसे:**

- **संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के साथ लोगों का कल्याण करना:** चाणक्य के सिद्धांत, सिविल सेवकों को लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने तथा लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनका अनुसरण कर सिविल सेवक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित हो सकते हैं।
- **दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि होना:** क्षमता, वफादारी, ईमानदारी और परिश्रम जैसे चाणक्य के सिद्धांत भारतीय नौकरशाही के लिये प्रासंगिक हैं। सिविल सेवक इन सिद्धांतों का पालन करके अपने कौशल को बढ़ाने एवं सत्यनिष्ठा बनाए रखने के साथ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
- **जटिल और गतिशील स्थितियों से निपटना:** वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकीकरण, विविधता और विकास जैसे क्षेत्रों में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने तथा इससे संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिये समकालीन सिविल सेवकों के लिये व्यवहारिकता और अनुकूलनशीलता से संबंधित चाणक्य के सिद्धांत महत्त्वपूर्ण हैं। ये सिद्धांत उन्हें नवोन्मेषी समाधान विकसित करने, विविध उपकरणों और विधियों को नियोजित करने तथा अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।
- **नैतिकता की संस्कृति को बढ़ावा मिलना:** चाणक्य के नैतिकता और आध्यात्मिकता संबंधी सिद्धांतों का पालन करके, सिविल सेवक भ्रष्टाचार को रोकने एवं समाज में सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं तथा अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

सिविल सेवकों के लिये चाणक्य का दर्शन (जो नैतिक शासन, कुशल संसाधन प्रबंधन, रणनीतिक सोच और निरंतर सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है) अत्यधिक प्रासंगिक है। इन सिद्धांतों को शामिल करने से सिविल सेवकों की प्रभावशीलता और सत्यनिष्ठा में वृद्धि हो सकती है तथा राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान मिल सकता है।

Q12. अपने कर्त्तव्यों के प्रभावी और नैतिक निर्वहन हेतु सिविल सेवकों में अभिक्षमता कौशल तथा आधारभूत मूल्य जैसे गुण होने आवश्यक हैं। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- परिचय: अभिक्षमता/अभिरुचि तथा आधारभूत/बुनियादी मूल्यों को परिभाषित कीजिये।
- मुख्य भाग: अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्यों से संबंधित कुछ उदाहरणों का उल्लेख कीजिये।
- निष्कर्ष: इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सिविल सेवा के लिये अभिरुचि और बुनियादी मूल्य आवश्यक हैं। यह गुण सिविल सेवकों को अपने कर्त्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के साथ नैतिक रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक हैं। अभिरुचि का आशय किसी कौशल को सीखने या हासिल करने की प्राकृतिक क्षमता से है जबकि बुनियादी मूल्य ऐसे नैतिक सिद्धांत हैं जिनसे किसी सिविल सेवक के आचरण और व्यवहार निर्देशित होते हैं।

मुख्य भाग:

नोलन समिति ने सार्वजनिक जीवन से संबंधित ऐसे सात सिद्धांतों को रेखांकित किया है जिनका पालन सिविल सेवकों को करना चाहिये जैसे: नि:स्वार्थ भाव, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता।

सिविल सेवा के लिये आवश्यक अभिरुचि और बुनियादी मूल्य:

- **सत्यनिष्ठा:** सत्यनिष्ठा का तात्पर्य मन, वचन और कर्म से ईमानदार और नैतिक होना है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगने के साथ सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता है। सत्यनिष्ठा के मूल्य से प्रेरित सिविल सेवक जनहित में कार्य करता है।
- **भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी:** भेदभाव रहित रहने का आशय निर्णय लेने में निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण रहना है। इसमें विविधता, बहुलवाद और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना शामिल है। भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी वाले सिविल सेवक जाति, पंथ, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करते हैं और किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से प्रेरित नहीं होते हैं।
- **निष्पक्षता:** निष्पक्षता का अर्थ निर्णय निर्माण और दृष्टिकोण में तर्कसंगत, तार्किक एवं साक्ष्य-आधारित रहना है। इसमें भावनाओं, पूर्वाग्रहों या धारणाओं के बजाय तथ्यों एवं डेटा पर भरोसा करना शामिल है। निष्पक्षता जैसे मूल्य से सिविल सेवक विभिन्न स्थितियों और मुद्दों का निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं तथा अपने निर्णयों में ईमानदार रहते हैं।
- **सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण:** सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ है कि अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध एवं उत्तरदायी रहने के साथ जनहित को सर्वोपरि रखना। इसमें अपने कार्यों में उत्कृष्टता और दक्षता हेतु प्रयास करना शामिल है।
- **सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना:** इसे 2nd ARC की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया था। सहानुभूति का तात्पर्य दूसरों की भावनाओं और स्थितियों को समझने के साथ उनका सम्मान करना है। इन मूल्यों से प्रेरित सिविल सेवक लोक कल्याण की दिशा में कार्य करता है।

निष्कर्ष:

सिविल सेवा के लिये ये अभिरुचि और बुनियादी मूल्य महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे प्रशासन में जनता के विश्वास को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इनसे सिविल सेवकों की जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकती है। इसके अलावा इनसे सिविल सेवकों में नैतिक मूल्यों और व्यावसायिक उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है।

Q13. 'शासन व्यवस्था में ईमानदारी' के महत्त्व को बताते हुए प्रशासनिक प्रभावशीलता तथा प्रशासन पर लोगों के विश्वास निर्माण में इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- परिचय: शासन व्यवस्था में ईमानदारी और इसके महत्त्व को परिभाषित कीजिये।
- मुख्य भाग: प्रशासनिक प्रभावशीलता पर इसके प्रभावों की चर्चा करते हुए शासन व्यवस्था में ईमानदारी सुनिश्चित करने हेतु उपाय बताइये।
- निष्कर्ष: आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

शासन व्यवस्था में ईमानदारी का आशय सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता और पारदर्शिता जैसे मज़बूत नैतिक सिद्धांतों को अपनाने से है। शासन की एक कुशल और प्रभावी प्रणाली तथा सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु यह आवश्यक है। यह परिणामों के बजाय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और प्रणालियों से भी संबंधित है।

मुख्य भाग:

शासन व्यवस्था में ईमानदारी का प्रशासनिक प्रभावशीलता और प्रशासन पर लोगों के विश्वास के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे:

- इससे सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक अधिकारी परिश्रम और निष्पक्षता के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन करें एवं शक्ति के दुरुपयोग से बचे रहें।

- इससे सरकार और उसकी नीतियों की विश्वसनीयता और वैधता बढ़ने के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास तथा भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
- इससे सार्वजनिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं कुप्रबंधन पर रोक लगती है।
- इससे नागरिकों (विशेष रूप से कमजोर और सीमांत वर्गों) के अधिकारों और हितों की रक्षा होने के साथ यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें उचित, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ प्राप्त हों।
- इससे गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान मिलता है।

शासन व्यवस्था में ईमानदारी सुनिश्चित करने के कुछ उपाय:

- सार्वजनिक सेवाओं जैसे आचार संहिता, पद की शपथ, संपत्ति का विवरण देने, व्हिसल-ब्लोअर की सुरक्षा आदि के संदर्भ में स्पष्ट और व्यापक कानूनी तथा नैतिक ढाँचा स्थापित करना।
- निरीक्षण, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के संदर्भ में संस्थानों और तंत्रों को मज़बूत करना। जैसे भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ, ऑडिट निकाय, लोकपाल, सूचना का अधिकार आदि।
- प्रशिक्षण, शिक्षा, सलाह और प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से सार्वजनिक अधिकारियों की क्षमता के साथ उनके व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना।
- सार्वजनिक सेवा वितरण तथा शासन के परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन में नागरिक समाज तथा मीडिया के साथ नागरिकों की भागीदारी तथा समन्वय को प्रोत्साहित करना।
- जागरूकता अभियान, रोल मॉडल, प्रोत्साहन और प्रतिबंधों के माध्यम से सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच ईमानदारी, नैतिकता और मूल्यों की संस्कृति को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

शासन व्यवस्था में ईमानदारी न केवल एक कानूनी या नैतिक दायित्व है बल्कि सुशासन के लिये एक आवश्यक तत्त्व भी है। यह प्रशासनिक प्रभावशीलता और सार्वजनिक व्यवस्था में लोगों के विश्वास को बनाए रखने में निर्णायक है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी बनाए रखना सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

Q14. "आप विश्व में जो बदलाव देखना चाहते हैं, वह स्वयं में कीजिये " - महात्मा गांधी (150 शब्द)

a. लोक सेवा के संदर्भ में इस उद्धरण का अर्थ और महत्त्व स्पष्ट कीजिये।

b. ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिये जहाँ आपने अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में इस सिद्धांत का अनुभव किया हो या इसे लागू किया हो।

c. भविष्य में एक सिविल सेवक के रूप में आपके समक्ष उत्पन्न नैतिक दुविधाओं और चुनौतियों को हल करने के क्रम में यह उद्धरण आपको किस प्रकार प्रेरित कर सकता है?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय: उपर्युक्त उद्धरण की व्याख्या करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।

  मुख्य भाग: सभी प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर दीजिये:

  a. लोक सेवक के लिये इस उद्धरण के महत्त्व की चर्चा कीजिये।

  b. अपने जीवन का कोई उदाहरण दीजिये जब आपने इस उद्धरण के सिद्धांतों को लागू किया हो।

  c. चर्चा कीजिये कि यदि आप भविष्य में सिविल सेवक बनते हैं तो आप इस उद्धरण का अनुप्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं।
- निष्कर्ष: उत्तर में चर्चित मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

महात्मा गांधी के उद्धरण "आप विश्व में जो बदलाव देखना चाहते हैं, वह स्वयं में कीजिये" का अर्थ है कि किसी को दुनिया को बेहतर बनाने के लिये दूसरों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये बल्कि स्वयं ऐसा करने की पहल और जिम्मेदारी लेनी चाहिये। इसका तात्पर्य यह भी है कि व्यक्ति को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, न्याय और शांति जैसे उन मूल्यों और सिद्धांतों को अपनाना चाहिये जिन्हें व्यक्ति समाज में बढ़ावा देना चाहता है।

मुख्य भाग:

- **परिवर्तन को मूर्त रूप देकर, समाज में इन्हें प्रेरित करना;** लोक सेवक परिवर्तनों को मूर्त रूप देकर इनको अपनाने हेतु दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। जब लोक सेवक इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो वे अपने समुदायों में परिवर्तन के रोल मॉडल बन जाते हैं। उनके कार्यों में दूसरों को प्रभावित करने तथा बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिवर्तन को प्रेरित करने की क्षमता होती है। अपने स्वयं के कार्य में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा और जवाबदेहिता के मूल्यों को शामिल करके लोक सेवक उन संस्थानों के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता अभियान में शामिल होने के दौरान मैंने अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में "परिवर्तनकारी एजेंट" के रूप में भूमिका निभाई थी। जब मैंने महसूस किया कि गरीबी, बुनियादी ढाँचे की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण कई बच्चे स्कूल

नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे में मैंने सरकार या समाज को दोष देने के बजाय कुछ बच्चों को शिक्षा एवं कौशल प्रदान करने हेतु अपने खाली समय का उपयोग करने के समाधान को चुना। इसके अलावा मैंने अपने साथ इस प्रयास में भाग लेने के लिये अन्य स्वयंसेवकों और स्थानीय निवासियों को प्रोत्साहित करने की पहल की। इन कार्यों के माध्यम से मैंने शिक्षा के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश की।

- एक सिविल सेवक के रूप में यह उद्धरण मुझे सार्वजनिक सेवा के उद्देश्य और मूल्यों की याद दिलाकर एक सिविल सेवक के रूप में मेरी भविष्य की भूमिका में नैतिक दुविधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिये प्रेरित कर सकता है। जब भी मुझे दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ेगा तो मैं स्वयं से मंथन कर सकता हूँ कि मैं विश्व में किस तरह का बदलाव देखना चाहता हूँ और उसके अनुसार कार्य करूँगा। मैं महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों से भी प्रेरणा ले सकता हूँ, जो स्वयं एक लोक सेवक थे तथा जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अहिंसा, निःस्वार्थता और साहस का परिचय दिया था। उन्होंने उच्च नैतिक मानकों का पालन करने के साथ विनम्रता और भक्तिभाव के साथ लोगों की सेवा करके मिसाल कायम की थी।

निष्कर्ष:

महात्मा गांधी का उद्धरण एक सिविल सेवक के रूप में नैतिक दुविधाओं और चुनौतियों को हल करने के क्रम में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित देने, नेतृत्व करने, यथास्थिति को चुनौती देने, सहानुभूतिपूर्ण समस्या-समाधान करने एवं निरंतर आत्म-सुधार पर केंद्रित है। इस उद्धरण को आत्मसात करके आप अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार बने रहने के साथ एक सिविल सेवक के रूप में अपनी भूमिका में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु प्रेरित हो सकते हैं।

Q15. सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये सोशल मीडिया के उपयोग में कौन-से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये और उनके समाधान के उपाय सुझाइये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सोशल मीडिया और सार्वजनिक सेवा वितरण का संक्षिप्त में परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरूआत कीजिये।
- नैतिक मुद्दे को उदाहरण सहित समझाइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।
- भूमिका:

सोशल मीडिया उन प्लेटफार्मों को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्त्ताओं को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने और साझा करने या सोशल नेटवर्किंग सहभागिता करने की अनुमति को सक्षम बनाता है तथा सार्वजनिक सेवा वितरण के अंतर्गत सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि जैसी आवश्यक सेवाओं का प्रावधान शामिल है।

सोशल मीडिया का उपयोग सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे सूचना प्रसारित करना, फीडबैक मांगना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना आदि।

मुख्य भाग:

सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल कुछ नैतिक मुद्दे:

- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:**
  - सोशल मीडिया प्लेटफार्म उपयोगकर्त्ताओं के व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा को बड़ी मात्रा में एकत्र और संग्रहीत करते हैं, जिसका तीसरे पक्ष, हैकर्स और यहाँ तक कि सरकार द्वारा भी दुरुपयोग या उल्लंघन किया जा सकता है।
  - यह नागरिकों की निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है और उन्हें पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ्ट), साइबर अपराध, निगरानी आदि जैसे खतरे में डाल सकता है।
  - उदाहरण के लिये आधार डेटा लीक से लाखों भारतीयों की निजी जानकारी प्रभावित हो सकती है।
- **फेक न्यूज़ और गलत सूचना:**
  - सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाने के लिये भी किया जा सकता है, जो जनता के बीच तनाव, भ्रम, घृणा, हिंसा या अविश्वास पैदा कर सकता है।
  - यह सार्वजनिक सेवा वितरण की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कमज़ोर कर सकता है और सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचा सकता है।
    - उदाहरण के लिये COVID-19 महामारी के कारण, बीमारी के कारणों, लक्षणों, रोकथाम और उपचार के संबंध में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और गलत सूचनाओं में वृद्धि देखी गई।

डिजिटल डिवाइड और उसके प्रभाव:

- सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तक पहुँच के लिये इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल उपकरणों और डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होती है, जो समाज के सभी वर्गों के लिये समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
- यह एक 'डिजिटल डिवाइड' उत्पन्न कर सकता है और उन लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण तक पहुँचने या लाभ उठाने से बाहर कर सकता है जो गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित, बुजुर्ग, विकलांग आदि हैं।

- उदाहरण के लिये कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा उन कई छात्रों के लिये दुर्गम थी जिनके पास इंटरनेट तक पहुँच या उपकरणों की कमी थी।

नैतिक दुविधाएँ और संघर्ष:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन लोक सेवकों के लिये नैतिक दुविधाएँ और संघर्ष पैदा कर सकता हैं, जिन्हें अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक पहचान, मूल्यों और ज़िम्मेदारियों को संतुलित करना होता है।
- सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये सोशल मीडिया का उपयोग करते समय उन्हें गोपनीयता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठता, जवाबदेही आदि बनाए रखने जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिये एक लोक सेवक को ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग, आलोचना या विभिन्न हितधारकों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

- हालाँकि, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह कुछ नैतिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है, जिन्हें उचित उपाय अपनाकर संबोधित करने की आवश्यकता है:.
  - लोक सेवकों और नागरिकों के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश और आचार संहिता विकसित करना, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा आदि के लिये कानूनी और संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करना, फेक न्यूज़ और गलत सूचना का सामना करना, डिजिटल डिवाइड का निपटान करना तथा समाज के सभी वर्गों को सस्ती और सुलभ इंटरनेट कनेक्टिविटी, उपकरण और साक्षरता प्रदान करके डिजिटल समावेश सुनिश्चित करना।

Q16. सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही पर नैतिक आचरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिये। अपने तर्कों के समर्थन में उपयुक्त उदाहरण भी दीजिये।"(250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक आचरण, सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही का संक्षिप्त में परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- नैतिक आचरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिये।
- अपने उत्तर की पुष्टि हेतु कुछ उदाहरण लिखिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

भूमिका:

नैतिक आचरण वह व्यवहार है, जो किसी समाज या पेशे के नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप होता है तथा सार्वजनिक विश्वास वह आत्मविश्वास है जो जनता द्वारा सार्वजनिक संस्थानों और अधिकारियों की सत्यनिष्ठा, योग्यता एवं जवाबदेही में सुनिश्चित होता है। जवाबदेही का संबंध सार्वजनिक संस्थानों और अधिकारियों के उन दायित्व से है जिनके लिये वे अपने कार्यों और निर्णयों प्रति जवाबदेह होते है तथा आवश्यक पड़ने पर जाँच, निरीक्षण और प्रतिबंधों के अधीन रहते है।

मुख्य भाग:

सार्वजनिक विश्वास पर नैतिक आचरण का प्रभाव:

- **पारदर्शिता में वृद्धि:**
  - नैतिक आचरण से पारदर्शिता में वृद्धि होती है, जिससे जनता को यह विश्वास हो जाता है कि निर्णय निष्पक्ष और उचित तरीके से लिये गए हैं।
- **जवाबदेही में वृद्धि :**
  - नैतिक प्रशासकों के अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना, नैतिक रूप से उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार को कम करना।
- **नागरिक के बीच विश्वास को मज़बूत करना:**
  - नैतिक आचरण नागरिकों के बीच विश्वास पैदा करता है तथा शासन प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रभावशीलता में सुधार:**
  - नैतिक आचरण सार्वजनिक सेवाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है, यह सुनिश्चित करके कि सार्वजनिक संस्थान और अधिकारी जनता की ज़रूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हैं, और संसाधनों का कुशलतापूर्वक व न्यायसंगत उपयोग करते हैं।

नैतिक चुनौतियों और प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले कुछ उदाहरण:

- **व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण:**
  - किसी के करियर और व्यक्तिगत सुरक्षा को प्रभावित करने वाली संभावित नतीजों के साथ अनुचित कार्यों की रिपोर्ट के कर्तव्य को संतुलित करना।
- **खरीद और अनुबंध:**
  - दक्षता और लागत-प्रभावशीलता का पालन करते हुए अनुबंध करने में रिश्वतखोरी या पक्षपात का विरोध करना।
- **पर्यावरण संरक्षण:**
  - नीति निर्माण में नैतिक विचारों को बनाए रखना, भले ही इसमें आर्थिक निहितार्थ शामिल हों।
- **सहभागी बजटिंग:** स्थानीय परियोजनाओं या प्राथमिकताओं के लिये सार्वजनिक धन आवंटित करने के तरीके को तय करने में नागरिकों को शामिल करना।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक संस्थानों और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आचार संहिता के अधीन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करके, भागीदारी और परामर्श सुनिश्चित करके, शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान हेतु तंत्र की स्थापना कर नैतिकता और उत्तरदायी संस्कृति को बढ़ावा देकर नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करना चाहिये।

Q17. सकारात्मक दृष्टिकोण को सिविल सेवक का एक अनिवार्य गुण माना जाता है क्योंकि इन्हें अक्सर अत्यधिक तनावपूर्ण स्थितियों में कार्य करने की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण में किसका योगदान होता है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में संक्षेप में बताते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- बताइये किसी व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में किसका योगदान होता है।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सकारात्मक दृष्टिकोण का आशय स्वयं तथा दूसरों की स्थितियों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखने की प्रवृत्ति से है। यह व्यक्ति को चुनौतियों से निपटने, कठिनाइयों को हल करने और निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में सहायक होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण उन सिविल सेवकों के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होता है जिन्हें जटिल समस्याओं एवं विविध हितधारकों के साथ कार्य करना पड़ता है।

मुख्य भाग:

सकारात्मक दृष्टिकोण सिविल सेवकों को अत्यधिक तनाव की स्थिति में कार्य करने में मदद कर सकता है:

- **भावनात्मक स्तर पर संतुलन:**
  - इससे सिविल सेवकों को भावनात्मक रूप से संतुलित रहने, अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कार्य के दौरान थकान को रोकने में मदद मिलती है।
  - इसके द्वारा अपने कार्य के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके और अपनी सेवा में मन लगाकर सिविल सेवक कठिन परिस्थितियों में भी अपनी प्रेरणा को बनाए रख सकते हैं।
- **समस्या-समाधान और अनुकूलनशीलता:**
  - चुनौतियों की स्थिति में सकारात्मक मानसिकता वाले सिविल सेवकों में सक्रिय और समाधान-उन्मुख मानसिकता के साथ समस्याओं का समाधान करने की अधिक संभावना होती है।
  - ये रचनात्मक रूप से सोचने, वैकल्पिक दृष्टिकोण की पहचान करने के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, जिससे यह अधिक प्रभावी निर्णय लेने के साथ समस्या-समाधान की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
- **सहयोग और समर्थन:**
  - सकारात्मक मानसिकता वाले सिविल सेवकों में मजबूत रिश्ते बनाने, जरूरत पड़ने पर मदद मांगने और सहकर्मियों को सहायता प्रदान करने की अधिक संभावना होती है।
  - यह विचारों का आदान-प्रदान करने और सामूहिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में अधिक सक्रिय होते हैं।
- **संचार और नेतृत्व:**
  - सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने वाले सिविल सेवक उच्च दबाव वाली स्थितियों में भी प्रभावी ढंग से संवाद करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और दूसरों को प्रेरित करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं।
  - ये खुले संवाद, सक्रिय श्रवण और रचनात्मक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देकर सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे टीम वर्क को बढ़ावा मिलने के साथ समग्र प्रदर्शन बेहतर होता है।

किसी व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान देने वाले कारक:

- **आत्म-जागरूकता:**
  - जो व्यक्ति अपनी शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और भावनाओं से अवगत है वह अधिक यथार्थवादी और संतुलित हो सकता है।
- **आशावादी:**
  - जो व्यक्ति आशावादी है वह किसी भी स्थिति में सकारात्मक पहलुओं को देखने के साथ अनुकूल परिणामों की उम्मीद कर सकता है और समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- **स्थिति के अनुसार लचीलापन:**
  - स्थिति के अनुसार लचीलेपन के गुण वाला व्यक्ति असफलताओं से उबरने एवं बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के साथ तनाव का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है।
- **कृतज्ञता का भाव:**
  - ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी चीज़ों जैसे स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त, प्रकृति और उपलब्धियों के बीच संतुलन बनाने में अधिक उन्मुख हो सकता है।
  - इससे उसे खुशी और संतुष्टि की भावना विकसित करने में मदद मिल सकती है।

- **समानुभूति:**
  - ऐसा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने के साथ उनके दृष्टिकोण का सम्मान कर सकता है और विभिन्न स्थितियों में करुणा का प्रदर्शन कर सकता है।
  - इससे उसे दूसरों के साथ विश्वास, तालमेल और सहयोग बनाने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

सकारात्मक दृष्टिकोण वाला सिविल सेवक अपने प्रदर्शन, मनोबल के माध्यम से सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता को बेहतर कर सकता है। आत्म-जागरूकता, आशावादी दृष्टिकोण, लचीलापन, कृतज्ञता और सहानुभूति विकसित करके सकारात्मक दृष्टिकोण को उन्नत किया जा सकता है।

Q18. शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं? इनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए इनमें सुधार हेतु कुछ उपाय बताइये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- अपने उत्तर की शुरुआत ईमानदारी के संक्षिप्त परिचय से कीजिये।
- शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा किये गए उपायों की चर्चा कीजिये।
- उपायों का मूल्यांकन कीजिये, चुनौतियों को लिखिये और इन उपायों में और अधिक सुधार कैसे कर सकते हैं, वह भी बताइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शासन में ईमानदारी का तात्पर्य सार्वजनिक मामलों के संचालन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे नैतिक मूल्यों के पालन से है। जनता का विश्वास बढ़ाने, भ्रष्टाचार रोकने, दक्षता सुनिश्चित करने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिये शासन में ईमानदारी आवश्यक है।

मुख्य भाग:

शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा किये गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

- **विधायी उपाय:**
  - सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने के लिये विभिन्न कानून और नियम बनाए हैं, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, आदि।
- **संस्थागत उपाय:**
  - सरकार ने शासन में ईमानदारी को सुनिश्चित करने और उसे लागू करने के लिये विभिन्न संस्थानों और तंत्रों की स्थापना की है, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी), भारत निर्वाचन आयोग। (ईसीआई) आदि।
- **प्रशासनिक उपाय:**
  - सरकार ने सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिये विभिन्न सुधार और पहलें शुरू की हैं, जैसे ई-गवर्नेंस, नागरिक चार्टर, प्रदर्शन मूल्यांकन, आचार संहिता आदि।
  - इन उपायों की प्रभावशीलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे उनका कार्यान्वयन, समन्वय, जागरूकता, भागीदारी और निरीक्षण।

इन उपायों के सामने आने वाली चुनौतियाँ हैं:

- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता की कमी।
- भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और संस्थानों के कामकाज पर निहित स्वार्थों और दबाव समूहों का हस्तक्षेप तथा प्रभाव।
- भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और संस्थानों के पास अपर्याप्त संसाधन, क्षमता और स्वायत्तता।
- शासन में ईमानदारी की मांग करने और सुनिश्चित करने में नागरिकों और नागरिक समाज की कम जागरूकता और भागीदारी।

इन उपायों में सुधार लाने के निम्नलिखित तरीके हैं:

- कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना और इसका कड़ाई से कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करना।
- भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और संस्थानों की स्वतंत्रता, अधिकार और जवाबदेही को बढ़ाना।
- मानवीय विवेक को कम करने और पारदर्शिता तथा पहुँच बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का उपयोग बढ़ाना।
- शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से लोक सेवकों और नागरिकों के बीच नैतिकता एवं मूल्यों की संस्कृति को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

शासन में ईमानदारी सुशासन का एक प्रमुख निर्धारक है। सरकार ने शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये कई उपाय किये हैं, लेकिन मौजूदा कमियों तथा चुनौतियों को दूर करने के लिये उनमें और सुधार करने की आवश्यकता है। शासन में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिये सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

Q19. भारत में सिविल सेवकों के आचरण का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य और सिद्धांत कौन से हैं? यह किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- इस संदर्भ में संक्षिप्त परिचय देने के साथ प्रमुख नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- बताइये कि यह किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न हैं।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिक मूल्य व्यक्तिपरक या व्यक्तिगत निर्णय से संबंधित हैं जिससे निर्धारित होता है कि जीवन में क्या महत्त्वपूर्ण या वांछनीय है। यह किसी की प्राथमिकताओं, विश्वासों और भावनाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिये कुछ लोग ईमानदारी, स्वतंत्रता, खुशी आदि को महत्त्व दे सकते हैं।

नैतिक सिद्धांत ऐसे नियम या मानक हैं जो नैतिक व्यवहार के निर्धारण के साथ निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। यह नैतिक मूल्यों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। सही या गलत का मूल्यांकन होने के साथ इससे निर्णय प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिये उपयोगितावाद, सार्वभौमिकता, न्याय, अधिकार, सदाचार आदि कुछ नैतिक सिद्धांत हैं।

मुख्य भाग:

नोलन समिति के अनुसार कुछ प्रमुख नैतिक मूल्य और सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

- **नि:स्वार्थता:**
  - सार्वजनिक अधिकारियों/नौकरशाहों को लोकहित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिये। उन्हें अपने व अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिये वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ हेतु निर्णय नहीं लेना चाहिये।
- **सत्यनिष्ठा:**
  - नौकरशाहों को ऐसे किसी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के तहत नहीं होना चाहिये जिससे उनके आधिकारिक कर्त्तव्य प्रभावित हों।
- **वस्तुनिष्ठता:**
  - सार्वजनिक कामकाज, नियुक्तियाँ करने, अनुबंध या पुरस्कार और लाभ के लिये लोगों की सिफारिश करने में नौकरशाहों को योग्यता को आधार बनाना चाहिये।
- **जवाबदेहिता:**
  - नौकरशाह अपने निर्णयों और कार्यों के लिये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें अपने पद को भी जाँच/समीक्षा के अधीन रखना चाहिये।
- **खुलापन:**
  - नौकरशाहों के सभी निर्णयों और कार्यों में खुलापन होना चाहिये। उन्हें अपने निर्णयों का स्पष्ट कारण देना चाहिये तथा सूचना तभी प्रतिबंधित करनी चाहिये जब व्यापक जन-हित की मांग हो।
- **ईमानदारी:**
  - नौकरशाह का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों से संबंधित निजी हितों की घोषणा करे और ऐसे किसी विरोध के समाधान के लिये आवश्यक कदम उठाए जो सार्वजनिक हितों की रक्षा करने में बाधक हो।
- **नेतृत्व:**
  - नौकरशाहों को अपने नेतृत्व द्वारा उदाहरण पेश करते हुए इन सिद्धांतों को विकसित करने के साथ इनका समर्थन करना चाहिये।

ये नैतिक मूल्य और सिद्धांत किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से निम्नलिखित तरीकों से भिन्न हैं:

- सिविल सेवकों के नैतिक मूल्य और सिद्धांत तथा अधिकार बाहरी स्रोतों जैसे संविधान, कानून या निर्धारित सहिंता पर आधारित होते हैं जबकि व्यक्तिगत नैतिक मूल्य और सिद्धांत विवेक और दृढ़ विश्वास के आंतरिक स्रोतों जैसे धर्म, संस्कृति या व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित होते हैं।
- सिविल सेवकों के नैतिक मूल्य और सिद्धांत सार्वभौमिक या समान होते हैं और सभी सिविल सेवकों पर लागू होते हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत या व्यावसायिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जबकि व्यक्तिगत नैतिक मूल्य और सिद्धांत विभिन्न व्यक्तियों के बीच उनके व्यक्तिगत या व्यावसायिक संदर्भों के आधार पर विविध, व्यक्तिपरक और परिवर्तनशील होते हैं।
- सिविल सेवकों के नैतिक मूल्य और सिद्धांत प्रासंगिक अधिकारियों या तंत्रों जैसे न्यायालयों या अन्य संस्थानों द्वारा लागू करने योग्य और मापने योग्य होते हैं, जबकि व्यक्तिगत नैतिक मूल्य और सिद्धांत किसी भी बाहरी प्राधिकरण या तंत्र द्वारा लागू करने योग्य और मापने योग्य नहीं होते हैं।

निष्कर्ष:

जब सिविल सेवकों को दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी विकल्पों के बीच चयन करना होता है तो उन्हें नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में परामर्श करके, विश्लेषण करके और सार्थक विकल्प ढूँढकर इन्हें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

Q20. निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग से जुड़ी नैतिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने हेतु कौन से उपाय किये जा सकते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- AI के उपयोग से जुड़ी नैतिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- इन चुनौतियों से निपटने के उपाय बताइये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का आशय मशीनों या सॉफ्टवेयर की ऐसे कार्यों को करने की क्षमता से है जिनके लिये सामान्य रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है जैसे तर्क, सीखना, निर्णय लेना और समस्या-समाधान। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा, मनोरंजन और वाणिज्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में AI के कई अनुप्रयोग और लाभ हैं। हालाँकि AI से कुछ नैतिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग से जुड़ी नैतिक चुनौतियाँ:

- **पारदर्शिता का अभाव:**
  - AI एल्गोरिदम अक्सर ब्लैक बॉक्स के रूप में कार्य करते हैं, जिससे इनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना मुश्किल हो जाता है।
  - पारदर्शिता की यह कमी जवाबदेहिता के संबंध में चिंताएँ बढ़ाती है, क्योंकि AI -संचालित निर्णयों में त्रुटियों या पूर्वाग्रहों का पता लगाना और उन्हें सुधारना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **एल्गोरिथम पर आधारित:**
  - AI सिस्टम उस डेटा में मौजूद आँकड़ों से प्रभावित हो सकते हैं जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।
  - इससे मौजूदा असमानताओं और भेदभाव के बने रहने के साथ अनुचित निर्णय लिये जा सकते हैं।
  - इसके महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिणाम हो सकते हैं (विशेषकर नियुक्ति, आपराधिक न्याय और संसाधन आवंटन जैसे क्षेत्रों में)।
- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:**
  - AI सिस्टम निर्णय लेने के लिये व्यक्तिगत डेटा पर निर्भर होते हैं।
  - पर्याप्त सहमति या सुरक्षा के बिना व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और उपयोग से व्यक्तिगत गोपनीयता संबंधी अधिकारों से समझौता हो सकता है।
  - संवेदनशील डेटा तक अनधिकृत पहुँच से निगरानी और अन्य गोपनीयता संबंधी उल्लंघन हो सकते हैं।
- **मानवीय जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व:**
  - जैसे-जैसे AI सिस्टम अधिक स्वायत्त होते जाते हैं इससे जवाबदेहिता और जिम्मेदारी का प्रश्न उठने लगता है।
  - एआई सिस्टम द्वारा लिये गए निर्णयों और उनके परिणामों के लिये जवाबदेहिता निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

नैतिक चुनौतियों से निपटने के उपाय:

- **पारदर्शिता:**
  - ऐसे AI सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो पारदर्शी और समझने योग्य हों।
  - इसे ऐसे एल्गोरिदम डिज़ाइन करके प्राप्त किया जा सकता है जिनसे इनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्ट अंतर्दृष्टि मिलती हो, जिससे उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि निर्णय कैसे और क्यों लिये जाते हैं।
- **पूर्वाग्रह का पता लगाना और उसका निराकरण करना:**
  - AI सिस्टम के डेवलपर्स को इसके विकास तथा प्रशिक्षण चरणों के दौरान एल्गोरिथम पूर्वाग्रहों को सक्रिय रूप से पहचानना और कम करना चाहिये।
  - निष्पक्षता सुनिश्चित करने और निर्णय परिणामों पर पूर्वाग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिये नियमित ऑडिट और परीक्षण किये जाने चाहिये।
- **नैतिक ढाँचा और विनियमन:**
  - सरकारों और नियामक निकायों को AI के उपयोग के लिये व्यापक नैतिक ढाँचे और नियम स्थापित करने चाहिये।
  - इनमें गोपनीयता, जवाबदेहिता और एआई-संचालित निर्णयों से प्रभावित व्यक्तियों के उचित उपचार जैसे मुद्दों का समाधान होना चाहिये।
- **मज़बूत डेटा गवर्नेंस:**
  - व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदारीपूर्ण संग्रह, भंडारण और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये मजबूत डेटा विनियमन प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिये।
  - व्यक्तियों के गोपनीयता संबंधी अधिकारों की सुरक्षा और डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिये डेटा संरक्षण कानून और प्रणालियों को लागू किया जाना चाहिये।

- **सतत निगरानी और मूल्यांकन:**
  - संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह या त्रुटियों की पहचान करने के लिये AI सिस्टम की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
  - इससे समस्याओं का तुरंत पता लगाने और उन्हें सुधारने में मदद मिलने के साथ AI सिस्टम में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

एआई के जिम्मेदारीपूर्ण और तार्किक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये एआई से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच नैतिक सिद्धांतों और ढाँचे, कानूनी और नियामक मानकों और प्रणालियों, नैतिक शिक्षा तथा जागरूकता तथा नैतिक सहयोग एवं संवाद से संबंधित जागरूकता प्रसारित करने की आवश्यकता है।

Q21. लोक प्रशासन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। प्रभावी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने में नैतिकता और सत्यनिष्ठा के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण भी दीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- नैतिकता और सत्यनिष्ठा का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- शासन में नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा के महत्त्व को उदाहरण सहित समझाइये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिकता और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण हैं जो प्रभावी और जवाबदेह शासन के लिये आवश्यक स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं। ये सिद्धांत लोक अधिकारियों के आचरण का मार्गदर्शन करने के साथ पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने हेतु इन्हें प्रेरित करते हैं।

मुख्य भाग:

- **लोक विश्वास को बनाए रखना:**
  - नैतिकता और सत्यनिष्ठा से शासन के प्रति लोक विश्वास को बढ़ावा मिलता है, जो प्रभावी शासन का आधार है।
  - जब लोक अधिकारी नैतिक व्यवहार करते हैं तो शासन के प्रति नागरिकों के विश्वास में वृद्धि होने से भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिये उच्च नैतिक मानदंडों वाले प्रशासकों के प्रति नागरिकों को अधिक विश्वास होता है जिसके परिणामस्वरूप नीतियों और विनियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होता है।
- **निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्णय लेना:**
  - नैतिकता और सत्यनिष्ठा से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
  - नैतिक दिशानिर्देशों का पालन करने वाले लोक प्रशासक यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या निहित स्वार्थों से प्रभावित न हों।
  - सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य वाले प्रशासक व्यक्तिगत लाभ से अधिक सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी नीतियाँ बनती हैं जो उचित और न्यायसंगत होती हैं।
  - उदाहरण के लिये सार्वजनिक खरीद के प्रति नैतिक दृष्टिकोण से सभी विक्रेताओं के लिये समान अवसर सुनिश्चित होने के साथ भ्रष्टाचार और पक्षपात पर रोक लगती है।
- **जवाबदेहिता में वृद्धि:**
  - नैतिकता और सत्यनिष्ठा से सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह बनते हैं। इससे उत्तरदायित्व की संस्कृति का विकास होता है जिससे प्रशासक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिये प्रेरित होते हैं। जब सत्यनिष्ठा को महत्त्व दिये जाने के साथ प्रोत्साहित किया जाता है तो इससे कुशल और उत्तरदायी शासन हेतु प्रेरणा मिलती है।
  - उदाहरण के लिये नैतिक मूल्यों वाले प्रशासक नागरिकों की प्रतिक्रिया को महत्त्व देते हुए शिकायतों का तुरंत समाधान करने के साथ आवश्यक सुधारों हेतु प्रेरित हो सकते हैं।
- **नैतिक नेतृत्व:**
  - लोक प्रशासकों के बीच नैतिक आचरण से न केवल दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित होता है बल्कि एक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है।
  - जब प्रशासक नैतिकता और सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता देते हैं तो वे एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देते हैं जिसमें ईमानदारी, व्यावसायिकता और नैतिक व्यवहार को महत्त्व दिया जाता है। ऐसे वातावरण से टीम वर्क, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा मिलने के साथ सार्वजनिक प्रशासन की समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।
  - उदाहरण के लिये जो प्रशासक नैतिक प्रथाओं का पालन करते हैं वे अपने अधीनस्थों को भी उन मूल्यों का अनुकरण करने के लिये प्रेरित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक नैतिक और कुशल प्रशासन का मार्ग प्रशस्त होता है।

निष्कर्ष:

प्रभावी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने हेतु नैतिकता और सत्यनिष्ठा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। इनसे प्रशासन के प्रति लोक विश्वास को

बढ़ावा मिलने के साथ निष्पक्ष निर्णय निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलता है और नैतिक नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहन मिलता है। इन मूल्यों पर बल देकर लोक प्रशासक पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेहिता की संस्कृति विकसित कर सकते हैं, जिससे अंततः अधिक कुशल और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली को प्रोत्साहन मिल सकता है। लोक प्रशासन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखना न केवल शासन के प्रति लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिये बल्कि समग्र रूप से समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।

Q22. वर्तमान के परस्पर संबंधित विश्व में, जनमत और विचार-विमर्श को आकार देने में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की भूमिका निर्विवाद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ के प्रसार से उत्पन्न नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण भी दीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- फेक और भ्रामक न्यूज़ का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- फेक और भ्रामक न्यूज़ के प्रसार से उत्पन्न नैतिक चुनौतियों की व्याख्या कीजिये।
- समाज एवं लोकतंत्र पर इनके प्रभावों की चर्चा करते हुए इस संदर्भ में उपयोगकर्ताओं और मंच प्रदाताओं (सोशल मीडिया) की जिम्मेदारियों का उल्लेख कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

फेक और भ्रामक न्यूज़ का आशय जानबूझकर या अनजाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक उद्देश्यों हेतु गलत सूचनाओं के प्रसार करने से है। इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं जैसे मनगढ़ंत कहानियाँ, हेरफेर की गई छवियाँ या वीडियो, विकृत तथ्य या आँकड़े या भ्रामक शीर्षक या कैप्शन।

मुख्य भाग:

फेक और भ्रामक खबरों के प्रसार से उत्पन्न नैतिक चुनौतियाँ:
- सूचना स्रोतों की विश्वसनीयता और जबावदेहिता में कमी आना।
- जनमत को विकृत करने के साथ निर्णय लेने में पक्षपात होना।
- सोशल मीडिया के कारण लोगों में भ्रामक खबरों के प्रसार से दृष्टिकोण में बदलाव आना।
- भ्रामक खबरों के तीव्र प्रसार से दहशत एवं सामाजिक अशांति के साथ व्यक्तियों को नुकसान हो सकता है।
- इसमें सूचना की सटीकता की जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्र अभिव्यक्ति को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है।

इन चुनौतियों का समाज और लोकतंत्र पर प्रभाव:
- **समाज:**
  - फेक और भ्रामक खबरें विभिन्न समूहों या समुदायों के बीच विभाजन, संघर्ष और हिंसा पैदा करके समाज की सामाजिक एकजुटता, सद्भाव और विविधता को नष्ट कर सकती हैं।
  - इससे उपयोगकर्ताओं की आलोचनात्मक सोच प्रभावित होने से सामाजिक भलाई, शिक्षा और विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
- **लोकतंत्र:**
  - फेक और भ्रामक खबरें नागरिकों की स्वतंत्र और निष्पक्ष अभिव्यक्ति को प्रभावित कर एवं भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व में हस्तक्षेप करके लोकतांत्रिक मूल्यों, सिद्धांतों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर सकती हैं।
  - इससे लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेहिता और पारदर्शिता पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है।

इस संदर्भ में उपयोगकर्ताओं और प्लेटफॉर्म प्रदाताओं की ज़िम्मेदारियाँ:
- **उपयोगकर्ता:**
  - फेक और भ्रामक खबरों के प्रचलन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं की अधिक नैतिक जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं जैसे कि वे जिस जानकारी का उपयोग या साझा करते हैं, उसकी सटीकता और विश्वसनीयता की पुष्टि करना, जिस जानकारी पर उन्हें गलत या भ्रामक होने का संदेह है, उसकी रिपोर्ट करना या चिह्नित करना, जिस जानकारी को वे गलत या भ्रामक मानते हैं, उसे सही करना।
- **प्लेटफॉर्म प्रदाता:**
  - फेक और भ्रामक खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म प्रदाताओं पर अधिक नैतिक जिम्मेदारियाँ डाल सकती हैं जैसे कि फेक या भ्रामक जानकारी का पता लगाना और उसे हटाना, विवादित या असत्यापित जानकारी के संदर्भ में चेतावनी देना, ऐसे अकाउंट को सीमित करना या ब्लॉक करना। फेक और भ्रामक खबरों से निपटने के लिये सरकारों, नियामकों, मीडिया या नागरिक समाज जैसे अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना।

उदाहरण:
- **वर्ष 2016 का अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव:**
  - कई अध्ययनों में पाया गया है कि वर्ष 2016 के अमेरिकी

राष्ट्रपति के चुनाव अभियान के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक और भ्रामक खबरें व्यापक रूप से प्रसारित की गईं, जिसने कुछ मतदाताओं के मतदान व्यवहार और प्राथमिकताओं को प्रभावित किया।
    - उदाहरण के लिये MIT शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में पाया गया है कि ट्विटर पर सच्ची खबरों की तुलना में झूठी खबरों को रीट्वीट किये जाने की संभावना 70% से अधिक देखने को मिली।
- **कोविड-19 महामारी:**
    - कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक और भ्रामक खबरें काफी प्रसारित की गईं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।
    - उदाहरण के लिये शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में पाया गया कि जो उपयोगकर्ता आदतन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हैं, उनमें उन उपयोगकर्ताओं की तुलना में कोविड-19 के बारे में गलत सूचना फैलाने की अधिक संभावना दिखी जो कम बार जानकारी साझा करते हैं।

निष्कर्ष:

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक और भ्रामक खबरों के प्रसार से जटिल नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। इससे विश्वसनीयता में कमी आने के साथ जनता की राय में विकृति आती है और लोकतंत्र पर प्रश्नचिन्ह लगता है। उपयोगकर्ताओं को इस संदर्भ में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करना चाहिये, जबकि प्लेटफॉर्म प्रदाताओं का कर्तव्य है कि वे फेक और भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाए। इन चुनौतियों का समाधान करके समाज अधिक तार्किक, लोकतांत्रिक और नैतिक रूप से व्यवहार करने हेतु सक्षम हो सकता है।

Q23. लोक प्रशासन में तटस्थता के महत्त्व और नागरिकों के साथ, उनकी राजनीतिक संबद्धताओं के बावजूद, निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उपयोगितावाद और कर्त्तव्यशास्त्र को परिभाषित करके अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- नैतिक सिद्धांतों में उपयोगितावाद और कर्त्तव्यशास्त्र के बीच बुनियादी अंतर पर चर्चा कीजिये।
- अंत में मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष दीजिये।

उपयोगितावाद और कर्त्तव्यशास्त्र दो नैतिक प्रणालियाँ हैं, जो निर्णय लेने को प्रभावित करती हैं। उपयोगितावाद एक परिणाम-उन्मुख दर्शन है जो यह बताता है कि जो कार्य प्रसन्नतापूर्वक होते हैं वे सही हैं, और जो कार्य दुख या निरोग लाते हैं वे गलत हैं। कर्त्तव्यशास्त्र परिणाम-उन्मुख नहीं है साथ ही बताता है कि कार्यों को समाज के नैतिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिये। ये सिद्धांत कई प्रमुख पहलुओं में मौलिक रूप से भिन्न होते हैं:

मूल सिद्धांत:
- **उपयोगितावाद:** उपयोगितावाद, जो अक्सर जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे दार्शनिकों से जुड़ा होता है, कार्यों के परिणामों पर केंद्रित होता है। यह दावा करता है कि नैतिक रूप से सही कार्य वह है जो समग्र खुशी या सुख को अधिकतम करता है और दुख को कम करता है। इसे अक्सर उपयोगिता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।
- **कर्त्तव्यशास्त्र:** इमैनुएल कांट जैसे दार्शनिकों से जुड़ा कर्त्तव्यशास्त्र, उनके परिणामों के बजाय कार्यों की अंतर्निहित प्रकृति पर ज़ोर देता है। यह मानता है कि कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से सही या गलत होते हैं, भले ही उनके परिणाम कुछ भी हों। कर्त्तव्यशास्त्र अक्सर नियमों, कर्तव्यों या सिद्धांतों पर आधारित होता है।

नैतिक निर्णय लेना:
- **उपयोगितावाद:** उपयोगितावाद एक परिणामवादी दृष्टिकोण को नियोजित करता है, जहाँ किसी कार्य की नैतिकता पीड़ा या दर्द की तुलना में उत्पन्न खुशी या सुख के शुद्ध संतुलन का मूल्यांकन करके निर्धारित की जाती है। इसमें किसी कार्य की समग्र उपयोगिता की गणना करने की आवश्यकता होती है।
- **कर्त्तव्यशास्त्र:** कर्त्तव्यशास्त्र नैतिकता एक गैर-परिणामवादी दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यह दावा करता है कि कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से सही या गलत होते हैं, चाहे उनके परिणाम कुछ भी हों। इसका मतलब यह है कि किसी कार्य को नैतिक रूप से गलत माना जा सकता है, भले ही उसका परिणाम अच्छा हो और इसके विपरीत भी।

प्रेरणा:
- **उपयोगितावाद:** उपयोगितावाद का संबंध कार्यों के पीछे की प्रेरणा से है, लेकिन प्राथमिक ध्यान परिणामों पर होता है। यह नैतिक रूप से संदिग्ध प्रेरणाओं वाले कार्यों की अनुमति देता है यदि वे समग्र रूप से अधिक अच्छा परिणाम देते हैं।
- **कर्त्तव्यशास्त्र:** कर्त्तव्यशास्त्र कार्यों के पीछे की प्रेरणा को महत्त्व देता है। इसका तर्क है कि संभावित परिणामों की परवाह किये बिना, एक निश्चित तरीके से कार्य करना व्यक्तियों का कर्तव्य होता है, और कर्त्तव्य की भावना से कार्य करना नैतिक रूप से सराहनीय है।

सार्वभौमिकता:

- **उपयोगितावाद:** उपयोगितावाद की अक्सर उन कार्यों को उचित ठहराने की क्षमता के लिये आलोचना की जाती है जो सबसे बड़ी ख़ुशी की खोज में व्यक्तिगत अधिकारों या सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह हमेशा व्यक्तिगत स्वायत्तता और न्याय का सम्मान नहीं कर सकता है।
- **कर्त्तव्यशास्त्र:** कर्त्तव्यशास्त्र सार्वभौमिक सिद्धांतों या नियमों के महत्त्व पर ज़ोर देती है। कांट की प्रसिद्ध स्पष्ट अनिवार्यता बताती है कि एक कार्रवाई नैतिक रूप से स्वीकार्य है यदि कोई इसे विरोधाभास के बिना एक सार्वभौमिक कानून बना सकता है। यह व्यक्तिगत अधिकारों और इस विचार पर ज़ोर देता है कि परिणाम की परवाह किये बिना कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से गलत हैं।

धूसर क्षेत्र और दुविधाएँ:

- **उपयोगितावाद:** उपयोगितावाद कभी-कभी नैतिक दुविधाओं से जूझ सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न कार्यों के कारण होने वाले सुख और दुख की मात्रा निर्धारित करने तथा तुलना करने की आवश्यकता होती है, जो जटिल परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **कर्त्तव्यशास्त्र:** कर्त्तव्यशास्त्र कार्रवाई के लिये अधिक स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करती है, क्योंकि यह उन नियमों या कर्तव्यों पर निर्भर करती है जो परिणामों पर निर्भर नहीं होते हैं। हालाँकि, परस्पर विरोधी कर्त्तव्य उत्पन्न होने पर इसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

उपयोगितावाद और कर्त्तव्यशास्त्र नैतिकता के विपरीत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयोगितावाद परिणामों, लचीलेपन और समग्र ख़ुशी की खोज पर ज़ोर देता है, जबकि कर्त्तव्यशास्त्र (Deontology) नैतिक नियमों, कर्त्तव्यों एवं परिणामों की परवाह किये बिना कार्यों के अंतर्निहित सही या गलत पर ज़ोर देते हैं।

Q24. नैतिक सिद्धांतों में उपयोगितावाद और कर्त्तव्यशास्त्र के बीच मूलभूत अंतरों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- एक स्पष्ट और संक्षिप्त परिचय के साथ शुरुआत कीजिये जो सार्वजनिक प्रशासन में गैर-पक्षपातपूर्णता की अवधारणा को परिभाषित करता है।
- लोक प्रशासन में गैर-पक्षपातपूर्णता के महत्त्व और नागरिकों को यह सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- आप लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने तथा नागरिकों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये लोक प्रशासन में गैर-पक्षपातपूर्णता के महत्त्व को दोहराकर निष्कर्ष लिख सकते हैं।

लोक प्रशासन के लिये गैर-पक्षपात एक प्रमुख सिद्धांत है जो सभी नागरिकों के लिये निष्पक्ष एवं समान व्यवहार की गारंटी देता है, चाहे उनके राजनीतिक विचार कुछ भी हों। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजों के कामकाज और सरकारी संस्थानों के प्रदर्शन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

कुछ प्रमुख बिंदु जो यह दर्शाते हैं कि गैर-पक्षपातपूर्णता क्यों महत्त्वपूर्ण है:

- **निष्पक्ष सेवा वितरण:** गैर-पक्षपात यह सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक तथा सरकारी एजेंसियाँ सभी नागरिकों को उनकी राजनीतिक राय के आधार पर पूर्वाग्रह के बिना सेवाएँ एवं लाभ प्रदान करें। इससे सरकारी संस्थानों पर विश्वास बनाए रखने में सहायता मिलती है, क्योंकि लोग अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं की परवाह किये बिना उचित व्यवहार की अपेक्षा करते हैं।
- **साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना:** सार्वजनिक प्रशासकों को महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं जो नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। गैर-पक्षपात के लिये उन्हें राजनीतिक कारकों के बजाय तथ्यों, विशेषज्ञता एवं सार्वजनिक हित के आधार पर अपने निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इससे पक्षपात, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी से बचने में मदद मिलती है।
- **स्थिरता और निरंतरता:** लोकतांत्रिक प्रणालियों में, सरकारें चुनावों के माध्यम से नियमित रूप से बदलती रहती हैं। गैर-पक्षपातपूर्णता सरकारी संचालन एवं सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करती है, भले ही कोई भी राजनीतिक दल प्रभारी हो। यह स्थिरता दीर्घकालिक योजना और सार्वजनिक संस्थानों के प्रभावी कामकाज के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **कौशल-आधारित नियुक्ति और पदोन्नति:** गैर-पक्षपातपूर्णता लोक सेवकों की नियुक्ति तथा पदोन्नति को उनके राजनीतिक संबंधों या संबद्धता के बजाय उनके कौशल, अनुभव एवं क्षमता के आधार पर बढ़ावा देती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी पदों पर ऐसे व्यक्तियों का अधिकार हो जो उस नौकरी के लिये सबसे योग्य हों।
- **व्यावसायिकता:** गैर-पक्षपात लोक सेवकों के बीच व्यावसायिकता की भावना उत्पन्न करता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक दबावों की परवाह किये बिना परिश्रम एवं व्यावसायिकता के साथ सार्वजनिक हित की सेवा करें। जनता का भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिये यह व्यावसायिकता महत्त्वपूर्ण है।
- **उत्तरदायित्व और पारदर्शिता:** गैर-पक्षपातपूर्णता सरकार के भीतर उत्तरदायित्व प्रक्रिया का समर्थन करती है। जब सार्वजनिक प्रशासक राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होते हैं, तो उन्हें उनके कार्यों, निर्णयों एवं सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग के लिये ज़िम्मेदार ठहराना आसान हो जाता है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता से नागरिक निरीक्षण में भी सुधार होता है।

- **जनता का विश्वास:** लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिये सरकार पर विश्वास आवश्यक है। गैर-पक्षपात यह दिखा कर इस विश्वास को बनाने तथा बनाए रखने में मदद करता है कि सरकारी कार्यवाहियाँ किसी विशिष्ट राजनीतिक मसौदे को बढ़ावा देने के बजाय जनता की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होती हैं।
- **सामाजिक सद्भाव:** जब सार्वजनिक प्रशासन गैर-पक्षपातपूर्ण होता है, तो यह सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करके सामाजिक सद्भाव में योगदान देता है। इससे समाज के भीतर राजनीतिक संघर्ष एवं विभाजन की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सरकार एक समूह से दूसरे समूह का पक्ष लेने के बजाय आम जनता के कल्याण के लिये काम कर रही है।

गैर-पक्षपात लोकतांत्रिक समाजों में प्रभावी एवं निष्पक्ष लोक प्रशासन की नींव है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी संस्थान सार्वजनिक हित को राजनीतिक विचारों से ऊपर रखते हैं, जिससे नागरिकों के साथ अधिक समान व्यवहार होता है तथा राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद सरकार का कामकाज जारी रहता है। लोकतांत्रिक शासन की सफलता तथा सभी नागरिकों के कल्याण के लिये गैर-पक्षपातपूर्णता बनाए रखना आवश्यक है।

Q25. शासन में प्रौद्योगिकी और डेटा के बढ़ते उपयोग के आलोक में सार्वजनिक क्षेत्रक में डिजिटल गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा से संबंधित नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- शासन में प्रौद्योगिकी और डेटा के बढ़ते उपयोग का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- सार्वजनिक क्षेत्रक में डिजिटल गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा से संबंधित नैतिक चुनौतियों का वर्णन कीजिये।
- उत्तर के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताने के साथ इन नैतिक चुनौतियों के समाधान के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

शासन में प्रौद्योगिकी और डेटा के बढ़ते उपयोग से डिजिटल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के रूप में दो महत्त्वपूर्ण नैतिक मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक में विभिन्न उद्देश्यों जैसे सेवा वितरण, नीति निर्माण, कानून प्रवर्तन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये नागरिकों, व्यवसायों तथा अन्य संस्थाओं से विभिन्न प्रकार का डेटा एकत्र, संसाधित और साझा किया जाता है। हालाँकि इससे डेटा एवं आम जनता के अधिकारों तथा हितों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

मुख्य भाग:

डिजिटल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित कुछ नैतिक चुनौतियाँ:

- **डिजिटल गोपनीयता का अतिक्रमण:**
  - **डेटा संग्रह और निगरानी:** सरकारें अक्सर सार्वजनिक सेवाओं, कानून प्रवर्तन और स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिये नागरिकों से बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और इसकी निगरानी से व्यक्तिगत गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती है।
  - **सामाजिक प्रोफाइलिंग:** उन्नत डेटा एनालिटिक्स और एल्गोरिदम के उपयोग से सामाजिक प्रोफाइलिंग हो सकती है, जहाँ व्यक्तियों को उनके ऑनलाइन व्यवहार एवं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रोफाइलिंग के परिणामस्वरूप भेदभाव और पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।
- **डाटा सुरक्षा:**
  - **साइबर सुरक्षा की संवेदनशीलता:** सार्वजनिक क्षेत्रक अपने पास मौजूद डेटा की संवेदनशीलता के कारण साइबर हमलों का प्रमुख लक्ष्य बनता है। नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिये मज़बूत साइबर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना आवश्यक है। नैतिक चिंताएँ तब उत्पन्न होती हैं जब सरकारें इस डेटा की पर्याप्त सुरक्षा करने में विफल हो जाती हैं।
  - **डेटा उल्लंघन:** संवेदनशील जानकारी लीक हो जाने से संबंधित डेटा उल्लंघन की घटनाओं के व्यक्तियों के लिये गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नैतिक दुविधाएँ तब उत्पन्न होती हैं जब सरकारों को ऐसे उल्लंघनों के लिये ज़िम्मेदार पाया जाता है, जिससे सरकार पर लोगों के विश्वास में कमी आती है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता:**
  - **पारदर्शिता का अभाव:** सरकारी एजेंसियों द्वारा डेटा संग्रह, भंडारण और उपयोग के संदर्भ में अपारदर्शिता प्रदर्शित करने से डेटा के दुरुपयोग के बारे में संदेह उत्पन्न हो सकता है। विश्वास निर्माण हेतु इन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **जवाबदेहिता की कमी:** जब सार्वजनिक क्षेत्रक में डेटा का दुरुपयोग होता है, तो सरकारी पदानुक्रम की जटिलता के कारण व्यक्तियों या एजेंसियों को जवाबदेह ठहराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नैतिक चिंताएँ तब उत्पन्न होती हैं जब डेटा उल्लंघनों या गोपनीयता संबंधी उल्लंघनों के लिये ज़िम्मेदार लोगों को दंडित नहीं किया जाता है।

- **बायोमेट्रिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियाँ:**
  - **बायोमेट्रिक डेटा:** पहचान संबंधी उद्देश्यों के लिये बायोमेट्रिक्स के उपयोग से सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है लेकिन ऐसे व्यक्तिगत डेटा के संभावित दुरुपयोग के संबंध में नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI):** सार्वजनिक क्षेत्रक में AI को अपनाने से एल्गोरिदम तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पूर्वाग्रह से संबंधित नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस संदर्भ में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

निष्कर्ष:

शासन में प्रौद्योगिकी और डेटा के बढ़ते उपयोग से सार्वजनिक क्षेत्रक में डिजिटल गोपनीयता तथा डेटा सुरक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। इन नैतिक चुनौतियों से निपटने के लिये व्यापक कानून, पारदर्शी नीतियों, साइबर सुरक्षा पहलों एवं निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के अधिकारों तथा गोपनीयता की सुरक्षा करते हुए डिजिटल शासन के लाभों को प्राप्त किया जा सके। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत में व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है, जो इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

Q26. पुलिस कदाचार और क्रूरता के नैतिक आयामों का मूल्यांकन कीजिये। कानून प्रवर्तन एजेंसियों में अधिक जवाबदेहिता और नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- पुलिस कदाचार और क्रूरता के मुद्दे का संदर्भ बताते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- पुलिस कदाचार एवं क्रूरता से जुड़े प्रमुख नैतिक आयामों पर चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

पुलिस कदाचार और क्रूरता ऐसे गंभीर नैतिक मुद्दे हैं जिनसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों में लोगों के विश्वास में कमी आती है। पुलिस कदाचार का तात्पर्य पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी अवैध या अनैतिक व्यवहार से है, जिसमें भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, सबूतों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना आदि शामिल हैं। पुलिस क्रूरता से तात्पर्य पुलिस अधिकारियों द्वारा अत्यधिक या अनावश्यक बल के प्रयोग से है जिसमें यातना, हिरासत में मौत, मुठभेड़ एवं हत्याएँ आदि शामिल हैं।

मुख्य भाग:

पुलिस के कदाचार और क्रूरता के नैतिक आयामों का मूल्यांकन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है, जैसे:

- **मानवाधिकार:** पुलिस के दुर्व्यवहार और क्रूरता से नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा, समानता एवं न्याय के अधिकार का उल्लंघन होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों जैसे UDHR, ICCPR, अत्याचार के खिलाफ कन्वेंशन आदि का भी उल्लंघन हैं।
- **विधि का शासन:** इससे विधि का शासन कमज़ोर होता है, जो एक लोकतांत्रिक समाज का आधार है। इसके साथ ही इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की वैधता और विश्वसनीयता भी कमज़ोर होती है। इससे अराजकता की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है।
- **व्यावसायिकता:** पुलिस कदाचार और क्रूरता से पुलिस बल की व्यावसायिकता, अखंडता और मनोबल कमज़ोर होता है। इससे प्रशिक्षण, अनुशासन, पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व जैसे गुण नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।
- **सामाजिक सद्भाव:** पुलिस कदाचार एवं क्रूरता से लोगों (विशेषकर हाशिये पर रहने वाले और कमज़ोर लोगों) के बीच नाराजगी, भय, क्रोध एवं अविश्वास पैदा होने से सामाजिक सद्भाव और एकजुटता को नुकसान पहुँचता हैं। इससे सामाजिक संघर्षों, हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा मिलने से राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता को खतरा उत्पन्न होता है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अंदर अधिक जवाबदेही एवं नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित सुधारों की आवश्यकता है:

- **कानूनी सुधार:** पुलिस बल को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों और विनियमों को संशोधित एवं अद्यतित करने की आवश्यकता है। पुलिस अधिनियम,1861 (जो औपनिवेशिक शासकों द्वारा लागू किया गया था) को एक नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है जो संवैधानिक मूल्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो।
  - राष्ट्रीय पुलिस आयोग, रिबेरो समिति, पद्मनाभैया समिति, मलिमथ समिति, प्रकाश सिंह मामला आदि जैसे विभिन्न

आयोगों और समितियों की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है।

- **संस्थागत सुधार:** पुलिस बल की जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत तंत्रों एवं प्रक्रियाओं को मज़बूत तथा सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
  - पुलिस अधिकारियों के लिये परिचालन स्वायत्तता एवं कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करके पुलिस की कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने की आवश्यकता है।
  - आंतरिक जवाबदेही तंत्र जैसे शिकायत प्राधिकरण एवं सतर्कता विभाग को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।
  - न्यायपालिका, विधायिका, मानवाधिकार आयोग, नागरिक समाज, मीडिया आदि जैसे बाहरी जवाबदेही तंत्र को अधिक सुलभ एवं उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है।
- **क्षमता निर्माण सुधार:** पुलिस कर्मियों को व्यावसायिकता, ईमानदारी एवं मानवाधिकारों के प्रति सम्मान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक कौशल, ज्ञान तथा दृष्टिकोण प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - पुलिस को उभरती चुनौतियों एवं खतरों से निपटने में सक्षम बनाने के लिये बुनियादी ढाँचे और उपकरणों को उन्नत तथा आधुनिक बनाने की आवश्यकता है।
  - पर्याप्त पारिश्रमिक, प्रोत्साहन, सुविधाएँ तथा सहायता प्रदान करके पुलिस के कल्याण एवं इनकी भलाई को ध्यान में रखने की भी आवश्यकता है।
- **सामुदायिक पुलिसिंग सुधार:** सामुदायिक पुलिसिंग पहल के माध्यम से पुलिस तथा समुदाय के बीच संबंधों और समन्वय को बढ़ावा देने एवं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है।
  - पुलिस को लोगों के प्रति बलपूर्वक, टकरावपूर्ण और सत्तावादी दृष्टिकोण के बजाय अधिक सहभागी, सहयोगात्मक एवं सेवा-उन्मुख दृष्टिकोण के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता है।
  - पुलिस को अपराधों की रोकथाम, मूल्यांकन और समाधान के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में समुदाय को भी भागीदार बनाने की आवश्यकता है।
  - पुलिस को लोगों की विविधता, गरिमा एवं अधिकारों का सम्मान करना चाहिये तथा उनकी शिकायतों और चिंताओं का समाधान भी करना चाहिये।

निष्कर्ष:

पुलिस दुर्व्यवहार और क्रूरता ऐसे गंभीर नैतिक मुद्दे हैं जो देश के लोकतांत्रिक ढाँचे एवं सामाजिक सद्भाव के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनी, संस्थागत, क्षमता निर्माण और सामुदायिक पुलिसिंग जैसे विभिन्न पहलुओं में व्यापक एवं समग्र सुधारों को लागू करके उन्हें तत्परता तथा ईमानदारी से निभाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही पुलिस बल, लोगों का भरोसा हासिल करने के साथ नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है।

Q27. ऐसा माना जाता है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर लेखन आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संक्षिप्त परिचय के साथ प्रारंभ कीजिये।
- गोपनीयता अधिनियम और सूचना के अधिकार अधिनियम के बीच तुलना कीजिये साथ कुछ समितियों की सिफारिशों या सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों जैसे सहायक तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए और एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वर्ष 1923 का आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) एक कानून है जो विशेष रूप से विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्रों में सरकारी रहस्यों की निजता एवं गोपनीयता की रक्षा करने का प्रयास करता है। वर्ष 2005 का RTI अधिनियम एक ऐसा कानून है जो नागरिकों को शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि के साथ भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन पर अंकुश लगाने के लिये सार्वजनिक अधिकारियों से जानकारी मांगने और प्राप्त करने का अधिकार देता है।

संरचना:

एक विचार यह है कि गोपनीयता अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा है, क्योंकि यह सूचना के अधिकार और गोपनीयता बनाए रखने के कर्तव्य के बीच टकराव उत्पन्न करता है।

गोपनीयता अधिनियम (OSA)	सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI)
• गोपनीयता अधिनियम, यह **परिभाषित नहीं करता है कि आधिकारिक गोपनीयता क्या है,** साथ ही यह सरकार को किसी भी जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत करने का व्यापक विवेक प्रदान करता है। • गोपनीयता अधिनियम किसी **अन्य कानून को भी समाप्त कर देता है जिसमें जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकता** होती है, साथ ही अनधिकृत संचार अथवा आधिकारिक गोपनीयता के लिये कठोर दंड लगाता है। • गोपनीयता अधिनियम अपने अंतर्गत **लिये गए निर्णयों की अपील या समीक्षा के लिये कोई तंत्र प्रदान नहीं** करता है, साथ ही सरकार में गलत काम या भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर अथवा पत्रकारों के लिये किसी भी सार्वजनिक हित की रक्षा को मान्यता प्रदान नहीं करता है।	• दूसरी ओर, सूचना का अधिकार अधिनियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि **सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सार्वजनिक संपत्ति हैं,** साथ ही नागरिकों को कुछ छूटों और प्रतिबंधों के अधीन, उस तक पहुँचने का अधिकार प्रदान करता है। • सूचना का अधिकार अधिनियम, **सूचना के लिये अनुरोध करने तथा उसका निपटान के लिये एक स्पष्ट और सरल प्रक्रिया प्रदान** करता है, साथ ही अपील एवं शिकायतों पर निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र सूचना आयोग की स्थापना करता है। • सूचना का अधिकार अधिनियम, ऐसी **जानकारी का खुलासा करने में सार्वजनिक हित को पहचानता है जो संरक्षित हितों को होने वाले हानि से अधिक** हो सकती हैं, साथ ही इसे निर्धारित करने के लिये एक संतुलन परीक्षण भी प्रदान करता है।

यह दृष्टिकोण कि गोपनीयता अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम के लिये एक बाधा है, विभिन्न समितियों और विशेषज्ञों की सिफारिशों द्वारा समर्थित है। **उदाहरण के लिये:**

- वर्ष 1971 में विधि आयोग ने सिफारिश की कि राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित सभी कानूनों को एक अधिनियम में विलय कर दिया जाना चाहिये और "राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक" पारित किया जाना चाहिये।
- वर्ष 2006 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिश की गई कि गोपनीयता अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिये, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक अध्याय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये, जिसमें आधिकारिक गोपनीयता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि गोपनीयता अधिनियम का प्रयोग सरकार की वै आलोचना को दबाने के लिये नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी माना कि सूचना के अधिकार अधिनियम सूचना तक पहुँच को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है, साथ ही गोपनीयता अधिनियम का उपयोग केवल उन सूचनाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिये किया जा सकता है जो वास्तव में संवेदनशील हैं।

निष्कर्ष:

अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गोपनीयता अधिनियम कभी-कभी सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि यह सरकार में गोपनीयता एवं अविश्वास की संस्कृति को जन्म देता है और साथ ही नागरिकों के अधिकारों को कमज़ोर करता है। गोपनीयता अधिनियम को सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिये इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

Q28. नैतिक नेतृत्त्व सुशासन की आधारशिला है, क्योंकि यह सार्वजनिक विश्वास को प्रेरित करता है और सरकारी संस्थानों के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समावेशिता को बढ़ावा देता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक नेतृत्व की अवधारणा और सुशासन के साथ इसके संबंध के संक्षिप्त परिचय के साथ प्रारंभ कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि शासन के संदर्भ में नैतिक नेतृत्व क्यों आवश्यक है?
- आप इस विचार को सुदृढ़ करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नागरिकों के कल्याण और सरकारी संस्थानों के प्रभावी कामकाज के लिये नैतिक नेतृत्व महत्त्वपूर्ण है।

परिचय:

नैतिक नेतृत्व सुशासन की आधारशिला के रूप में कार्य करता है, सार्वजनिक विश्वास को प्रेरित करने और सरकारी संस्थानों के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही तथा समावेशिता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के कार्य करने की क्षमता के लिये अत्यंत आवश्यक है।

संरचना:

सुशासन के लिये नैतिक नेतृत्व आधारभूत रूप से आवश्यक है क्योंकि:

- **विश्वास निर्माण:** सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की विशेषता वाले नैतिक नेता जनता का विश्वास अर्जित करते हैं, जिससे सुशासन का आधार निर्मित होता है।

- **पारदर्शिता:** नैतिक नेता सरकारी जानकारी तक जनता की पहुँच सुनिश्चित करते हैं, विश्वास को बढ़ावा देते हैं और नागरिक निर्णय को भी सूचित करते हैं।
- **उत्तरदायित्व:** नैतिक नेता सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए स्वयं को और अपने दल को उत्तरदायी बनाए रखते हैं।
- **समावेशन:** नैतिक नेता विविधता को महत्त्व देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि निष्पक्षता और समता के लिये निर्णय लेने में सभी की अभिव्यक्ति सुनिश्चित की जाए।
- **दीर्घकालिक दृष्टिकोण:** नैतिक नेता अल्पकालिक लाभ के स्थान पर समाज के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं,साथ ही स्थायी शासन को बढ़ावा देते हैं।
- **संघर्ष समाधान:** नैतिक नेता संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों का समाधान के साथ सामाजिक सद्भाव एवं स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।
- **संकट प्रबंधन:** नैतिक नेता ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ संकटों का सामना करते हैं, साथ ही व्यापक कल्याण के लिये कठोर निर्णय लेते हैं और जनता के साथ ईमानदारी से संवाद भी करते हैं।

निष्कर्ष:

सुशासन, विश्वास, पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशिता तथा कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिये नैतिक नेतृत्व आवश्यक है। लोकतांत्रिक संस्थानों के लिये लोगों के हितों को प्राथमिकता देना और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जिससे नैतिक नेतृत्व लगातार परिवर्तित होते विश्व में नागरिक कल्याण के लिये एक कालातीत संपत्ति का निर्माण कर सके।

Q29. अंतरिक्ष अन्वेषण और इसके व्यावसायीकरण से संबंधित नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये। खगोलीय पिंडों और अंतर-ग्रहीय जीवन पर इसके संभावित प्रभावों पर विचार करते हुए बताइये कि सरकारें एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन ज़िम्मेदार अंतरिक्ष गतिविधियों को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- एक संक्षिप्त परिचय से शुरुआत कीजिये जो प्रश्न का संदर्भ प्रदान करता है।
- अंतरिक्ष अन्वेषण और इसके व्यावसायीकरण से जुड़ी नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन नैतिक दुविधाओं को किस प्रकार संबोधित कर सकते हैं तथा ज़िम्मेदार अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।
- आप व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं।

परिचय:

हाल के वर्षों में अंतरिक्ष अन्वेषण और इसका व्यावसायीकरण तेज़ी से विकसित हुआ है, जिससे असंख्य नैतिक दुविधाएँ सामने आ रही हैं। ये दुविधाएँ अंतरिक्ष में मानवीय गतिविधियों के खगोलीय पिंडों एवं संभावित अलौकिक जीवन पर संभावित परिणामों से उत्पन्न होती हैं।

मुख्य भाग:

अंतरिक्ष अन्वेषण और इसके व्यावसायीकरण से जुड़ी कुछ नैतिक दुविधाएँ हैं:

- **संरक्षण बनाम उपयोग:** वैज्ञानिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के लिये उनके संभावित उपयोग के विरुद्ध आकाशीय पिंडों की अद्वितीय पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को संतुलित करना।
  - कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि चंद्रमा की एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विरासत है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिये।
- **समानता बनाम शोषण:** वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिये अंतरिक्ष संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने और शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा उनके शोषण को रोकने के बीच संतुलन बनाना।
  - कुछ आलोचकों ने निजी कंपनियों या धनी देशों द्वारा जल और खनिज जैसे अंतरिक्ष संसाधनों के व्यावसायिक दोहन की निष्पक्षता एवं स्थिरता पर प्रश्न उठाया है।
- **सहयोग बनाम संघर्ष:** अंतरिक्ष गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं बाहरी अंतरिक्ष के क्षेत्र में संघर्ष, शस्त्रीकरण या सुरक्षा खतरों की संभावना के बीच तनाव को कम करना।
  - कुछ विश्लेषकों ने अंतरिक्ष में शस्त्रीकरण, सैन्यीकरण या आतंकवाद के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है, जो अंतरिक्ष प्रशासन के लिये मौजूदा कानूनी एवं राजनीतिक ढाँचे को कमज़ोर कर सकता है।

इन नैतिक दुविधाओं को दूर करने के लिये, सरकारें तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ज़िम्मेदार अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं:

- मानवीय गरिमा, न्याय, एकजुटता, स्थिरता तथा प्रबंधन के मूल्यों के आधार पर अंतरिक्ष अन्वेषण एवं इसके व्यावसायीकरण के लिये स्पष्ट तथा **सुसंगत नैतिक सिद्धांतों, मानदंडों और दिशानिर्देशों का विकास एवं कार्यान्वयन करना।**
  - इन सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामान्य हितों एवं ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ पृथ्वी तथा अंतरिक्ष दोनों पर विभिन्न हितधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिये।
- अंतरिक्ष प्रशासन के लिये **मौजूदा कानूनी एवं संस्थागत ढाँचे का विस्तार करना तथा लागू करना,** जैसे बाहरी अंतरिक्ष पर संयुक्त राष्ट्र संधियाँ और संकल्प, बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन।

- इन रूपरेखाओं को अंतरिक्ष अभिनेताओं का अनुपालन एवं जवाबदेही, विवादों की रोकथाम व समाधान तथा इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा और प्रचार सुनिश्चित करना चाहिये।

- वर्ल्ड स्पेस फोरम, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Human Space Flight) तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस (International Asteroid Day) जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण तथा इसके व्यावसायीकरण पर **वैज्ञानिक एवं सार्वजनिक भागीदारी** और शिक्षा **को बढ़ावा देना तथा इसका समर्थन करना।**
  - इन पहलों का उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों के फायदे और नुकसान, उनके द्वारा उठाए जाने वाले नैतिक एवं सामाजिक मुद्दों और अंतरिक्ष प्रयासों में विविध समूहों को किस प्रकार शामिल किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

निष्कर्ष:

अंतरिक्ष अन्वेषण और इसका व्यावसायीकरण वैज्ञानिक उन्नति एवं आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यह पृथ्वी तथा अंतरिक्ष दोनों पर सभी हितधारकों के लिये नुकसान को कम करने और अधिकतम लाभ के लिये एक मज़बूत नैतिक ढाँचे के साथ संचालित किया जाना चाहिये।

Q30. आप इस उद्धरण से क्या समझते हैं: "किसी की निगरानी न होने पर भी, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य से सकारात्मक कार्य की प्रेरणा मिलती है।" - सी.एस. लुईस (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उद्धरण का अर्थ बताकर शुरुआत कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि यह उद्धरण क्या संदेश देता है
- आप अपनी व्याख्या के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करके निष्कर्ष लिख सकते हैं।

परिचय:

सी.एस. लुईस का उद्धरण "किसी की निगरानी न होने पर भी, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य से सकारात्मक कार्य की प्रेरणा मिलती है" नैतिक चरित्र एवं नैतिकता के एक बुनियादी सिद्धांत को समाहित करता है। इसके मूल में, यह इस बात पर ज़ोर देता है कि सच्ची सत्यनिष्ठा बाहरी निरीक्षण या परिणामों के डर पर निर्भर नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति की सही और गलत की आंतरिक समझ पर निर्भर करती है।

मुख्य भाग:

यह उद्धरण बताता है:

- **सही कार्य करना:** यह उद्धरण इस बात पर ज़ोर देता है कि सत्यनिष्ठा में लगातार नैतिक रूप से न्यायी कार्यों और निर्णयों का चयन शामिल है। यह इस बारे में नहीं है कि क्या सुविधाजनक, समीचीन या लोकप्रिय है, बल्कि इस बारे में है कि नैतिक रूप से क्या सही है।
- **किसी की निगरानी न होने पर भी:** यह इस बात पर ज़ोर देता है कि सत्यनिष्ठा का अर्थ केवल बाहरी जाँच होने पर या संभावित पुरस्कार या दंड होने पर नैतिक मानकों का पालन करना नहीं है। सच्ची सत्यनिष्ठा का अर्थ है गवाहों या जवाबदेही की परवाह किये बिना अपने सिद्धांतों को बनाए रखना।
- **आंतरिक प्रेरणा:** इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि सत्यनिष्ठा एक आंतरिक गुण है। यह किसी के व्यक्तिगत मूल्यों एवं सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। यह वह करने के बारे में है जिसे आप सही मानते हैं क्योंकि यह आपकी नैतिकता की भावना के अनुरूप है, इसलिये नहीं कि आप बाहरी निर्णय या सजा से डरते हैं।
- **विश्वसनीयता:** जब कोई व्यक्ति लगातार सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करता है, तो वह विश्वसनीय बन जाता है। अन्य लोग उन पर विश्वास कर सकते हैं, यह जानते हुए कि उनके कार्य परिस्थितियों की परवाह किये बिना एक मज़बूत नैतिक दिशा-निर्देश द्वारा निर्देशित होते हैं।
- **व्यक्तित्व निर्माण:** यह उद्धरण व्यक्तियों के मज़बूत और व्यवहारिक व्यक्तित्व के निर्माण के प्रोत्साहन पर केंद्रित है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्य, किसी की निगरानी न होने पर भी, हमारे चरित्र को आकार देने तथा यह परिभाषित करने में योगदान देते हैं कि हम कौन हैं।

निष्कर्ष:

यह उद्धरण आंतरिक नैतिक शक्ति एवं नैतिक सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के महत्त्व पर ज़ोर देता है। यह हमसे सत्यनिष्ठा को मान्यता के लिये नहीं बल्कि इसलिये बरकरार रखने का आग्रह करता है क्योंकि यह सही कार्य है। बाहरी पर्यवेक्षण के बिना परीक्षण किये जाने पर सच्ची सत्यनिष्ठा सामने आती है, जो सद्गुणी चरित्र एवं नैतिक व्यवहार को परिभाषित करती है।

Q31. भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं और हितों के टकराव को हल करने में किस प्रकार सहायता कर सकती है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये और लोक प्रशासन के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिये।
- संक्षेप में बताएं कि नैतिक मुद्दों और हितों के टकराव को संबोधित करने के लिये EI कैसे महत्त्वपूर्ण है?
- आप इस बात पर ज़ोर देकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उच्च स्तर की EI एक नैतिक और प्रभावी लोक प्रशासन प्रणाली में योगदान कर सकती है जो जनता के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करती है।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) स्वयं और दूसरों के संबंध में भावनाओं को समझने, उपयोग करने एवं प्रबंधित करने की क्षमता है। EI किसी व्यक्ति की जटिल अंतर्वैयक्तिक और नैतिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से समाधान करने की क्षमता को बढ़ाकर लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं एवं हितों के टकराव को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य भाग:

EI नैतिक दुविधाओं और हितों के टकराव को हल करने में सहायता कर सकता है:

- **आत्म-जागरूकता:** EI आत्म-जागरूकता से शुरू होती है, जो लोक प्रशासकों को अपनी भावनाओं, मूल्यों और पूर्वाग्रहों को पहचानने की अनुमति देती है।
  - यह आत्म-जागरूकता उन्हें किसी नैतिक दुविधा या हितों के टकराव का सामना करने और इन स्थितियों में अपने भीतर उत्पन्न होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी पहचानने एवं समझने में सक्षम बनाती है।
- **सहानुभूति:** लोक प्रशासन में नैतिक निर्णय लेने के लिये विविध हितधारक दृष्टिकोणों को पहचानना महत्त्वपूर्ण होता है। सहानुभूतिपूर्ण प्रशासक विभिन्न आवश्यकताओं को समझते हैं और समावेशी संवादों के माध्यम से रचनात्मक समाधानों को बढ़ावा देते हैं।
- **प्रभावशाली संचार:** EI संचार को बढ़ाता है, साथ ही लोक प्रशासकों को हितधारकों के साथ खुले तथा सम्मानजनक संवाद में शामिल होने में सक्षम बनाता है, जो नैतिक दुविधाओं और हितों के टकराव को हल करने के लिये महत्त्वपूर्ण होता है।
- **निर्णय लेना:** नैतिक दुविधाएँ कठिन विकल्पों, हितों और मूल्यों के बीच संतुलन की माँग करती हैं। EI प्रशासकों को तथ्यों, नियमों और विकल्पों के नैतिक एवं भावनात्मक पहलुओं पर विचार करके उचित निर्णय लेने में सहायता करता है।
- **संघर्ष का समाधान:** हितों के टकराव से हितधारकों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोक प्रशासक निष्पक्ष समाधान को बढ़ावा देने और तनाव को रोकने के लिये मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं।
- **स्व-नियमन:** EI प्रशासकों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और तर्कसंगत निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे नैतिक दुविधाओं या हितों के टकराव जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अनैतिक व्यवहार का जोखिम कम हो जाता है।
- **नैतिक नेतृत्व:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोक प्रशासक नैतिक व्यवहार, सहानुभूति और प्रभावी संचार को प्रेरित करते हैं, अपनी टीमों एवं सहकर्मियों के लिये एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तथा नैतिक मानकों और संघर्ष के समाधान को प्रोत्साहित करते हैं।

निष्कर्ष:

लोक प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्त्वपूर्ण है, जो प्रशासकों को नैतिक चुनौतियों और संघर्षों से निपटने में सहायता करती है। यह आत्म-जागरूकता, सहानुभूति, संचार और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देती है तथा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, जिससे जनता को लाभ होता है।

Q32. चरित्र एक पेड़ की तरह होता है और प्रतिष्ठा उसकी छाया की तरह होती है।" -अब्राहम लिंकन। नैतिक नेतृत्व में चरित्र के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण के संक्षिप्त परिचय के साथ शुरुआत कीजिये।
- नैतिक नेतृत्व में चरित्र के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- आप नैतिक नेतृत्व में चरित्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देते हुए, मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करके निष्कर्ष लिख सकते हैं।

परिचय:

अब्राहम लिंकन का उद्धरण, **"चरित्र एक पेड़ की तरह होता है और प्रतिष्ठा उसकी छाया की तरह होती है,"** नैतिक नेतृत्व में चरित्र के महत्त्व को खूबसूरती से दर्शाता है। चरित्र वह नींव है जिस पर नैतिक नेतृत्व का निर्माण होता है और यह एक नेता की प्रतिष्ठा को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य भाग:

नैतिक नेतृत्व में चरित्र का महत्त्व:

- **विश्वसनीयता:** चरित्र नेतृत्व में विश्वास की आधारशिला होता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता जैसे प्रभावशाली चारित्रिक गुणों वाले नेताओं को अपने अनुयायियों का विश्वास एवं सम्मान हासिल करने की अधिक संभावना होती है।
  - प्रभावी नेतृत्व के लिये विश्वास आवश्यक होता है क्योंकि यह खुले संवाद को प्रोत्साहित करता है और टीम के सदस्यों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है।
- **नैतिक दिशा-निर्देश:** नैतिक नेतृत्वकर्ता एक मज़बूत नैतिक दिशा-निर्देश द्वारा निर्देशित होते हैं। वे अल्पकालिक लाभ के आधार पर निर्णय लेने के बजाय, नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं।
  - निष्पक्षता, सहानुभूति और करुणा जैसे चारित्रिक लक्षण उन्हें ऐसे निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं जो केवल अपने हितों के लिये नहीं बल्कि सभी हितधारकों की भलाई पर विचार करते हैं।

- **निरंतरता:** चरित्रवान नेता अपने व्यवहार और कार्यों में निरंतर सुसंगत होते हैं। यह निरंतरता उनकी टीमों के लिये एक स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण बनाने में सहायता करती है।
  - जब कर्मचारी लगातार उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये अपने नेता पर भरोसा करते हैं, तो इससे संगठन के भीतर सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना प्रोत्साहित होती है।
- **प्रेरणा और अनुकरणीय व्यक्ति:** नेता अपनी टीमों के लिये अनुकरणीय व्यक्ति की भूमिका अदा करते हैं। एक प्रभावशाली चरित्र वाला नेता दूसरों के अनुसरण के लिये एक उदाहरण स्थापित करता है।
  - जब नेता नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो यह उनकी टीम के सदस्यों को उन व्यवहारों का अनुकरण करने के लिये प्रोत्साहित करता है, जिससे संगठन के भीतर नैतिकता की संस्कृति का निर्माण होता है।
- **प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन:** प्रभावशाली चरित्र वाले नैतिक नेता कठिन परिस्थितियों और संकटों से निपटने के लिये बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। नैतिक सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी कठोर निर्णय लेने में सहायता करती है। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान यह लचीलापन प्रेरणा और स्थिरता का स्रोत हो सकता है।
- **कर्मचारी सहभागिता और ईमानदारी:** कर्मचारियों के उस नेता के प्रति समर्पित और ईमानदार होने की अधिक संभावना होती है जिसे वे प्रभावशाली चरित्र वाले नेता के रूप में देखते हैं। एक नेता जो अपनी टीम के सदस्यों को महत्त्व देता है, उनका सम्मान करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है तथा नैतिक रूप से उनका निवारण करता है, उसके पास एक प्रेरित एवं प्रतिबद्ध कार्यबल होने की संभावना है।

निष्कर्ष:

नैतिक नेतृत्व, विश्वास निर्माण, निरंतरता और नैतिक विकल्पों के लिये चरित्र आवश्यक होता है। नेताओं में प्रभावशाली चरित्र उनके संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, एक नैतिक संस्कृति का पोषण करता है, कर्मचारियों का समर्थन करता है और उन्हें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है, ठीक उसी तरह जैसे छिपी हुई पेड़ की जड़ों से ही उसका ऊपरी आकार निर्धारित होता है।

Q33. नैतिक सापेक्षवाद और नैतिक सार्वभौमवाद के बीच क्या अंतर है? ये आपके नैतिक निर्णयों और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक सापेक्षवाद और नैतिक सार्वभौमवाद का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- नैतिक सापेक्षवाद और नैतिक सार्वभौमवाद के बीच अंतर बताइये। यह भी बताइये, कि वे किसी के नैतिक निर्णयों और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं।
- आप सूचित और विचारशील नैतिक निर्णय लेने में इन नैतिक अवधारणाओं को समझने के महत्त्व को दोहराकर उत्तर समाप्त कीजिये।

परिचय:

नैतिक सापेक्षवाद और नैतिक सार्वभौमवाद, नैतिकता के दो विपरीत दृष्टिकोण हैं जो इस प्रश्न का समाधान करते हैं कि क्या नैतिक सिद्धांत संस्कृति, समाज या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से संबंधित हैं या क्या वे सार्वभौमिक हैं, जो सभी लोगों पर लागू होते हैं, चाहे उनकी सांस्कृतिक या व्यक्तिगत भिन्नताएँ कुछ भी हों।

निकाय:

नैतिक सापेक्षवाद और नैतिक सार्वभौमवाद में अंतर:

- **नैतिक सापेक्षवाद:** नैतिक सापेक्षवाद मानता है, कि नैतिक सिद्धांत निरपेक्ष और सार्वभौमिक नहीं हैं, बल्कि वे संदर्भ-निर्भर (context-dependent) हैं और एक संस्कृति, समाज या व्यक्ति से दूसरे में भिन्न हो सकते हैं।
- **सांस्कृतिक और व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता:** नैतिक सापेक्षवाद के अनुसार, जिसे नैतिक रूप से उचित या अनुचित माना जाता है, वह विभिन्न संस्कृतियों और व्यक्तियों में काफी भिन्न हो सकता है। कोई उद्देश्यपूर्ण, व्यापक नैतिक मानक नहीं हैं।
- **व्यक्तिपरकता:** नैतिक निर्णयों को व्यक्तिगत या सांस्कृतिक प्राथमिकता के मामले के रूप में देखा जाता है। नैतिक रूप से क्या उचित या अनुचित माना जाता है, यह किसी विशेष समाज या व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और मानदंडों से निर्धारित होता है।
  - **नैतिक सार्वभौमवाद:** नैतिक सार्वभौमवाद इस बात पर ज़ोर देता है, कि वस्तुनिष्ठ सिद्धांत और सार्वभौमिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत होते हैं जो सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं, चाहे उनके सांस्कृतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत मतभेद कुछ भी हों।
- **वस्तुनिष्ठ नैतिक मानक:** सार्वभौमवादियों का मानना है, कि कुछ नैतिक सिद्धांत, जैसे हत्या का निषेध या मानवीय गरिमा का सम्मान, जो सभी परिस्थितियों में सत्य और बाध्यकारी हैं।

- **नैतिक स्थिरता:** नैतिक सार्वभौमवाद, नैतिक स्थिरता के साथ इस विचार को बढ़ावा देता है कि नैतिक सिद्धांत सत्य हैं, जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अधीन नहीं हैं।

ये किसी के नैतिक निर्णयों और कार्यों को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित करते हैं:

- **नैतिक सापेक्षवाद:** नैतिक सापेक्षवाद, विविध सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत मान्यताओं और प्रथाओं के प्रति अधिक सहिष्णु तथा स्वीकार्य रुख का नेतृत्व करता है। यह निरपेक्ष नैतिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति को कम कर सकता है जो खुले चित्त और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **नैतिक सार्वभौमवाद:** नैतिक सार्वभौमवाद प्राय: नैतिकता के प्रति अधिक निरपेक्ष और स्पष्ट दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। यह व्यक्तियों को सांस्कृतिक या परिस्थितिजन्य विविधताओं की परवाह किये बगैर नैतिक सिद्धांतों को निरंतर रूप से लागू करने के लिये प्रोत्साहित करता है। इससे सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के प्रति नैतिक कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

नैतिक निर्णयों और कार्यों में नैतिक सापेक्षवाद तथा नैतिक सार्वभौमवाद के बीच का चुनाव किसी की व्यक्तिगत मान्यताओं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उनके समक्ष आने वाली विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विविधताओं को पहचानने और मौलिक नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना प्राय: एक जटिल नैतिक चुनौती है।

Q34. "आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है, के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है।" - पॉटर स्टीवर्ट। लोक प्रशासन और निर्णय लेने के संदर्भ में इस उद्धरण के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- अपने उत्तर की शुरुआत उद्धरण के संक्षिप्त परिचय के साथ कीजिये और उद्धरण का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
- लोक प्रशासन और निर्णय लेने के क्षेत्र में उद्धरण के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- आप एक संक्षिप्त, प्रभावशाली निष्कर्ष के साथ उत्तर को समाप्त कर सकते हैं, जो लोक प्रशासन और निर्णय लेने के संदर्भ में नैतिकता के महत्त्व को मज़बूत करता है।

परिचय:

पॉटर स्टीवर्ट का उद्धरण "नैतिकता का अर्थ है कि आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है" के बीच अंतर जानना एक मौलिक सिद्धांत को समाहित करता है जो लोक प्रशासन और निर्णय लेने के क्षेत्र में अत्यधिक प्रासंगिक है। लोक प्रशासन के संदर्भ में, यह उद्धरण उन कार्यों के बीच अंतर करने के महत्त्व पर प्रकाश डालता है, जो वैधानिक रूप से स्वीकार्य हैं तथा नैतिक रूप से उचित हैं।

निकाय:

इसके महत्त्व पर प्रकाश डालने वाले मुख्य बिंदु:

- **जवाबदेही और उत्तरदायित्व:** लोक प्रशासकों और अधिकारियों को जनता के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देनी चाहिये और सभी स्तरों पर जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए,न केवल वैधता, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व पर भी विचार करना चाहिये।
- **लोक हित को कायम रखना:** लोक प्रशासन, नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने के साथ-साथ व्यापक हितों के लिये नैतिक रूप से उचित विकल्प को चुनता है और लोक हित की सेवा करने के बारे में बताता है।
- **वैधानिक और नैतिक के बीच अंतर:** यह उद्धरण वैधता और नैतिकता के बीच अंतर पर प्रकाश डालता है। वह भी इसलिये कि कोई चीज़ वैधानिक है इसका अर्थ यह नहीं है कि वह नैतिक है। लोक प्रशासकों को ऐसे निर्णय लेने का लक्ष्य रखना चाहिये जो विधिक और नैतिक दोनों मानकों के अनुरूप हों।
- **नैतिक दुविधाएँ:** जटिल परिस्थितियों में लोक प्रशासकों को न केवल अपने वैधानिक अधिकार बल्कि अपने निर्णयों के नैतिक आयामों पर भी विचार करके स्टीवर्ट की सलाह पर ध्यान देना चाहिये।
- **दीर्घकालिक स्थिरता:** इसमें लोक प्रशासकों के लिये नैतिक निर्णय लेने में दीर्घकालिक परिणामों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें अल्पकालिक लाभ से अधिक स्थिरता, समानता और सामाजिक न्याय पर ज़ोर दिया जाता है।
- **लोक अवधारणा:** सरकार और अधिकारियों में जनता का विश्वास नैतिक निर्णय लेने पर निर्भर करता है, जिसे निरंतर बनाए रखने पर सार्वजनिक क्षेत्र और उसके कर्मचारियों की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

निष्कर्ष:

यह उद्धरण हमें यह याद दिलाता है कि लोक प्रशासन और निर्णय लेने को महज वैधता से परे होना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र में निर्णयों और कार्यों को आकार देने में नैतिक विचारों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये। किसी को क्या करने का अधिकार है और क्या करना उचित है, के बीच अंतर को पहचानकर, लोक प्रशासक अधिक उत्तरदायी, जवाबदेह और नैतिक रूप से सुदृढ़ शासन में योगदान दे सकते हैं, जो अंतत: समाज के सर्वोत्तम हितों की सेवा कर सकते हैं।

Q35. समानुभूति और सहानुभूति में क्या अंतर है? समानुभूति एक लोक सेवक को हितधारकों की ज़रूरतों एवं भावनाओं को समझने तथा बेहतर लोक सेवा प्रदान करने में कैसे सहायता कर सकती है? (150 शब्द)

उत्तर :

परिचय:

समानुभूति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को साझा करने और समझने की क्षमता है, जबकि **सहानुभूति किसी के लिये चिंता की भावना और अभिव्यक्ति है,** जो अक्सर उनके खुश या बेहतर होने की इच्छा के साथ होती है। समानुभूति में स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना और कल्पना करना शामिल होता है कि वे कैसा महसूस करते हैं, जबकि सहानुभूति में उनकी भावनाओं को अपने दृष्टिकोण से स्वीकार करना शामिल होता है।

मुख्य भाग:

दोनों के मध्य अंतर:

	सहानुभूति	समानुभूति
विशेषताएँ	अवलोकन, प्रतिक्रिया, त्वरितता, मुख्य रूप से भावनात्मक जागरूकता।	पीड़ा की स्वीकृति, व्यक्ति को समझना, प्रभावशाली प्रतिक्रिया।
पीड़ा का उत्तर	स्वीकृति	स्वीकृति, समझ, और भावनात्मक अनुनाद
प्रतिक्रिया का प्रकार	किसी संकटपूर्ण स्थिति पर एक आंतरिक प्रतिक्रिया	किसी संकटपूर्ण स्थिति में वस्तुनिष्ठ और प्रभावशाली प्रतिक्रिया

लोक सेवा के संदर्भ में, समानुभूति हितधारकों की ज़रूरतों और भावनाओं को समझने एवं बेहतर लोक सेवा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है:

- **बेहतर समझ:** समानुभूति लोक सेवकों को उन लोगों के दृष्टिकोण और अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती है जिनकी वे सेवा करते हैं। **सक्रिय रूप से स्वयं को हितधारकों के स्थान पर रखकर, लोक सेवक समुदाय की चुनौतियों, चिंताओं और आकांक्षाओं के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।**
- **बेहतर संप्रेषण:** समानुभूतिशील लोक सेवक अधिक प्रभावी संप्रेषक होते हैं। **वे अधिक ध्यान से सुन सकते हैं और अपने क्षेत्र के निवासरतों की वास्तविक ज़रूरतों और भावनाओं का पता लगाने के लिये सही प्रश्न पूछ सकते हैं।** यह गुण अधिक पारदर्शी व रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करता है, जिससे विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **अनुकूल समाधान:** उच्च स्तर की समानुभूति के साथ, लोक सेवक **अधिक वैयक्तिक और प्रभावी समाधान** निकाल सकते हैं। विभिन्न हितधारकों की अलग-अलग परिस्थितियों को सही मायने में समझकर, वे ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम निर्मित कर सकते हैं जो विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करते हों तथा सफलता की अधिक संभावना रखते हैं।
- **संघर्ष में कमी:** समानुभूति **विभिन्न पक्षों की भावनाओं और चिंताओं को स्वीकार करके संभावित संघर्षों तथा विवादों को कम कर सकती है।** यह सर्वसम्मति निर्माण एवं संघर्ष समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण और स्थिर वातावरण तैयार हो सकता है।
- **परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन:** तेज़ी से विकसित हो रही दुनिया में, **समानुभूति लोक सेवकों को अपने हितधारकों की बदलती ज़रूरतों और भावनाओं के अनुकूल होने की अनुमति देती है।** वे यह सुनिश्चित करते हुए उत्तरदायी और प्रासंगिक बने रह सकते हैं कि लोक सेवाएँ सामाजिक विकास के साथ कदम से कदम मिला कर विकसित हों।

निष्कर्ष

यद्यपि सहानुभूति देखभाल और चिंता की भावना उत्पन्न कर सकती है, समानुभूति इसे हितधारकों की भावनाओं और ज़रूरतों को गहराई से समझने और उनके साथ जोड़कर एक कदम आगे ले जाती है। समानुभूति का अभ्यास करने वाले लोक सेवक आमजन के साथ अधिक सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे वैयक्तिक और प्रभावी नीतियाँ, बेहतर सेवा वितरण एवं एक मज़बूत, अधिक समावेशी समाज का निर्माण हो सकता है।

Q36. नैतिक मार्ग ही बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग है। नैतिक मानकों को बनाए रखने में लोक सेवकों की भूमिका के संबंध में इस उद्धरण का क्या अर्थ है? (150 शब्द)

उत्तर :

दृष्टिकोण:

- एक संक्षिप्त परिचय से उत्तर की शुरुआत कीजिये जो उद्धरण की व्याख्या करता हो।
- लोक सेवा में नैतिक मानकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- आप लोक सेवा के संदर्भ में नैतिकता एवं बुद्धिमत्ता के बीच संबंध को दोहराते हुये, मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत कर निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिये।

परिचय:

उद्धरण, "नैतिक मार्ग ही बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग है," नैतिकता और बुद्धिमत्ता के बीच अंतर्निहित संबंध को विशेषकर लोक सेवा के संदर्भ में रेखांकित करता है। यह सुझाव देता है कि नैतिक निर्णय लेना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि एक बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यावहारिक विकल्प भी है।

मुख्य भाग:

जब इसे लोक सेवकों की भूमिका पर लागू किया जाता है, तो इस उद्धरण के कई महत्त्वपूर्ण निहितार्थ होते हैं:

- **उत्तरदायित्व:** लोक सेवक सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और समुदाय पर प्रभाव डालने वाले निर्णय लेते हैं। नैतिक मार्ग न केवल सही है बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण भी है क्योंकि यह विश्वास उत्पन्न करता है, जोखिमों को कम करता है एवं प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखता है।
- **दीर्घकालिक सफलता:** लोक सेवा में नैतिक निर्णय लंबे समय में समाज को लाभान्वित करते हैं, लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति को बढ़ावा देते हैं।
- **विश्वास और विश्वसनीयता:** लोक सेवक अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिये विश्वास पर भरोसा करते हैं। लगातार नैतिक व्यवहार जन सामान्य में विश्वास की भावना उत्पन्न करता है और यह प्रशासनिक सफलता के लिये आवश्यक है।
- **विधिक एवं नैतिक रूपरेखाएँ:** आचरण संहिता का पालन एक नैतिक विकल्प और रणनीतिक दोनों है। यह व्यक्तियों एवं संगठनों की सुरक्षा करते हुए विधिक परिणामों, पेशेवर प्रतिबंधों तथा व्यक्तिगत संकट पर अंकुश लगाता है।
- **समस्या-समाधान और नवाचार:** नैतिक निर्णयन-प्रक्रिया विविध दृष्टिकोणों और सिद्धांतों पर विचार करके बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती है। यह विचारशीलता को नवीन समाधानों की ओर ले जाती है, जिससे घटकों के लिये परिणामों में सुधार होता है।

निष्कर्ष:

उद्धरण "नैतिक मार्ग ही बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग है" इस बात पर ज़ोर देता है कि नैतिक आचरण केवल नैतिक कर्तव्य का विषय नहीं है बल्कि बुद्धिमत्ता के साथ-साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है। लोक सेवकों के लिये, नैतिक मानकों को बनाए रखना न केवल उचित है, बल्कि विश्वास बनाए रखने, दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने के लिये भी आवश्यक है जिससे जन-सामान्य और स्वयं दोनों को लाभ होता है।

Q37. अनैतिक प्रथाओं के संभावित सामाजिक और व्यक्तिगत परिणामों सहित इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में नैतिक चुनौतियों की जाँच कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रभावकारी विपणन को परिभाषित करके अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- प्रभावकारी विपणन से जुड़ी नैतिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। साथ ही अनैतिक प्रथाओं के संभावित सामाजिक और व्यक्तिगत परिणामों पर भी चर्चा कीजिये।
- आप व्यक्तिगत राय के साथ उत्तर का निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

परिचय:

प्रभावकारी विपणन **डिजिटल विपणन का एक रूप है जिसमें किसी ब्रांड, उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिये बड़ी संख्या में सोशल मीडिया हस्तियों के साथ सहयोग करना शामिल है।** प्रभावकारी विपणन कई ब्रांडों की विपणन रणनीतियों का एक अभिन्न अंग बन गई है, जिससे उन्हें अपने लक्षित दर्शकों तक प्रामाणिक और प्रभावी ढंग से पहुँचने की अनुमति मिलती है।

मुख्य भाग:

प्रभावकारी विपणन कुछ नैतिक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है जो हैं:

- **प्रायोजित सामग्री में पारदर्शिता:** प्रायोजित सामग्री का खुलासा करने में पारदर्शिता की कमी, जिससे विश्वास में कमी आती है और भारत के विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) द्वारा निर्धारित #विज्ञापन, #प्रायोजित, #कोलैब, या #साझेदारी जैसे लेबलिंग दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण उपभोक्ता अधिकारों का संभावित उल्लंघन होता है।
- **प्रामाणिकता और विश्वास:** प्रभावकारी विपणन में प्रामाणिकता तथा विश्वास महत्त्वपूर्ण हैं। प्रभावकारी लोगों को ऐसे ब्रांडों के साथ साझेदारी करनी चाहिये जो उनकी मान्यताओं से मेल खाते हों, उन उत्पादों को बढ़ावा देने से बचें जिन पर वे विश्वास नहीं करते हैं और जिनमें रचनात्मक स्वतंत्रता हो। ब्रांडों को प्रभावकारी लोगों का सम्मान करना चाहिये, स्थायी संबंध बनाने चाहिये एवं अनैतिक मांगों से बचना चाहिये।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** प्रभावकारी विपणन में एक और नैतिक चुनौती में बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करना शामिल है। कानूनी समस्याओं से बचने के लिये प्रभावकारी लोगों तथा ब्रांडों को संगीत, चित्र या वीडियो जैसी कॉपीराइट सामग्री सहित बिना अनुमति या उचित क्रेडिट के दूसरों की सामग्री की नकल करने या उपयोग करने से बचना चाहिये।
- **डेटा गोपनीयता:** प्रभावकारी विपणन में एक प्रमुख नैतिक चिंता डेटा गोपनीयता की सुरक्षा करना है। प्रभावकारी लोगों और ब्रांडों को

सहमति का सम्मान करना चाहिये, बिना अनुमति के व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिये तथा केवल सहमति के अनुसार डेटा का उपयोग करना चाहिये। डेटा सुरक्षा कानूनों का अनुपालन आवश्यक है।

प्रभावकारी विपणन में अनैतिक प्रथाओं के संभावित सामाजिक और व्यक्तिगत परिणाम:

- **सामाजिक परिणाम:**
  - उत्पादों या सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं को गलत सूचना देना या गुमराह करना उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण को प्रभावित कर सकता है।
  - यह हानिकारक जीवनशैली को प्रोत्साहित कर सकता है, विशेष रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के बीच, और लत व खान-पान की बुरी आदतें जैसे नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकता है।
  - यह डिजिटल मीडिया में विश्वास को कम कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिये सही और भ्रामक सामग्री के बीच अंतर करना कठिन हो सकता है।
  - यह बेईमानी को सामान्य बना सकता है, न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि समाज की अखंडता को भी नुकसान पहुँचा सकता है।
  - यह ब्रांडों और प्रभावकारी लोगों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्द्धा एवं बाज़ार विकृति पैदा कर सकता है।
- **व्यक्तिगत परिणाम:**
  - अनैतिक व्यवहार किसी की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसे दुबारा विश्वास हासिल करना मुश्किल हो जाता है।
  - कानूनों या विनियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, दंड या कारावास भी हो सकता है।
    - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन के लिये प्रभावकारी लोगों को दंडित किया जा सकता है।
  - अनैतिक कार्य ब्रांड और साथियों के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे केरियर के अवसर सीमित हो सकते हैं।
  - अपराध बोध, पश्चाताप और आत्मसम्मान की हानि तनाव, चिंता तथा अवसाद उत्पन्न कर सकती है।

निष्कर्ष:

प्रभावकारी विपणन एक मज़बूत डिजिटल रणनीति है जो नैतिक रूप से संचालित होने पर ब्रांडों और प्रभावकारी लोगों को लाभ पहुँचाती है। हालाँकि यह नैतिक मुद्दे उठाती है जिन पर सभी सम्मिलित पक्षों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नैतिक प्रभावकारी विपणन सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक सूचनाएँ तथा विज्ञापनों की रोकथाम के लिये दिशा-निर्देश, 2022 को अधिसूचित किया है। नैतिक दिशा-निर्देशों और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके ब्रांड और प्रभावकारी लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभियान में नियामक अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं, उपभोक्ताओं में विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं।

Q38. समसामयिक भू-राजनीतिक संदर्भ में 'न्यायसंगत युद्ध' की अवधारणा से जुड़े नैतिक आयामों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- 'न्यायसंगत युद्ध' की अवधारणा और इसके ऐतिहासिक संदर्भ को परिभाषित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- 'न्यायसंगत युद्ध' सिद्धांत के मूल सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संघर्ष के समाधान को निर्देशित करने के लिये नैतिक विचारों की आवश्यकता पर एक विचारशील प्रतिबिंब के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

'न्यायसंगत युद्ध' की अवधारणा **सैन्य नैतिकता का एक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना** है कि एक **युद्ध कई मानदंडों के माध्यम से नैतिक रूप से उचित** है, जैसे कि कोई उचित कारण, वैध अधिकार, सही इरादा, सफलता का उचित मौका और बल का संतुलित उपयोग आदि। विभिन्न धार्मिक तथा दार्शनिक परंपराओं में इस की अवधारणा का एक लंबा इतिहास रहा है।

मुख्य भाग :

न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत (जस्ट वॉर थ्योरी) के तत्त्व:

- **न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत** को तीन भागों में बाँटा गया है जिनके लैटिन नाम हैं। ये भाग हैं:
  - **जूस एड बेलम:** पहले चरण में युद्ध का सहारा लेने के न्याय के बारे में।
  - **जूस इन बेल्लो:** यह युद्ध के दौरान आचरण के न्याय के बारे में है।
  - **जूस पोस्ट बेलम:** यह शांति समझौतों के न्याय और युद्ध की समाप्ति के चरण के बारे में है।

आधुनिक विश्व में 'न्यायसंगत युद्ध' पर चर्चा करते समय कई प्रमुख नैतिक आयामों पर विचार किया जाना चाहिये।

- **जूस एड बेलम: युद्ध छेड़ने का अधिकार:** यह सिद्धांत युद्ध में

शामिल होने के औचित्य पर केंद्रित है। समकालीन संदर्भ में चर्चा अक्सर आत्मरक्षा, आक्रामकता की रोकथाम, मानवीय हस्तक्षेप और सुरक्षा का उत्तरदायित्व (R2P) जैसे मुद्दों पर केंद्रित होती है।

- उदाहरण के लिये प्रीमेप्टिव युद्ध, जैसा कि 2003 के इराक आक्रमण के मामले में देखा गया, अत्यधिक विवादास्पद हैं, क्योंकि वे आत्मरक्षा की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं।

- **आनुपातिकता और आवश्यकता:** 'न्यायसंगत युद्ध' सिद्धांत का एक अनिवार्य तत्त्व बल का समुचित प्रयोग और सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता है। यहाँ नैतिक चिंता यह है कि क्या हिंसा का स्तर खतरे या हासिल किये जाने वाले लक्ष्यों से उचित है। ड्रोन हमलों एवं बमबारी जैसे हमले से होने वाली नागरिक क्षति तथा अत्यधिक बल और रणनीतिक प्रयोग आधुनिक युद्ध में गहरी नैतिक दुविधाओं को जन्म देते है।
- **गैर-लड़ाकू प्रतिरक्षा:** आधुनिक युद्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण नैतिक आयामों में से एक गैर-लड़ाकू आयामों की सुरक्षा है। गैर-राज्य अभिनेताओं के उदय और विषम युद्ध जैसी परिस्थितियों ने नागरिकों के बीच की रेखाओं को धुँधला कर दिया है। आनुपातिकता तथा आतंकवाद जैसी रणनीति के उपयोग के सवाल अधिकारों की रक्षा के मुद्दे को जटिल बनाते हैं।
- **निवारक युद्ध और रोकथाम:** निवारक युद्ध की अवधारणा जहाँ एक राज्य संभावित भविष्य के खतरे को रोकने के लिये सैन्य कार्रवाई में संलग्न होती है, नैतिक दुविधाएँ पैदा करती है। जिसका एक उदाहरण वर्ष 2003 में इराक पर हुआ आक्रमण है, क्योंकि यह एक खतरे की आशंका पर आधारित था जो बाद में निराधार साबित हुआ।
- **मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून:** समकालीन भू-राजनीतिक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मानवाधिकार मानदंडों का पालन महत्त्वपूर्ण है। नैतिक आयाम इस बात में निहित है कि क्या राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों, जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन तथा इन कानूनों को बनाए रखने में महान शक्तियों की ज़िम्मेदारी का सम्मान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, जैसे कि रासायनिक हथियारों का उपयोग महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंताएँ हैं।
- **युद्ध और प्रौद्योगिकी:** सैन्य प्रौद्योगिकियाँ, जैसे- स्वायत्त हथियार और साइबर युद्ध, नई नैतिक चुनौतियाँ पेश करती हैं। इन तकनीकों के उपयोग से उत्तरदायित्व, आनुपातिकता तथा आधुनिक युद्ध क्षेत्र में अनपेक्षित परिणामों की संभावना के बारे में सवाल खड़े होते है।

निष्कर्ष:

हाल ही में चल रहे रूस-यूक्रेन तथा इज़रायल-फिलिस्तीन युद्ध के साथ समकालीन भू-राजनीतिक संदर्भ में 'न्यायसंगत युद्ध' की अवधारणा के नैतिक आयाम जैसे हस्तक्षेपवाद, रक्षा का उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन के बारे में चल रही बहस के साथ-साथ वैश्विक मानवाधिकार हमेशा की तरह प्रासंगिक हैं। जैसे-जैसे युद्ध होता है, नैतिक विचारों को युद्ध की बदलती प्रकृति तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये संभावित परिणामों के अनुकूल होना चाहिये।

Q39. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नैतिक उपयोग हेतु एक वैश्विक ढाँचा स्थापित करने की आवश्यकता एवं संबंधित चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का परिचय लिखिये
- दृष्टिकोण में AI नैतिकता के लिये वैश्विक ढाँचा स्थापित करने से संबंधित आवश्यकता और चुनौतियों दोनों का संतुलन शामिल होना चाहिये।
- प्रत्येक पहलू को स्पष्टता और सटीकता के साथ संबोधित करते हुए एक संरचित प्रारूप का उपयोग कीजिये।
- अंतत: निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूटर सिस्टम के विकास को संदर्भित करता है, जो ऐसे कार्य कर सकता है जिनके लिये आमतौर पर **ह्यूमन इंटेलिजेंस** की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में **अधिगम, तर्क करना, समस्या-समाधान, धारणा, प्राकृतिक भाषा की समझ और भाषण पहचान/स्पीच रिकॉग्निशन** शामिल हैं।

निकाय:

आवश्यकता:

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** के नैतिक उपयोग के लिये एक आवश्यक वैश्विक ढाँचा **AI** प्रौद्योगिकियों के असीमित प्रभाव से रेखांकित है, जो प्राय: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है।
- **मानकीकृत दिशानिर्देशों के अभाव में, पक्षपाती एल्गोरिदम (biased algorithms), भेदभावपूर्ण प्रथाएँ** और **गोपनीयता उल्लंघन** जैसी **नैतिक चिंताएँ** बनी रहती हैं, जो एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की मांग करती हैं।
- इन मुद्दों को एकजुट रूप से संबोधित करने और **AI अनुप्रयोगों** में विश्वास को बढ़ावा देने, विश्व भर में उत्तरदायी और न्यायसंगत तैनाती सुनिश्चित करने के लिये एक वैश्विक ढाँचे की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ:

- इस तरह का ढाँचा स्थापित करने में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विविध **सांस्कृतिक, वैधानिक और नैतिक दृष्टिकोण सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य सिद्धांतों** को खोजने के कार्य को जटिल बनाते हैं।

- अलग-अलग हितों वाले देशों के बीच आम सहमति हासिल करना जटिल साबित होता है, जिससे **राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता** पर सवाल उठते हैं।
- इन चुनौतियों की जटिल प्रकृति AI नैतिकता हेतु वैश्विक दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने की जटिलता पर प्रकाश डालती है।
- इन बाधाओं पर काबू पाने के लिये **सहयोगात्मक प्रयासों** की आवश्यकता है, जिसमें नैतिक विचारों के साथ तकनीकी नवाचार को संतुलित करने वाले साझा मानकों की आवश्यकता पर बल दिया जाए।
- अंतत: विश्वव्यापी स्तर पर **AI की नैतिक जटिलताओं** से निपटने के लिये एक **अच्छी तरह से तैयार किया गया वैश्विक ढाँचा** महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए AI की नैतिकता के लिये एक वैश्विक ढाँचा महत्त्वपूर्ण है। विविध दृष्टिकोणों और राष्ट्रीय हितों की चुनौतियाँ मानकीकृत नैतिक मानकों को जटिल लेकिन आवश्यक बनाती हैं। बाधाओं के बावजूद, नैतिक चिंताओं को दूर करने और सहयोगात्मक, जवाबदेह AI के विकास को बढ़ावा देने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा आवश्यक है।

Q40. विध्वंसकारी गतिविधियाँ अक्सर जटिल विधिक एवं नैतिक चिंताओं से संबंधित होती हैं। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- विध्वंसकारी गतिविधियों का परिचय लिखिये।
- विध्वंसकारी गतिविधियों से संबंधित वैधानिक और नैतिक मुद्दों को लिखिये।
- प्रत्येक पहलू को स्पष्ट और सटीक रूप से व्यक्त करते हुए एक सुव्यवस्थित प्रारूप सुनिश्चित कीजिये।
- अंतत: निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

विध्वंसकारी गतिविधियाँ इमारतों या संरचनाओं को तोड़ने या नष्ट करने की प्रक्रिया है, जो प्राय: शहरी विकास, नवीकरण या आपदा वसूली के लिये आवश्यक होती हैं। हालाँकि, विध्वंसकारी गतिविधियों में जटिल कानूनी और नैतिक मुद्दे भी शामिल होते हैं, जिन पर मालिकों, ठेकेदारों, श्रमिकों, अधिकारियों और जनता जैसे शामिल पक्षकारों द्वारा विचार और समाधान करने की आवश्यकता होती है।

निकाय:

- **विध्वंसकारी गतिविधियों के लिये कुछ वैधानिक विचार इस प्रकार हैं:**
  - संबंधित प्राधिकारियों, जैसे **नगर निगम, पर्यावरण अभिकर्त्ताओं, विरासत समितियों** आदि से आवश्यक परमिट और अनुमोदन प्राप्त करना।
  - अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नियमों और विनियमों का पालन करना, जैसे कि भारत में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से **विध्वंस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, पुनर्चक्रण और निपटान** को अनिवार्य करता है।
  - **जोखिम मूल्यांकन** करने, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करने, स्थलों पर बैरिकेडिंग करने आदि जैसे उपाय करके श्रमिकों, निवासियों, दर्शकों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - विध्वंसकारी संरचनाओं के मालिकों, निवासियों और हितधारकों के अधिकारों तथा हितों का सम्मान करते हुए, उन्हें **पर्याप्त नोटिस, मुआवज़ा, स्थानांतरण या पुनर्वास**, जैसा भी लागू हो, प्रदान करना।
  - आसपास के पर्यावरण, जैसे **जल स्रोत, वन्यजीव आवास, ऐतिहासिक स्मारक** आदि को किसी भी क्षति या गड़बड़ी से बचाना।
- **विध्वंसकारी गतिविधियों के लिये कुछ नैतिक विचार इस प्रकार हैं:**
  - **विशेषज्ञों, समुदायों और विरासत समूहों** के साथ परामर्श करके संरचनाओं के **सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य** को संरक्षित करना और **पुनर्स्थापना, नवीनीकरण या अनुकूलन योग्य** पुन: उपयोग जैसे विध्वंसकारी विकल्पों की खोज करना।
  - विध्वंस के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम करना, जैसे **विस्थापन, आजीविका की हानि, सेवाओं में व्यवधान** आदि से प्रभावित लोगों के साथ जुड़कर, उन्हें सूचना, समर्थन और अवसर प्रदान करना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी एवं सहमति सुनिश्चित करना।
  - प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करना, विध्वंस अपशिष्ट के **पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण को** अधिकतम करना और हरित एवं नवीन प्रौद्योगिकियों तथा प्रथाओं को अपनाकर, निर्माण उद्योग की स्थिरता और चक्रीयता को बढ़ावा देना।
  - विध्वंसकारी गतिविधियों की **पारदर्शिता, अनुपालन और निगरानी** सुनिश्चित करके और उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत या विवाद को संबोधित करके **न्याय, निष्पक्षता और जवाबदेहिता** सिद्धांतों को कायम रखना।

निष्कर्ष:

विध्वंसकारी गतिविधियों के नैतिक आयामों में श्रमिक सुरक्षा,

नियामक अनुपालन, उपबंधित जवाबदेहिता और विरासत एवं सामुदायिक कल्याण का संरक्षण शामिल है। महत्त्वपूर्ण क्षति और व्यवधानों से बचने के लिये शहरी विकास को सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, निवासियों का कल्याण और पारिस्थितिक स्थिरता को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

Q41. निजी और सार्वजनिक संबंधों के संदर्भ में नैतिक विचार किस प्रकार भिन्न होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक चुनौतियों का समाधान करते समय व्यक्तियों को किन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना चाहिये? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रश्न के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- निजी और सार्वजनिक संबंधों के संदर्भ में नैतिक विचारों पर चर्चा कीजिये।
- प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक चुनौतियों का समाधान करने से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये।
- यथोचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

निजी जीवन की नैतिकता में परिवार और मित्रता संबंधी व्यक्तिगत मूल्य शामिल होते हैं, जबकि सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता से आशय व्यावसायिक कार्यों एवं व्यवहार में नैतिक मानकों को अपनाने से है। कार्य विविधता, जवाबदेही संगठनों एवं संबंधित हितधारकों की प्रकृति में अंतर के कारण निजी तथा सार्वजनिक संबंधों के बीच नैतिक विचार भिन्न हो सकते हैं।

मुख्य भाग:

नैतिक विचारों में मुख्य अंतर:

निजी जीवन में नैतिकता	सार्वजनिक जीवन में नैतिकता
व्यक्तिगत नैतिकता: निजी संबंधों में व्यक्ति स्वयं के सिद्धांतों, मूल्यों एवं विश्वासों पर अधिक भरोसा कर सकते हैं।	**वस्तुनिष्ठता:** यह व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्वाग्रहों या राय से प्रभावित हुए बिना तथ्यों एवं जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता को संदर्भित करता है।
सामाजिक मानदंड: समाज में व्यापक रूप से स्वीकृत नियम या अपेक्षाएँ, व्यक्तियों के निजी व्यवहार को निर्देशित और विनियमित करती हैं।	**सार्वजनिक हित:** सार्वजनिक जीवन में समाज के व्यापक हित में विचार करने के साथ लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिये।
गोपनीयता: इसमें विश्वसनीय रिश्तों में गोपनीयता की सुरक्षा शामिल है और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करने के महत्त्व पर बल दिया जाता है।	**खुलापन:** सार्वजनिक जीवन में अपने निर्णयों तथा कार्यों को खुले तौर पर साझा करते हुए पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिये।
स्वायत्तता: इसमें व्यक्तियों की स्वायत्तता के साथ उनकी पसंद को पहचानना और उनका सम्मान करना शामिल होता है।	**जवाबदेहिता:** सार्वजनिक संबंधों में समुदाय या हितधारकों के प्रति अधिक जवाबदेहिता शामिल होती है।
वफादारी: इससे रिश्तों में आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलने से विश्वसनीयता एवं आपसी समझ में वृद्धि होती है।	**नि:स्वार्थता:** सार्वजनिक पद धारकों को केवल सार्वजनिक हित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिये।
समर्थन: इसमें अपने करीबी लोगों को प्रेरित करना और सहायता प्रदान करना शामिल है।	**नेतृत्व:** यह सार्वजनिक संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के क्रम में नैतिक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है।

चुनौतियों का समाधान करने के क्रम में मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत:

निजी जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत	सार्वजनिक जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत
कार्यों को नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप बनाकर व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा को बनाए रखना चाहिये।	सभी व्यावसायिक व्यवहारों में नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हुए, सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिये।
व्यक्तिगत संबंधों में व्यक्तियों की स्वायत्तता और भावनाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित रखना चाहिये।	सार्वजनिक व्यवहार में विविध दृष्टिकोणों और सांस्कृतिक भिन्नताओं के प्रति सम्मान रखना चाहिये।
लोगों के साथ खुलकर संवाद कर व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास तथा समझ को बढ़ावा देना चाहिये।	सार्वजनिक कर्त्तव्यों एवं निजी हितों के बीच संभावित टकराव को कम करने के लिये सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत हितों के बारे में पारदर्शी रहना चाहिये।
व्यक्तिगत स्तर पर ज़िम्मेदारी स्वीकार करने के साथ गलतियों से सीखने के साथ व्यक्तिगत विकास हेतु प्रयासरत रहना चाहिये।	स्थापित नैतिक संहिताओं को लागू करना चाहिये, जिसमें नियमों के उल्लंघनों की जाँच तथा उनका समाधान करने के साथ लोक विश्वास बनाए रखने के उपाय शामिल हैं।
व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक जागरूकता के विकास को बढ़ावा देने के लिये निरंतर आत्म-चिंतन और सीखना जारी रखना चाहिये।	एक स्पष्ट आचार संहिता सुनिश्चित करते हुए, सार्वजनिक अधिकारियों के व्यवहार को निर्देशित करने हेतु नैतिक मानदंडों के लिये एक संरचित ढाँचा विकसित करना चाहिये।

निष्कर्ष:

नैतिक सिद्धांतों को अपनाने से ज़िम्मेदार समुदाय के विकास को बढ़ावा मिलने, व्यक्तियों को चुनौतियों के अनुकूलन के साथ समाधान करने एवं सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में अपने कल्याण को सुनिश्चित करने की सुविधा मिलती है।

Q42. महान नेताओं के जीवन और शिक्षाएँ, आवश्यक मानवीय मूल्यों को आकार एवं बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- प्रश्न के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- आवश्यक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले महान नेताओं की मूल्यवान शिक्षाओं पर चर्चा कीजिये।
- यथोचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

महान नेताओं का जीवन और शिक्षाएँ बहुमूल्य ज्ञान का स्रोत हैं, जिनसे मौलिक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। उनके कार्य, शब्द एवं सिद्धांत सामूहिक चेतना को प्रभावित करने के साथ इन मूल्यों के विकास तथा प्रचार में योगदान देते हैं।

मुख्य भाग:

ये विभिन्न माध्यमों से आवश्यक मानवीय मूल्यों को आकार और बढ़ावा देने में मूल्यवान स्रोत के रूप में कार्य करते हैं:

- **प्रेरणादायक रोल मॉडल:** महान नेता ईमानदारी, सहानुभूति एवं साहस के माध्यम से प्रेरणा देने के साथ दूसरों को समान सिद्धांतों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं।
  - **उदाहरण:** महात्मा गांधी का जीवन और शिक्षाएँ, अहिंसा एवं शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर बल देते हुए, व्यक्तियों के बीच शांति तथा सहिष्णुता के मूल्यों को प्रेरित करती हैं।
- **करुणा हेतु नैतिक मार्गदर्शन:** ये ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देकर नैतिकता का मार्गदर्शन करते हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ समुदायों के नैतिक आधार को आकार देते हैं।
  - **उदाहरण:** मदर टेरेसा ने अपना जीवन गरीबों और हाशिये पर स्थित लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। जिसने करुणा और निस्वार्थता के मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने में सहानुभूति एवं करुणा के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
- **सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता:** महान नेता सामाजिक न्याय की वकालत करने के साथ समानता, निष्पक्षता एवं भेदभाव के उन्मूलन पर बल देते है तथा यह उन मूल्यों को बढ़ावा देते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करते हैं।

- **उदाहरण:** नागरिक अधिकारों और समानता के संदर्भ में मार्टिन लूथर किंग का दृष्टिकोण आवश्यक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ न्याय एवं निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने में एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य करता है।

- **समावेशिता और विविधता को प्रोत्साहित करना:** ये समावेशिता, विविधता और समान अवसरों को बढ़ावा देने पर बल देते हैं, जिससे ऐसा वातावरण बनता है जहाँ हर किसी को सफल होने का अवसर मिलता है।
  - **उदाहरण:** रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला के संघर्ष ने नस्ल या पृष्ठभूमि से इतर समानता के मूल्य पर बल देते हुए समावेशिता एवं विविधता के महत्त्व को रेखांकित किया।
- **नैतिक निर्णय लेना:** ये नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को प्राथमिकता देने के साथ ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर नैतिक निर्णय प्रक्रिया का नेतृत्व करते हैं।
  - **उदाहरण:** चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अब्राहम लिंकन के नेतृत्व ने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के महत्त्व पर प्रकाश डाला, जिससे लोक हित में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का महत्त्व रेखांकित हुआ।

निष्कर्ष:

महान नेता हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अपने प्रेरक कार्यों एवं मार्गदर्शन के माध्यम से हमारे नैतिक परिप्रेक्ष्य को आकार देने के साथ मूल्यों को विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

Q43. भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणाओं का परीक्षण करते हुए प्रशासनिक प्रणाली में उनकी उपयोगिताओं एवं अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणाओं का उल्लेख कीजिये।
- प्रशासनिक प्रथाओं में उपयोगिताओं और अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) से तात्पर्य अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को समझने एवं प्रतिक्रिया करने की क्षमता से है। इसमें कौशल और दक्षताओं का एक समूह शामिल है, जो व्यक्तियों को सामाजिक अंत:क्रियाओं को नेविगेट करने, सूचित निर्णय लेने तथा सहानुभूति एवं भावनात्मक जागरुकता के साथ पारस्परिक संबंधों को प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।

निकाय:

- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणाएँ:**
  - **स्व-जागरुकता:** किसी की भावनाओं को समझना, उनके प्रभाव को पहचानना और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में व्यक्तिगत शक्तियों एवं कमज़ोरियों के बारे में जागरुक करना।
  - **स्व-नियमन:** विभिन्न परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को प्रबंधित और नियंत्रित करना, चुनौतियों के प्रति अनुकूलनशीलता एवं रचनात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करना।
  - **प्रेरणा:** व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भावनाओं का उपयोग करना, लचीलापन प्रदर्शित करना एवं सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना।
  - **सहानुभूति:** दूसरों की भावनाओं को समझना, विविध दृष्टिकोणों की सराहना करना और मज़बूत पारस्परिक संबंधों को विकसित करना।
  - **सामाजिक कौशल:** सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटना, प्रेरक ढंग से संवाद करना एवं दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और बनाए रखना।
- **प्रशासनिक प्रथाओं में उपयोगिताएँ और अनुप्रयोग:**
  - **संघर्ष समाधान:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक लोगों की भावनाओं को समझकर और उनके साथ सहानुभूति रखकर, समाधान हेतु रचनात्मक संचार को बढ़ावा देकर समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल कर सकता है।
    - उदाहरण के लिये यदि किसी ज़िले में दंगा होता है, तो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक परिस्थिति को शांत करने, मूल कारणों की पहचान करने और इसमें शामिल सभी पक्षों के लिये शांतिपूर्ण समाधान पर संवाद करने के लिये अपने कौशल का उपयोग कर सकता है।
  - **प्रभावशाली नेतृत्व:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर और टीम के सदस्यों की भावनाओं को समझ/प्रतिक्रिया करके टीमों को प्रेरित करते हैं।
    - उदाहरण के लिये एक चुनौतीपूर्ण परियोजना या कार्य में एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने के लिये अपनी जागरूकता और विनियमन कौशल का उपयोग करता है। वह लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करते हुए आत्मविश्वास बनाए रखता है और टीम के सदस्यों को सहायता प्रदान करता है।

- **निर्णय लेना:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक एक संतुलित और विचारशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए, हितधारकों पर भावनात्मक प्रभाव पर विचार करके निर्णय लेता है।
  - उदाहरण के लिये भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक भावनात्मक सुविधा, समझ और समस्या-समाधान का उपयोग करके प्रभावशाली नीतिगत निर्णय ले सकता है। वह विकल्पों का आकलन करता है, हितधारकों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाता है तथा निर्णयों को पारदर्शी एवं तर्कसंगत रूप से लागू करता है।
- **कर्मचारियों का जुड़ाव:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक आवश्यकता की पहचान और उस संबोधित कर सकारात्मक कार्यशील वातावरण को बढ़ावा देने के साथ ही कर्मचारियों के मध्य जुड़ाव को बढ़ावा दे सकता है।
  - उदाहरण के लिये भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक कर्मचारियों को सुनने, उनकी सराहना करने और विश्वास एवं सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये सहानुभूति, सामाजिक जागरुकता तथा संबंध प्रबंधन कौशल का उपयोग करके उच्च टर्नओवर (high turnover) या कम मनोबल को संबोधित कर सकता है।
- **संकट नेतृत्व:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक संयम बनाए रखकर, सूचित निर्णय लेकर और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने वाली टीमों एवं हितधारकों को सहायता प्रदान करके संकटों को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है।
  - उदाहरण के लिये भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक प्राकृतिक आपदा या महामारी जैसे संकट के दौरान तनाव को प्रबंधित करने, संसाधनों का समन्वय और प्रभावित व्यक्तियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक संवाद करने के लिये लचीलापन, अनुकूलनशीलता एवं नेतृत्व का लाभ उठाता है।

निष्कर्ष:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणाएँ प्रशासनिक प्रथाओं, नेतृत्व प्रभावशीलता, निर्णय लेने, टीम सहयोग और समग्र संगठनात्मक सफलता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सिविल सेवक जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता दक्षताओं को विकसित और लागू करते हैं, वे सकारात्मक कार्यशील वातावरण एवं स्थायी संगठनात्मक विकास में योगदान करते हैं।

Q44. "सिविल सेवा के संदर्भ में अभिरुचि और बुनियादी मूल्यों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। ये तत्त्व सिविल सेवकों की प्रभावशीलता एवं नैतिक आचरण में किस प्रकार योगदान देते हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सिविल सेवाओं के लिये आवश्यक योग्यता और मूलभूत मूल्यों के बारे में एक परिचय लिखिये।
- सिविल सेवकों के आचरण और प्रभावशीलता में इन तत्त्वों के योगदान का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सिविल सेवा के क्षेत्र में सफलता योग्यता और मूलभूत मूल्यों के बीच संतुलन पर निर्भर करती है। योग्यता, संज्ञानात्मक क्षमताओं और विश्लेषणात्मक सोच को शामिल करते हुए बौद्धिक मेरुदंड का निर्माण करती है, जबकि मूलभूत मूल्य, ईमानदारी एवं सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ नैतिक दिशासूचक के रूप में कार्य करते हैं।

निकाय:

सिविल सेवाओं में योग्यता और मूलभूत मूल्य:

- योग्यता किसी **कौशल को सीखने या हासिल करने की प्राकृतिक क्षमता या दक्षता है।** यह किसी विशेष कार्य या क्षेत्र के लिये किसी व्यक्ति की उपयुक्तता या फिटनेस को इंगित करती है। योग्यता को ज्ञान, प्रशिक्षण और अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है।
  - सिविल सेवकों को अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता के लिये संचार, नेतृत्व, आलोचनात्मक तर्क, समस्या-समाधान, टीम वर्क आदि महत्त्वपूर्ण कौशल जैसी योग्यता की आवश्यकता होती है।
  - योग्यता **उस इंजन के रूप में कार्य करती है, जो सिविल सेवकों को उनके कर्त्तव्यों की जटिलताओं के माध्यम से आगे बढ़ाती है।** हालाँकि एक मज़बूत नैतिक दिशा-निर्देश के बिना, सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अपने मार्ग से भटक सकता है। यहीं पर मूलभूत मूल्य कदम रखते हैं।
- मूलभूत मूल्य **मूल सिद्धांत और मान्यताएँ हैं जो सिविल सेवा नैतिकता का आधार बनते हैं।** उनमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर-पक्षपात, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता और सीमांत वर्गों के प्रति करुणा शामिल हैं।

योग्यता और मूलभूत मूल्य निम्नलिखित तरीकों से सिविल सेवकों की प्रभावशीलता और नैतिक आचरण में योगदान करते हैं:

- वे सिविल सेवकों को **विभिन्न परिदृश्यों में अपनी प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग करने की अनुमति देकर तथा सार्वजनिक सेवा के दृष्टिकोण एवं मिशन को आगे बढ़ाने के लिये प्रेरित करके,** उत्कृष्टता व व्यावसायिकता के साथ अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं।

- उदाहरण के लिये एक सिविल सेवक जो शिक्षक के रूप में कार्य करता है, अपने शैक्षणिक कौशल और ज्ञान को विभिन्न कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में लागू कर सकता है तथा छात्रों व समाज को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रेरित कर सकता है।

- वे सिविल सेवकों को **ईमानदार, निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से कार्य करने और हितों के टकराव, पूर्वाग्रह या भ्रष्टाचार को रोकने के लिये** जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिये सुनिश्चित करते हैं।
  - उदाहरण के लिये एक सिविल सेवक न्याय और समानता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर सकता है तथा अखंडता एवं निष्पक्षता के साथ किसी भी प्रभाव, पक्षपात या रिश्वतखोरी से बच सकता है।
- वे सीमांत वर्गों और हाशिये पर रहने वाले **समूहों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता एवं करुणा दिखाकर** तथा समय पर व उचित तरीके से उनकी आवश्यकताओं एवं शिकायतों को संबोधित करके, लोगों के अधिकारों और हितों का सम्मान व रक्षा करने के लिये सिविल सेवकों को सशक्त बनाते हैं।
  - उदाहरण के लिये एक सिविल सेवक जो एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करता है, वह निर्धनों, बेघरों, विकलांगों और कमज़ोर लोगों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता एवं करुणा दिखा सकता है तथा उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है।
- वे सिविल सेवकों को **कानून और संविधान के शासन का पालन करने**, कानूनी एवं नियामक ढाँचे का पालन करने तथा अपने कार्यों व निर्णयों के लिये जवाबदेह और पारदर्शी होने के लिये बाध्य करते हैं।
  - उदाहरण के लिये एक सिविल सेवक जो कर अधिकारी (tax officer) के रूप में कार्य करता है, पारदर्शी रूप से कर संग्रह के साथ प्रशासन के लिये कानूनी एवं नियामक ढाँचे का पालन कर सकता है तथा करदाताओं व अधिकारियों के प्रति अपने कार्यों तथा निर्णयों के लिये जवाबदेह हो सकता है।

निष्कर्ष:

योग्यता और मूलभूत मूल्यों के बीच परस्पर अंत:क्रिया सिविल सेवकों के आचरण एवं प्रभावशीलता के लिये आवश्यक है। सिविल सेवक नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ बौद्धिक कौशल के चलते सक्षमता, अखंडता तथा सार्वजनिक सेवा के प्रति दृढ़ समर्पण के साथ सार्वजनिक प्रशासन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

Q45. शासन में ईमानदारी के प्रमुख घटकों को बताते हुए नैतिक एवं पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने हेतु इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- शासन में ईमानदारी के बारे में एक परिचय लिखिये।
- शासन में ईमानदारी के प्रमुख घटक और प्रशासन में इसके महत्त्व का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शासन में ईमानदारी का तात्पर्य सार्वजनिक मामलों के संचालन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के सिद्धांतों के पालन से है। यह पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने का महत्त्वपूर्ण पहलू है। शासन में ईमानदारी के प्रमुख घटक और नैतिक एवं पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने में उनके महत्त्व में शामिल हैं:

मुख्य भाग:

- **सत्यनिष्ठा:** एक सार्वजनिक अधिकारी, जो सत्यनिष्ठा को बरकरार रखता है। वह अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये ईमानदारी और निरंतरता के साथ कार्य करेगा, भले ही उसे अन्यथा करने के लिये दबाव या प्रलोभन का सामना करना पड़े। उदाहरण के लिये, शासन में ईमानदारी को बढ़ावा देने वाला देश न्यूज़ीलैंड है, जो भ्रष्टाचार नियंत्रण सूचकांक में पहले स्थान पर है और सार्वजनिक क्षेत्र में ईमानदारी और जवाबदेहिता की एक मज़बूत मिसाल प्रस्तुत करता है।
- **पारदर्शिता:** एक पारदर्शी सरकार जानकारी और डेटा को जनता के लिये उपलब्ध और सुलभ बनाएगी, जिससे उसे इसके प्रदर्शन और निर्णयों की निगरानी एवं मूल्यांकन करने की अनुमति मिलेगी। शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले देश का एक उदाहरण एस्टोनिया है, जिसमें डिजिटल सरकार प्रणाली है जो नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँचने और उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
- **जवाबदेहिता:** एक जवाबदेह सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्यों और निर्णयों के लिये ज़िम्मेदार है और उन्हें किसी भी अनुचित काम या विफलता के परिणाम भुगतने होंगे। शासन में जवाबदेहिता प्रदर्शित करने वाले देश का एक उदाहरण दक्षिण कोरिया है, जहाँ एक मज़बूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, जो सार्वजनिक अधिकारियों को किसी भी कदाचार या लापरवाही के लिये उत्तरदायी बनाता है।
- **विधि का शासन:** एक सरकार जो कानून के शासन का पालन करती है, वह अपने कार्यों व निर्णयों को स्थापित कानूनों और प्रक्रियाओं पर आधारित करेगी, शक्तियों के पृथक्करण एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। शासन में विधि के

शासन को कायम रखने वाले देश का एक उदाहरण डेनमार्क है, जिसके पास एक स्थिर एवं प्रभावी कानूनी प्रणाली है जो अपने नागरिकों के लिये न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करती है तथा विश्व न्याय परियोजना नियम कानून सूचकांक में उच्च स्थान पर है।

निष्कर्ष:

शासन में ईमानदारी के प्रमुख घटक नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिये एक रूपरेखा स्थापित करने के लिये मिलकर काम करते हैं। इन सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए, सरकारें सार्वजनिक विश्वास का निर्माण कर सकती हैं, सुशासन को बढ़ावा दे सकती हैं और अपने नागरिकों के साथ सकारात्मक एवं सतत् संबंध बना सकती हैं।

Q46. प्रशासकों एवं लोक सेवकों के नैतिक व्यवहार एवं विकल्पों के चयन को आकार देने में किसी व्यक्ति की अंतरात्मा (विवेक) के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- व्यक्ति की अंतरात्मा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- प्रशासक और लोक सेवकों के नैतिक व्यवहार को आकार देने में अंतरात्मा की भूमिका का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

अंतरात्मा एक आंतरिक नैतिक दिशासूचक के रूप में लोक प्रशासन से संबंधित जटिल नैतिक दुविधाओं से निपटने में व्यक्तियों का मार्गदर्शन करती है। इससे व्यक्तिगत मूल्यों, सिद्धांतों और सही तथा गलत की भावना पर प्रभाव पड़ने के साथ निर्णय प्रभावित होते हैं।

मुख्य भाग:

- **आंतरिक नैतिक मार्गदर्शक:** अंतरात्मा, प्रशासकों और लोक सेवकों के लिये एक आंतरिक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जिससे गहराई से स्थापित मूल्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर उनके निर्णय व कार्य प्रभावित होते हैं। यह केवल कानूनी आवश्यकताओं के पालन से परे नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कार्य करती है।
- **नैतिक दुविधाओं में निर्णय लेना:** जटिल नैतिक दुविधाओं के आलोक में अंतरात्मा एक निर्देशक के रूप में कार्य करती है, जो प्रशासकों को उन विकल्पों की ओर निर्देशित करती है जिससे सही और गलत की उनकी समझ को स्पष्टता मिलती है। यह उन अस्पष्ट स्थितियों से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है जहाँ कानूनी दिशानिर्देशों से स्पष्ट नैतिक मार्गदर्शन नहीं मिलता है।
- **नैतिक निहितार्थों पर विचार:** अंतरात्मा प्रशासकों को, लिये जाने वाले निर्णयों के नैतिक निहितार्थों पर भी विचार करने के लिये प्रेरित करती है। इससे व्यापक सामाजिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ सार्वजनिक कल्याण एवं नैतिक शासन में योगदान देने वाले निर्णयों के महत्त्व को भी बल मिलता है।
- **व्यक्तिगत ईमानदारी और जवाबदेही:** इससे सुनिश्चित होता है कि प्रशासको को न केवल नियमों के अनुपालन के कारण बल्कि सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने हेतु नैतिक आचरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रतिबिंब के रूप में नैतिक मानकों को बनाए रखना आवश्यक है।
- **व्यक्तिपरकता और संगठनात्मक ढाँचे को संतुलित करना:** व्यक्तिगत विवेक की व्यक्तिपरकता को नियंत्रित करना आवश्यक है। व्यक्तिगत नैतिक प्रतिबद्धताओं एवं सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में व्यापक नैतिक ढाँचे के बीच संतुलन बनाना नैतिक व्यवहार में स्थिरता तथा सुसंगतता बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

अंतरात्मा प्रशासकों एवं लोक सेवकों के लिये एक महत्त्वपूर्ण नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा को विकसित करने, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने एवं नैतिक दुविधाओं को हल करने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होने के कारण यह नैतिक शासन संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक है।

Q47. जनमत को आकार देने तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में अनुनय (Persuasion) की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- अनुनय के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- उन तत्त्वों का उल्लेख कीजिये जिनके माध्यम से जनमत को आकार देने तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में योगदान मिलता है।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

मानव संचार के मूलभूत पहलू के रूप में अनुनय, जनमत को आकार देने तथा सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नए विचारों, मूल्यों और व्यवहारों को अपनाने के लिये व्यक्तियों तथा समुदायों को प्रभावित करने में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है।

मुख्य भाग:

- **जनमत को आकार देना:**
  - **एजेंडा निर्धारण:** अनुनय, एजेंडा निर्धारण में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, जहाँ व्यक्ति या संस्थाएँ

सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करने के साथ कुछ विषयों को प्राथमिकता देने के लिये रणनीतिक रूप से निर्णय लेते हैं। कुशल संदेश और फ्रेमिंग तकनीकों के माध्यम से (जैसे कि विशेष पहलुओं पर बल देना या मुद्दों को व्यापक सामाजिक चिंताओं के साथ जोड़ना) नीति निर्माता लोगों का ध्यान विशिष्ट एजेंडा की ओर आकर्षित कर सकते हैं।

- **रणनीतियों की फ्रेमिंग और तैयारी :** जनता द्वारा जानकारी को कैसे समझा जाता है, इसे आकार देने के लिये अनुनय फ्रेमिंग एवं रणनीतियों की प्राथमिकता में भूमिका निभाता है। मुद्दों को विशेष तरीकों से तैयार करते हुए कुछ पहलुओं को महत्त्व देने के साथ नीति निर्माता जन दृष्टिकोण और राय को प्रभावित कर सकते हैं।
  - रणनीतियों की तैयारी में व्यक्तियों को विशिष्ट उत्तेजनाओं के संपर्क में लाकर कुछ निश्चित तरीकों से प्रतिक्रिया करने हेतु सूक्ष्मता से तैयार करना तथा इस प्रकार संबंधित जानकारी पर उनकी बाद की प्रतिक्रियाओं को आकार देना शामिल है।

- **सामाजिक परिवर्तन लाना:**
  - **सामूहिक कार्रवाई को संगठित करना:** अनुनय सामूहिक कार्रवाई को संगठित करने के साथ सामाजिक आंदोलनों को उत्प्रेरित करता है। नागरिक अधिकारों, पर्यावरणीय स्थिरता या स्वास्थ्य देखभाल सुधार के संदर्भ में अनुनय से समर्थकों को संगठित करने के साथ एकजुटता एवं सक्रियता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - **नीति परिवर्तन को प्रभावित करना:** जनता की राय को आकार देने के साथ विशिष्ट विधायी या नियामक कार्यों के लिये समर्थन जुटाकर नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में अनुनय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्षित वकालत प्रयासों, पैरवी और सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से प्रेरक तत्त्व नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के साथ सार्वजनिक समर्थन जुटा सकते हैं तथा अंततः नीति में बदलाव ला सकते हैं।

- **नैतिक चिंताएँ:**
  - **सत्य और असत्य के बीच संतुलन:** अनुनय सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है लेकिन सत्य और असत्य के बीच संतुलन के संबंध में इससे नैतिक चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। समाज के प्रेरक तत्त्वों को जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत करने एवं भ्रामक या जोड़-तोड़ वाली रणनीतियों का सहारा लेने के बीच की बारीक रेखा को समझना चाहिये।
  - **जनमत की राय की विविधता का सम्मान करना:** बहुलवादी समाज में प्रेरक तत्त्वों को सार्वजनिक क्षेत्र के विचारों और दृष्टिकोणों की विविधता का सम्मान करना चाहिये। प्रभावी अनुनय में अलग-अलग दृष्टिकोणों के साथ सम्मानपूर्वक समन्वय, खुले संवाद को बढ़ावा देना तथा सामाजिक मुद्दों की जटिलता को स्वीकार करना शामिल है। जनमत की राय की विविधता का सम्मान न करने से इसमें जटिलता आती है।

निष्कर्ष:

जनमत को आकार देने तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में अनुनय बहुआयामी भूमिका निभाता है। एजेंडा निर्धारण, और लामबंदी प्रयासों के माध्यम से प्रेरक दृष्टिकोण, व्यवहार एवं नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, जिससे समाज में परिवर्तनकारी बदलाव में योगदान मिल सकता है। हालाँकि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में अनुनय की अखंडता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु सत्यता, विविधता के प्रति सम्मान एवं प्रेरक रणनीति के ज़िम्मेदार उपयोग के संबंध में नैतिक विचार सर्वोपरि हैं।

Q48. लोक प्रशासन में नैतिक शासन की आधारशिला के रूप में सत्यनिष्ठा की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सत्यनिष्ठा का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- सत्यनिष्ठा के उन पहलुओं का उल्लेख कीजिये, जो नैतिक शासन में सहायक हैं।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का तात्पर्य निर्णय लेने और व्यवहार में ईमानदारी, पारदर्शिता एवं नैतिक ईमानदारी से है। यह सरकारी संस्थानों में विश्वास तथा विश्वसनीयता स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य भाग:

लोक प्रशासन के संदर्भ में सत्यनिष्ठा की भूमिका बहुआयामी है, जो विभिन्न आयामों तक विस्तृत है:

- **सार्वजनिक हित को कायम रखना:** ईमानदारी, सार्वजानिक अधिकारी को व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक उद्देश्यों से परे लोक हित को प्राथमिकता देती हैं। वह सुनिश्चित करती हैं कि नीतियाँ और निर्णय व्यक्तिगत या पक्षपातपूर्ण हितों के बजाय उन नागरिकों के लाभ के लिये बनाए जाएँ जिनकी वे सेवा करते हैं।
- **जवाबदेही और विश्वसनीयता को बढ़ावा देना:** ईमानदारी, सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों और निर्णयों के लिये ज़िम्मेदार ठहराती है तथा उनकी जवाबदेहिता को बढ़ावा देती है।

साथ ही पारदर्शी और नैतिक आचरण सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं, जो जनता के विश्वास को दृढ़ करते हैं।

- **निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** ईमानदारी, सार्वजनिक मामलों के प्रशासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। सार्वजनिक अधिकारी सभी व्यक्तियों एवं समूहों के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के समान व्यवहार करते है तथा संसाधनों और सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करते हैं।
- **भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण का मुकाबला:** ईमानदारी, लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार के विरुद्ध एक कवच के रूप में कार्य करती है। सार्वजनिक अधिकारी ईमानदारी के साथ नैतिक मानकों को बनाए रखते हैं, रिश्वतखोरी या पक्षपात के प्रलोभनों का विरोध करते हैं और भ्रष्ट प्रथाओं को खत्म करने के लिये कार्य करते हैं।
- **संस्थागत सत्यनिष्ठा की रक्षा करना:** लोक प्रशासन संस्थानों के भीतर सत्यनिष्ठा बनाए रखना, उनकी वैधता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिये आवश्यक है। नैतिक शासन मानकों को कायम रखने से यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी संस्थान ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं और प्रभावी ढंग से लोक हित की सेवा करते हैं।

निष्कर्ष:

लोक प्रशासन में नैतिक शासन के लिये सत्यनिष्ठा मौलिक है, जिससे विश्वास, जवाबदेहिता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है। सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता एवं वैधता को बनाए रखने के लिये सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कार्यों तथा निर्णयों में ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिये।

Q49. पर्यावरणीय नैतिकता में जैव केंद्रवाद (Biocentrism) की अवधारणा एवं पारिस्थितिकी संरक्षण के लिये इसके निहितार्थ पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- पर्यावरणीय नैतिकता में जैव केंद्रवाद का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- पारिस्थितिक संरक्षण पर जैव केंद्रवाद के निहितार्थ का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

जैव केंद्रवाद (Biocentrism) एक नैतिक परिप्रेक्ष्य है जो मानता है, कि सभी जीवित प्राणियों में अंतर्निहित मूल्य हैं और वे नैतिक विचार के पात्र हैं। जैव केंद्रवाद (Biocentrism) पारंपरिक मानवकेंद्रित दृष्टिकोण को यह चुनौती देता है कि केवल मनुष्य ही नैतिक रूप से मायने रखते हैं और नैतिक परिस्थिति का दायरा जानवरों, पौधों एवं यहाँ तक कि पारिस्थितिक प्रणालियों तक विसरित होते हैं। जैव केंद्रवाद (Biocentrism) की जड़ें विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं, जैसे- बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि में स्थित हैं। 20वीं सदी के अंत में जैव केंद्रवाद (Biocentrism) एक प्रमुख पर्यावरणीय नैतिकता के रूप में उभरा, जो पशु कल्याण, जैवविविधता, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण जैसे मुद्दों को संबोधित करता है।

मुख्य भाग:

जैव केंद्रवाद (Biocentrism), नैतिक परिप्रेक्ष्य जो सभी जीवित प्राणियों पर आंतरिक मूल्य रखता है, पारिस्थितिक संरक्षण पर गहरा प्रभाव डालता है। पारिस्थितिक तंत्र और उसके भीतर के जीवों के हित को प्राथमिकता देकर, जैव केंद्रवाद (Biocentrism) पर्यावरण संरक्षण के लिये एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।

- **पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और लचीलापन:**
  - जैव केंद्रवाद (Biocentrism) पारिस्थितिक तंत्र को अन्योन्याश्रित जीव रूपों के जटिल जाल के रूप में पहचानता है।
  - पारिस्थितिक संतुलन और लचीलापन बनाए रखने के लिये पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को संरक्षित करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।
  - संरक्षण रणनीतियों का समर्थन करता है, जो व्यक्तिगत प्रजातियों के बजाय संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।
- **जैवविविधता संरक्षण:**
  - मनुष्यों के लिये इसकी उपयोगिता की परवाह किये बिना, प्रत्येक प्रजाति के आंतरिक मूल्य को स्वीकार करता है।
  - पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और कामकाज के लिये जैवविविधता के संरक्षण को आवश्यक बताया गया है।
  - आवासों की सुरक्षा और लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से संरक्षण प्रयासों का समर्थन करता है।
- **गैर-मानव पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार:**
  - जैव केंद्रवाद (Biocentrism) गैर-मानवीय जीवों पर नैतिक विचार व्यक्त करता है, यह पीड़ा, खुशी और आंतरिक मूल्य का अनुभव करने की उनकी क्षमता को पहचानता है।
  - संरक्षण प्रथाओं में जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार का समर्थन करता है, जैसे कि आवास विनाश को कम करना और अनावश्यक क्षति से बचना।

- **सतत् संसाधन प्रबंधन:**
  - भावी पीढ़ियों के लिये उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग को बढ़ावा देता है।
  - उन प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, जो पर्यावरणीय क्षय और पारिस्थितिक तंत्र की कमी को कम करती हैं।
  - जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से पहल का समर्थन करता है।
- **परस्पर जुड़ाव और अन्योन्याश्रयिता:**
  - जैव केंद्रवाद (Biocentrism), पारिस्थितिक तंत्र के भीतर सभी जीव रूपों के अंतर्संबंध और अन्योन्याश्रयिता पर प्रकाश डालता है।
  - इसमें राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे सहयोगात्मक संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।
  - वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये सरकारों, समुदायों और संरक्षण संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करता है।
- **सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आयाम:**
  - विविध मानव समाजों में प्रकृति के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व को पहचानता है।
  - संरक्षण संबंधी निर्णय लेने में पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और स्वदेशी ज्ञान को महत्त्व प्रदान करता है।
  - व्यक्तियों और समुदायों के बीच प्रकृति के साथ गहरे संबंध और पृथ्वी के प्रति समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:

जैव केंद्रवाद (Biocentrism) हमारे पारिस्थितिकी संरक्षण को समझने और उसके दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव प्रदान करता है। सभी जीवित प्राणियों और पारिस्थितिकी तंत्रों के आंतरिक मूल्य को पहचानकर, जैव केंद्रवाद (Biocentrism) स्थायी पर्यावरणीय प्रबंधन के लिये एक नैतिक आधार प्रदान करता है। जैव केंद्रित सिद्धांतों को अपनाने से अधिक समग्र और प्रभावी संरक्षण रणनीतियाँ बन सकती हैं, जो अंततः मनुष्यों तथा प्राकृतिक दुनिया के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा दे सकती हैं।

Q50. राज्यों द्वारा विशेष रूप से मानवीय हस्तक्षेपों से संबंधित वैश्विक मामलों में किये जाने वाले सैन्य बल प्रयोग से संबंधित नैतिक चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- वैश्विक मामलों में सैन्य बल के प्रयोग द्वारा मानवीय हस्तक्षेप का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- सैन्य बल के प्रयोग द्वारा मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित नैतिक चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

मानवीय हस्तक्षेप, जिसमें अन्य देशों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों या मानवीय संकटों को संबोधित करने के लिये राज्यों द्वारा सैन्य बल का उपयोग करना शामिल है, जो जटिल नैतिक दुविधाएँ पेश करते हैं। जबकि ऐसे हस्तक्षेपों के पीछे का आशय प्राय: नागरिकों की रक्षा करना और उनकी स्थिति में सुधार करना होता है। वे महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंताएँ भी उठाते हैं।

मुख्य भाग:

- **संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप:** मानवीय हस्तक्षेप में राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन और बिना सहमति के उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शामिल है। सैन्य हस्तक्षेप राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत को कमज़ोर कर सकता है और एकतरफा कार्रवाई के लिये एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सकता है। वर्ष 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण को व्यापक रूप से मानवीय हस्तक्षेप के रूप में देखा गया था, क्योंकि अमेरिका ने क्रूर तानाशाह सद्दाम हुसैन को हटाने और इराकी लोगों को उसके उत्पीड़न एवं सामूहिक विनाश के हथियारों से बचाने के लिये कार्रवाई करने का दावा किया था। हालाँकि इराक पर अमेरिकी आक्रमण ने राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन किया, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना और इराकी सरकार एवं लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध किया गया था।
- **उचित कारण और वैधता:** मानवीय हस्तक्षेपों की वैधता सुनिश्चित करने के लिये एक स्पष्ट और उचित कारण की आवश्यकता होती है। मानवीय संकटों के जवाब में सैन्य बल का उपयोग नैतिक रूप से उचित है या नहीं, इसका आकलन करने के लिये न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत की अवधारणा को लागू किया गया। वर्ष 1999 में कोसोवो में नाटो के हस्तक्षेप को व्यापक रूप से मानवीय हस्तक्षेप के रूप में देखा गया था, क्योंकि नाटो ने मानवीय तबाही को रोकने और कोसोवो अल्बानियाई लोगों को सर्बियाई बलों द्वारा जातिगत सफाए से बचाने के लिये कार्रवाई करने का दावा किया था। कोसोवो में नाटो के हस्तक्षेप में स्पष्ट और उचित कारण का अभाव था क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध किया गया था।

- **आनुपातिकता और नुकसान को न्यूनतम करना:** सैन्य हस्तक्षेपों को आनुपातिकता और नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिये। हालाँकि व्यवहार में नागरिक क्षति और संपार्श्विक क्षति प्राय: अपरिहार्य होती है, जिससे मानवीय उद्देश्यों की प्राप्ति में जोखिम एवं क्षति के स्वीकार्य स्तर के संबंध में नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं। वर्ष 2014-2020 में सीरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हस्तक्षेप को व्यापक रूप से मानवीय हस्तक्षेप के रूप में देखा गया था क्योंकि गठबंधन ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवंत (ISIL) को पराजित करने का दावा किया था, जो एक आतंकवादी समूह है, जिसने नागरिकों के विरुद्ध अत्याचार किये थे। सीरिया तथा इराक में गठबंधन के हस्तक्षेप ने आनुपातिकता और नागरिकों के नुकसान को कम करने के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, क्योंकि इससे काफी संख्या में नागरिकों के हताहत होने, विस्थापन के साथ ही उनके बुनियादी ढाँचे का विनाश की स्थिति देखी गई।
- **बाह्य निकास की रणनीति और दीर्घकालिक परिणाम:** मानवीय हस्तक्षेपों को दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना चाहिये और अनपेक्षित नुकसान एवं अस्थिरता को रोकने के लिये एक स्पष्ट निकास रणनीति होनी चाहिये। हस्तक्षेप करने वाले राज्य पुनर्निर्माण प्रयासों, शासन और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार सहित सैन्य हस्तक्षेप के परिणामों के लिये नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हैं। पूर्वी तिमोर में संयुक्त राष्ट्र संक्रमणकालीन प्रशासन (UNTAET), जिसे वर्ष 1999 में इंडोनेशिया की वापसी के बाद क्षेत्रीय प्रशासन करने और स्वतंत्रता के लिये इसके संक्रमण की देखरेख के लिये स्थापित किया गया था। UNTAET के पास स्पष्ट जनादेश, व्यापक दृष्टिकोण और स्थानीय अधिकारियों को ज़िम्मेदारियों का क्रमिक हस्तांतरण था। UNTAET ने वर्ष 2002 में अपना मिशन पूरा किया और नई सरकार का समर्थन करने के लिये एक छोटे शांति अभियान तथा एक राजनीतिक कार्यालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- **हस्तक्षेप पूर्वाग्रह के नैतिक निहितार्थ:** मानवीय हस्तक्षेप भू-राजनीतिक हितों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में पूर्वाग्रह और चयनात्मक हस्तक्षेप हो सकता है। वर्ष 1992 में सोमालिया में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप, जिसका उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना तथा अकाल एवं गृहयुद्ध के दौरान सहायता पहुँचाना था, लेकिन यह वर्ष 1994 में रवांडा नरसंहार में हस्तक्षेप करने में विफल रहा, जिसमें 100 दिनों में लगभग 800,000 लोग मारे गए थे। वर्ष 1994 में हैती पर अमेरिकी आक्रमण, जिसने सैन्य तख्तापलट के बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति जीन-बर्ट्रेंड एरिस्टाइड को बहाल कर दिया, लेकिन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हस्तक्षेप नहीं किया, जो एक क्रूर गृहयुद्ध और मानवीय संकट से पीड़ित था जिसने 1996 के बाद से लाखों लोगों को मार डाला।

निष्कर्ष:

जब राज्य मानवीय हस्तक्षेप के लिये वैश्विक मामलों में सैन्य बल का उपयोग करते हैं, तो इसमें शामिल नैतिक चुनौतियाँ बहुआयामी होती हैं और संप्रभुता, उचित कारण, आनुपातिकता, जवाबदेहिता एवं निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। जबकि मानवीय हस्तक्षेप कमज़ोर आबादी की रक्षा के लिये नेक इरादों से प्रेरित हो सकते हैं, इन नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिये आवश्यक है कि हस्तक्षेप इस तरह से किया जाए जो मानव अधिकारों को कायम रखे, नुकसान को कम करे और दीर्घकालिक स्थिरता एवं शांति को बढ़ावा दे।

Q51. क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नैतिक सिद्धांतों से समझौता करता है? AI को ज़िम्मेदार निर्णय निर्माताओं में किस प्रकार बदला जा सकता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- AI की नैतिक चुनौतियों का वर्णन कीजिये।
- उन तरीकों की व्याख्या कीजिये, जिनके माध्यम से AI को उत्तरदायी निर्णय निर्माताओं में परिवर्तित किया जा सकता है।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट की उन कार्यों को करने की क्षमता है, जो सामान्यत: मनुष्यों द्वारा किये जाते हैं क्योंकि उन्हें मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में प्राकृतिक भाषा को समझना, पैटर्न को पहचानना, अनुभव से सीखना और निर्णय लेना शामिल है। AI सिस्टम का उद्देश्य तर्क, समस्या-समाधान, धारणा और सीखने जैसे मानव संज्ञानात्मक कार्यों की नकल करना है।

मुख्य भाग:

AI की कुछ प्रमुख नैतिक चुनौतियों में शामिल हैं:

- **नौकरी विस्थापन और सामाजिक आर्थिक प्रभाव:** AI द्वारा संचालित स्वचालन से कुछ उद्योगों में नौकरी विस्थापन हो सकता है। बेरोज़गारी और आय असमानता सहित परिणामी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, इन परिणामों को संबोधित करने में सरकारों और संगठनों की ज़िम्मेदारियों के बारे में नैतिक प्रश्न खड़ा करता है।
- **गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन:** AI सिस्टम का उपयोग इसमें शामिल व्यक्तियों की जानकारी या सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिये किया जा सकता है। इससे सूचित सहमति और निजता के अधिकार के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- **नैतिक तर्क के लिये संकट:** जब परंपरागत रूप से मनुष्यों द्वारा लिये गए निर्णय एल्गोरिदम और AI को सौंप दिये जाते हैं, तो एक जोखिम होता है कि नैतिक तर्क की क्षमता से समझौता किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल AI पर निर्भर रहने से विचारशील नैतिक सोच में संलग्न होने की मानवीय क्षमता न्यूनतम हो सकती है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव:** AI प्रणाली में कुछ त्रुटि होने पर ज़िम्मेदारी सौंपना मुश्किल हो सकता है, मूलत: जब इसमें जटिल एल्गोरिदम और निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल हो।
  - कई AI प्रणालियों की आंतरिक कार्यप्रणाली प्राय: अपारदर्शी होती है, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि निर्णय कैसे लिये जा रहे हैं। पारदर्शिता की कमी से उपयोगकर्त्ताओं के बीच अविश्वास और संदेह उत्पन्न हो सकता है।
- **सुरक्षा:** यदि AI सिस्टम में खराबी आती है, हैक किया जाता है, या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिये हेरफेर किया जाता है तो AI सिस्टम सुरक्षा के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकता है। स्वायत्त शस्त्र प्रणालियों का विकास और तैनाती अंधाधुंध नुकसान की उनकी क्षमता और युद्ध में मानवीय जवाबदेही के क्षरण के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती है।
- **रोबोटों के लिये नैतिकता को संहिताबद्ध करना:** नैतिकता को रोबोटों या AI-संचालित सरकारी निर्णयों के लिये स्पष्ट नियमों में अनुवाद करने का प्रयास एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में उज़ागर किया गया है। मानवीय नैतिकताएँ बहुत जटिल हैं और इन जटिल विचारों को कंप्यूटर निर्देशों में फिट करना मुश्किल है।

कुछ तरीके जिनके माध्यम से AI को उत्तरदायी निर्णय निर्माताओं में परिवर्तित किया जा सकता है:

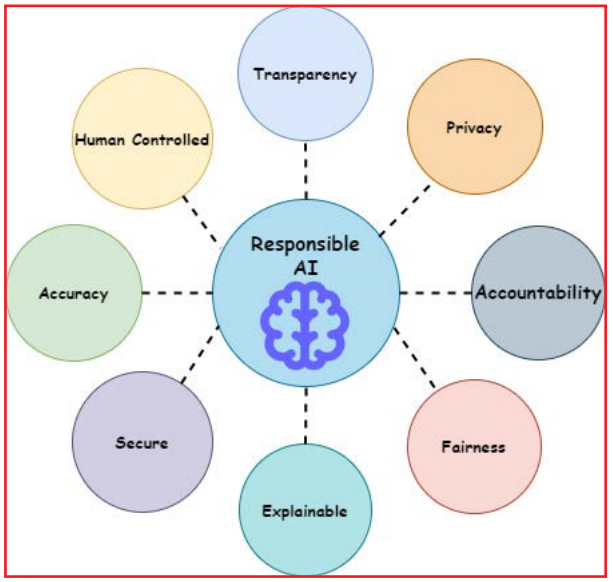

- **नैतिक डिजाइन सिद्धांत:** AI सिस्टम के डिजाइन चरण में नैतिक विचारों को शामिल करना आवश्यक है। **जेम्स मूर** (डार्टमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर) ने नैतिकता से संबंधित यांत्रिक अभिकर्त्ताओं को चार समूहों में वर्गीकृत किया है:
  - **नैतिक प्रभाव एजेंट:** ये मशीनें, रोबोट जॉकी के समान, स्वयं नैतिक विकल्प का निर्माण नहीं करती हैं, लेकिन उनके कार्यों का नैतिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिये, वे किसी काम करने के तरीके को परिवर्तित कर सकते हैं।
  - **निहित नैतिक अभिकर्त्ता:** इन मशीनों में विमानों में ऑटोपायलट की तरह अंतर्निहित सुरक्षा या नैतिक नियम होते हैं। वे सक्रिय रूप से यह तय किये बिना कि नैतिक क्या है, निर्धारित नियमों का पालन करते हैं।
  - **स्पष्ट नैतिक अभिकर्त्ता:** ये निश्चित नियमों से परे जाते हैं। वे विकल्पों के नैतिक मूल्य का पता लगाने के लिये विशिष्ट तरीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिये, ऐसी प्रणालियाँ जो धन के निवेश को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करती हैं।
  - **पूर्ण नैतिक अभिकर्त्ता:** ये मशीनें नैतिक निर्णय ले सकती हैं और समझा सकती हैं। अच्छी नैतिक समझ वाले वयस्क और उन्नत AI इस श्रेणी में आते हैं।
- **निष्पक्षता और पूर्वाग्रह शमन:** निर्णय लेने में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये AI एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह का पता लगाने और उसे कम करने के लिये तकनीकों को नियोजित करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें पूर्वाग्रह को दूर करने के लिये डेटा प्रीप्रोसेसिंग, एल्गोरिथम निष्पक्षता बाधाएँ और निष्पक्षता-जागरूक शिक्षण एल्गोरिदम जैसी तकनीकें शामिल हैं।
- **स्पष्टीकरण और पारदर्शिता:** अपने निर्णयों के लिये स्पष्टीकरण प्रदान करके AI सिस्टम की पारदर्शिता बढ़ाने से उपयोगकर्त्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि AI एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं और विश्वास स्थापित करते हैं।
- **जवाबदेही तंत्र:** AI सिस्टम को उनके निर्णयों और कार्यों के लिये जवाबदेह बनाने के लिये तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिये ट्रेसेबिलिटी उपाय, AI सिस्टम प्रदर्शन का आकलन करने के लिये ऑडिटेबिलिटी सुविधाएँ और त्रुटियों के मामले में सहारा या निवारण के लिये तंत्र शामिल हैं।
- **नियामक और शासन ढाँचे:** ज़िम्मेदार AI सुनिश्चित करने के लिये AI सिस्टम के विकास, तैनाती और उपयोग की निगरानी के लिये मज़बूत नियामक ढाँचे और शासन तंत्र विकसित करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें कानूनी मानक, उद्योग दिशानिर्देश, प्रमाणन कार्यक्रम और AI अनुप्रयोगों की निगरानी के लिये नियुक्त निरीक्षण निकाय शामिल हैं।

- **नैतिकता प्रशिक्षण और शिक्षा:** डेवलपर्स, डेटा वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के लिये AI नैतिकता पर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना नैतिक जागरूकता और ज़िम्मेदार AI प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है। इसमें नैतिक AI पाठ्यक्रम विकास, पेशेवर प्रमाणन कार्यक्रम और AI विकास में नैतिक निर्णय लेने पर कार्यशालाएँ शामिल हैं।

निष्कर्ष:

AI विकास और तैनाती में नैतिक विचारों को प्राथमिकता देकर, हम सभी के लिये अधिक समावेशी, न्यायसंगत और लाभकारी भविष्य बनाने के लिये AI प्रौद्योगिकियों की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।

Q52. सिविल सेवा के मूलभूत मूल्यों को पहचानिये। सिविल सेवकों के गैर-नैतिक व्यवहार को रोकने के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- सिविल सेवाओं के मूलभूत मूल्यों का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- सिविल सेवाओं के मूलभूत मूल्यों को पहचानिये।
- मूलभूत सिद्धांतों को बनाए रखने में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिये।
- सिविल सेवकों के बीच गैर-नैतिक व्यवहार को रोकने के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सिविल सेवाओं के लिये मूलभूत मूल्य उन मूलभूत सिद्धांतों और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिविल सेवकों के आचरण और ज़िम्मेदारियों का मार्गदर्शन करते हैं। ये मूलभूत मूल्य सिविल सेवाओं में विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिये आवश्यक हैं।

मुख्य भाग:

नोलन सिद्धांत (सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है) पहली बार वर्ष 1995 में लॉर्ड नोलन द्वारा निर्धारित किये गए थे और यह सार्वजनिक कार्यालय धारक के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं। कानून के अनुसार, सार्वजनिक जीवन में व्यक्तियों को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिये:

- **नि:स्वार्थता:** सार्वजनिक पद के धारकों को केवल लोक हित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिये। उन्हें अपने, अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिये वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2010 में, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले ने कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के बीच नि:स्वार्थता की कमी को उज़ागर किया, जो व्यक्तिगत लाभ के लिये भ्रष्ट आचरण में शामिल थे, जिससे सरकारी खजाने को महत्त्वपूर्ण नुकसान हुआ।
- **सत्यनिष्ठा:** सार्वजनिक कार्यालय के धारकों को स्वयं को बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के प्रति किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के तहत नहीं रखना चाहिये, जो उन्हें अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के प्रदर्शन में प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:** आईएएस अधिकारी, दुर्गा शक्ति नागपाल ने राजनीतिक दबाव और अपनी स्थिति के लिये संकट का सामना करने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में अवैध रेत खनन गतिविधियों के विरुद्ध खड़े होकर ईमानदारी का प्रदर्शन किया।
- **वस्तुनिष्ठता:** सार्वजनिक नियुक्तियाँ करने, अनुबंध देने, या पुरस्कार और लाभ के लिये व्यक्तियों की सिफारिश करने सहित सार्वजनिक व्यवसाय करने में, सार्वजनिक पद धारकों को योग्यता के आधार पर चुनाव करना चाहिये।
  - **उदाहरण:** सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने और इसकी कार्यवाही में निष्पक्षता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **जवाबदेही:** सार्वजनिक कार्यालय के धारक अपने निर्णयों और कार्यों के लिये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें अपने कार्यालय के लिये जो भी उचित जाँच हो, उसके लिये स्वयं को प्रस्तुत करना होगा।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2018 में, भारत के CAG ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें रक्षा खरीद में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- **खुलापन:** सार्वजनिक पद के धारकों को अपने सभी निर्णयों और कार्यों के बारे में यथासंभव खुला रहना चाहिये। उन्हें अपने निर्णयों के लिये कारण बताना चाहिये और जानकारी को केवल तभी प्रतिबंधित करना चाहिये जब व्यापक लोक हित की स्पष्ट मांग हो।
  - **उदाहरण:** आरटीआई अधिनियम नागरिकों को शासन में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **ईमानदारी:** सार्वजनिक कार्यालय के धारकों का कर्त्तव्य है कि वे अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करना और लोकहित की रक्षा के लिये उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष को हल करने के लिये कदम उठाना।

- **उदाहरण:** पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिये ख्याति प्राप्त की।

- **नेतृत्व:** सार्वजनिक पद के धारकों को नेतृत्व द्वारा इन सिद्धांतों को बढ़ावा देना और समर्थन करना चाहिये।
  - **उदाहरण:** डॉ. वर्गीस कुरियन, जिन्हें "मिल्कमैन ऑफ इंडिया" के नाम से जाना जाता है, ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से भारत के डेयरी उद्योग को बदलने और किसानों को सशक्त बनाने में नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

मूलभूत सिद्धांतों को कायम रखने में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाएँ:

- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** सिविल सेवाओं को प्राय: राजनीतिक नेताओं और पार्टियों के दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रशासनिक निर्णयों, स्थानांतरण और पोस्टिंग में हस्तक्षेप होता है।
  - यह हस्तक्षेप सिविल सेवकों की स्वायत्तता और निष्पक्षता को कमज़ोर करता है, जिससे ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **भ्रष्टाचार:** भारतीय सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के उदाहरण सार्वजनिक अधिकारियों की ईमानदारी और जवाबदेही को प्रभावित कर रहे हैं।
  - भ्रष्टाचार सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करता है और पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमज़ोर करता है।
- **नौकरशाही लालफीताशाही:** जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएँ और बोझिल प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सिविल सेवाओं की दक्षता और जवाबदेही में बाधा बन सकती हैं।
  - अत्यधिक लालफीताशाही के कारण निर्णय लेने में देरी, सेवा वितरण में अक्षमता और नागरिकों और व्यवसायों में निराशा होती है।

सिविल सेवकों के बीच गैर-नैतिक व्यवहार को रोकने के लिये निम्न तरीके और साधन:

- **स्पष्ट आचार संहिता स्थापित करना:** आचार संहिता को लागू करना, जो सिविल सेवकों के लिये व्यवहार के अपेक्षित मानकों, नैतिक सिद्धांतों और दिशानिर्देशों को रेखांकित करता है, नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिये एक मूलभूत ढाँचे के रूप में कार्य कर सकता है।
  - सिविल सेवाओं के सभी स्तरों पर नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित कर सकता है और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर सकता है जो अखंडता, ईमानदारी और निष्पक्षता को महत्त्व प्रदान करती है।
- **जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना:** प्रदर्शन मूल्यांकन, अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ और व्हिसलब्लोअर सुरक्षा ढाँचे जैसे मज़बूत जवाबदेही तंत्र स्थापित करने से सिविल सेवकों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराया जा सकता है और अनैतिक व्यवहार को रोका जा सकता है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** नैतिकता, सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता पर नियमित प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने से सिविल सेवकों में नैतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है और उन्हें अपनी भूमिकाओं में नैतिक निर्णय लेने के लिये आवश्यक कौशलयुक्त किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी समाधान लागू करना:** सेवा वितरण के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-गवर्नेंस पहल और डेटा एनालिटिक्स टूल जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाने से भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार के अवसरों को कम करते हुए सिविल सेवाओं के भीतर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ सकती है।
- **सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता बढ़ाना:** शासन में नैतिकता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और निरीक्षण एवं निगरानी में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना जवाबदेही का दबाव उत्पन्न कर सकता है और सिविल सेवकों के बीच नैतिक व्यवहार के महत्त्व को सुदृढ़ कर सकता है।

निष्कर्ष:

नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, विवेकाधीन शक्तियों को कम करने और शासन संरचनाओं में सुधार करने के लिये निरंतर संस्थागत सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता है जो सिविल सेवकों के बीच भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार के अवसरों को रोकने में मदद कर सकते हैं।

Q53. वर्तमान संदर्भ में निम्नलिखित उद्धरण आपको क्या संदेश देता है? स्वयं की खोज का सबसे अच्छा तरीका, स्वयं को दूसरों की सेवा में लीन कर देना है- महात्मा गांधी (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उद्धरण का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।
- वर्तमान संदर्भ में उद्धरण की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिये।
- पुष्टि हेतु उदाहरण बताइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

उद्धरण यह व्यक्त करता है कि स्वयं की खोज दूसरों की सेवा के निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। दूसरों की आवश्यकताओं

और भलाई पर ध्यान केंद्रित करके, व्यक्ति अपने स्वयं के हितों से परे हो जाते हैं तथा उद्देश्य एवं पहचान की गहरी समझ से जुड़ते हैं। संक्षेपत: स्वयं को समझने का मार्ग मानवता की भलाई में सेवा करने और योगदान देने में निहित है।

मुख्य भाग:

वर्तमान संदर्भ में उद्धरण की प्रासंगिकता:

- **सहानुभूति और करुणा:**
  - सहानुभूति और करुणा में निहित सेवा के कार्य मानवीय संबंध एवं एकजुटता को बढ़ावा देते हैं।
  - स्वयंसेवक हाशिये पर मौजूद समुदायों की सेवा करके सामाजिक विभाजन और अन्याय को चुनौती देते हैं।
- **वैश्विक स्वयंसेवी आंदोलन:**
  - दुनिया भर में स्वयंसेवक मानवीय सहायता से लेकर सामुदायिक विकास तक विभिन्न कार्यों के लिये समय और संसाधन समर्पित करते हैं।
  - निस्वार्थ सेवा के माध्यम से, स्वयंसेवक व्यक्तिगत विकास और पूर्णता का अनुभव करते हैं।
- **आपदा राहत प्रयास:**
  - प्राकृतिक आपदाओं के बाद सहायता प्रदान करने में स्वयंसेवक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - आराम और सुरक्षा का त्याग करके, स्वयंसेवक उद्देश्य एवं संबंध की खोज करते हैं।
- **आपसी समझ के सेतु का निर्माण करना:**
  - सेवा बाधाओं को तोड़ती है और विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच पुल बनाती है।
  - स्वयंसेवक उन सामाजिक मानदंडों और प्रणालियों को चुनौती देते हैं जो असमानता एवं अन्याय को कायम रखते हैं।
- **हाशिये पर पड़े समुदायों का समर्थन करना:**
  - संगठन शरणार्थियों और भेदभाव के शिकार लोगों जैसी हाशिये पर मौजूद आबादी को सहायता प्रदान करते हैं।
  - सेवा के माध्यम से, स्वयंसेवक पीड़ा को कम करते हैं और प्रणालीगत परिवर्तन का समर्थन करते हैं।
- **व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन:**
  - सेवा व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रदान करती है।
  - व्यक्तियों को दूसरों की सेवा करने, अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज में योगदान करने में संतुष्टि मिलती है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, निस्वार्थता और करुणा के कार्यों के माध्यम से, व्यक्ति न केवल दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं बल्कि अपने जीवन में उद्देश्य एवं पूर्ति की गहरी भावना भी खोजते हैं।

Q54. वर्तमान संदर्भ में निम्नलिखित उद्धरण आपको क्या संदेश देता है? अभिवृत्ति एक ऐसा सामान्य पहलू है, जिससे व्यापक अंतर आता है- विंस्टन चर्चिल। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।
- वर्तमान संदर्भ में उद्धरण की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिये।
- पुष्टि हेतु उदाहरण बताइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

उद्धरण यह व्यक्त करता है कि जीवन के प्रति किसी की मानसिकता या दृष्टिकोण परिणामों और अनुभवों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अपने छोटे कद के बावजूद, रवैया इस बात को प्रभावित करता है कि व्यक्ति चुनौतियों, अवसरों और परिस्थितियों को कैसे समझते हैं एवं उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लचीलापन, प्रेरणा और सफलता मिल सकती है, जबकि एक नकारात्मक रवैया प्रगति में बाधा बन सकता है तथा क्षमता को सीमित कर सकता है। संक्षेपत: यह उद्धरण किसी के जीवन और उसके आस-पास की दुनिया को आकार प्रदान करने में दृष्टिकोण की परिवर्तनकारी शक्ति पर ज़ोर देता है।

मुख्य भाग:

वर्तमान संदर्भ में उद्धरण की प्रासंगिकता:

- **कार्यस्थल में सकारात्मक मानसिकता:**
  - आज के प्रतिस्पर्द्धी वातावरण में, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले कर्मचारियों की उत्कृष्टता प्राप्त करने और आगे बढ़ने की अधिक संभावना है।
  - उदाहरण के लिये, एक टीम का सदस्य जो आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करता है, वह अक्सर नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक उत्पादक एवं प्रभावी होता है।
- **प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन:**
  - प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति लचीलापन और दृढ़ता प्रदर्शित करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, कोविड-19 महामारी के दौरान, स्वास्थ्य कर्मियों ने भारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अटूट दृढ़ संकल्प और आशावाद का प्रदर्शन किया, जिसने उनके समुदायों में आशावादी दृष्टिकोण तथा लचीलेपन को प्रेरित किया।
- **संबंधों पर प्रभाव:**
  - पारस्परिक संबंधों और अंत:क्रियाओं को आकार देने में दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- उदाहरण के लिये, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने, संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल करने और अपने साथियों के बीच विश्वास एवं सम्मान को प्रेरित करने की अधिक संभावना रखते हैं।

- **स्वास्थ्य और अच्छाई:**
  - शोध से पता चलता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
  - उदाहरण के लिये, अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की तुलना में तनाव के न्यूनतम स्तर, बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र का अनुभव करते हैं।
- **लक्ष्य प्राप्ति और सफलता:**
  - मनोवृत्ति किसी व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने की क्षमता को बहुत प्रभावित करती है।
  - उदाहरण के लिये, दृढ़ और आशावादी दृष्टिकोण वाले उद्यमियों के अपने उद्यमों में बाधाओं को दूर करने तथा सफलता प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव:**
  - समाज के भीतर दृष्टिकोण सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों और सामूहिक व्यवहार को आकार दे सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, जो समाज समावेशिता, सहानुभूति और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं, वे अपने नागरिकों के बीच अधिक सामाजिक एकजुटता एवं कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष:

सकारात्मक मानसिकता और लचीलापन विकसित करके, व्यक्ति चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने आस-पास के वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार, यह उद्धरण जीवन को आकार देने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में दृष्टिकोण की परिवर्तनकारी शक्ति की स्मृति कराता है।

Q55. क्या आपको लगता है कि "राजनीति" एवं "नैतिकता" असंगत हैं? उदाहरण देते हुए तर्क सहित स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- प्रश्न के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- नैतिकता एवं राजनीति के बीच असंगत दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिये।
- नैतिकता एवं राजनीति के बीच अभिन्न संबंध पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

नैतिकता एवं राजनीति के बीच संबंध इतिहास में बहस और अन्वेषण का विषय रहा है, विभिन्न दृष्टिकोण इस जटिल परस्पर क्रिया के बारे में हमारी समझ को आकार देते हैं।

मुख्य भाग:

पुनर्जागरण काल के राजनीतिक दार्शनिक **निकोलो मैकियावेली**, नैतिकता एवं राजनीति पर अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिये प्रसिद्ध हैं। अपनी कृति, "द प्रिंस" में मैकियावेली ने शासन के लिये एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसमें नैतिक दृष्टिकोण की तुलना में राजनीतिक औचित्य एवं सत्ता को बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई है।

नैतिकता और राजनीति के बीच संबंध पर मैकियावेली का दृष्टिकोण:

- **नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण:** मैकियावेली ने तर्क दिया कि राजनीति को पारंपरिक नैतिक मानदंडों एवं धार्मिक सिद्धांतों से अलग किया जाना चाहिये। उनका मानना था कि शासकों को अपने अधिकारों के संरक्षण के साथ राज्य की स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिये, भले ही इसके लिये नैतिक रूप से संदिग्ध रणनीति का सहारा लेना पड़े।
- **नैतिक सापेक्षवाद:** मैकियावेली के लेखन नैतिक सापेक्षवाद को दर्शाते हैं, जिसमें नैतिक निर्णय राजनीतिक वास्तविकताओं के संदर्भ पर निर्भर होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी कार्य की नैतिकता का मूल्यांकन उसके आंतरिक नैतिक मूल्य के बजाय उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिये।
- **व्यावहारिकता और वास्तविक राजनीति:** मैकियावेली ने राजनीति के लिये एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की वकालत की, जिसमें नैतिक रूप से सही होने के बजाय कार्य की विशिष्टता पर बल दिया गया। इन्होंने यथार्थवाद के महत्त्व पर बल देते हुए कहा कि राजनेताओं को सत्ता की गतिशीलता की जटिलताओं से निपटने तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये और अनुकूलनीय होना चाहिये।
- **सदाचारी शासक:** मैकियावेली ने अक्सर नैतिकता पर अधिक बल नहीं दिया है लेकिन उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व में कुछ गुणों के महत्त्व को पहचाना है। उनका मानना था कि प्रभावी ढंग से शासन करने और नियंत्रण बनाए रखने के लिये शासकों को साहस एवं चालाकी जैसे गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिये।

इसके विपरीत महात्मा गांधी नैतिकता एवं राजनीति के बीच अविभाज्य संबंध में दृढ़ता से विश्वास करते थे। राजनीति के प्रति उनका दृष्टिकोण नैतिक सिद्धांतों में गहराई से निहित था और उन्होंने शासन एवं सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में नैतिक मूल्यों के महत्त्व पर बल दिया।

नैतिकता और राजनीति पर गांधी का दृष्टिकोण:

- **अभिन्न संबंध:** गांधी जी नैतिकता और राजनीति को स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से संबंधित मानते थे। उनका मानना था कि नैतिक विचारों से रहित राजनीति भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण को जन्म दे सकती है।
- **सत्याग्रह:** गांधी के अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह के दर्शन का केंद्र सत्य और अहिंसा का सिद्धांत था। उनका मानना था कि राजनीतिक संघर्षों में उत्पीड़न तथा अन्याय के बावजूद भी सत्य एवं अहिंसक साधनों के प्रति अटूट निष्ठा बनाए रखनी चाहिये।
- **सेवक की भावना:** राजनीति के प्रति गांधी का दृष्टिकोण सेवा भाव का था, जिसमें अपेक्षित था कि नेता व्यक्तिगत हितों या सत्ता से अधिक उन लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दें जिनकी वे सेवा करते हैं। उनका मानना था कि राजनेताओं को विनम्र, निस्वार्थ एवं समाज के सबसे हाशिये पर रहने वाले सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये।
- **नैतिक शासन:** गांधी ने शासन के विकेंद्रीकृत और सहभागी रूपों की वकालत की जो सत्य, न्याय एवं करुणा जैसे नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हों। उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की जहाँ निर्णय लेना नैतिक विचारों द्वारा निर्देशित हो और जहाँ लोगों को अपनी नियति को आकार देने में आवाज उठाने का अधिकार हो।
- **व्यक्तिगत ईमानदारी:** गांधीजी ने राजनीतिक नेतृत्व में व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिक शुद्धता के महत्त्व पर बल दिया। उनका मानना था कि नेताओं को उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करना चाहिये तथा उन मूल्यों को अपनाना चाहिये जिनका वे समर्थन करते हैं। गांधीजी के लिये सत्यनिष्ठा का अर्थ अपनी अंतरात्मा के साथ सद्भाव में रहना तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखना था।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, नैतिक विचार राजनीतिक कार्रवाई को निर्देशित करने तथा शासन को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि नैतिक शासन हेतु प्रयास के क्रम में संवाद और नैतिक सिद्धांतों के साथ जुड़ाव की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक प्रक्रियाएँ तथा परिणाम न्याय, निष्पक्षता एवं सामान्य कल्याण जैसे मूल्यों के साथ संरेखित हों।

Q56. "आपको स्वयं में ऐसा परिवर्तन लाना चाहिये जो आप विश्व में देखना चाहते हैं"। इस कथन से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धांत को वास्तविक जीवन में किस प्रकार लागू किया जा सकता है? (150 शब्द)

परिचय:

महात्मा गांधी का उद्धरण "आपको स्वयं में ऐसा परिवर्तन लाना चाहिये जो आप विश्व में देखना चाहते हैं" इस विचार को व्यक्त करता है कि व्यक्तिगत कार्य और ज़िम्मेदारी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिये मूलभूत हैं।

मुख्य भाग:

इस उद्धरण को वास्तविक जीवन में लागू करने का अर्थ और प्रक्रिया:

- **व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी:** मूल रूप से, इस उद्धरण में परिवर्तन लाने के लिये व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी के महत्त्व पर बल दिया गया है। दूसरों के कार्य करने या परिस्थितियों में सुधार होने की प्रतीक्षा करने के बजाय, व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार परिवर्तन शुरू करने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, अपने पड़ोस में कूड़े के बारे में शिकायत करने के बजाय कोई व्यक्ति सामुदायिक सफाई कार्यक्रम शुरू करने की पहल कर सकते हैं और दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **नेतृत्व द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना:** परिवर्तन का तात्पर्य उन मूल्यों और सिद्धांतों को अपनाने से है जिन्हें कोई विश्व में प्रतिबिंबित होते देखना चाहता है। इसमें किसी की मान्यताओं एवं मूल्यों के अनुरूप रहना तथा दूसरों के अनुकरण के लिये एक आदर्श के रूप में कार्य करना शामिल है। नेतृत्व द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करके, व्यक्ति दूसरों को इसका अनुसरण करने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, डॉ. अंबेडकर ने भेद-भाव के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के साथ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तीकरण की दिशा में कार्य किया।
- **छोटी शुरुआत:** परिवर्तन अक्सर छोटे, वृद्धिशील कार्यों से शुरू होता है जिससे संचयी रूप से बड़े परिवर्तनों में योगदान मिलता है। व्यक्ति उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करके शुरुआत कर सकते हैं जहाँ वे बदलाव ला सकते हैं, चाहे वह अपने समुदाय में स्वयंसेवा करना हो, किसी ऐसे उद्देश्य की वकालत करना हो जिसमें वे विश्वास करते हों, या स्थायी जीवन शैली प्रथाओं को अपनाना हो।
  - उदाहरण के लिये, अपने समुदाय में खाद्य असुरक्षा के बारे में चिंतित व्यक्ति स्थानीय खाद्य बैंक या सामुदायिक रसोई में स्वयंसेवा करके शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर भूख के अंतर्निहित कारणों को हल करने के उद्देश्य से बड़ी पहल का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
- **निरंतर सीखना और विकास:** निरंतर सीखना, व्यक्तियों को परिवर्तन के अधिक प्रभावी एजेंट बनने तथा जटिल सामाजिक गतिशीलता हेतु सशक्त बनाता है। इसमें नए दृष्टिकोणों के लिये अनुकूलन, विविध मान्यताओं को चुनौती देना तथा प्रतिक्रिया एवं अनुभवों के आधार पर रणनीतियों को अपनाना शामिल है।

- उदाहरण के लिये, पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में संवेदनशील कोई व्यक्ति खुद को नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने एवं स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करने हेतु चुन सकता है।

- **दृढ़ता और अनुकूलन:** स्थायी परिवर्तन लाने के लिये अक्सर बाधाओं एवं असफलताओं का सामना करने के क्रम में दृढ़ता की आवश्यकता होती है। प्रगति धीमी या कठिन होने पर भी व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिये। लचीलापन और दृढ़ संकल्प विकसित करने से व्यक्ति चुनौतियों से उबरने एवं बेहतर विश्व के लिये अपने दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, नीतिगत सुधार की वकालत करने वाले व्यक्तियों को निहित स्वार्थों या नौकरशाही बाधाओं से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहकर और सहयोगियों से समर्थन जुटाकर, वे संबंधित चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं तथा अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

वास्तविक जीवन में ऐसे सिद्धांत को रोजमर्रा के कार्यों के माध्यम से लागू किया जा सकता है जिससे किसी के मूल्यों का प्रदर्शन होता हो और समाज में सकारात्मक बदलाव में मिलता हो। चाहे सामाजिक न्याय की वकालत करना हो, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना हो या समावेशिता तथा करुणा को बढ़ावा देना हो, व्यक्तियों में अपनी पसंद, व्यवहार और दूसरों के साथ समन्वय के माध्यम से बदलाव लाने की शक्ति होती है।

व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी को अपनाकर और जो बदलाव देखना चाहते हैं उसे अपनाकर, व्यक्ति अधिक न्यायसंगत एवं सतत् विश्व की दिशा में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं।

Q57. लोक सेवा में सत्यनिष्ठा की भूमिका की उदाहरण सहित चर्चा कीजिये। नैतिक नेतृत्व से संगठनों में सत्यनिष्ठा की संस्कृति को किस प्रकार बढ़ावा मिल सकता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- प्रश्न के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- सार्वजनिक सेवा में सत्यनिष्ठा की भूमिका पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिये।
- बताइये कि नैतिक नेतृत्व से किस प्रकार संगठनों में सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
- यथोचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सत्यनिष्ठा, लोक सेवा की आधारशिला है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लोक अधिकारी समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करें। नैतिक नेतृत्व, विभिन्न संगठनों के भीतर सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ नैतिक व्यवहार के लिये आधार तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य भाग:

लोक सेवा में सत्यनिष्ठा की भूमिका:

- **विश्वास का आधार:** सत्यनिष्ठा, लोक सेवा की आधारशिला है, जो सरकार और लोगों के बीच विश्वास बनाने के लिये आवश्यक है। इससे सुनिश्चित होता है कि लोक अधिकारी पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता बनाए रखते हुए समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करें।
  - **उदाहरण:** महात्मा गांधी (जो अपनी अटूट सत्यनिष्ठा के लिये जाने जाते हैं) ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने नैतिक नेतृत्व से लाखों लोगों को प्रेरित किया।
- **प्रभावी शासन:** सत्यनिष्ठा से निष्पक्षता, न्याय और विधि के शासन को बढ़ावा मिलने से शासन की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। इससे भ्रष्टाचार में कमी आने के साथ यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय व्यक्तिगत लाभ के बजाय योग्यता के आधार पर लिये जाएँ।
  - **उदाहरण:** ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, लोक सेवा में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा वाले देशों में भ्रष्टाचार का स्तर कम होने के साथ शासन व्यवस्था बेहतर होती है।
- **लोक विश्वास:** लोक सेवा में सत्यनिष्ठा से सरकारी संस्थानों में लोगों का विश्वास बढ़ता है, जिससे सरकारी संस्थानों के साथ नागरिक भागीदारी एवं समन्वय को प्रोत्साहन मिलता है। इससे सामाजिक एकता और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है।
  - **उदाहरण:** भ्रष्टाचार के प्रति सिंगापुर सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीति ने सरकारी संस्थानों में लोक विश्वास को महत्त्व दिया है।

नैतिक नेतृत्व और सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहन:

- **सत्यनिष्ठा का आधार तैयार होना:** नैतिक नेतृत्व से नैतिक व्यवहार का मॉडल तैयार होने के साथ नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिये प्रतिबद्धता प्रदर्शित होने के क्रम में किसी संगठन के अंदर सत्यनिष्ठा हेतु आधार तैयार होता है।
  - **उदाहरण:** दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व की विशेषता, सत्यनिष्ठा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी, जिसने देश को रंगभेद समाज से एक लोकतांत्रिक समाज में बदलने में मदद की।
- **संस्कृति का विकास:** नैतिक नेतृत्व से नैतिक निर्णय को बढ़ावा मिलने के साथ खुले संचार को प्रोत्साहन मिलता है जिससे व्यक्ति अपने कार्यों के लिये अधिक जवाबदेह होते हैं और इससे संगठन के भीतर सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

- **उदाहरण:** सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू ने नैतिक नेतृत्व और सत्यनिष्ठा का परिचय दिया। उन्होंने सत्यनिष्ठा एवं योग्यता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से सिंगापुर को एक संघर्षरत शहर-राज्य से एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदल दिया।

- **पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिलना:** नैतिक नेतृत्व से यह सुनिश्चित होने के साथ पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है कि जानकारी खुले तौर पर साझा की जाने के साथ निर्णय पारदर्शी तरीके से लिये जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार एवं अनैतिक आचरण को रोकने में मदद मिलती है।
  - **उदाहरण:** माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला की उनके नैतिक नेतृत्व के लिये प्रशंसा की गई है, जिससे कंपनी के अंदर पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता में वृद्धि हुई है।
- **नैतिक दुविधाओं को हल करना:** नैतिक नेतृत्व से उचित समाधान खोजने के क्रम में नैतिक सिद्धांतों तथा मूल्यों को लागू करके नैतिक दुविधाओं और संघर्षों को हल करने में सहायता मिलती है।
  - **उदाहरण:** नोबेल पुरस्कार विजेता तथा बाल अधिकार कार्यकर्त्ता कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के अधिकारों की वकालत करने के साथ बाल श्रम की समस्या का समाधान करने के क्रम में नैतिक नेतृत्व पर बल दिया।

निष्कर्ष:

प्रभावी लोक सेवा के साथ नैतिक नेतृत्व, संगठनों के भीतर ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैतिक मूल्यों को बनाए रखने तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देकर, नैतिक नेतृत्व से लोक विश्वास को बढ़ावा मिलने के साथ बेहतर शासन परिणाम और अधिक न्यायपूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

Q58. निर्णय निर्माण में नैतिकता एवं अभिक्षमता के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिये। प्रशासनिक परिदृश्यों में नैतिक दुविधाओं को प्रभावी ढंग से किस प्रकार हल किया जा सकता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- नैतिकता और अभिक्षमता का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- निर्णय निर्माण में नैतिकता और अभिक्षमता के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि प्रशासनिक परिदृश्यों में नैतिक दुविधाओं को प्रभावी ढंग से किस प्रकार हल किया जा सकता है।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

प्रशासनिक परिदृश्यों में निर्णय को प्रभावित करने में नैतिकता और अभिक्षमता दो महत्त्वपूर्ण घटक हैं। नैतिकता का आशय ऐसे नैतिक सिद्धांतों के समूह से है जिससे किसी व्यक्ति का व्यवहार या किसी गतिविधि के संचालन का नियंत्रण होता है, जबकि अभिक्षमता का आशय किसी व्यक्ति की किसी विशेष कार्य को करने की प्राकृतिक क्षमता या रूचि से है।

मुख्य भाग:

निर्णय लेने में नैतिकता और अभिक्षमता के बीच संबंध:

1. नैतिक दिशा-निर्देश और निर्णय लेना:

- **आधार के रूप में नैतिकता:** नैतिकता से ऐसे मूलभूत सिद्धांत मिलते हैं जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इससे व्यक्तियों को अपने कार्यों के सही या गलत आधार पर आकलन करने में मार्गदर्शन मिलता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि निर्णय, नैतिक मूल्यों के अनुरूप हों।
- विश्लेषण में अभिक्षमता की भूमिका: अभिक्षमता से जटिल परिस्थितियों के विश्लेषण में मदद मिलती है, जिससे प्रशासकों को विभिन्न दृष्टिकोणों से अपने निर्णयों के निहितार्थ को समझने में मदद मिलती है।

2. सत्यनिष्ठा और जवाबदेहिता:

- **नैतिकता और सत्यनिष्ठा:** नैतिकता से सत्यनिष्ठा को बढ़ावा मिलने के साथ यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय, सिद्धांतों से समझौता किये बिना ईमानदारी और पारदर्शिता पर आधारित हों।
- जवाबदेहिता में अभिक्षमता की भूमिका: अभिक्षमता से यह सुनिश्चित होता है कि प्रशासक अपने निर्णयों के लिये जवाबदेह हों, क्योंकि इससे तर्कसंगत विश्लेषण के आधार पर अपनी पसंद को उचित ठहराने का कौशल प्राप्त होता है।
- **उदाहरण:** यदि किसी सिविल सेवक को जरूरतमंद समुदाय को संसाधन आवंटित करने का कार्य सौंपा गया है तो यह नैतिकता का उपयोग करते हुए, सिविल सेवक इस बात पर विचार करेंगे कि इसमें करुणा और निष्पक्षता को ध्यान में रखा जाए।

3. हितधारक दृष्टिकोण:

- **हितधारकों के लिये नैतिक विचार:** नैतिकता से प्रशासकों को जनता, कर्मचारियों एवं सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के संबंध में अपने निर्णयों के प्रभाव पर विचार करने की प्रेरणा मिलती है।
- **हितों को संतुलित करने में अभिक्षमता:** अभिक्षमता से प्रशासकों को हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करने में मदद मिलती है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय निष्पक्ष एवं उचित हों।

4. नैतिक दुविधाएँ और निर्णय लेना:

- **नैतिक दुविधाओं की पहचान करना:** प्रशासकों को अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ नैतिक सिद्धांतों में टकराव होता है, जिससे नैतिक दुविधाएँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिये, कोई ऐसा निर्णय जो किसी एक हितधारक को लाभ पहुँचाता है वह दूसरे को नुकसान पहुँचा सकता है।
  - **संसाधन आवंटन:** संसाधन सीमित होने पर निर्णयकर्त्ताओं को आवंटन को प्राथमिकता देने की नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। सभी हितधारकों की जरूरतों पर विचार करके और अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करके,निर्णयकर्त्ता इस दुविधा को नैतिक रूप से हल कर सकते हैं।
- **निर्णय लेने में योग्यता:** अभिक्षमता प्रशासकों को कार्रवाई के विभिन्न तरीकों के परिणामों को समझने में सक्षम बनाती है और इससे ऐसे विकल्प चुनने में सहायता मिलती है जो नैतिक सिद्धांतों के साथ समग्र सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हों।

प्रशासनिक परिदृश्यों में नैतिक दुविधाओं का समाधान:

प्रशासनिक परिदृश्यों में नैतिक दुविधाओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिये एक ऐसे व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिससे नैतिक सिद्धांतों को व्यावहारिक विचारों के साथ संतुलित किया जा सके। इसके लिये कई रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं:

1. नैतिक ढाँचा:

- **उपयोगितावाद:** यह अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण पर केंद्रित है, जिससे प्रशासकों को उन निर्णयों को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है जिनसे बहुसंख्यकों को लाभ होता है।
  - **उदाहरण:** एक सरकारी अधिकारी को यह तय करना होगा कि ऐसी विकास परियोजना को मंज़ूरी दी जाए या नहीं जिससे नौकरियाँ तो सृजित होंगी लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, अधिकारी सबसे नैतिक निर्णय लेने के लिये पर्यावरणीय लागतों के संदर्भ में परियोजना के आर्थिक लाभों पर विचार करेंगे।
- **डेनटोलॉजी:** इसमें नैतिक कर्त्तव्यों एवं सिद्धांतों के पालन पर बल दिया जाता है, जिससे प्रशासकों को परिणामों की परवाह किये बिना नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करने के लिये मार्गदर्शन मिलता है।
  - **उदाहरण:** एक पुलिस अधिकारी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें एक संदिग्ध अपराध कबूल करता हो लेकिन वह अधिकारी से इसकी रिपोर्ट न करने के लिये कहता हो। डेनटोलॉजी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, अधिकारी विधि को बनाए रखने को प्राथमिकता देगा, भले ही इससे संदिग्ध को नुकसान हो।

2. हितधारक परामर्श:

- **हितधारकों को शामिल करना:** हितधारकों के साथ परामर्श करने से उनके दृष्टिकोण और चिंताओं को समझने में मदद मिलती है, जिससे सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये जाते हैं।
- **पारदर्शिता:** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने से विश्वास बढ़ता है, जिससे नैतिक संघर्षों की संभावना कम हो जाती है।

3. नैतिक नेतृत्व:

- **उदाहरण स्थापित करना:** नैतिक नेतृत्व से नैतिक व्यवहार हेतु उदाहरण स्थापित होते हैं जिससे अन्य लोग इसका पालन करने के लिये प्रेरित होते हैं तथा संगठन के भीतर नैतिकता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
- **व्हिसलब्लोइंग:** जब कोई कर्मचारी किसी संगठन के भीतर अनैतिक प्रथाओं को उजागर करता है और उन्हें उचित अधिकारियों को रिपोर्ट करता है, तो इसे गलत कार्य को हल करने के क्रम में कार्रवाई करने की अभिक्षमता के साथ जोड़ा जाता है।
- **निर्णय लेने की रूपरेखा:** प्रशासकों को निर्णय लेने की रूपरेखा और दिशानिर्देश प्रदान करने से उन्हें नैतिक दुविधाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिल सकती है।

4. प्रशिक्षण और शिक्षा:

- **नैतिक प्रशिक्षण:** नैतिकता एवं निर्णय निर्माण के संबंध में नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने से प्रशासकों की नैतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ उन्हें संतुलित करने की क्षमता बढ़ सकती है।
- **केस अध्ययन:** वास्तविक जीवन के मामले के अध्ययन का विश्लेषण करने से प्रशासकों को नैतिक दुविधाओं को पहचानने तथा हल करने के क्रम में कौशल विकसित करने में मदद मिलती है।

5. समीक्षा तंत्र:

- **नैतिकता संबंधी समितियाँ:** नैतिक समितियों के गठन से जटिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिये एक मंच मिल सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निर्णय नैतिक रूप से सही हों।
- **ऑडिट और मूल्यांकन:** नियमित ऑडिट और निर्णयों के मूल्यांकन से किसी भी नैतिक अवहेलना की पहचान करने तथा उसे सुधारने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

निर्णय लेने में नैतिकता और अभिक्षमता के बीच परस्पर संबंध होता है, नैतिकता से प्रभावी निर्णय लेने के लिये आवश्यक व्यावहारिक विश्लेषण को सक्षम करने के क्रम में नैतिक आधार मिलता है। प्रशासनिक

परिदृश्यों में नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिये नैतिक ढाँचे के साथ हितधारक परामर्श, नैतिक नेतृत्व, प्रशिक्षण एवं समीक्षा तंत्र के संयोजन की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय नैतिक रूप से सुदृढ़ और व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य हों।

Q59. शासन में AI प्रौद्योगिकी के नैतिक निहितार्थों पर चर्चा करते हुए इसकी पूर्वाग्रही और भेदभावकारी क्षमता पर प्रकाश डालिये। AI के नैतिक कार्यान्वयन हेतु समाधान बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उत्तर की शुरुआत AI तकनीक के परिचय के साथ कीजिये।
- शासन में AI प्रौद्योगिकी के नैतिक निहितार्थ बताइये।
- नैतिक AI कार्यान्वयन के समाधानों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों, विशेषकर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव खुफिया प्रक्रियाओं के अनुकरण को संदर्भित करता है। इन प्रक्रियाओं में सीखना (सूचना का अधिग्रहण एवं जानकारी का उपयोग करने के नियम), तर्क करना (अनुमानित या निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचने के लिये नियमों का उपयोग करना) और आत्म-सुधार शामिल हैं।

मुख्य भाग:

शासन में AI के नैतिक निहितार्थ:

- **डेटा में पूर्वाग्रह:**
  - AI सिस्टम प्रशिक्षण के लिये बड़ी मात्रा में डेटा पर निर्भर करते हैं। हालाँकि यदि उपयोग किया गया डेटा पक्षपातपूर्ण है, तो AI एल्गोरिदम समाज में मौजूद वर्तमान पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है और बढ़ा भी सकता है।
  - उदाहरण के लिये चेहरे की पहचान एल्गोरिदम को असंतुलित प्रशिक्षण डेटा के कारण नस्लीय और लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते पाया गया है।
- **अमेज़न की भर्ती एआई:** अमेज़न ने वर्ष 2018 में AI भर्ती उपकरण को यह पता लगाने के बाद रद्द कर दिया कि यह महिला उम्मीदवारों को व्यवस्थित रूप से डाउनग्रेड करके लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। एल्गोरिदम को मुख्य रूप से पुरुष बायोडाटा पर प्रशिक्षित किया गया था, जिससे पक्षपातपूर्ण परिणाम सामने आए।
- **भेदभावपूर्ण परिणाम:**
  - **AI**-संचालित निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ भेदभावपूर्ण परिणामों को जन्म दे सकती हैं, जैसे कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जहाँ अल्पसंख्यक समुदायों को असमान रूप से लक्षित करने के लिये पूर्वानुमानित एल्गोरिदम की आलोचना की गई है।
- **प्रोपब्लिका का कंपास का विश्लेषण:** अमेरिकी आपराधिक न्याय प्रणाली में उपयोग किये जाने वाले कंपास एल्गोरिदम में प्रोपब्लिका की जाँच से महत्त्वपूर्ण नस्लीय पूर्वाग्रहों का पता चला, अफ्रीकी अमेरिकी प्रतिवादियों को उनके समकक्षों की तुलना में उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किये जाने की अधिक संभावना है।
- **पारदर्शिता की कमी:**
  - **AI** एल्गोरिदम की जटिलता के परिणामस्वरूप प्राय: पारदर्शिता की कमी होती है, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि निर्णय कैसे लिये जाते हैं।
  - पारदर्शिता की कमी जवाबदेहिता में बाधा डाल सकती है और निष्पक्षता तथा न्याय के बारे में चिंताओं को बढ़ा सकती है।
- **सुरक्षा चिंता:**
  - **AI** प्रौद्योगिकियों को प्राय: बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच की आवश्यकता होती है, जिससे महत्त्वपूर्ण गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
  - इस डेटा की अनधिकृत पहुँच या दुरुपयोग व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है।
- **कैलिफोर्निया में चेहरे की पहचान पर प्रतिबंध:** वर्ष 2020 में कैलिफोर्निया पुलिस बॉडी कैमरों में चेहरे की पहचान तकनीक के उपयोग पर तीन वर्ष के लिये प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया। यह निर्णय गोपनीयता के उल्लंघन और चेहरे की पहचान एल्गोरिदम में संभावित पूर्वाग्रहों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिये किया गया था।

नैतिक AI कार्यान्वयन के लिये संभावित समाधान:

- **पूर्वाग्रह शमन तकनीक:**
  - डेटा प्रीप्रोसेसिंग, एल्गोरिदम ऑडिटिंग और प्रशिक्षण डेटासेट में विविधता लाने जैसी तकनीकों को लागू करने से **AI** सिस्टम में पूर्वाग्रह को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - उदाहरण के लिये आईबीएम जैसी कंपनियों ने एआई मॉडल में पूर्वाग्रह का पता लगाने और उसे कम करने के लिये उपकरण विकसित किये हैं।
- **पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता:**
  - **AI** एल्गोरिदम में पारदर्शिता एवं व्याख्या सुनिश्चित करने से जवाबदेहिता और विश्वास बढ़ सकता है।
  - सरकारें **AI** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के प्रकटीकरण को अनिवार्य कर सकती हैं और व्यक्तियों को एल्गोरिदम निर्णयों को समझने एवं उनका सामना करने के लिये अवसर प्रदान कर सकती हैं।

- **नैतिक दिशानिर्देश और मानक:**
  - AI कार्यान्वयन के लिये नैतिक दिशा-निर्देश एवं मानक विकसित करना तथा लागू करना महत्त्वपूर्ण है।
  - IEEE और EU जैसे संगठनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं स्वायत्त प्रणालियों में नैतिक विचारों के लिये IEEE ग्लोबल इनिशिएटिव तथा भरोसेमंद AI के लिये EU के नैतिक दिशा-निर्देशों जैसे ढाँचे का प्रस्ताव दिया है।
- **विविध हितधारक जुड़ाव:**
  - AI सिस्टम के डिज़ाइन, विकास एवं तैनाती में नैतिकतावादियों, नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकीविदों और प्रभावित समुदायों सहित विविध हितधारकों को शामिल करने से कई दृष्टिकोणों से नैतिक चिंताओं को पहचानने तथा संबोधित करने में मदद मिल सकती है।
- **नियामक निरीक्षण:**
  - सरकारों को शासन में AI के उपयोग को नियंत्रित करने के लिये मज़बूत नियामक ढाँचे स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - इसमें AI सिस्टम की निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के मूल्यांकन के लिये तंत्र के साथ-साथ गैर-अनुपालन हेतु दंड का प्रावधान भी है।

निष्कर्ष:

निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिये शासन में AI प्रौद्योगिकी की तैनाती में नैतिक विचार सर्वोपरि हैं। पूर्वाग्रह शमन तकनीकों को लागू करके, पारदर्शिता और व्याख्या को बढ़ावा देकर, नैतिक दिशा-निर्देश स्थापित करके, विविध हितधारकों को शामिल करके तथा नियामक निरीक्षण को लागू करके, सरकारें सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के लिये इसकी क्षमता का उपयोग करते हुए AI की नैतिक जटिलताओं को दूर कर सकती हैं।

Q60. लोक प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में व्हिसलब्लोइंग की भूमिका का विश्लेषण करते हुए इसके नैतिक एवं विधिक आयामों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- व्हिसलब्लोइंग का परिचय देकर उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मुखबिरी की भूमिका का वर्णन कीजिये।
- इसके नैतिक और कानूनी आयामों का मूल्यांकन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

व्हिसलब्लोइंग, किसी संगठन के भीतर अवैध, अनैतिक या हानिकारक गतिविधियों के बारे में जानकारी का खुलासा करने का कार्य, लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- भारत में व्हिसिलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 ने भ्रष्टाचार के कृत्यों, शक्ति या विवेक के जानबूझकर दुरुपयोग, या लोक सेवकों द्वारा आपराधिक अपराधों के विरुद्ध लोक हित के खुलासे करने और पूछताछ करने के लिये एक तंत्र स्थापित किया।

मुख्य भाग:

- **पारदर्शिता को बढ़ावा देना:**
  - लोक प्रशासन के भीतर छिपी सच्चाइयों को उजागर करने के लिये व्हिसलब्लोइंग एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या कदाचार को उजागर करके, व्हिसलब्लोअर गुप्त गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं जो पारदर्शिता के सिद्धांतों को कमज़ोर करते हैं।
  - उदाहरण के लिये NSA द्वारा बड़े पैमाने पर निगरानी के बारे में एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे ने गोपनीयता में सरकारी घुसपैठ की सीमा का खुलासा किया, जिससे निगरानी नैतिकता पर वैश्विक स्तर पर बहस छिड़ गई।
- **जवाबदेहिता को बढ़ावा देना:**
  - जवाबदेहिता प्रभावी शासन के मूल में निहित है। व्हिसलब्लोइंग सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का काम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाए।
  - वाटरगेट कांड जैसे मामले, जहाँ व्हिसलब्लोअर ने राजनीतिक कदाचार को उजागर किया जिसके कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, नेताओं को जवाबदेह ठहराने में व्हिसिलब्लोइंग की महत्त्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं।
- **नैतिक आयाम:**
  - नैतिक विचार मुखबिरी की कार्रवाइयों को रेखांकित करते हैं। व्हिसलब्लोअर्स को प्राय: नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जो अपने संगठन के प्रति वफादारी और दोषपूर्ण कृत्य का खुलासा करने के नैतिक कर्त्तव्य के बीच उलझे रहते हैं।
  - उपयोगितावाद का नैतिक सिद्धांत, जो वृहद स्तर पर हित को प्राथमिकता देता है, जब यह लोक हित की सेवा करता है और मुखबिरी का समर्थन करता है, भले ही यह संगठनात्मक वफादारी के विपरीत हो।
- **कानूनी आयाम:**
  - मुखबिरों के लिये कानूनी सुरक्षा विभिन्न न्यायालयों में भिन्न-भिन्न होती है। जबकि कुछ देशों में मज़बूत व्हिसिलब्लोअर संरक्षण कानून हैं, दूसरों में पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव है, जिससे व्हिसलब्लोअर प्रतिशोध के प्रति संवेदनशील रहते हैं।

- उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघीय कर्मचारियों को प्रतिशोध से बचाने के लिये व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 1989 लागू किया, जिससे दोषपूर्ण कामों के खुलासे को बढ़ावा मिला।

- **चुनौतियाँ और जोखिम:**
  - मुखबिरी में अंतर्निहित जोखिम एवं चुनौतियाँ शामिल हैं। व्हिसलब्लोअर्स को प्राय: प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है, जिसमें उत्पीड़न से लेकर समाप्ति तक, उनके कॅरियर और आजीविका को खतरे में डालना शामिल है।
  - चेल्सी मैनिंग का मामला, जिसे युद्ध अपराधों को उजागर करने वाले वर्गीकृत दस्तावेज़ों को लीक करने के लिये कारावास का सामना करना पड़ा, व्हिसलब्लोअर के व्यक्तिगत बलिदान को रेखांकित करता है।
- **संस्थागत प्रतिक्रियाएँ:**
  - प्रभावी व्हिसलब्लोइंग तंत्र को संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है। संगठनों को कदाचार की रिपोर्ट करने के लिये गोपनीयता और गैर-प्रतिशोध के आश्वासन के साथ स्पष्ट नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये कॉर्पोरेट सेटिंग्स में व्हिसलब्लोअर हॉटलाइन की स्थापना कर्मचारियों को गुमनाम रूप से दोषपूर्ण काम की रिपोर्ट करने के लिये एक सुरक्षित चैनल प्रदान करती है।
- **सार्वजनिक धारणा और प्रभाव:**
  - व्हिसिलब्लोअर्स के बारे में सार्वजनिक धारणा व्यापक रूप से भिन्न होती है, जो सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। जबकि कुछ लोग व्हिसिलब्लोअर्स को साहसी सत्य-शोधक के रूप में देखते हैं, अन्य लोग उन्हें गद्दार या उपद्रवी के रूप में देखते हैं।
  - मीडिया में व्हिसलब्लोअर्स का चित्रण जनता की राय को आकार दे सकता है और नीतिगत प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है, जो व्हिसलब्लोइंग, मीडिया एवं सार्वजनिक भाषण के बीच अंतर्संबंध को उजागर करता है।
- **वैश्विक परिप्रेक्ष्य:**
  - शासन और जवाबदेहिता पर वैश्विक प्रभाव के साथ, व्हिसलब्लोइंग राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्हिसलब्लोअर सुरक्षा का समर्थन करने और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - विकीलीक्स जैसे प्लेटफॉर्मों का उद्भव, जो वर्गीकृत जानकारी के गुमनाम प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करता है, व्हिसलब्लोइंग सक्रियता की वैश्विक पहुँच को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष:

व्हिसलब्लोइंग नैतिक, कानूनी और व्यावहारिक आयामों से परे, लोक प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देने के लिये व्हिसिलब्लोअर के अधिकारों एवं सुरक्षा को बरकरार रखना अनिवार्य है। एडवर्ड स्नोडेन, चेल्सी मैनिंग और वाटरगेट कांड जैसे उदाहरण लोक परिचर्चा एवं जवाबदेहिता पर व्हिसिलब्लोइंग के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

Q61. लोक सेवकों के बीच सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास नागरिकों की ज़रूरतों एवं चिंताओं को हल करने के क्रम में उनकी प्रभावशीलता को किस प्रकार बढ़ा सकता है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- सकारात्मक अभिवृत्ति का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि किस प्रकार लोक सेवकों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से नागरिकों की ज़रूरतों एवं चिंताओं को हल करने में उनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है।
- कीवर्ड की आवश्यकता के अनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

प्रभावी शासन के लिये लोक सेवकों के बीच सकारात्मक अभिवृत्ति महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके व्यवहार, निर्णय निर्माण एवं नागरिकों के साथ बातचीत को प्रभावित करता है। यह रवैया उनकी प्रतिबद्धता, सहानुभूति एवं लोक हित की सेवा करने की इच्छा में परिलक्षित होता है।

मुख्य भाग:

सेवा वितरण का उन्नत होना:

- **बेहतर प्रतिक्रियाशीलता:**
  - सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोक सेवकों की नागरिकों के प्रश्नों, शिकायतों एवं अनुरोधों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की अधिक संभावना होती है, जिससे सेवा वितरण में सुधार होता है।
  - उदाहरण के लिये सिंगापुर में सिविल सर्विस कॉलेज द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्त्व पर बल दिये जाने से नागरिक संतुष्टि का उच्च स्तर प्राप्त होता है।
- **जवाबदेहिता:**
  - सकारात्मक अभिवृत्ति से लोक सेवकों के बीच जवाबदेहिता की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे वे विभिन्न मुद्दों को हल करने में अधिक सक्रिय हो जाते हैं और इससे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

- इसे भारत के गुजरात में "सेवा सेतु" कार्यक्रम में देखा जा सकता है, जहाँ सरकारी अधिकारी नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिये गाँवों का दौरा करते हैं।

नीति कार्यान्वयन का उन्नत होना:

- **प्रभावी संचार:**
  - सकारात्मक अभिवृत्ति, लोक सेवकों को नीतियों और कार्यक्रमों को नागरिकों तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के साथ समझ एवं सहयोग को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है।
  - उदाहरण के लिये भारत में "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना", जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना है, लोक सेवकों के प्रभावी संचार के कारण सफल रही है।
- **अभिनव समस्या-समाधान:**
  - सकारात्मक अभिवृत्ति वाले लोक सेवक जटिल मुद्दों के रचनात्मक समाधान खोजने, नवीन समस्या-समाधान में संलग्न होने की अधिक संभावना रखते हैं।
  - भारत में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान, जिसका उद्देश्य लैंगिक विषमता को हल करना है, को लोक सेवकों द्वारा अपनाए गए नवीन दृष्टिकोणों के कारण सफलता मिली है।

लोक विश्वास को बढ़ावा मिलना:

- **विश्वास निर्माण:**
  - एक सकारात्मक अभिवृत्ति, लोक सेवकों और नागरिकों के बीच विश्वास बनाने में मदद करती है, जिससे सरकारी पहलों हेतु सहयोग एवं समर्थन बढ़ता है।
  - उदाहरण के लिये, न्यूज़ीलैंड में "कीवी कैन" कार्यक्रम युवा लोगों के बीच सकारात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देता है, जिससे बेहतर सामुदायिक समन्वय के साथ सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास उत्पन्न होता है।
- **भ्रष्टाचार में कमी:**
  - सकारात्मक अभिवृत्ति से लोक सेवकों के बीच भ्रष्ट आचरण की संभावना में कमी आती है, क्योंकि वे व्यक्तिगत लाभ के बजाय लोक हित पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, हॉन्ग-कॉन्ग का स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (ICAC) सार्वजनिक क्षेत्र में ईमानदारी और जवाबदेही को बनाए रखता है, जो सिविल सेवकों की सकारात्मक अभिवृत्ति से समर्थित है।

निष्कर्ष:

नागरिकों की ज़रूरतों और चिंताओं को हल करने में प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये लोक सेवकों के बीच सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास आवश्यक है। इससे सेवा वितरण में सुधार के साथ नीति कार्यान्वयन में सुधार होता है। सरकारों को प्रभावी प्रशासन एवं नागरिक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिये लोक सेवकों के बीच सकारात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं पहलों में निवेश करना चाहिये।

Q62. वर्तमान संदर्भ में यह उद्धरण आपको क्या संदेश देता है? हमारा विश्व, एक साझा विश्व है। इसमें हर किसी को साझा ज़िम्मेदारी का बोध होना चाहिये"- बान की-मून

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- साझा ज़िम्मेदारी का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- स्पष्ट कीजिये कि किस प्रकार साझा ज़िम्मेदारी वैश्विक अंतर्संबंध एवं पर्यावरण संरक्षण की ओर ले जाती है।
- वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के साथ मानवीय सहायता और विकास में इसके योगदान का विश्लेषण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

बान की-मून का उपर्युक्त उद्धरण वैश्विक नागरिकता की अवधारणा एवं हमारे ग्रह के प्रति साझा ज़िम्मेदारी पर बल देता है। यह भावना "वसुधैव कुटुंबकम" के विचार से संबंधित है, जिसका तात्पर्य है कि "विश्व एक परिवार है।" यह सभी लोगों और राष्ट्रों के परस्पर समन्वय को रेखांकित करने के साथ सहयोग एवं पारस्परिक सम्मान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

मुख्य भाग:

- **पर्यावरणीय चुनौतियाँ:**
  - जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई और जैवविविधता क्षरण का समाधान साझा ज़िम्मेदारी से किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण है।
- **साझा ज़िम्मेदारी:**
  - हम सभी की ज़िम्मेदारी है कि पृथ्वी की रक्षा करें एवं भावी पीढ़ियों के लिये इसकी स्थिरता सुनिश्चित करें।
  - यह विचार "वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर" की अवधारणा में भी परिलक्षित होता है, जो जलवायु परिवर्तन, गरीबी एवं असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देता है।
- **परस्पर आर्थिक निर्भरता:**
  - व्यापार, निवेश एवं वित्तीय प्रणालियाँ राष्ट्रों को एक साथ लाती

हैं, जिससे आर्थिक असमानताओं को दूर करने एवं समान विकास सुनिश्चित करने के लिये सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) विवादों को सुलझाने और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के साथ आर्थिक विकास की समझ को बढ़ावा देने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।

- **सामाजिक न्याय:**
  - गरीबी, असमानता, भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे मुद्दों के लिये मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा एवं समावेशिता को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
  - मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जैसी पहल मानवीय गरिमा को बनाए रखने एवं एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:**
  - स्वास्थ्य सेवा सीमाओं से परे है, जिससे यह हमारे जीवन का एक सर्वोत्कृष्ट पहलू बन गया है। महामारी, संक्रामक रोग एवं स्वास्थ्य संकट वैश्विक स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को रेखांकित करता हैं।
  - कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये वैक्सीन वितरण, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढाँचे एवं महामारी की तैयारियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
- **सांस्कृतिक विनियमन:**
  - सांस्कृतिक विनियमन कार्यक्रम, विरासत संरक्षण और अंतर-सांस्कृतिक संवाद विविधता के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने एवं मतभेदों को दूर करने के साथ साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देते हैं।
  - यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भू-राजनीतिक सीमाओं से परे, हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत की मूर्त अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी प्रगति:**
  - डिजिटल क्रांति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं अंतरिक्ष अन्वेषण व्यक्तिगत हितों से परे वैश्विक प्रयासों का उदाहरण है।
  - अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) जैसे मंच ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने तथा मानव ज्ञान को उन्नत बनाने के उद्देश्य से सहयोगात्मक वैज्ञानिक प्रयासों का प्रतीक हैं।
- **युद्ध को रोकना:**
  - कूटनीति, शांति स्थापना अभियान और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ विवादों को सुलझाने तथा शांति को बढ़ावा देने के लिये एक तंत्र के रूप में कार्य करती हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र शांति सेना विश्व स्तर पर स्थिरता बनाए रखने एवं शांति और सुरक्षा के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये सामूहिक प्रयासों का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

निष्कर्ष:

पर्यावरण संरक्षण से लेकर सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य सेवा के बीच परस्पर संबद्धता एवं लोगों के कल्याण के प्रति हमारी साझा ज़िम्मेदारी निर्णायक है। साझा ज़िम्मेदारी को अपनाते हुए हमें सहयोगात्मक प्रयासों के साथ आगे बढ़ना चाहिये जिससे हमारे साझा भविष्य को आकार मिल सके।

Q63. सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में कॉर्पोरेट लॉबिंग के नैतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। ऐसे विमर्श में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- कॉर्पोरेट लॉबिंग शब्द का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में कॉर्पोरेट लॉबिंग के नैतिक निहितार्थों का वर्णन कीजिये।
- कॉर्पोरेट लॉबिंग में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

कॉर्पोरेट लॉबिंग (निगम के हितों को लाभ पहुँचने के लिये सरकारी निर्णयों, नीतियों एवं विनियमों को प्रभावित करने की प्रणाली) से प्रमुख नैतिक चिंताओं को जन्म मिलता है। व्यवसायों के लिये लॉबिंग, चिंताओं को व्यक्त करने का एक वैध तरीका हो सकता है लेकिन नीति निर्माताओं पर शक्तिशाली निगमों के अनुचित प्रभाव से ऐसी नीतियों को जन्म मिल सकता है जिससे सार्वजनिक कल्याण की तुलना में निगम के लाभ को प्राथमिकता मिलती हो।

मुख्य भाग:

कॉर्पोरेट लॉबिंग के नैतिक निहितार्थ:

- **असमानता और अनुचित लाभ:**
  - पर्याप्त संसाधनों वाले निगम अपने हित में लॉबिंग कर सकते हैं, जिससे असमानता बढ़ने के साथ सक्षम लोगों का प्रभाव अधिक हो सकता है।
  - इस असमानता के परिणामस्वरूप ऐसी नीतियाँ बन सकती हैं जो छोटे व्यवसायों के साथ आम लोगों की कीमतों पर निगमों को लाभ पहुँचाती हों।

- **हितों का टकराव:**
  - कॉरपोरेट लॉबिस्ट अक्सर सरकारी पदों एवं निजी क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, जिससे हितों के टकराव की चिंता बढ़ जाती है।
  - इससे निर्णय निर्माता लोगों के कल्याण के बजाय कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे लोगों का सरकारी संस्थानों पर भरोसा कम हो सकता है।
- **लोकतंत्र का कमज़ोर होना:**
  - कॉर्पोरेट क्षेत्रक के अधिक प्रभाव से व्यापक लोक हित के बजाय, संकीर्ण कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में नीतिगत परिणाम रहने से लोकतांत्रिक सिद्धांत कमज़ोर हो सकते हैं।
  - इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के विश्वास में कमी आने के साथ यह धारणा बन सकती है कि सरकार, लोगों के हितों के बजाय कॉर्पोरेट हितों पर ध्यान देती है।
- **लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रभाव:**
  - तंबाकू, फार्मास्यूटिकल्स और जीवाश्म ईंधन जैसे उद्योगों के लॉबिंग प्रयासों को लोक स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली नीतियों से जोड़ा गया है।
  - उदाहरण के लिये, सख्त नियमों के खिलाफ तंबाकू उद्योग के लॉबिंग प्रयासों को धूम्रपान की बढ़ती दरों के साथ संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों से जोड़ा गया है।

पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के उपाय:

- **अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ:**
  - सरकार द्वारा निगमों की लॉबिंग गतिविधियों को पारदर्शी करने का प्रावधान किया जा सकता है, जिसमें वे मुद्दे (जिन पर लॉबिंग की जा रही है) और वे संसाधन (इन प्रयासों के लिये समर्पित) भी शामिल हैं।
  - इस पारदर्शिता से हितों के संभावित टकराव की पहचान करने में मदद मिलने के साथ यह सुनिश्चित हो सकता है कि लॉबिंग गतिविधियाँ नैतिक रूप से संचालित हों।
  - Google द्वारा पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिससे उसकी लॉबिंग गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी (संबंधित मुद्दों एवं खर्च की गई राशि) मिलती है।
    - पारदर्शिता के इस स्तर से लोगों के बीच विश्वास हासिल करने में मदद मिलने के साथ नैतिक पैरवी प्रथाओं के प्रति निगम की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।
- **लॉबिंग गतिविधियों का विनियमन:**
  - ऐसे नियमों को लागू किया जाना चाहिये जो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के प्रभाव को सीमित करते हैं, जैसे कि खर्च पर सीमा या नीति निर्माताओं को उपहार देने पर प्रतिबंध लगाना।
  - इससे निगमों के बीच संतुलन बनाने के साथ अनुचित प्रभाव के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **स्वतंत्र निरीक्षण और निगरानी:**
  - लॉबिंग गतिविधियों की निगरानी करने एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की स्थापना करनी चाहिये।
  - ये निकाय अनैतिक व्यवहार की शिकायतों की जाँच करने के साथ उल्लंघन के लिये दंड आरोपित कर सकते हैं।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावित, हॉनेस्ट एड एक्ट का उद्देश्य ऑनलाइन राजनीतिक विज्ञापन में पारदर्शिता बढ़ाना है।
    - इस अधिनियम द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों तथा उनके पीछे की संस्थाओं का सार्वजनिक डेटाबेस बनाए रखने के लिये ऑनलाइन प्लेटफार्म को आवश्यक बनाया गया है, जिससे चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने में मदद मिल सके।
- **नैतिक प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश:**
  - नैतिक मुद्दों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये नीति निर्माताओं तथा संबंधित हितधारकों को नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिये।
  - लॉबिंग गतिविधियों के लिये नैतिक दिशा-निर्देशों को विकसित एवं लागू करना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संगठन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हों।

निष्कर्ष:

हालाँकि कॉर्पोरेट लॉबिंग नीति निर्माण प्रक्रिया में एक वैध भूमिका निभा सकती है, लेकिन इससे जुड़ी नैतिक चिंताओं को दूर करना आवश्यक है। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करके सरकारें, कॉर्पोरेट लॉबिंग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना सुनिश्चित कर सकती हैं।

Q64. जनमत एवं राजनीतिक विमर्श को आकार देने में सोशल मीडिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। नैतिक मानकों को बनाए रखने के क्रम में इसके दुरुपयोग को किस प्रकार कम किया जा सकता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सोशल मीडिया के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- जनमत एवं राजनीतिक विमर्श को आकार देने में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये सोशल मीडिया के दुरुपयोग को कम करने पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

समकालीन समाज में जनमत तथा राजनीतिक विमर्श को आकार देने में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। अपनी व्यापक पहुँच के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोक भावनाओं को प्रभावित करने के साथ राजनीतिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य भाग:

जनमत को आकार देना:

- **दृष्टिकोण पर प्रभाव:**
  - सोशल मीडिया प्लेटफार्म ऐसे आभासी मंचों के रूप में कार्य करते हैं जहाँ व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करने एवं जानकारी साझा करने के साथ विमर्श में शामिल होते हैं।
  - ये अंत:क्रियाएँ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों के प्रति धारणाओं और दृष्टिकोणों को आकार देकर जनमत के निर्धारण में योगदान करती हैं।
- लोगों की आकाँक्षाओं को प्रबल करना:
  - सोशल मीडिया द्वारा हाशिए पर स्थित समुदायों को अपनी आकाँक्षाओं को व्यक्त करने का मंच मिलता है, जिससे प्रासंगिक मुद्दों पर उन्हें अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलता है।
  - #ब्लैकलाइव्समैटर और #मीटू जैसे आंदोलनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रणालीगत अन्याय को उजागर करने के साथ सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में भूमिका निभाई।
- **वास्तविक समय सूचना प्राप्त होना:**
  - सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का तीव्र प्रसार होता है, जिससे नागरिकों को वास्तविक समय में वर्तमान घटनाओं एवं राजनीतिक विकास के बारे में सूचित रहने में मदद मिलती है।
  - इससे सार्वजनिक चर्चा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी की सुविधा मिलती है।

राजनीतिक विचार-विमर्श:

- **संवाद का लोकतंत्रीकरण:**
  - सोशल मीडिया, संचार की पारंपरिक बाधाओं को तोड़कर राजनीतिक विचार-विमर्श का लोकतंत्रीकरण करता है।
  - इससे राजनेताओं एवं लोगों के बीच प्रत्यक्ष जुड़ाव सक्षम होने के साथ शासन में संवादात्मक संवाद और पारदर्शिता बढ़ती है।
- **प्रचार और लामबंदी:**
  - राजनेता प्रचार एवं समर्थन जुटाने के लिये सोशल मीडिया का रणनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं।
  - ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म वर्चुअल कैंपेन ट्रेल के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ उम्मीदवार अधिक लोगों तक तक पहुँच सकते हैं।
- **एजेंडा निर्धारण:**
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक एजेंडा तय करने के साथ सार्वजनिक बहस में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर विषय-वस्तु की लोकप्रियता से पता चलता है कि कौन से मुद्दे ध्यान आकर्षित करते हैं तथा उन्हें मीडिया में कैसे चित्रित किया जाता है।

दुरुपयोग को कम करने के उपाय:

- **तथ्य-जाँच प्रणाली:**
  - मज़बूत तथ्य-जाँच प्रणाली को लागू करने से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर गलत सूचना और दुष्प्रचार का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है।
  - तकनीकी कंपनियों, स्वतंत्र तथ्य-जाँचकर्त्ताओं एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग से ऑनलाइन साझा की गई विषय-वस्तु की सटीकता को सत्यापित किया जा सकता है।
- **सुदृढ़ीकरण विनियम:**
  - सरकारों और नियामक निकायों को हानिकारक विषय-वस्तु के प्रसार को कम करने के लिये सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाने हेतु कानून बनाना एवं लागू करना चाहिये।
  - यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) जैसे उपायों का उद्देश्य उपयोगकर्त्ता की गोपनीयता की रक्षा करना तथा ऑनलाइन दुरुपयोग से निपटना है।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना:**
  - डिजिटल साक्षरता पहल में निवेश करने से उपयोगकर्त्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने हेतु सशक्त बनाया जा सकता है।
  - व्यक्तियों को मीडिया साक्षरता, स्रोत मूल्यांकन एवं ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने से उन्हें डिजिटल परिदृश्य को ज़िम्मेदारी से समझने में मदद मिल सकती है।

नैतिक मानकों को कायम रखना:

- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता:**
  - सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी विषय-वस्तु मॉडरेशन प्रथाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - स्पष्ट दिशा-निर्देश, अपील प्रक्रियाएँ और प्रवर्तन कार्रवाइयों पर नियमित रिपोर्टिंग से विश्वास को बढ़ावा मिलने के साथ नैतिक मानकों को बनाए रखा जा सकता है।
- **नैतिक डिज़ाइन सिद्धांत:**
  - नैतिक डिज़ाइन सिद्धांतों को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म सहभागिता मेट्रिक्स पर उपयोगकर्त्ता के कल्याण के साथ सामाजिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं।

- एल्गोरिथम पारदर्शिता, सामग्री प्रदर्शन पर उपयोगकर्त्ता नियंत्रण तथा डेटा संग्रह पर सीमाओं से इसके नैतिक उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

- **सहयोगात्मक प्रयास:**
  - सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, तकनीकी कंपनियों एवं उपयोगकर्त्ताओं सहित हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।
  - बहुहितधारक संवाद एवं साझेदारियाँ ज़िम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देने के लिये समग्र समाधानों के विकास की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

सोशल मीडिया का प्रभाव जनमत एवं राजनीतिक विमर्श के साथ सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है। हालाँकि सकारात्मक प्रभाव की इसकी क्षमता निर्विवाद है लेकिन नैतिक मानकों को बनाए रखने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये सोशल मीडिया के दुरुपयोग को कम किया जाना आवश्यक है। गलत सूचना से निपटने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने तथा हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों को लागू करके, सामाजिक कल्याण हेतु सोशल मीडिया की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।

Q65. प्रभावी नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिये। समाज में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास और पोषण किस प्रकार किया जा सकता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- प्रभावी नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि व्यक्तियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे विकसित और पोषित की जा सकती है।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) (जिसे अक्सर इमोशनल कोशेंट (EQ) के रूप में जाना जाता है) स्वयं और दूसरों में भावनाओं को प्रभावी ढंग से देखने, समझने, प्रबंधित करने एवं व्यक्त करने की क्षमता है। इसमें कौशल का एक समूह शामिल है जो व्यक्तियों को सामाजिक जटिलताओं से निपटने, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने, दूसरों के साथ समानुभूति रखने तथा विचारशील निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

मुख्य भाग :

नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व:

- **बेहतर पारस्परिक संबंध:** उच्च EI वाले नेतृत्वकर्त्ता अपनी टीम के सदस्यों के साथ समानुभूति रख सकते हैं, जिससे टीम के भीतर मज़बूत संबंध, विश्वास और सहयोग स्थापित होता है।
- **प्रभावी संचार:** EI, नेतृत्वकर्त्ताओं को उनके संदेशों की भावनात्मक सूक्ष्मताओं को समझने के साथ उनके प्रेषण को समायोजित करके प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है, जिससे स्पष्ट एवं प्रभावशाली संचार होता है।
- **संघर्ष समाधान:** उच्च EI वाले नेतृत्वकर्त्ता परस्पर विरोधी पक्षों के साथ समानुभूति रखकर, अंतर्निहित भावनाओं को समझकर एवं प्रभावी संचार तथा बातचीत के माध्यम से समाधान की सुविधा प्रदान करके रचनात्मक रूप से संघर्षों का प्रबंधन कर सकते हैं।
- **निर्णय लेने की क्षमता:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेतृत्वकर्त्ताओं को न केवल तर्कसंगत कारकों बल्कि उनकी पसंद के भावनात्मक प्रभावों और परिणामों पर भी विचार करके अच्छी तरह से संतुलित निर्णय लेने की क्षमता से लैस करती है।
  - भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर डैनियल गोलेमैन के मौलिक कार्य ने नेतृत्व प्रभावशीलता में इसके महत्त्व पर प्रकाश डाला है।
- **अनुकूलन और तनाव प्रबंधन:** उच्च EI वाले नेतृत्वकर्त्ता चुनौतीपूर्ण समय के दौरान तनाव एवं असफलताओं का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने के साथ संयम बनाए रख सकते हैं तथा अपनी टीमों को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं।
  - गूगल ने पाया कि उसके सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले प्रबंधकों में EI का उच्च स्तर था, जिससे उन्हें अपने प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण को शामिल करने के लिये प्रेरणा मिली।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास और पोषण:

- **आत्म-जागरूकता:** नेतृत्वकर्त्ताओं को भावनाओं, शक्तियों, कमज़ोरियों एवं चुनौतियों को समझने के लिये आत्म-चिंतन तथा आत्मनिरीक्षण में संलग्न होने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। मेडिटेशन जैसे अभ्यास से आत्म-जागरूकता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **आत्म-नियमन:** नेतृत्वकर्त्ताओं को अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिये तनाव प्रबंधन तकनीकों, आवेग नियंत्रण तथा गहरी साँस लेने के व्यायाम के साथ संज्ञानात्मक रीफ्रेमिंग जैसी भावनात्मक विनियमन रणनीतियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है।
- **समानुभूति:** विभिन्न दृष्टिकोणों, सक्रिय श्रवण तथा समानुभूति को बढ़ावा देने के माध्यम से नेतृत्वकर्त्ताओं को दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उन्हें मान्यता देने की प्रेरणा मिलती है।

- दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से लोकतंत्र की ओर संक्रमण के दौरान मंडेला का असाधारण नेतृत्व प्रतिकूल परिस्थितियों में मेल-मिलाप, समानुभूति तथा अनुकूलन को बढ़ावा देने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शक्ति का परिचायक है।

- **सामाजिक कौशल:** नेटवर्किंग, टीम वर्क और मेंटरशिप के साथ-साथ प्रभावी संचार, संघर्ष समाधान तथा विमर्श तकनीकों में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के क्रम में नेतृत्वकर्त्ताओं के सामाजिक कौशल का विकास करना आवश्यक है।
  - अपनी प्रसिद्ध तकनीकी प्रतिभा के बावजूद, एप्पल में स्टीव जॉब्स के नेतृत्व की सफलता का श्रेय कुछ हद तक उनकी उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता (विशेष रूप से अपने जुनून एवं दूरदर्शिता के माध्यम से अपनी टीम को प्रेरित करने की उनकी क्षमता) दिया जा सकता है।
- **निरंतर सीखने की प्रक्रिया एवं प्रतिक्रिया:** निरंतर सीखने की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया की संस्कृति को प्रोत्साहित करना आवश्यक है जिससे नेतृत्वकर्त्ताओं को उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता दक्षताओं पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रभावी नेतृत्व में बहुआयामी भूमिका है। इससे पारस्परिक संबंध, संचार, निर्णय लेने की क्षमता, संघर्ष समाधान तथा अनुकूलन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। आत्म-जागरूकता, आत्म-नियमन, समानुभूति, सामाजिक कौशल तथा निरंतर सीखने के माध्यम से व्यक्तियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पोषण करके, वर्तमान के जटिल और गतिशील विश्व में सकारात्मक दृष्टिकोण वाले नेतृत्वकर्त्ताओं की एक नई पीढ़ी का विकास हो सकता है।

Q66. शासन में नैतिकता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इससे लोक प्रशासन में जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित होती है? उदाहरण सहित समझाइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण :
- नैतिकता/ईमानदारी का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- शासन में सत्यनिष्ठा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।
- मूल्यांकन कीजिये कि इससे लोक प्रशासन में जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित होती है।
- यथोचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शासन में ईमानदारी का तात्पर्य सत्ता के पदों पर बैठे लोगों द्वारा निर्णय निर्माण तथा कार्यों में उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखने के साथ ईमानदारी के पालन से है। सरकार में लोगों का विश्वास बनाए रखने तथा सार्वजनिक प्रशासन की कुशल कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है।

मुख्य भाग:

शासन में ईमानदारी का महत्त्व:

- **नैतिक मानकों को बनाए रखना:**
  - ईमानदारी से यह सुनिश्चित होता है कि लोक अधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नैतिक मानकों का पालन करते हैं, जिससे शासन में निष्पक्षता तथा न्याय को बढ़ावा मिल सके।
  - इसमें हितों के टकराव से बचना, निष्पक्षता तथा विधि का शासन बनाए रखना शामिल है।
- **जन विश्वास का निर्माण:**
  - अपनी ईमानदारी के लिये जानी जाने वाली सरकार अपने नागरिकों का भरोसा और विश्वास हासिल करती है, जिससे उसके कार्यों की वैधता बढ़ती है।
  - जब नागरिकों को विश्वास होता है कि लोक अधिकारी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने तथा सरकारी नीतियों का अनुपालन करने की अधिक संभावना होती है।
    - भारत में सत्यम घोटाले ने शासन में ईमानदारी के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। इसमें सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन द्वारा राजस्व और मुनाफा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिये खातों में हेरा-फेरी करना शामिल था।
- **भ्रष्टाचार पर अंकुश:**
  - ईमानदारी, जवाबदेहिता की संस्कृति का निर्माण करके भ्रष्टाचार को रोकने में भूमिका निभाती है।
  - जब लोक अधिकारियों द्वारा उच्च नैतिक मानकों को अपनाया जाता है, तो उनके रिश्वतखोरी, गबन या भाई-भतीजावाद जैसी भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने की संभावना कम होती है।
    - भारत में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना का उद्देश्य लोक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करके शासन में ईमानदारी बढ़ाना है।

जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना:

- **पारदर्शिता:**
  - ईमानदारी से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आती है। उदाहरण के लिये, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने के साथ लोक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह बनाने में मदद की है।
    - ई-गवर्नेंस पहल (जैसे सरकारी सेवाओं और ई-खरीद के लिये ऑनलाइन पोर्टल) से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने के साथ नागरिकों एवं अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष समन्वय बढ़ने से भ्रष्टाचार में कमी आती है।
- **सरकार को जवाबदेह ठहराना:**
  - ईमानदारी से सरकारी कार्यों की पारदर्शी जाँच को प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के लिये, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) सरकारी व्ययों का ऑडिट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्थापित प्रक्रियाओं एवं मानदंडों के अनुरूप हैं।
    - न्यूज़ीलैंड में ईमानदारी और आचरण आयुक्त, लोक अधिकारियों के नैतिक आचरण की देख-रेख करने के साथ कदाचार की शिकायतों की जाँच करते हैं।
    - सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिक व्यवहार तथा जवाबदेहिता को बढ़ावा देकर आयुक्त, पारदर्शी शासन प्रणाली में भूमिका निभाते हैं।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण:**
    - भ्रष्टाचार या गलत कार्यों को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा करना, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
    - भारत में व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2011, व्हिसलब्लोअर्स को उत्पीड़न से बचाने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।
- **स्वतंत्र निरीक्षण निकाय:**
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) जैसे स्वतंत्र निरीक्षण निकाय भ्रष्टाचार एवं कदाचार के मामलों की जाँच करके लोक प्रशासन में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

लोक प्रशासन में जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये शासन में सत्यनिष्ठा आवश्यक है। इससे शासन में लोगों का विश्वास बढ़ने के साथ भ्रष्टाचार में कमी आती है तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है। उपर्युक्त उदाहरण दर्शाते हैं कि लोक अधिकारियों को जवाबदेह बनाने तथा सुशासन सुनिश्चित करने में सत्यनिष्ठा किस प्रकार सहायक हो सकती है।

Q67. सत्यनिष्ठा और जवाबदेहिता पर बल देते हुए निजी तथा सार्वजनिक संबंधों को संतुलित करने में नैतिक दृष्टिकोण के महत्त्व एवं संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। अपने तर्कों के समर्थन में उदाहरण दीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- निजी और सार्वजनिक संबंधों की अवधारणा का संक्षेप में परिचय लिखिये।
- निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिक विचारों पर चर्चा कीजिये।
- निजी और सार्वजनिक संबंधों को संतुलित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

निजी संबंधों में नैतिकता के मामले में व्यक्तिगत या गैर-पेशेवर व्यक्तियों के बीच संवाद और व्यवहार शामिल होता है। इन संबंधों में परिवारों के बीच बातचीत, दोस्ती, रोमांटिक साझेदारी या सामाजिक दायरे शामिल हो सकते हैं।

सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता शासन, सार्वजनिक सेवा, पेशेवर ज़िम्मेदारियों या अन्य संदर्भों के दायरे में संवाद और आचरण से संबंधित है, जहाँ व्यक्ति व्यापक समुदाय या समाज पर अधिकार या प्रभाव की स्थिति रखते हैं।

हालाँकि निजी और सार्वजनिक दोनों संबंधों में नैतिक विचार शामिल होते हैं, लेकिन उनका दायरा एवं प्रभाव इन दोनों डोमेन के बीच महत्त्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है।

मुख्य भाग:

निजी और सार्वजनिक संबंधों में प्रमुख नैतिक विचार:

सार्वजनिक हित:

निजी जीवन में नैतिक विचार	सार्वजनिक जीवन में नैतिक विचार
व्यक्तिगत नैतिकता: निजी संबंधों में व्यक्ति किसी व्यक्ति के सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों के आंतरिक समूह पर अधिक भरोसा कर सकते हैं।	**वस्तुनिष्ठता:** इसका तात्पर्य व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्वाग्रहों या राय से प्रभावित हुए बिना तथ्यों और जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता से है।
सामाजिक मानदंड: ये समाज के भीतर व्यापक रूप से स्वीकृत नियम या अपेक्षाएँ हैं, जो व्यक्तियों के निजी व्यवहार को निर्देशित और विनियमित करते हैं।	**सार्वजनिक हित:** सार्वजनिक जीवन को समाज पर व्यापक प्रभाव पर विचार करना चाहिये और समुदाय के हित को प्राथमिकता देनी चाहिये।
निजता: इसमें विश्वनीय संबंधों में गोपनीय मामलों की सुरक्षा शामिल है और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।	**खुलापन:** सार्वजनिक जीवन को अपने निर्णयों एवं कार्यों को खुले तौर पर साझा करके और जानकारी को रोकने को सीमित करके पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिये।
स्वायत्तता: इसमें व्यक्तियों की स्वायत्तता और विकल्पों को पहचानना एवं उनका सम्मान करना शामिल है।	**जवाबदेही:** सार्वजनिक संबंधों में समुदाय या हितधारकों के प्रति अधिक जवाबदेही शामिल होती है।
निष्ठा: यह संबंधों में आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है, विश्वसनीयता और आपसी समझ की नींव तैयार करता है।	**नि:स्वार्थता:** सार्वजनिक पद के धारकों को केवल सार्वजनिक हित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिये।
समर्थन: इसमें अपने करीबी लोगों को प्रेरित करना और सहायता प्रदान करना शामिल है	**नेतृत्व:** यह सार्वजनिक संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिये नैतिक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है।

निजी और सार्वजनिक संबंधों को संतुलित करने में प्रमुख चुनौतियाँ:

- **सत्यनिष्ठा से समझौता:** सार्वजनिक भूमिकाओं में व्यक्तियों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ उनके व्यक्तिगत संबंध या वित्तीय हित लोकहित में कार्य करने के दायित्वों के विपरीत होते हैं। अखंडता या निष्पक्षता से समझौता किये बिना इन परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करना असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  - **उदाहरण:** एक सरकारी अधिकारी जो किसी सार्वजनिक अनुबंध के लिये बोली लगाने वाली कंपनी में शेयर रखता है, उसे हितों के टकराव का सामना करना पड़ता है और वह अपनी ईमानदारी से समझौता कर सकता है।
- **सार्वजनिक जाँच और धारणा:** सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकारी पदों पर बैठे व्यक्ति मीडिया, जनता और निरीक्षण निकायों की गहन जाँच के अधीन होते हैं। व्यक्तिगत संबंध या कार्य जो निजी जीवन में हानिरहित लग सकते हैं, जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान या अनुचितता के आरोप लगने की संभावना होती है। **उदाहरण:** एक सीईओ का बोर्ड सदस्य के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध कॉर्पोरेट निर्णय लेने में पक्षपात संबंधी सवाल उठाता है। उनकी मित्रता की सहज प्रकृति के बावजूद, सार्वजनिक धारणा कंपनी की प्रतिष्ठा और शेयरधारक के विश्वास को नुकसान पहुँचा सकती है।
- **पारदर्शिता बनाए रखना:** उन व्यक्तियों के लिये पारदर्शिता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जो अधिकार या प्रभाव वाले पदों पर नियुक्त हैं। व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ के लिये अपनी सार्वजनिक स्थिति का उपयोग करने या मित्रों या परिवार के सदस्यों के पक्ष में नियमों के विपरीत चलने में व्यक्तिगत संबंधों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
  - **उदाहरण:** एक राजनेता सरकारी पदों पर नियुक्तियों पर विचार करते समय अपनी व्यक्तिगत मित्रता को अपने पेशेवर कर्त्तव्यों से अलग करने के लिये संघर्ष करता है।
- **जवाबदेही बनाए रखना:** सार्वजनिक संबंधों में विभिन्न हितधारकों, दृष्टिकोण और प्रभाव के स्तर के साथ विविध प्रकार के हितधारक शामिल होते हैं। सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इन जटिल संबंधों को प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- **उदाहरण:** विशेष हित समूहों या निजी हित के चलते व्यक्तियों द्वारा की गई पैरवी सार्वजनिक अधिकारियों और नीतियों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, जिससे संभावित रूप से व्यापक सार्वजनिक हित पर इन सामूहिक हितों को प्राथमिकता देकर जवाबदेही से समझौता किया जा सकता है।

- **अलगाव का जोखिम:** निजी और सार्वजनिक संबंधों की मांगों को पूरा करने के प्रयासों से अलगाव की भावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। सार्वजनिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियों का प्रबंधन करते समय प्रतिस्पर्द्धी प्राथमिकताओं को संतुलित करना संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है तथा सामाजिक समर्थन के संजाल को नष्ट कर सकता है।
  - **उदाहरण:** किसी न्यायाधीश को अपने किसी करीबी मित्र से जुड़े मामले की सुनवाई करने के दौरान भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अपने मित्र के प्रति वफादारी से इतर न्यायाधीश को निष्पक्ष रूप से विधि व्यवस्था को बनाए रखने के क्रम में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

इन चुनौतियों से निपटने के लिये सुदृढ़ पारदर्शिता उपायों, मज़बूत नियामक ढाँचे और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक कार्यालयों में व्यक्ति अपने निजी हितों पर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें। इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थानों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में जवाबदेही एवं नैतिक नेतृत्व की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है।

Q68. समकालीन सामाजिक मूल्यों पर स्वामी विवेकानंद के नैतिक दर्शन के प्रभाव को बताते हुए नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- स्वामी विवेकानंद और उनके नैतिक दर्शन का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- समकालीन सामाजिक मूल्यों पर स्वामी विवेकानंद के नैतिक दर्शन के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने में स्वामी विवेकानंद के नैतिक दर्शन की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

स्वामी विवेकानंद, एक प्रमुख हिंदू आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक, 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक के रूप में उभरे। उनकी शिक्षाएँ और दर्शन सार्वभौमिकता के तत्त्वों के साथ संयुक्त, शास्त्रीय योग एवं अद्वैत वेदांत के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कुशलतापूर्वक धर्म को राष्ट्रवाद के साथ मिश्रित किया तथा इस पुनर्व्याख्या को भारत में शिक्षा, आस्था, चरित्र विकास और सामाजिक मुद्दों सहित कई क्षेत्रों में लागू किया।

मुख्य भाग:

स्वामी विवेकानंद के नैतिक दर्शन का समकालीन सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव:

- **सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा:** विवेकानंद ने सत्यता, करुणा और मानवता की सेवा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर ज़ोर दिया। उनकी शिक्षाएँ व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में इन मूल्यों को बनाए रखने, समकालीन समाज में सहानुभूति, परोपकारिता तथा सामाजिक ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिये प्रेरित करती हैं।
- **सामाजिक न्याय और समानता का समर्थन:** विवेकानंद सामाजिक न्याय और समानता के कट्टर समर्थक थे, उन्होंने जाति, पंथ या लैंगिक आधार पर भेदभाव की निंदा की। उनकी शिक्षाएँ समाज के सभी सदस्यों के लिये समान अधिकारों, न्याय और अवसरों के लिये संघर्ष करने वाले व्यक्तियों एवं आंदोलनों को प्रेरित करती हैं।
- **विविधता और बहुलवाद को अपनाना:** विवेकानंद ने मानवीय अनुभवों में विविधता का वर्णन किया और विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों एवं दृष्टिकोणों को अपनाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया। उनकी शिक्षाएँ सहिष्णुता, स्वीकृति और विविधता के प्रति सम्मान के साथ ही बहुसांस्कृतिक समाजों में समावेशिता तथा सद्भाव को बढ़ावा देती हैं।
- **नैतिक नेतृत्व के लिये प्रेरणा:** निस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण पर विवेकानंद का ज़ोर विभिन्न क्षेत्रों में समकालीन नेताओं के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। उनकी शिक्षाएँ नैतिक नेतृत्व को प्रेरित करती हैं जो विनम्रता, सहानुभूति और व्यक्तिगत लाभ या शक्ति के बजाय सामान्य हितों की सेवा करने की प्रतिबद्धता से प्रेरित होती है।
- **आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की उर्वरता (Cultivation):** विवेकानंद ने आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने और जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने के साधन के रूप में आंतरिक शक्ति, लचीलेपन एवं आत्म-प्राप्ति के महत्त्व पर ज़ोर दिया। उनकी शिक्षाएँ व्यक्तियों को समकालीन जीवन की जटिलताओं से निपटने में साहस, दृढ़ता और आध्यात्मिक लचीलापन जैसे गुण विकसित करने के लिये प्रेरित करती हैं।

- **वैश्विक प्रभाव और विरासत:** विवेकानंद की शिक्षाओं ने भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। सार्वभौमिक प्रेम, सेवा एवं आध्यात्मिक जागृति का उनका संदेश विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच प्रभावी रहा है, जो आध्यात्मिकता, नैतिकता और मानवीय अनुभव की समकालीन समझ को आकार देता है।

नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने में स्वामी विवेकानंद के नैतिक दर्शन की प्रासंगिकता:

- **सेवा-उन्मुख नेतृत्व:** विवेकानंद ने आध्यात्मिक विकास और सामाजिक उत्थान के साधन के रूप में निस्वार्थ सेवा (सेवा) के महत्त्व पर ज़ोर दिया। विवेकानंद के दर्शन से निर्देशित नैतिक नेता व्यक्तिगत लाभ या महत्त्वाकांक्षा से परे दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता देते हैं तथा अपने घटकों और समुदायों के हित पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **समावेशी नेतृत्व:** विवेकानंद ने मानवीय अनुभवों की विविधता का वर्णन किया साथ ही विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और दृष्टिकोणों को अपनाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया। नैतिक नेतृत्व के तहत नेता अपने संगठनों या समुदायों के भीतर समावेशिता एवं विविधता की भावना के साथ ही विविध दृष्टिकोण तथा अनुभवों के माध्यम से नवाचार, रचनात्मकता व सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं।
- **साहसी और लचीला नेतृत्व:** विवेकानंद ने व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिये आंतरिक शक्ति, साहस और लचीलापन विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया। नैतिक नेतृत्वकर्त्ता अपने सिद्धांतों के लिये खड़े होने, न्याय का समर्थन करने और आवश्यक होने पर यथास्थिति को चुनौती देने में साहस का प्रदर्शन करते हैं। वे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहते हुए, बाधाओं एवं असफलताओं पर काबू पाने में भी लचीलापन प्रदर्शित करते हैं।
- **आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान देना:** विवेकानंद प्रभावी नेतृत्व के लिये आंतरिक परिवर्तन और आत्म-बोध की शक्ति को एक शर्त मानते थे। नैतिक नेतृत्वकर्त्ता आत्म-जागरूकता, आत्मनिरीक्षण एवं व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देते हैं, यह मानते हुए कि नैतिक नेतृत्व स्वयं की और अपने मूल्यों की गहरी समझ से शुरू होता है।

निष्कर्ष:

नैतिक नेतृत्वकर्त्ता उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करते हैं, अपने द्वारा बताए गए मूल्यों को अपनाते हैं और अपने शब्दों, कार्यों तथा सकारात्मक बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करते हैं। विवेकानंद की शिक्षाएँ नेताओं को भविष्य के लिये एक सम्मोहक दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिये प्रेरित करती हैं और दूसरों को उस दृष्टिकोण को साकार करने में उनके साथ शामिल होने के लिये प्रेरित करती हैं।

Q69. "हितों के टकराव" को परिभाषित कीजिये तथा बताइए कि इससे लोक सेवकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावित होती है। यदि हितों के टकराव की स्थिति का सामना करना पड़े, तो आप इसे किस प्रकार हल करेंगे? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- "हितों के टकराव" की अवधारणा को संक्षेप में समझाइये।
- लोक सेवकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितों के टकराव के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- हितों के टकराव को हल करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

"हितों के टकराव" की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी लोक अधिकारी के लोक कर्त्तव्य तथा निजी हितों के बीच वास्तविक या स्पष्ट टकराव होता है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के निजी हित आधिकारिक कर्त्तव्यों के निष्पादन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हितों के टकराव से लोक पदाधिकारियों की सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता के प्रति लोगों के विश्वास में कमी आती है।

मुख्य भाग:

लोक सेवकों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितों के टकराव का प्रभाव:

- **पक्षपातपूर्ण निर्णय लेना:** हितों के टकराव का सामना करने पर लोक सेवक लोगों के कल्याण के बजाय व्यक्तिगत हितों या किसी विशेष समूह के हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे ऐसे निर्णय लिये जा सकते हैं जो व्यापक समुदाय के बजाय स्वयं या उनके सहयोगियों को लाभ पहुँचाते हों।
- **निष्पक्षता का क्षरण:** हितों के टकराव से निर्णय पक्षपातपूर्ण होने के कारण लोक सेवकों की निष्पक्षता कमज़ोर हो सकती है। व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने से निष्पक्ष निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **पक्षपात:** हितों के टकराव की दुविधा वाले लोक सेवक उन व्यक्तियों या संगठनों के प्रति पक्षपात दिखा सकते हैं जिनके साथ उनका व्यक्तिगत संबंध या वित्तीय हित है, जिससे दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार हो सकता है।
- **ईमानदारी से समझौता होना:** हितों के टकराव की दुविधा वाले लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा से समझौता हो सकता है जिससे सरकार एवं संबंधित संस्थानों में लोगों का विश्वास कम हो सकता है।

हितों के टकराव की स्थिति को हल करने के क्रम में लोक सेवकों हेतु आवश्यक कदम:

- **हितों के टकराव को स्पष्ट करना:** सार्वजनिक रूप से या औपचारिक रूप से संबंधित पक्षों जैसे- पर्यवेक्षकों, सहकर्मियों या हितधारकों के हितों के टकराव को स्पष्ट करना चाहिये। यह कदम पारदर्शिता के साथ दूसरों को वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का आकलन करने की सुविधा देने में निर्णायक है।
- **मूल्यांकन:** हितों के टकराव की प्रकृति तथा सीमा का मूल्यांकन करना चाहिये। निर्णय निर्माण, संगठन तथा इसमें शामिल हितधारकों पर पड़ने वाले इसके संभावित प्रभावों पर विचार करना चाहिये।
- **निर्णय निर्माण:** हितों के टकराव की स्थिति को हल करने के लिये सर्वोत्तम कार्रवाई को अपनाना चाहिये। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से खुद को अलग करना, विवादों के समाधान के लिये व्यवहार में बदलाव लाना या नैतिक सलाहकारों एवं समितियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना शामिल हो सकता है।
- **निर्णय प्रक्रिया से अलग होना:** यदि आवश्यक हो, तो स्वयं को निर्णय लेने की उन प्रक्रियाओं से दूर कर लेना चाहिये जहाँ कोई टकराव हो। इस कदम से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि निर्णय निष्पक्ष और बिना पक्षपात के लिये जाएँ।
- **शमन:** निर्णय लेने के क्रम में हितों के टकराव के प्रभाव को कम करने हेतु कदम उठाना चाहिये। इसमें निगरानी तंत्र या पारदर्शिता उपायों जैसे सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल हो सकता है।
- **निगरानी एवं समीक्षा:** यह सुनिश्चित करने के लिये स्थिति की लगातार निगरानी करनी चाहिये कि हितों के टकराव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए। नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन से ऐसे किसी भी नए टकराव या परिवर्तन की पहचान करने में मदद मिल सकती है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **दस्तावेज़ीकरण:** हितों के टकराव, इसका प्रकटीकरण तथा इसे हल करने के लिये की गई कार्रवाइयों का दस्तावेज़ीकरण करना चाहिये। दस्तावेज़ीकरण से नैतिक मानकों के साथ संगठनात्मक नीतियों के अनुपालन में मदद मिलती है।

निष्कर्ष:

संघर्षों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके लोक सेवक लोगों के सर्वोत्तम हित में पारदर्शिता तथा नैतिक आचरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं।

Q70. "पर्यावरणीय नैतिकता" को परिभाषित करने के साथ इसका महत्त्व बताइए। किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे का चयन करते हुए पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- "पर्यावरणीय नैतिकता" की अवधारणा को संक्षेप में बताइये।
- समकालीन समय में "पर्यावरण नैतिकता" के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे का चयन करते हुए पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

पर्यावरण नैतिकता व्यावहारिक दर्शन की ऐसी शाखा है जिसके तहत पर्यावरणीय मूल्यों की वैचारिक नींव के साथ-साथ जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा एवं रखरखाव के क्रम में सामाजिक दृष्टिकोण, कार्यों तथा नीतियों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है।

पर्यावरणीय नैतिकता से इस बात का मूल्यांकन होता है कि मनुष्य पर्यावरण के साथ किस प्रकार संबंधित है और इनके कार्यों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके तहत संसाधन खपत, प्रदूषण एवं संरक्षण प्रयासों जैसे मुद्दों पर विचार किया जाता है।

मुख्य भाग:

पर्यावरणीय नैतिकता का महत्त्व:

- **परस्पर संबद्धता को महत्त्व देना:** पर्यावरणीय नैतिकता के तहत सभी जीवों तथा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ उनकी परस्पर संबद्धता को पहचान मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य से मानव एवं अन्य प्रजातियों के कल्याण हेतु जैवविविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये वर्षा वनों के विनाश से न केवल अनगिनत प्रजातियों के आवास का नुकसान होता है, बल्कि कार्बन पृथक्करण तथा जलवायु विनियमन जैसी महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएँ भी बाधित होती हैं।
- **सतत् विकास:** पर्यावरणीय नैतिकता से सतत् विकास की आवश्यकता को बल मिलता है जिसके तहत भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने पर बल दिया जाता है।
  - जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता क्षरण एवं प्रदूषण जैसे मुद्दों का सामना करने के क्रम में स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिये निर्णय लेने में नैतिक सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है।
- **न्याय और समानता:** पर्यावरणीय नैतिकता पर्यावरणीय निर्णय लेने में न्याय और समानता के सिद्धांतों को रेखांकित करती है। इसमें स्थानीय तथा वैश्विक स्तर पर कमज़ोर समुदायों पर पर्यावरणीय क्षरण के प्रभावों पर विचार करने पर बल दिया जाता है।

- उदाहरण के लिये हाशिये पर रहने वाले समुदाय अक्सर पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का खामियाजा भुगतते हैं, जिससे असमानताएँ और बढ़ जाती हैं। पर्यावरण न्याय के तहत निष्पक्ष व्यवहार के साथ पर्यावरणीय निर्णयों में सभी लोगों की भागीदारी को महत्त्व दिया जाता है।

- **प्रबंधन एवं ज़िम्मेदारी:** पर्यावरणीय नैतिकता के तहत पर्यावरण की देखभाल एवं सुरक्षा की ज़िम्मेदारी के क्रम में पृथ्वी के प्रबंधक के रूप में मनुष्यों के कर्त्तव्यों पर बल दिया जाता है। इसमें ऐसी प्रथाओं को अपनाना शामिल है जो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के साथ जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को कम करने पर केंद्रित हों।
  - उदाहरण के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना तथा एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपभोग को कम करना, ज़िम्मेदार प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **वैश्विक सहयोग:** पर्यावरणीय चुनौतियाँ राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं, जिसके लिये वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय नैतिकता के तहत आम पर्यावरणीय खतरों से निपटने के क्रम में सभी देशों की साझा ज़िम्मेदारी पर बल दिया जाता है।
  - उदाहरण के लिये जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता तथा जैवविविधता कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते नैतिक सिद्धांतों के आधार पर वैश्विक पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाते हैं।

पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से निर्वनीकरण के मुद्दे का विश्लेषण:

निर्वनीकरण के कारणों में मुख्य रूप से कृषि विस्तार, बुनियादी ढाँचे का विकास तथा शहरीकरण का बड़े पैमाने पर विस्तार शामिल है। इस प्रथा के महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय, सामाजिक एवं नैतिक निहितार्थ हैं।

- **जैवविविधता का क्षरण:** पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से निर्वनीकरण से जैवविविधता के क्षरण के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। वन, पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला के आवास स्थल होते हैं। निर्वनीकरण से पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होने से इनके निवास स्थल का ह्रास होने के कारण प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं।
  - नैतिक रूप से भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिये जैवविविधता को संरक्षित करना महत्त्वपूर्ण है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन का निर्वनीकरण में प्रमुख योगदान है। वन, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने तथा वायुमंडल से कार्बन डाइ-ऑक्साइड को अवशोषित करने के साथ वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में सहायक होते हैं। जब जंगलों को साफ किया जाता है, तो वनों में संग्रहीत कार्बन वायुमंडल में उत्सर्जित होने से ग्रीनहाउस गैस में वृद्धि होती है।
  - पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से वनों को संरक्षित करके तथा वनों की कटाई की दर को कम करके, जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को कम करना एक नैतिक अनिवार्यता है।
- **स्थानीय अधिकार एवं पर्यावरणीय न्याय:** कई स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका, सांस्कृतिक प्रथाओं तथा आध्यात्मिक विश्वासों के लिये जंगलों पर निर्भर रहते हैं। वनों की कटाई से अक्सर स्थानीय लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिससे विस्थापन एवं पारंपरिक ज्ञान की हानि के साथ सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा मिलता है।
  - नैतिक रूप से स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने के साथ वन प्रबंधन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **अंतर-पीढ़ीगत समानता:** निर्वनीकरण के चलते भविष्य की पीढ़ियों की स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुँच से समझौता किया जा सकता है।
  - हमारा कर्त्तव्य है कि नैतिक रूप से भावी पीढ़ियों के हितों पर विचार करें तथा उनके उपयोग के लिये प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करें।

निष्कर्ष:

पर्यावरणीय मुद्दों को नैतिक, न्यायसंगत तथा सतत् तरीके से हल करने की तात्कालिकता समकालीन विश्व में पर्यावरणीय नैतिकता की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाती है। पर्यावरणीय निर्णय लेने और नीतियों में नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत कर व्यक्ति एवं संगठन प्रकृति के साथ अधिक न्यायपूर्ण, अनुकूल तथा सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं।

Q71. भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अक्सर प्रभावी नेतृत्व तथा नैतिक निर्णय निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण घटक माना जाता है। सिविल सेवकों के बीच इसे विकसित करने के उपाय बताइये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करते हुए उत्तर शुरू कीजिये।
- प्रभावी नेतृत्व क्षमता एवं नैतिक निर्णय लेने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- सिविल सेवकों में इसे विकसित करने के उपायों पर प्रकाश डालिये
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) का आशय भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने तथा तर्क करने की क्षमता है। यह सिविल सेवकों

के लिये एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि यह मूल्य उन्हें जटिल परिस्थितियों से निपटने, नागरिकों के साथ प्रभावी संबंध बनाने तथा नैतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

मुख्य भाग:

प्रभावी नेतृत्व क्षमता तथा नैतिक निर्णय निर्माण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व :

- **आत्म-जागरूकता एवं भावनात्मक विनियमन:** उच्च EI वाले लोगों को अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के साथ मज़बूती और कमज़ोरियों की गहरी समझ होती है।
  - **उदाहरण:** आईएएस अधिकारी, अशोक खेमका ने कई तबादलों एवं चुनौतियों के बावजूद भावनात्मक प्रबंधन का प्रदर्शन करते हुए अपने निर्णय लेने में अटूट दृढ़ संकल्प को बनाए रखा।
- **नैतिक निर्णय निर्माण और सत्यनिष्ठा:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग नैतिक निर्णय लेने के क्रम में काफी प्रबंधित होते हैं क्योंकि विभिन्न हितधारकों पर अपने निर्णय के भावनात्मक प्रभाव पर विचार करने की उनकी अधिक संभावना होती है।
  - इनकी अपने निर्णयों को अपने मूल्यों एवं सिद्धांतों के साथ जोड़कर, ईमानदारी के साथ कार्य करने की अधिक संभावना होती है।
  - **उदाहरण:** मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में टी.एन. शेषन का कार्यकाल उनकी ईमानदारी, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता तथा अनुकरणीय भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए जटिल राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने के लिये जाना जाता है।
- **अनुकूलनशीलता एवं लचीलापन:** उच्च EI वाले लोग बदलती परिस्थितियों को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने तथा लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं।
  - **उदाहरण:** कोविड-19 महामारी के दौरान, जैसिंडा अर्डर्न (न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री) ने उल्लेखनीय भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, जिससे जनता को इस संबंध में आश्वस्त करने तथा प्रभावी संकट प्रबंधन प्रयासों का मार्गदर्शन करने में मदद मिलती है।
- **सहानुभूति एवं समझ:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेतृत्वकर्त्ताओं में दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होती है, जिससे उनकी टीमों के बीच मज़बूत संबंध बनने के साथ विश्वास को बढ़ावा मिलता है।
  - **उदाहरण:** पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंद्रा नूई को सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व शैली के लिये जाना जाता है।
- **प्रभावी संचार तथा संघर्ष समाधान:** उच्च EI वाले नेतृत्वकर्त्ताओं में मज़बूत संचार कौशल के साथ संघर्षों को प्रभावी ढंग से निपटाने की क्षमता होती है। वे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ अपने संदेश प्रसारित करने के साथ यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके उद्देश्यों को समझने के साथ खुले एवं रचनात्मक संवाद को बढ़ावा दिया जाए।
  - **उदाहरण:** दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने अपने नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उदाहरण दिया।

सिविल सेवकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के उपाय:

- **प्रदर्शन मूल्यांकन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को शामिल करना:** प्रदर्शन मूल्यांकन एवं पहचान कार्यक्रमों के भाग के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता दक्षताओं को शामिल करना चाहिये।
  - अपने कार्य में उच्च स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने वाले सिविल सेवकों को पहचानने के साथ उन्हें पुरस्कृत करना चाहिये।
- **जॉब शैडोइंग:** विविध अनुभव प्राप्त करने तथा सहानुभूति, विविध धारणा एवं भावनात्मक जागरूकता विकसित करने के लिये सिविल सेवकों हेतु जॉब शैडोइंग कार्यक्रम लागू करना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये भारत में **"सिविल सेवा विनिमय कार्यक्रम"** द्वारा अधिकारियों के बीच विभिन्न सेवाओं तथा मंत्रालयों के सदस्यों के बीच क्रॉस-फंक्शनल एक्सपोज़र के माध्यम से उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता में वृद्धि हो सकती है।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर बल देने के साथ नागरिक फीडबैक केंद्र:** न केवल नीतिगत मुद्दों पर, बल्कि सिविल सेवकों के निर्णयों के भावनात्मक प्रभाव पर भी नागरिक दृष्टिकोण का पता लगाने हेतु नागरिक फीडबैक लैब स्थापित करना चाहिये।
  - इससे सिविल सेवकों को नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से सीखने के साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रथाओं में सुधार हेतु संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष:

इन उपायों को लागू करके सिविल सेवकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है जिससे वे नैतिक निर्णय लेने, हितधारकों के बीच विश्वास बनाने तथा जटिल परिस्थितियों को बेहतर भावनात्मक जागरूकता एवं लचीलेपन के साथ प्रबंधित करने में सक्षम हो सकते हैं।

Q72. किस प्रकार से निष्पक्षता एवं गैर-पक्षपातपूर्णता जैसे मूल्य लोक सेवा की नैतिक सत्यनिष्ठा में योगदान करते हैं? इन सिद्धांतों को बनाए रखने से संबंधित व्यावहारिक चुनौतियों के साथ-साथ इनके प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीतियों पर भी चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- निष्पक्षता और गैर-पक्षपात की परिभाषा देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- लोक सेवा की नैतिक सत्यनिष्ठा में निष्पक्षता तथा गैर-पक्षपातपूर्णता जैसे मूल्यों के योगदान पर प्रकाश डालिये।
- इन सिद्धांतों को बनाए रखने से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रणनीतियाँ बताइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

निष्पक्षता का तात्पर्य निष्पक्ष, **वस्तुनिष्ठ और पक्षपात या पूर्वाग्रह से मुक्त रहने** से है। इसमें बिना किसी भेदभाव या अनुचित प्राथमिकता के सभी व्यक्तियों या समूहों के साथ समान व्यवहार करना शामिल है।

- दूसरी ओर गैर-पक्षपात का आशय **विचारधाराओं, राजनीतिक दलों या विशेष हितों से तटस्थ एवं स्वतंत्र रहने** के मूल्य से है।

मुख्य भाग:

लोक सेवाओं की नैतिक सत्यनिष्ठा में निष्पक्षता तथा गैरपक्षपात का योगदान:

- **निष्पक्ष निर्णय लेना:** निष्पक्षता से यह सुनिश्चित होता है कि लोक सेवक व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय तथ्यों, सबूतों एवं कानून के आधार पर निर्णय लें।
  - उदाहरण के लिये न्यायाधीश से प्रतिवादी की पृष्ठभूमि या लोगों की राय की परवाह किये बिना निष्पक्ष निर्णय देने की आशा की जाती है।
- **न्यायसंगत संसाधन आवंटन:** गैर-पक्षपात जैसे मूल्य से संसाधन आवंटन (सरकारी अनुबंध या परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण) में पक्षपात नहीं होता है।
  - इससे राजनीतिक हितों के बजाय योग्यता एवं आवश्यकता के आधार पर संसाधनों को निष्पक्ष तथा कुशलता से वितरित करने में मदद मिलती है।
  - उदाहरण के लिये एक निष्पक्ष लोक अधिकारी से यह सुनिश्चित हो सकता है कि अनुबंध प्रतिस्पर्द्धी बोली और नियमों के पालन के आधार पर दिये जाएं, न कि राजनीतिक प्रभाव के आधार पर।
- **सार्वजनिक विश्वास:** जब लोक सेवक निष्पक्ष और गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं, तो इससे सरकारी संस्थानों में लोगों के विश्वास को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिये एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी नागरिकों के बीच चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ा सकता है।
- **विविधता एवं समावेशन को बढ़ावा देना:** निष्पक्षता से सभी व्यक्तियों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने के क्रम में विविधता तथा समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिये किसी सरकारी एजेंसी में निष्पक्ष भर्ती परीक्षा के माध्यम से योग्यता एवं कौशल के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करके विविधता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

हालाँकि इन सिद्धांतों को व्यवहार में बनाए रखने से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ हैं:

- **राजनीतिक प्रभाव और दबाव:** लोक सेवकों (विशेष रूप से उच्च पदों पर बैठे लोगों) को राजनीतिक दलों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
  - इस तरह के दबाव का विरोध करना तथा तटस्थता बनाए रखना (खासकर जब कॅरियर में उन्नति या नौकरी की सुरक्षा दाँव पर हो) चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **व्यक्तिगत पूर्वाग्रह:** सार्थक उद्देश्यों के साथ भी, लोक सेवकों में अनजाने में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो सकता है जिससे संभावित रूप से उनकी निष्पक्षता तथा गैर-पक्षपातपूर्ण जैसे मूल्यों से समझौता हो सकता है।
  - इन पूर्वाग्रहों को पहचानना और प्रबंधित करना कठिन (विशेषकर जटिल या संवेदनशील स्थितियों में) हो सकता है।
- **प्रतिस्पर्द्धी हित:** लोक सेवकों को अक्सर विभिन्न हितधारकों जैसे- हित समूहों, लॉबी या शक्तिशाली व्यक्तियों की प्रतिस्पर्द्धी मांगों एवं हितों से संबंधित दुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
  - निष्पक्षता और गैर-पक्षपातपूर्णता बनाए रखते हुए इन हितों को संतुलित करना जटिल हो सकता है।

निष्पक्षता तथा गैर-पक्षपातपूर्ण जैसे मूल्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं बनाए रखने हेतु निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं:

- **नैतिकता और सत्यनिष्ठा का मज़बूत ढाँचा:** स्पष्ट नैतिक दिशा-निर्देश, आचार संहिता एवं नीतियों से निष्पक्षता और गैर-पक्षपातपूर्णता की अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जा सकता है।
  - इन सिद्धांतों एवं लोक सेवा में इनके महत्त्व को सुदृढ़ करने के लिये नियमित प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये।
- **पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता: मज़बूत पारदर्शिता तंत्र लागू करना** चाहिये जैसे निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं तथा हितों के टकराव को पारदर्शी बनाना।

- **योग्यता-आधारित भर्ती और पदोन्नति: योग्यता-आधारित भर्ती एवं पदोन्नति प्रणाली को अपनाना** चाहिये जिससे राजनीतिक हित या व्यक्तिगत संबंधों की तुलना में नैतिक सिद्धांतों के पालन को प्राथमिकता देते हुए योग्यता को महत्त्व मिलेगा।
- निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित करने के साथ **निष्पक्षता तथा गैर-पक्षपात जैसे मूल्यों को पुरस्कृत करना चाहिये।**

- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण और रिपोर्टिंग तंत्र:** अनुचित प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप या निष्पक्षता तथा गैर-पक्षपातपूर्ण जैसे मूल्यों के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट करने के क्रम में लोक सेवकों के लिये **सुरक्षित तथा गोपनीय चैनल स्थापित करना चाहिये।**
  - प्रतिशोध के डर के बिना रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के क्रम में मज़बूत **व्हिसलब्लोअर सुरक्षा उपायों को लागू चाहिये।**
- **नैतिकता प्रभाव आकलन:** लोक सेवा संगठनों के बीच संभावित पूर्वाग्रहों या हितों के टकराव की पहचान करने तथा उन्हें कम करने के लिये नियमित रूप से नैतिकता प्रभाव आकलन करना चाहिये।
  - यह सक्रिय दृष्टिकोण नैतिक चुनौतियों के बढ़ने से पहले उनका समाधान करने में सहायक है।

निष्कर्ष:

इन रणनीतियों को लागू करते हुए निष्पक्षता एवं गैर-पक्षपात जैसे सिद्धांतों को लगातार मज़बूत करते रहने से लोक सेवक, लोक सेवा की नैतिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के साथ निर्णय निर्माण में निष्पक्षता को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे **शासन प्रणाली में लोगों के विश्वास को मज़बूत किया जा सकता है।**

Q73. लोक विश्वास बनाए रखने तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने में निष्पक्षता के लाभों एवं सीमाओं पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करते हुए उत्तर लिखिये।
- लोक विश्वास बनाए रखने और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करने में वस्तुनिष्ठता के लाभों पर गहराई से विचार कीजिये।
- लोक विश्वास बनाए रखने और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करने में वस्तुनिष्ठता की सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

निष्पक्षता का तात्पर्य बिना **किसी पक्षपात या बाहरी प्रभाव** के निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने की क्षमता से है। शासन में निष्पक्षता का अर्थ है सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संस्थानों में तर्कसंगतता, वैधानिकता और सिद्ध मानकों, प्रक्रियाओं एवं मानदंडों का पालन करना। इसका तात्पर्य है कि शासन के निर्णय योग्यता के आधार पर और साक्ष्य के गहन विश्लेषण के बाद लिये जाने चाहिये।

मुख्य भाग:

शासन में वस्तुनिष्ठता के लाभ:

- **निष्पक्षता को बढ़ावा देना:** निष्पक्षता सुनिश्चित करती है कि निर्णय योग्यता के आधार पर किये जाएँ, न कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या संबद्धताओं के आधार पर। यह नागरिकों और व्यवसायों के लिये समान अवसर प्रदान करता है, विधि के तहत समान व्यवहार को बनाए रखता है।
  - **उदाहरण के लिये:** भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लाभार्थियों की पहचान करने के लिये आय के स्तर जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों को शामिल करती है, जो पक्षपात के जोखिम को कम करती है और सब्सिडी वाले खाद्यान्नों तक पहुँचने में समानता को बढ़ावा देती है।
- **पारदर्शिता को बढ़ावा देना:** जब निर्णय वस्तुनिष्ठ डेटा और पारदर्शी प्रक्रियाओं के आधार पर किये जाते हैं, तो उनके पीछे का तर्क स्पष्ट हो जाता है। इससे लोक विश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि नागरिक समझ सकते हैं कि संसाधन कैसे आवंटित किये जाते हैं तथा नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं।
  - **उदाहरण के लिये:** भारत में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम इस सिद्धांत का उदाहरण है, नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँचने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देता है।
- **भ्रष्टाचार को कम करना:** निष्पक्षता, भ्रष्टाचार को कम करती है और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। स्थापित प्रक्रियाएँ तथा स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्णय लेने के लिये एक ढाँचा प्रदान करते हैं, जो अधिकारियों को बाहरी दबावों या व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के आगे झुकने से रोकते हैं। इससे शासन की अखंडता मज़बूत होती है और लोक विश्वास में वृद्धि होती है।
  - **उदाहरण के लिये:** कई भारतीय राज्यों में ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन से भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में हेर-फेर के अवसर कम हो जाते हैं।

शासन में वस्तुनिष्ठता की सीमाएँ:

- **परिस्थितिजन्य कारकों की अनदेखी:** वस्तुनिष्ठता का सख्त पालन किसी भी स्थिति के लिये विशिष्ट बारीकियों को अनदेखा कर सकता है। सामाजिक असमानताओं या ऐतिहासिक अन्याय जैसे परिस्थितिजन्य कारकों के लिये एक अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है।

- **उदाहरण के लिये:** शिक्षण अक्षमता वाले छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को सटीक रूप से मापने के लिये विशिष्ट समायोजन या वैकल्पिक आकलन की आवश्यकता हो सकती है।

- **रचनात्मकता को सीमित करता है:** तेज़ी से बदलती दुनिया में अत्यधिक कठोर वस्तुनिष्ठता लचीले अनुकूलन में बाधा डाल सकती है। यह मानव रचनात्मकता को भी सीमित करता है और विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करने से हतोत्साहित करता है।
  - **उदाहरण के लिये:** जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल मुद्दों को संबोधित करने के लिये ऐसे अभिनव समाधानों की आवश्यकता हो सकती है जो पूर्व-निर्धारित मानदंडों को योग्य बताते हैं।
- **सीमित अनुप्रयोग:** कुछ निर्णय, विशेष रूप से सामाजिक कल्याण से संबंधित, सहानुभूति और संवेदनशीलता की एक डिग्री की आवश्यकता हो सकती है जिसे शुद्ध वस्तुनिष्ठता शायद पकड़ न सके।
  - **उदाहरण के लिये:** आपदा राहत के लिये संसाधनों के आवंटन में न केवल प्रभावित लोगों की संख्या पर विचार करना शामिल हो सकता है, बल्कि प्रभावित आबादी के भीतर विभिन्न समूहों (जैसे- बुज़ुर्ग, बच्चे) की विशिष्ट कमज़ोरियों पर भी विचार करना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

निष्पक्षता निष्पक्ष शासन की आधारशिला बनी हुई है। हालाँकि इसकी सीमाओं को पहचानने से अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की अनुमति मिलती है जिसमें संदर्भ, सहानुभूति और सार्वजनिक भागीदारी शामिल है। इस संतुलन को बनाकर, सरकारें मज़बूत लोक विश्वास का निर्माण कर सकती हैं तथा सभी के लिये समान परिणाम सुनिश्चित कर सकती हैं।

Q74. वर्तमान संदर्भ में यह उद्धरण आपको क्या संदेश देता है - "श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी वाणी में विनम्र/सामान्य होता है लेकिन अपने कार्यों में काफी उन्नत होता है।" -कन्फ्यूशियस (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उद्धरण का सार संक्षेप में लिखिये।
- उद्धरण पर विस्तार से चर्चा कीजिये जैसे कि '**अपने भाषण में विनम्र**' और '**अपने कार्यों में उन्नत**' जैसे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिये।
- वर्तमान समाज में उद्धरण की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

कन्फ्यूशियस, एक चीनी दार्शनिक, इस उद्धरण के साथ नैतिक आचरण में एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह इस विचार को व्यक्त करता है कि एक वास्तव में प्रशंसनीय और गुणी व्यक्ति ("श्रेष्ठ व्यक्ति") अपने शब्दों में विनम्रता तथा संयम प्रदर्शित करता है, लेकिन अपने कार्यों से प्रतिष्ठित होता है। वर्तमान संदर्भ में इसे ईमानदारी के आह्वान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ किसी के कर्म उसके शब्दों से अधिक भाव प्रकट करते हैं।

मुख्य भाग:

- **भाषण में शालीनता:**
  - **विनम्रता:** आशयों या उपलब्धियों के बारे में शेखी बघारना वास्तविक उपलब्धि को कमज़ोर करता है। सच्चा बड़प्पन शांत आत्मविश्वास और संयमित गर्व में निहित है।
  - **विचारपूर्ण संचार:** भाषण में शालीनता रखने वाले नेता अपने शब्दों के प्रभाव पर विचार करने के लिये समय निकालते हैं। वे खाली घोषणाओं के बजाय स्पष्टता और संक्षिप्तता चुनते हैं।
    - **उदाहरण:** नेल्सन मंडेला, 27 वर्ष कारावास में गुज़ारने के बाद, एक वैश्विक प्रतीक के रूप में जेल से बाहर आए। फिर भी वे ज़मीन से जुड़े रहे, दक्षिण अफ्रीका के पुनर्निर्माण में सामंजस्य और सामूहिक प्रयास का प्रतीक बने। उनका ध्यान उनके कार्यों पर था, न कि स्व-प्रचार पर।
- **कार्यों में उत्कृष्टता:**
  - **परिणाम-उन्मुख:** एक बेहतर नेता सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने को प्राथमिकता देते हैं। वे अपनी कथनी और करनी में साम्यता द्वारा अधिक-से-अधिक कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं।
  - **ईमानदारी:** कार्य शब्दों की तुलना में अधिक भाव व्यक्त करते हैं। नैतिक नेता यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके कार्य उनके घोषित मूल्यों और प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हों।
    - **उदाहरण:** मदर टेरेसा का जीवन कार्यों में उत्कृष्टता का उदाहरण है। उन्होंने स्वयं को अतिनिर्धन लोगों की सेवा के लिये समर्पित कर दिया, उनके कार्य करुणा और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- **वर्तमान नैतिक संदर्भ में प्रासंगिकता:**
  - आज की तेज़-तर्रार छवि-जागरूक दुनिया में कन्फ्यूशियस का संदेश प्रासंगिक बना हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आत्म-प्रचार और खोखली घोषणाओं के लिये प्रजनन स्थल बन सकते हैं। इंस्टाग्राम तथा फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उदय के साथ कन्फ्यूशियस का संदेश पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है।

- जो लोग अपनी घोषणाओं में विनम्र होते हैं और परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे विश्वास को बढ़ावा देते हैं तथा आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं।
- जो नेता वादे अधिक करते हैं तथा कार्य कम करते हैं, उन पर लोग कम विश्वास करते हैं। ठोस कार्यों के किये बगैर बयानबाज़ी के द्वारा जनता की धारणा पर ध्यान केंद्रित करना नैतिक नेतृत्व को कमज़ोर करता है।

निष्कर्ष:

कन्फ्यूशियस का उद्धरण हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल शब्दों में नहीं, बल्कि काम में निहित है। यह नैतिक नेताओं के लिये एक आह्वान है जो परिणामों को प्राथमिकता देते हैं, विनम्रता को महत्त्व देते हैं और अपने दृष्टिकोण को उन लोगों के लिये ठोस लाभों में बदलते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर, नेता वर्तमान की जटिलताओं को दूर कर सकते हैं और अधिक न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

Q75. नीति निर्माण पर संवेदना (Compassion) के प्रभावों को बताते हुए संवेदनशील समुदाय की समस्याओं का समाधान करने में इसके महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- संवेदना को परिभाषित करते हुए उत्तर लिखिये।
- नीति-निर्माण और कमज़ोर आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संवेदना के लाभों पर गहराई से विचार कीजिये।
- नीति-निर्माण और कमज़ोर आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संवेदना की सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

संवेदना में दूसरे व्यक्ति के दर्द को महसूस करना और उसकी पीड़ा को दूर करने के लिये कदम उठाने की इच्छा शामिल है। इसे प्राय: एक भावनात्मक गुण के रूप में देखा जाता है। हालाँकि नीति निर्माण में यह प्रभावी और समावेशी समाधान तैयार करने तथा कमज़ोर आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरता है।

मुख्य भाग:

नीति-निर्माण पर संवेदना का प्रभाव:

- **सांख्यिकी से ध्यान हटाना:**
  - संवेदना नीति निर्माताओं को मात्र सांख्यिकी और आर्थिक विचारों से आगे बढ़ने के लिये बाध्य करती है।
  - यह उन्हें डेटा के पीछे मानवीय चेहरे देखने, नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित लोगों के जीवित अनुभवों को समझने की अनुमति देता है। इससे अधिक लक्षित और मानवीय हस्तक्षेप हो सकते हैं।
    - **उदाहरण:** संवेदना बेघरों को आश्रय प्रदान करने से लेकर बेघर होने के मूल कारणों, जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे या किफायती आवास की कमी को संबोधित करने की नीति में बदलाव ला सकती है।
- **समावेशीपन को प्रोत्साहित करती है:**
  - संवेदना नीति निर्माताओं को कमज़ोर आबादी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझने के लिये प्रोत्साहित करती है।
    - **उदाहरण:** नीतियाँ निर्माण करते समय विकलांगता अधिकार समूहों के साथ परामर्श करना यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग समुदाय की आवश्यकताओं को नीति में सीधे संबोधित किया जाता है।

कमज़ोर आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने में करुणा की भूमिका:

- **कमज़ोर आबादी के बुनियादी अधिकारों को प्राथमिकता देना:**
  - संवेदना यह सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ बुनियादी मानवाधिकारों जैसे- स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता तक पहुँच को प्राथमिकता देती हैं, विशेषत: उन लोगों के लिये जो इन तक पहुँचने के लिये संघर्ष करते हैं।
    - **उदाहरण:** भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को संवेदनामय नीति-निर्माण का एक उदाहरण कहा जा सकता है। यह अधिनियम वंचित समुदायों की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता देता है।
- **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना:**
  - संवेदनामय नीतियों का उद्देश्य असमानताओं को पाटना और अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है। इसमें सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा के लिये सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम या सामाजिक सुरक्षा जाल शामिल हो सकते हैं।
    - **उदाहरण:** भारत में सामाजिक असमानता को कम करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (NREGA) ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी सुनिश्चित करता है, जो कमज़ोर आबादी के लिये सुरक्षा जाल प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

नीति निर्माण में संवेदना एक कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक सामर्थ्य है। इस महत्त्वपूर्ण तत्त्व को शामिल करके, हम ऐसी नीतियों का निर्माण कर

सकते हैं जो न केवल प्रभावी हों बल्कि मानवीय भी हों तथा कमज़ोर आबादी के जीवन को बेहतर बनाती हों। नीति निर्माण में संवेदना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि एक ऐसे विश्व का निर्माण हो सके जहाँ हर कोई खुशहाल हो।

Q76. उभरती ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) प्रौद्योगिकी, मानव एवं मशीन इंटरेक्शन के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) की प्रगति से संबंधित नैतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- BCI के नैतिक निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) मस्तिष्क एवं बाहरी कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच प्रत्यक्ष संचार मार्ग है। इससे तंत्रिका संकेतों को डिकोड करने के साथ उन्हें बाहरी प्रणालियों या उपकरणों को नियंत्रित करने हेतु आदेशों में ट्रांसलेट करके मानव-मशीन इंटरैक्शन के नए रूपों को सक्षम किया जा रहा है।

BCI से मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप होने से आध्यात्मिक एवं भौतिक क्षेत्रों के बीच की रेखा धुँधली होती है।

BCI की प्रगति से जुड़े नैतिक निहितार्थ:

- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:** BCI में अत्यधिक संवेदनशील मस्तिष्क डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण शामिल है, जिससे गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिलता है।
- इस व्यक्तिगत डेटा के स्वामित्व, भंडारण एवं संभावित दुरुपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं।
- **संज्ञानात्मक स्वतंत्रता और मानसिक गोपनीयता:** BCI से संभावित रूप से विचारों, भावनाओं एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में हेर-फेर हो सकती है, जिससे संज्ञानात्मक स्वतंत्रता तथा मानसिक गोपनीयता के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिलता है।
- नैतिक विमर्श व्यक्तिगत स्वायत्तता की सीमाओं एवं बाहरी हस्तक्षेप से किसी के मन की पवित्रता को संरक्षित करने के अधिकार के इर्द-गिर्द घूमती है।
- **संवर्द्धन और समानता:** BCI प्रौद्योगिकियों का उपयोग संज्ञानात्मक संवर्द्धन के लिये किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से उपयोगकर्त्ताओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे- शिक्षा, रोज़गार या प्रतिस्पर्द्धी गतिविधियों में अनुचित लाभ मिल सकता है।
- इससे "उन्नत" और "असंवर्द्धित" व्यक्तियों के बीच विभाजन पैदा करने की क्षमता के बारे में नैतिक प्रश्न उठता है।
- **एजेंसी और ज़िम्मेदारी:** BCI से मानव और मशीन नियंत्रण के बीच की रेखाएँ धुँधली होती हैं, जिससे ज़िम्मेदारी एवं जवाबदेहिता के बारे में नैतिक प्रश्न उठता है।
- मानव चेतना को सटीक रूप से डिकोड करने तथा उसका अनुकरण करने से नैतिक प्रश्न उठते हैं।

निष्कर्ष:

उभरते हुए BCIs में मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने की व्यापक संभावनाएँ हैं, इससे मानवीय एजेंसी तथा समानता के बारे में गहन नैतिक चिंताओं को भी जन्म मिलता है, जिनका सावधानीपूर्वक समाधान किया जाना चाहिये। जोखिमों को कम करने हेतु मज़बूत शासन ढाँचे की स्थापना करते हुए BCIs की उपयोगिता का लाभ उठाने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण इस क्षेत्र को प्रासंगिक बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

Q77. लोक सेवा में हितों के टकराव की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। व्यक्तिगत हित एवं व्यावसायिक कर्त्तव्यों के बीच टकराव की स्थिति का सिविल सेवक द्वारा किस प्रकार समाधान किया जाना चाहिये? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:
- हितों के टकराव को परिभाषित करते हुए परिचय लिखिये।
- हितों के टकराव के प्रकारों का उल्लेख कीजिये।
- हितों के टकराव को प्रबंधित करने के लिये लोक सेवकों के लिये रणनीति सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

लोक सेवा में हितों के टकराव की अवधारणा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जो सिविल सेवा में ईमानदारी, निष्पक्षता और लोगों के विश्वास से संबंधित है। हितों का टकराव तब होता है जब किसी सिविल सेवक के व्यक्तिगत हित उसके पेशेवर कर्त्तव्यों एवं ज़िम्मेदारियों से टकराते हैं।

- ऐसी स्थितियों से निपटने के लिये नैतिक सिद्धांतों की स्पष्ट समझ तथा स्थापित मानदंडों एवं विनियमों का पालन करना आवश्यक है।

मुख्य भाग:

हितों का टकराव:

- **वास्तविक संघर्ष:** वास्तविक संघर्ष तब होता है जब किसी लोक सेवक के व्यक्तिगत हित से उसके आधिकारिक निर्णय स्पष्ट रूप से प्रभावित होते हैं।
  - **उदाहरण:** किसी निविदा प्रक्रिया की देख-रेख करने वाले किसी लोक सेवक का एक नज़दीकी रिश्तेदार उस परियोजना के लिये बोली लगाने वाली कंपनी का मालिक हो।

- **स्पष्ट संघर्ष:** हितों का स्पष्ट संघर्ष तब होता है जब किसी लोक सेवक के कार्य व्यक्तिगत हितों के कारण पक्षपातपूर्ण होते हों।
  - **उदाहरण:** शिक्षा मंत्री दोस्ती का खुलासा किये बिना अपने जीवनसाथी के करीबी दोस्त के नेतृत्व में संचालित किसी निजी विश्वविद्यालय में बोलने का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। जिससे भविष्य के नीतिगत निर्णयों में संभावित पक्षपात के बारे में चिंता उत्पन्न होती है।

लोक सेवकों के लिये हितों के टकराव को प्रबंधित करने की रणनीतियाँ:

- **संभावित हितों के टकराव की पहचान तथा उन्हें प्रदर्शित करना:** सरकारी कर्मचारियों को अपने वरिष्ठों या आचार समिति के समक्ष किसी भी संभावित हितों के टकराव को प्रदर्शित करना चाहिये। पारदर्शिता से लोक विश्वास को बनाए रखने में मदद मिलने के साथ उचित कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होता है।
- **निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से अलग होना:** ऐसी स्थितियों में जहाँ हितों का स्पष्ट टकराव हो, सिविल सेवकों को यदि संभव हो तो विवादित मामले से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने से खुद को अलग कर लेना चाहिये।
  - यह कदम निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करने के साथ किसी भी अनुचित प्रभाव या पक्षपात की धारणा को रोकने में सहायक है।
- **स्वतंत्र निरीक्षण और जवाबदेही तंत्र:** संभावित हितों के टकराव की निगरानी और जाँच करने के लिये स्वतंत्र निरीक्षण निकायों या समितियों की स्थापना से लोक विश्वास एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा मिल सकता है।
  - इन तंत्रों के पास गैर-अनुपालन या अनैतिक आचरण के मामलों में उचित प्रतिबंध या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिये।
- **कार्यों का यादृच्छिक आवंटन:** सिविल सेवकों को विशिष्ट कार्यों, परियोजनाओं या निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का यादृच्छिक रूप से आवंटन करने से हितों के टकराव या पक्षपात की संभावना को कम किया जा सकता है।
  - यह दृष्टिकोण विशेष रूप से अनुबंध प्रदान करने, लाइसेंस देने या विनियामक निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है।
- **संघर्ष संवेदनशीलता प्रशिक्षण:** लोक सेवा विकास कार्यक्रमों में नियमित रूप से संघर्ष संवेदनशीलता प्रशिक्षण को शामिल किया जाना चाहिये। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को संभावित संघर्षों की पहचान करने, जोखिमों को समझने तथा शमन के लिये रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष:

नैतिक सिद्धांतों का पालन करने तथा हितों के टकरावों की पहचान, प्रदर्शन एवं प्रबंधन के लिये सक्रिय कदम उठाने से सिविल सेवक **लोगों का विश्वास बनाए रखने एवं सुशासन मानकों को कायम रखने** के साथ यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके **पेशेवर कर्त्तव्यों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से पालन** हो तथा जिन नागरिकों की वे सेवा करते हैं उनके व्यापक हित को प्राथमिकता दी जाए।

Q78. उभरती ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) प्रौद्योगिकी, मानव एवं मशीन इंटरेक्शन के बीच की रेखाओं को धुँधला कर रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) की प्रगति से संबंधित नैतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- BCI के नैतिक निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) मस्तिष्क एवं बाहरी कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच प्रत्यक्ष संचार मार्ग है। इससे तंत्रिका संकेतों को डिकोड करने के साथ उन्हें बाहरी प्रणालियों या उपकरणों को नियंत्रित करने हेतु आदेशों में ट्रांसलेट करके मानव-मशीन इंटरैक्शन के नए रूपों को सक्षम किया जा रहा है।

- BCI से मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप होने से आध्यात्मिक एवं भौतिक क्षेत्रों के बीच की रेखा धुँधली होती है।

BCI की प्रगति से जुड़े नैतिक निहितार्थ:

- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:** BCI में अत्यधिक संवेदनशील मस्तिष्क डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण शामिल है, जिससे गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिलता है।
  - इस व्यक्तिगत डेटा के स्वामित्व, भंडारण एवं संभावित दुरुपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं।
- **संज्ञानात्मक स्वतंत्रता और मानसिक गोपनीयता:** BCI से संभावित रूप से विचारों, भावनाओं एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में हेर-फेर हो सकती है, जिससे संज्ञानात्मक स्वतंत्रता तथा मानसिक गोपनीयता के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिलता है।
  - नैतिक विमर्श व्यक्तिगत स्वायत्तता की सीमाओं एवं बाहरी हस्तक्षेप से किसी के मन की पवित्रता को संरक्षित करने के अधिकार के इर्द-गिर्द घूमती है।

- **संवर्द्धन और समानता:** BCI प्रौद्योगिकियों का उपयोग संज्ञानात्मक संवर्द्धन के लिये किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से उपयोगकर्त्ताओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे- शिक्षा, रोज़गार या प्रतिस्पर्द्धी गतिविधियों में अनुचित लाभ मिल सकता है।
  - इससे "उन्नत" और "असंवर्द्धित" व्यक्तियों के बीच विभाजन पैदा करने की क्षमता के बारे में नैतिक प्रश्न उठता है।
- **एजेंसी और ज़िम्मेदारी:** BCI से मानव और मशीन नियंत्रण के बीच की रेखाएँ धुँधली होती हैं, जिससे ज़िम्मेदारी एवं जवाबदेहिता के बारे में नैतिक प्रश्न उठता है।
  - **मानव चेतना को सटीक रूप से डिकोड करने तथा उसका अनुकरण करने** से नैतिक प्रश्न उठते हैं।

निष्कर्ष:

उभरते हुए **BCIs में मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने की व्यापक संभावनाएँ** हैं, इससे मानवीय एजेंसी तथा समानता के बारे में **गहन नैतिक चिंताओं को भी जन्म मिलता** है, जिनका सावधानीपूर्वक समाधान किया जाना चाहिये। जोखिमों को कम करने हेतु **मज़बूत शासन ढाँचे की स्थापना करते हुए BCIs की उपयोगिता का लाभ उठाने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण** इस क्षेत्र को प्रासंगिक बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

केस स्टडीज़

Q79. आप एक ऐसे ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं, जहाँ महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और घरेलू हिंसा सहित अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह ज़िला बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी श्रमिकों का आश्रय स्थल भी है जो अक्सर नियोक्ताओं के शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। संबंधित ज़िला प्रशासन के पास सीमित संसाधन होने के साथ पुलिस बल में कर्मचारियों की कमी और काम के अधिक बोझ की समस्या है। हाल ही में एक स्थानीय एनजीओ ने इस ज़िले में महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों हेतु समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करने के प्रस्ताव के संदर्भ में आपसे संपर्क किया है। हालाँकि इस प्रस्ताव में पुलिस बजट से धनराशि का प्रमुख हिस्सा आवंटित होना शामिल है, जिससे पुलिस बल की परिचालन क्षमताएँ भी प्रभावित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक के रूप में आपके पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प के गुणों और दोषों की चर्चा करते हुए इस संदर्भ में अपनी कार्रवाई के क्रम के बारे में बताइए। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- इस मामले का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- इस मामले में शामिल विभिन्न हितधारकों के बारे में बताइये।
- इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये।
- एक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने द्वारा उठाए जाने वाले उपलब्ध विकल्पों और कार्रवाई के तरीकों पर चर्चा कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

इस मामले में ज़िले के पुलिस अधीक्षक को महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ अपराधों में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि से निपटना है साथ ही संबंधित ज़िला प्रशासन के पास सीमित संसाधन होने के साथ पुलिस बल में कर्मचारियों की कमी और कार्य के अधिक बोझ की समस्या है। ऐसे में एक स्थानीय एनजीओ ने ज़िले में महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों के लिये एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करने हेतु आपसे संपर्क किया है। हालाँकि इस प्रस्ताव में पुलिस बजट से धनराशि का प्रमुख हिस्सा आवंटित होना शामिल है।

इस मामले में शामिल विभिन्न हितधारक:
- पुलिस अधीक्षक
- ज़िला प्रशासन
- पुलिस बल
- ज़िले में महिला व प्रवासी श्रमिक
- हेल्पलाइन का प्रस्ताव देने वाला स्थानीय एनजीओ
- क्षेत्र के स्थानीय निवासी
- समाज

इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाएँ:
- **धन की कमी बनाम प्रवासियों की सुरक्षा की आवश्यकता:**
  - पुलिस बल की परिचालन क्षमताओं और महिलाओं तथा प्रवासी श्रमिकों के लिये प्रस्तावित हेल्पलाइन हेतु धन के आवंटन को संतुलित करना।
- **पुलिस बल की कमी बनाम अपराधों को रोकने की आवश्यकता:**
  - संबंधित ज़िले में महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- **जवाबदेहिता बनाम धन की कमी:**
  - पुलिस अधीक्षक के रूप में जवाबदेहिता के मुद्दे पर भी विचार करना आवश्यक है।
  - जनता को विश्वास होता है कि पुलिस कमजोर लोगों सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
  - इसलिये पुलिस अधीक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनता के प्रति जवाबदेह बने रहने के साथ संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपलब्ध विकल्प:

विकल्प 1: एनजीओ के प्रस्ताव को स्वीकार करना और महिलाओं तथा प्रवासी श्रमिकों के लिये एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करने हेतु पुलिस बजट से धन आवंटित करना।

- **गुण:**
  - समर्पित हेल्पलाइन उन महिलाओं तथा प्रवासी श्रमिकों को तत्काल सहायता प्रदान कर सकती है जो अपराध या शोषण की शिकार हैं।
  - यह हेल्पलाइन महिलाओं के खिलाफ अपराधों तथा प्रवासी श्रमिकों के शोषण के बारे में जानकारी एकत्र करने के साधन के रूप में भी कार्य कर सकती है, जिससे पुलिस बल को समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनका समाधान करने में मदद मिल सकती है।
- **दोष:**
  - पुलिस बजट से राशि आवंटित करने से पुलिस बल की परिचालन क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे नियमित पुलिसिंग कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना मुश्किल हो जा सकता है।
  - एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करने के लिये प्रशिक्षित कर्मियों और उपकरणों सहित महत्त्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों के प्रबंधन करने और लंबी अवधि में हेल्पलाइन की स्थिरता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

विकल्प 2: समर्पित हेल्पलाइन के लिये वैकल्पिक फंडिंग स्रोतों का पता लगाना।

- **गुण:**
  - वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों को खोजने से पुलिस बजट पर प्रभाव कम हो सकता है, जिससे पुलिस बल को अपनी परिचालन क्षमताओं को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
  - अन्य संगठनों या सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करने से अपराध तथा शोषण के शिकार लोगों की सहायता करने हेतु एक स्थायी नेटवर्क बनाने में मदद मिल सकती है।
- **दोष:**
  - फंडिंग के वैकल्पिक स्रोतों को खोजने में समय लग सकता है, जिससे समर्पित हेल्पलाइन के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है।
  - अन्य संगठनों या सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिये अतिरिक्त समन्वय और प्रबंधन प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है, जो कि ज़िला प्रशासन के सीमित संसाधनों को देखते हुए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

विकल्प 3: अपराध और शोषण के मूल कारणों को दूर करने के लिये निवारक उपायों पर ध्यान देना।

- **गुण:**
  - अपराध और शोषण के मूल कारणों को हल करने से दीर्घावधि में इन घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे पुलिस बल के लिये ऐसी स्थितियों का प्रबंधन करना आसान होगा।
  - जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे निवारक उपायों को लागू करने से एक सुरक्षित और अधिक तार्किक समुदाय के विकास में मदद मिल सकती है।
- **दोष:**
  - निवारक उपायों से अपराध और शोषण के पीड़ितों को तत्काल राहत नहीं मिल सकती है।
  - निवारक उपायों को लागू करने के लिये महत्त्वपूर्ण संसाधनों और अन्य संगठनों या सरकारी एजेंसियों के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, जो कि ज़िला प्रशासन के सीमित संसाधनों को देखते हुए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

कार्रवाई का क्रम:

- पुलिस अधीक्षक के रूप में सबसे पहले मैं सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के साथ उन क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने पर बल दूँगा।
- इस क्रम में व्हाट्सएप ग्रुप जैसा समर्पित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित करते हुए हेल्पलाइन हेतु पुलिस बजट से धन आवंटित करने का प्रयास करूँगा कि पुलिस बल की परिचालन क्षमताएँ अधिक प्रभावित न हों।
- पुलिस अधीक्षक के रूप में स्थानीय एनजीओ के साथ इस तरह से कार्य करूँगा, जिससे हेल्पलाइन स्थापित करने में पुलिस बजट अधिक प्रभावित न हो।
- ज़िले में महिलाओं तथा प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ बढ़ते अपराधों से निपटने के लिये पुलिस बल को अतिरिक्त धन प्रदान करने हेतु ज़िला प्रशासन के साथ समन्वय पर बल दूँगा।

निष्कर्ष:

पुलिस अधीक्षक के रूप में मैं यह सुनिश्चित करते हुए प्रस्तावित हेल्पलाइन के लिये पुलिस बजट से धन आवंटित करूँगा कि पुलिस बल की परिचालन क्षमताएँ अधिक प्रभावित न हों। इससे ज़िले में महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने और पुलिस बल तथा स्थानीय समुदाय के बीच सकारात्मक संबंध बनाने में मदद मिलेगी।

Q80. आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी XYZ के सीईओ हैं। यह कंपनी श्री राकेश को एक नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त करती है, जिन्हें अल्पकालिक लाभप्रदता बढ़ाने और लागत में कटौती के उपायों को प्राथमिकता देने के लिये जाना जाता है। उनके नेतृत्व में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में तो सुधार होता है, लेकिन कुछ नैतिक चिंताएँ भी उत्पन्न होती हैं।

श्री राकेश उन रणनीतियों को लागू करते हैं जिनमें ऋण के माध्यम से पूंजी प्रवाह बढ़ाना तथा कर्मचारियों पर कार्य का अत्यधिक दबाव डालना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनकी नीतियों के माध्यम से कंपनी के शेयरों के मूल्य में वृद्धि होने लगी और बहुत जल्द ही श्री राकेश की निदेशक मंडल की नजर में अच्छी छवि बन गई।

इस कंपनी के कर्मचारी क्रमिक रूप से कंपनी छोड़ने लगते हैं। इस संदर्भ में शुरूआती पूछताछ में पता चलता है कि राकेश के अनियंत्रित व्यवहार के कारण कर्मचारी कंपनी छोड़ रहे हैं। आपको यह भी पता चलता है कि राकेश की नीतियाँ अल्पावधि में तो लाभ को बढ़ावा देंगी लेकिन वे दीर्घावधि में स्थिरता के लिये उपयुक्त नहीं हैं। श्री राकेश ने जो सुखद तस्वीर पेश की है वह पूरी तरह सही नहीं है। वह विनियामक खामियों का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरणों में हेरफेर करता है और कृत्रिम रूप से कंपनी की लाभप्रदता में वृद्धि दिखाता है। इससे निवेशक तो आकर्षित होते हैं लेकिन इससे वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और पारदर्शिता पर सवाल उठता है।

इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं और इस स्थिति के समाधान हेतु आपके पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- इस मुद्दे का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- इस मामले में शामिल विभिन्न हितधारकों के बारे में चर्चा कीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये।
- इस संदर्भ में उपलब्ध विकल्पों को बताते हुए की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

इस मामले में XYZ निगम एक नए प्रबंधक की नियुक्ति करता है जो अल्पकालिक लाभप्रदता और लागत में कटौती को प्राथमिकता देता है। इससे लाभ तो बढ़ता है लेकिन इसमें नैतिक चिंताएँ उभरने के साथ कर्मचारियों को निकाला जाना शामिल है। प्रारंभिक जाँच में अस्थिर नीतियों और कृत्रिम लाभप्रदता के लिये वित्तीय विवरणों में हेर-फेर करने के बारे में पता चला है। यह मामला दीर्घकालिक स्थिरता और नैतिकता के साथ अल्पकालिक लाभ को संतुलित करने के महत्त्व को रेखांकित करता है।

मुख्य भाग:

शामिल हितधारक:
- कंपनी
- शेयरधारक
- कर्मचारी
- निदेशक मंडल
- सीईओ के रूप में स्वयं आप

इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे:
- **कर्मचारियों के साथ अनैतिक व्यवहार:**
  - श्री राकेश के व्यवहार और प्रबंधन शैली से कर्मचारियों पर कार्य का अत्यधिक दबाव पड़ने के साथ वह कंपनी छोड़ने के लिये मजबूर हो रहे हैं। इससे कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष और नैतिक व्यवहार करने के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अभाव:**
  - श्री राकेश द्वारा वित्तीय विवरणों में हेर-फेर करना गंभीर नैतिक चिंताएँ पैदा करता है। कंपनी की लाभप्रदता को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर, वह कंपनी की वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत

करता है। यह न केवल निवेशकों को धोखा देता है बल्कि वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की सटीकता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा से भी समझौता करता है।

- श्री राकेश द्वारा वित्तीय विवरणों में हेराफेरी के साथ गलत जानकारी प्रस्तुत करने से पारदर्शिता और जवाबदेहिता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।

- **दीर्घकालिक स्थिरता की कीमत पर अल्पकालिक लाभ पर बल देना:**
  - श्री राकेश द्वारा अल्पकालिक लाभप्रदता पर बल देने के साथ लागत में कटौती के उपायों को महत्त्व देने से कंपनी के शेयरों के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। हालांकि इससे कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता की उपेक्षा होती है। दीर्घकालिक व्यवहार्यता की तुलना में अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देने से कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचने के साथ कर्मचारियों के मनोबल में और हितधारकों के विश्वास में कमी आ सकती है। अंततः इससे कंपनी की दीर्घकालिक सफलता प्रभावित होती है।

सीईओ के रूप में आपके समक्ष उपलब्ध विकल्प निम्नलिखित हैं:

1. राकेश को उनके पद से हटाना:

- **गुण:**
  - इससे संगठन के अंदर नैतिक मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।
  - यह स्पष्ट संदेश देता है कि अनैतिक व्यवहार और प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  - इससे कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाया जा सकता है।
- **दोष:**
  - ऐसे कदम से संगठन के अंदर नेतृत्वकर्त्ता के अस्थायी अभाव से अनिश्चितता हो सकती है।
  - इससे शुरू में निदेशक मंडल और सकारात्मक वित्तीय परिणाम से आशान्वित होने वाले निवेशकों के विश्वास में कमी आ सकती है।
  - इससे कानूनी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

2. निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना:

- **गुण:**
  - उनकी विशेषज्ञता और अनुभव से तार्किक निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
  - बोर्ड को शामिल करने से उचित कार्रवाई करने के क्रम में उचित निर्णय लेने की संभावना बढ़ सकती है।
  - इससे बोर्ड अपने निरीक्षण कर्तव्यों को पूरा करने के साथ उचित कार्रवाई करने में सक्षम हो सकता है।
- **दोष:**
  - बोर्ड की संरचना और श्री राकेश के साथ इसके संबंधों से हितों का टकराव होने के साथ निष्पक्ष निर्णय में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  - बोर्ड की नजर में राकेश की छवि, आपके दृष्टिकोण के खिलाफ हो सकती है।

3. इस मामले की उपेक्षा करते हुए अपने आप से इस समस्या के उजागर होने की प्रतीक्षा करना:

- **गुण:**
  - आप राकेश की अनैतिक प्रथाओं और वित्तीय हेरफेर के खिलाफ अतिरिक्त सबूत इकट्ठा कर सकते हैं।
  - ऐसे में अनैतिक प्रथाओं और वित्तीय हेरफेर को नियामक निकायों एवं लेखा परीक्षकों द्वारा उजागर किया जा सकता है।
  - इस मुद्दे की उपेक्षा करने से इस संदर्भ में होने वाले संघर्षों से बचा जा सकता है।
- **दोष:**
  - कार्रवाई में विलंब होने से कंपनी की प्रतिष्ठा, वित्तीय स्थिरता के साथ कर्मचारियों के मनोबल को अधिक नुकसान हो सकता है।
  - अनैतिक व्यवहार के प्रति निष्क्रियता या उदासीनता से हितधारकों के विश्वास में कमी हो सकती है।
  - कार्य की खराब परिस्थितियों के कारण कंपनी की उत्पादकता के साथ कर्मचारियों के मनोबल पर असर पड़ सकता है।
  - किसी तीसरे पक्ष द्वारा इस मुद्दे का खुलासा करने से इसमें कानूनी जटिलताएँ होने के साथ कंपनी की स्थिति को नुकसान पहुँच सकता है।

इस संदर्भ में कार्रवाई का क्रम:

- **तटस्थ जाँच करना:** श्री राकेश के व्यवहार और वित्तीय रिपोर्टिंग के खिलाफ आरोपों की गहन जाँच शुरू करना।
- **वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की समीक्षा करना:** किसी भी प्रकार की अनियमितताओं या संभावित विनियामक उल्लंघनों की पहचान करने के लिये कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।
- **निदेशक मंडल के साथ संवाद करना:** निदेशक मंडल के साथ आंतरिक जाँच और वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा के निष्कर्षों को साझा करना।

- **कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करना:** राकेश के व्यवहार से संबंधित कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिये उन्हें खुले और पारदर्शी संचार में संलग्न करके तत्काल कार्रवाई करना।
- **यदि आवश्यक हो तो श्री राकेश को हटाना:** यदि राकेश और उनके कार्यों को कंपनी के दीर्घकालिक हितों के लिये हानिकारक माना जाता है, तो उन्हें उनके पद से हटाने पर विचार किया जाना।
- **शासन और नियंत्रण प्रणाली को मज़बूत करना:** भविष्य में इसी तरह के मुद्दों को रोकने के लिये मजबूत शासन तंत्र के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर बल देना।
- **दीर्घकालिक रणनीति विकसित करना:** सतत् विकास, नैतिक प्रथाओं और कर्मचारियों के कल्याण पर केंद्रित एक व्यापक एवं दीर्घकालिक रणनीति विकसित करना।
- **विश्वसनीयता बहाल करना:** कंपनी की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिये कदम उठाना। इस स्थिति से निपटने के लिये की गई पहलों के बारे में निवेशकों, ग्राहकों और कर्मचारियों सहित हितधारकों को स्पष्ट रूप से बताना।

निष्कर्ष:

सीईओ के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि श्री राकेश की रणनीतियों से जुड़ी नैतिक चिंताओं की पूरी तरह से जाँच करके, विश्वास और पारदर्शिता बहाल करने के उपायों को लागू करने के माध्यम से इन्हें हल करने का प्रयास किया जाए। कंपनी की प्रतिष्ठा और सफलता के लिये इस संदर्भ में दीर्घकालिक स्थिरता और नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देना महत्त्वपूर्ण है।

Q81. आप एक सरकारी कार्यालय में कार्य करते हैं तथा आपकी विशेषज्ञता और भरोसे के कारण, आपको चुनाव ड्यूटी के लिये चुना गया है। आपकी भूमिका में मतदान केंद्र के संचालन की देखरेख, मतदान मशीनों का रखरखाव और चुनाव अधिकारियों के आचरण की निगरानी करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कराना शामिल है।

चुनाव के दौरान आपको पता चलता है कि आपका साथी चुनाव अधिकारी (जो आपका अच्छा दोस्त है) कदाचार में लिप्त है। यह अधिकारी किसी विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेकर मतदान प्रक्रिया में हेरफेर करने के साथ अनाधिकृत व्यक्तियों को कई बार मतदान करने की अनुमति दे रहा है और कुछ लोगों के मतदान को रोकने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि इस अधिकारी के कार्य से न केवल चुनाव की सत्यनिष्ठा के साथ समझौता होता है बल्कि निष्पक्षता और पारदर्शिता से संबंधित चुनावी सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।

इस संदर्भ में आप संभावित व्यक्तिगत परिणामों तथा चुनाव प्रक्रिया के प्रति अपने कर्त्तव्यों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करेंगे ?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- इस मामले का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- इस मामले में शामिल विभिन्न हितधारकों के बारे में चर्चा कीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये।
- इस संबंध में उपलब्ध विकल्पों तथा आवश्यक कार्रवाई के क्रम पर चर्चा कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एक चुनाव अधिकारी के रूप में मुझे चुनाव ड्यूटी की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरी विशेषज्ञता और भरोसे के कारण इस भूमिका के लिये मेरा चयन हुआ है तथा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कराने में मेरी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। मेरे कर्तव्यों में मतदान केंद्र की निगरानी करना, मतदान मशीनों का रखरखाव करना और साथी चुनाव अधिकारियों के आचरण की निगरानी करने के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना शामिल है।

मुख्य भाग:

शामिल हितधारक:

- मैं और मेरा दोस्त
- निर्वाचन आयोग
- मतदाता
- राजनीतिक दल
- चुनाव अधिकारी
- समाज

इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे:

- निष्पक्षता
- सत्यनिष्ठा
- जवाबदेहिता
- सार्वजनिक हित
- साहस

मेरे समक्ष उपलब्ध विकल्प:

अपने मित्र से उसके भ्रष्ट आचरण के संबंध में बात करना: मैं अपने मित्र से व्यक्तिगत रूप से बात करने की कोशिश करूँगा और उसे उसके भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिये सहमत करूँगा। मैं चुनाव प्रक्रिया, मतदाताओं और स्वयं के प्रति उसके कार्यों के परिणामों की नकारात्मकता के बारे में चर्चा करूँगा। मैं उससे कर्त्तव्य, नैतिकता और मित्रता की भावना का पालन करने की अपील करूँगा। इसके साथ ही मैं यह चेतावनी दूँगा कि अगर भ्रष्ट आचरण जारी रखा तो मैं इसकी रिपोर्ट भी करूँगा।

- **गुण:**
  - **दोस्ती पर प्रभाव न पड़ना:** व्यक्तिगत रूप से बात करने से हमारी दोस्ती कायम रहने के साथ इस समस्या का हल हो सकता है।
  - **आंतरिक स्तर पर समस्या का समाधान होना:** आंतरिक स्तर पर समस्या का समाधान होने से मित्र की प्रतिष्ठा एवं करियर के साथ चुनाव प्रक्रिया से संबंधित नकारात्मक परिणामों को रोका जा सकता है।
- **दोष:**
  - **सीमित प्रभाव होना:** व्यक्तिगत बातचीत एक हद तक प्रभावशाली हो सकती है लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरा मित्र मेरे अनुसार अपने व्यवहार को बदल देगा।
  - **सत्यनिष्ठा से समझौता:** कदाचार की जानकारी होने पर इसकी तुरंत सूचना न देने से एक चुनाव अधिकारी के रूप में मेरी सत्यनिष्ठा के साथ समझौता होगा।
  - **संभावित व्यक्तिगत और पेशेवर दुष्परिणाम:** इस मुद्दे को निजी तौर पर हल करने और इसकी तुरंत रिपोर्ट न करने से मुझे इस कार्य में सहभागी के रूप में देखा जा सकता है।

अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराना: मैं इस मुद्दे की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों या चुनाव आयोग को करूँगा। मैं उसके गलत कार्य का सबूत देते हुए तत्काल जाँच का अनुरोध करूँगा।

- **गुण:**
  - **चुनाव की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित होना:** कदाचार की सूचना अधिकारियों को देने से चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा बनाए रखने में मदद मिलेगी।
  - **निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखना:** इस मुद्दे की रिपोर्ट करके मैं निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखूँगा जो एक लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के लिये आवश्यक हैं। इससे चुनाव के प्रति नैतिक आचरण और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होगी।
  - **कानूनी और संस्थागत समर्थन प्राप्त होना:** इससे उपयुक्त अधिकारियों को जाँच करने और स्थापित कानूनी तथा संस्थागत प्रक्रियाओं के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी।
  - **ऐसी घटनाओं की रोकथाम होना:** इससे भविष्य में कदाचार की घटनाओं को रोकने में मदद मिलने के साथ चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- **दोष:**
  - **संबंधों में तनाव की संभावना:** मित्र या सहकर्मी के भ्रष्ट आचरण की रिपोर्ट करने से उससे मेरे व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंधों में तनाव आ सकता है। इससे संघर्ष हो सकता है (खासकर अगर आरोपों में शामिल व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होने के साथ नकारात्मक कानूनी परिणाम होते हैं)।
  - **प्रतिशोध या प्रतिक्रिया:** इस समस्या की रिपोर्ट करने से मुझे संभावित प्रतिशोध या प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।
  - **संभावित कार्रवाई न होना:** इस समस्या की रिपोर्ट करना महत्त्वपूर्ण है लेकिन इस बात की संभावना है कि संबंधित अधिकारी कदाचार को दूर करने के लिये तत्काल या प्रभावी कार्रवाई न करें।
  - **साक्ष्यों की आवश्यकता:** कदाचार की रिपोर्ट हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है। अगर ठोस सबूत की कमी है तो आरोपों को साबित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

संभावित व्यक्तिगत परिणामों तथा चुनाव प्रक्रिया के प्रति अपने कर्त्तव्यों के बीच संतुलन के आलोक में मेरी कार्रवाई का क्रम:

- **अपने दोस्त से बात करना:** मैं अपने दोस्त से अकेले में बात करके इस स्थिति की गंभीरता को समझाऊँगा। मैं उसे चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा के प्रति कर्तव्य तथा उसके कार्यों के संभावित नकारात्मक परिणामों के बारे में बताऊँगा। मैं उसे यह भी चेतावनी दूँगा कि अगर अधिकारियों को उसकी गतिविधियों के बारे में पता चला, तो वह गंभीर संकट में पड़ सकता है।
- **विश्वसनीय सहयोगियों या वरिष्ठों के साथ परामर्श करना:** गोपनीयता बनाए रखते हुए मैं उन व्यक्तियों से भी सलाह (यदि आवश्यक हो) लूँगा, जिन पर मुझे भरोसा है, जिनके पास ऐसी स्थितियों से निपटने का अनुभव या विशेषज्ञता हो। इससे मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा।
- **समस्या की रिपोर्ट करना:** यदि मेरा मित्र अपनी गतिविधियों को बंद नहीं करता है तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर को इस समस्या की सूचना देने के लिये समान विचारधारा वाले सहयोगियों से मदद लूँगा। इस तरह मैं व्यक्तिगत संबंधों और कर्त्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रख सकूँगा।

- **जाँच प्रक्रिया में सहयोग करना:** मैं अतिरिक्त जानकारी प्रदान करके या आवश्यकता पड़ने पर गवाही देकर जाँच में पूरा सहयोग करूँगा।
- **गोपनीयता बनाए रखना:** जैसे-जैसे इस स्थिति के बारे में सबको पता चलेगा मैं इस मामले पर खुले तौर पर चर्चा करने के बारे में सतर्क रहूँगा ताकि जाँच से समझौता न हो या मतदाताओं के बीच अनुचित घबराहट पैदा न हो।
- **अपनी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना:** संभावित प्रतिशोध की आशंका को देखते हुए मैं अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिये उचित कदम उठाऊँगा, यदि आवश्यक हो तो संबंधित अधिकारियों से सहायता भी लूँगा।

निष्कर्ष:

संभावित व्यक्तिगत परिणामों के साथ चुनाव प्रक्रिया के प्रति अपने कर्त्तव्यों को संतुलित करना एक चुनौतीपूर्ण और नैतिक रूप से जटिल स्थिति हो सकती है। मुझे सौंपे गए कर्त्तव्य का पालन करते हुए मैं अपने मित्र को उसके कार्यों में सुधार का अवसर दूँगा। हालाँकि एक चुनाव कर्मचारी के रूप में व्यक्तिगत संबंधों की तुलना में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

Q82. आप एक ऐसे ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं जहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध (जैसे बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि) की घटनाएँ अधिक होती हैं। आप पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने के साथ लोगों में जागरूकता पैदा करने, कानूनी तथा चिकित्सा सहायता प्रणालियों को मजबूत करने आदि के माध्यम से इस स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि आपको अपने प्रयासों में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें पर्याप्त कर्मचारियों और बुनियादी ढाँचे की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव, सामाजिक कलंक और पूर्वाग्रह, मीडिया द्वारा मामले को सनसनीखेज बनाना एवं जन-दबाव आदि शामिल हैं। एक दिन आपको एक महिला का फोन आता है जो दावा करती है कि उसके साथ चार पुरुषों ने सामूहिक बलात्कार किया है जो समाज में काफी प्रभावशाली स्थिति में हैं। वह कहती है कि वह अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठा के डर से पुलिस स्टेशन या अस्पताल जाने से डर रही है। वह आपसे मदद करने का अनुरोध करती है।

- इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?
- इस स्थिति से निपटने के लिये आपके पास कौन से संभावित विकल्प उपलब्ध हैं ?
- इस संदर्भ में आपकी कार्रवाई क्या होगी और क्यों ?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- इस समस्या का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- इस मामले में शामिल विभिन्न हितधारकों के बारे में चर्चा कीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये।
- इस संदर्भ में उपलब्ध विकल्पों तथा की जाने वाली कार्रवाई के क्रम पर चर्चा कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

इस मामले में एक महिला (जिसके साथ चार प्रभावशाली लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है), पुलिस अधीक्षक से मदद मांगती है। वह अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठा के डर से पुलिस स्टेशन या अस्पताल जाने से डरती है। पुलिस अधीक्षक के रूप में कई चुनौतियों और बाधाओं के आलोक में मुझे ज़िले में महिलाओं के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं से निपटने के साथ पीड़ितों के लिये न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित कराना आवश्यक है।

शामिल हितधारक:
- पीड़िता व उसके परिजन
- एसपी के रूप में स्वयं मैं
- पुलिसकर्मी
- मेडिकल पेशेवर
- दोषी व्यक्ति और उनके संबंधी
- आमजन और मीडिया

इसमें शामिल नैतिक दुविधाएँ:
- **सुरक्षा का कर्त्तव्य:** एक पुलिस अधीक्षक के रूप में पीड़ित सहित जिले में सभी व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण करना मेरा कर्त्तव्य है।
- **न्याय और निष्पक्षता:** इस मामले में अपराधी काफी प्रभावशाली स्थिति में हैं। इससे संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं जो निष्पक्ष जाँच प्रक्रिया में बाधा बन सकती हैं।
- **गोपनीयता और विश्वास:** पीड़िता ने डर व्यक्त किया है कि अगर उसका मामला सबके सामने आता है तो उसकी प्रतिष्ठा से समझौता होगा। इसीलिये पीड़िता की गोपनीयता का सम्मान करना आवश्यक है।

उपलब्ध विकल्प:

1. **समस्या को तत्काल रिपोर्ट करना:** समस्या को तत्काल रिपोर्ट कर इस संदर्भ में कार्रवाई करना।

- **गुण:**
  - **साक्ष्य जुटाना:** इससे समय पर DNA नमूने, गवाह के बयान या निगरानी फुटेज जैसे सटीक साक्ष्य एकत्र करने की संभावना बढ़ जाती है।
  - **शीघ्र कार्रवाई होना:** कानून प्रवर्तन इकाइयों द्वारा तत्काल कार्रवाई शुरू हो सकेगी जैसे कि लुकआउट नोटिस जारी करना, तलाशी लेना या संदिग्धों को पकड़ना। इससे आरोपी को भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सकता है।
  - **पीड़िता को सहायक सेवाएँ मिलना:** इससे सुनिश्चित होगा कि पीड़िता को समय पर चिकित्सा सहायता, परामर्श और सहायक सेवाएँ प्राप्त हो सकें। इससे पीड़िता को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्राप्त होगी।
  - **कानूनी कार्रवाई होना:** अपराध की तत्काल रिपोर्ट करने से दोषी पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
- **दोष:**
  - **प्रतिशोध का डर:** पीड़िता को दोषियों या उनके सहयोगियों से बदले की कार्रवाई का डर हो सकता है।
  - **भावनात्मक संकट:** घटना के तुरंत बाद पीड़िता भावनात्मक रूप से परेशान हो सकती है जिससे उसके लिये अपराध की रिपोर्ट करने के लिये आवश्यक शक्ति या संयम बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
  - **सामाजिक कलंक और पूर्वाग्रह:** किसी अपराध (विशेष रूप से यौन शोषण) की रिपोर्ट करने से पीड़िता को सामाजिक कलंक या पूर्वाग्रही व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है।
  - **पीड़िता को अन्य परेशानी होना:** अपराध की तुरंत रिपोर्ट करने से पीड़िता को जाँच प्रक्रिया एवं बार-बार पूछताछ के कारण अतिरिक्त परेशानी हो सकती है।

2. **रिपोर्टिंग के वैकल्पिक तरीकों की तलाश करना:** इस मामले में पीड़िता डरी हुई है इसीलिये इसमें गैर सरकारी संगठनों, महिला सहायता संगठनों को शामिल करने जैसे वैकल्पिक तरीकों पर विचार किया जा सकता है।

- **गुण:**
  - **सुरक्षा प्राप्त होना:** इससे पीड़िता को अधिक सुरक्षित माहौल मिल सकता है तथा वह दोषियों के तत्काल प्रतिशोध के जोखिम से बच सकती है।
  - **पीड़िता के विश्वास में वृद्धि होना:** इससे पीड़िता अपनी समस्याओं को साझा करने में अधिक सहज महसूस कर सकती है, जिससे उसके द्वारा इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की संभावना बढ़ जाती है।
  - **कलंक और पूर्वाग्रह में कमी आना:** पुलिस थानों जैसी औपचारिक संस्थाओं के तत्काल हस्तक्षेप से बचकर पीड़िता, सामाजिक कलंक या पूर्वाग्रह के प्रति कम जोखिम महसूस कर सकती है।
  - **सहायक संगठनों से सहयोग मिलना:** वैकल्पिक तरीकों में अक्सर गैर-सरकारी संगठनों और सहायक संगठनों से सहयोग मिलना शामिल होता है। ये संगठन व्यापक समर्थन, परामर्श, कानूनी सलाह और अन्य सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
- **दोष:**
  - **सबूतों के संग्रह में देरी होना:** वैकल्पिक रिपोर्टिंग विकल्पों को चुनने से महत्त्वपूर्ण साक्ष्य संग्रह करने में देरी हो सकती है जिससे जाँच और अभियोजन के दौरान मामला कमजोर हो सकता है।
  - **जाँच क्षमता का सीमित होना:** यदि पीड़िता पुलिस को तुरंत रिपोर्ट नहीं करती है तो इससे औपचारिक जाँच करना चुनौतीपूर्ण या सीमित हो सकता है।
  - **हस्तक्षेप के साथ पीड़िता पर अनावश्यक दबाव की संभावना:** यदि दोषी व्यक्ति प्रभावशाली हैं तो राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ पीड़िता पर मामले को दबाने का दबाव डाला जा सकता है।
  - **आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण का अभाव:** इससे आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण या साक्ष्यों की कमी के परिणामस्वरूप औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता को न्याय प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
  - **संसाधनों की आवश्यकता:** इसमें अतिरिक्त संसाधनों के साथ विभिन्न हितधारकों जैसे- गैर सरकारी संगठनों, सहायक संगठनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता हो सकती है। जिससे चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

कार्रवाई का उचित क्रम:

- **पीड़िता को आश्वस्त करना:**
  - पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़िता से व्यक्तिगत रूप से बात कर उसकी गोपनीयता का ध्यान रखने के साथ उसकी सुरक्षा का आश्वासन देना।
  - पीड़िता को उपलब्ध सहायक सेवाओं के साथ चिकित्सा के महत्त्व के बारे में जानकारी प्रदान करना।

- **तत्काल सुरक्षा उपाय प्रदान करना:**
  - सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने के साथ सुरक्षित स्थान प्रदान कर पीड़िता की तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था करना।
  - पुलिस स्टेशन या अस्पताल जाने के क्रम में पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **गोपनीय रिपोर्टिंग:**
  - पीड़िता को गोपनीय रिपोर्टिंग का विकल्प प्रदान करना जिसके तहत वह किसी विश्वसनीय अधिकारी से सीधे शिकायत करने के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों के समाधान हेतु समर्पित हेल्पलाइन का सहारा ले सकती है।
  - पीड़िता को आश्वस्त करना कि जाँच और कानूनी कार्यवाही के दौरान उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
- **पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना:**
  - पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये महिला पुलिस अधिकारियों को लगाना।
  - चूँकि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हैं इसलिये ये पीड़िता पर मामला वापस लेने का दबाव बना सकते हैं।
- **स्वतंत्र जाँच सुनिश्चित करना:**
  - जाँच हेतु वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को नियुक्त करने के साथ यह सुनिश्चित करना कि वह निष्पक्ष होने के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो।
  - बाहरी प्रभाव या पूर्वाग्रह का पता लगाने तथा रोकने के लिये जाँच प्रगति की निगरानी करना।
- **सहायक सेवाओं की व्यवस्था करना:**
  - पूरी प्रक्रिया के दौरान भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये पीड़िता को परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों या सहायक संगठनों द्वारा सहायता प्रदान करना।
  - पीड़िता को सहायता प्रदान करने के लिये गैर सरकारी संगठनों और सहायक संगठनों के साथ सहयोग करना।
- **कानूनी सहयोग प्रदान करना:**
  - कार्रवाई के दौरान पीड़िता को सहायक कानूनी सेवाओं को प्रदान करना।
  - अभियोजकों और कानूनी अधिकारियों के साथ सहयोग करना ताकि अपराधियों को कठोर सजा मिलने के साथ पीड़िता के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
- **जन जागरूकता और मीडिया प्रबंधन:**
  - पीड़िता की गोपनीयता का सम्मान करते हुए इस मामले के बारे में सटीक और संतुलित जानकारी प्रदान करने हेतु मीडिया के साथ समन्वय करना।
  - यह भी सुनिश्चित करना कि मीडिया द्वारा मामले को संवेदनशील न बनाया जाए।
  - महिलाओं के खिलाफ अपराधों, उनके प्रभावों और पीड़ितों को समर्थन देने के महत्त्व के संबंध में लोगों को शिक्षित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।

निष्कर्ष:

एक पुलिस अधीक्षक के रूप में मेरा यह कर्त्तव्य है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ पीड़िता के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके। ऐसा करने के लिये पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, विद्यमान परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपनी कार्यशैली तैयार करूँगा। इसके साथ पीड़िता को न्याय हेतु आश्वस्त करने, इस संदर्भ में जानकारी एकत्र करने, गोपनीयता बनाए रखने और मामले की बारीकी से निगरानी करने पर बल दूँगा। इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के क्रम में जागरूकता बढ़ाने, पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने एवं इसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करूँगा।

Q83. श्री चंद्रकांत एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। इस कॉलेज का एक प्रोफेसर सत्ताधारी दल के एक विधायक का साला है। यह प्रोफेसर महिला शिक्षकों और छात्राओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार करता है। कई महिलाओं ने उस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने उसके व्यवहार को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। यह इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से डरती हैं क्योंकि ऐसा करने पर प्रोफेसर ने उनका करियर खराब करने की धमकी दी है।

इस स्थिति में श्री चंद्रकांत दुविधा में हैं। वह प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन विधायक और संबंधित दल के संभावित राजनीतिक विरोध के कारण उन्हें ऐसा करने का डर बना हुआ है। वह जानते हैं कि प्रोफेसर महिलाओं को परेशान करने और उनकी प्रतिष्ठा तथा अधिकारों का उल्लंघन करने के लिये अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा है। वह यह भी जानते हैं कि प्रोफेसर के कार्यों के कारण प्रताड़ित महिलाएँ मानसिक आघात और असुरक्षा से पीड़ित हैं।

1. **इस मामले में कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?**
2. **इस संदर्भ में श्री चंद्रकांत के लिये कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?**
3. **ऐसे में श्री चंद्रकांत को क्या करना चाहिये और क्यों?**

उत्तर :

परिचय:

उपर्युक्त मामले में एक कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री चंद्रकांत के समक्ष एक दुविधा है। इस कॉलेज के एक प्रोफेसर (जो एक सत्ताधारी दल के विधायक का साला है) पर महिला शिक्षकों और छात्रों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगा है। अपने करियर से संबंधित खतरों के कारण इस संदर्भ में पीड़ित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से डरते हैं। श्री चंद्रकांत इस प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन वह संभावित राजनीतिक परिणामों से डरते हैं। इस मामले में सत्ता की प्रभावशीलता के कारण न्याय और अधिकारों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रश्नचिन्ह लगना शामिल है।

इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे:

- यौन उत्पीड़न
- शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग
- नैतिक जिम्मेदारी
- हितों का टकराव
- मानवाधिकारों का हनन
- व्यावसायिक नैतिकता को बनाए रखने में विफलता

इस मामले में शामिल हितधारक:

- प्रोफेसर
- महिला शिक्षिकाएँ और छात्राएँ
- श्री चंद्रकांत
- सत्ता पक्ष के विधायक
- वरिष्ठ अधिकारी

श्री चंद्रकांत के समक्ष उपलब्ध विकल्प:

- **कुछ भी न करना:** विधायक और उसके दल से होने वाली किसी भी संभावित परेशानी से बचने के लिये शिकायतों को अनदेखा करना और इस मामले में शांत रहना।
- **जाँच की दिशा में कार्य करना:** इन आरोपों की जाँच के लिये कॉलेज में एक आंतरिक समिति का गठन करना।
- **प्रोफेसर से प्रत्यक्ष रूप से बात करना:** यदि श्री चंद्रकांत को लगता है कि प्रोफेसर इस प्रकार के व्यवहार के प्रभावों से अनजान है तो यह एक प्रभावी विकल्प हो सकता है। हालाँकि यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यदि प्रोफेसर अपने व्यवहार को बदलने का इच्छुक नहीं है तो यह प्रभावी नहीं हो सकता है।
- **इस मामले को विधायक तक पहुँचाना:** चूँकि विधायक जनप्रतिनिधि होता है इसलिये प्रोफेसर के इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिये यह एक प्रभावी विकल्प हो सकता है।
- **इस मामले की उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना:** उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप और समर्थन हेतु इस मामले की रिपोर्ट करना।
- **इस मामले की पुलिस को रिपोर्ट करना:** पुलिस में शिकायत दर्ज करने हेतु पीड़ितों को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना।

इस संदर्भ में कार्रवाई का संभावित क्रम:

चूँकि यह मामला बहुत गंभीर है जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी शामिल है। ऐसे में श्री चंद्रकांत के लिये सबसे नैतिक और उपयुक्त विकल्प यह है कि पीड़ितों को पुलिस के समक्ष कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिये प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान किया जाए ताकि इस संदर्भ में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सके। इसके अलावा उन्हें निम्नलिखित पर भी बल देना चाहिये:

- **पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करना:** श्री चंद्रकांत को पीड़ितों के लिये अपनी समस्याओं को व्यक्त करने हेतु सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिये। ऐसी शिकायतों हेतु इनके द्वारा एक गोपनीय रिपोर्टिंग तंत्र बनाया जा सकता है जिसमें विश्वसनीय स्टाफ सदस्यों को नामित किया जा सकता है।
- **शिकायतों का दस्तावेजीकरण करने के साथ इस दिशा में जाँच करना:** श्री चंद्रकांत को प्रोफेसर के खिलाफ की गई प्रत्येक शिकायत को सावधानीपूर्वक दर्ज करना चाहिये (जिसमें विशिष्ट विवरण, तिथियाँ और कोई भी उपलब्ध सबूत शामिल हैं)। पीड़ितों की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष जाँच को शुरू किया जाना चाहिये।
- **कानूनी सलाह लेना:** प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु उपलब्ध विकल्पों को समझने के लिये श्री चंद्रकांत को कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिये। इससे संभावित जोखिमों को कम करते हुए स्थिति को हल करने के क्रम में मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है।
- **संबंधित अधिकारियों को शामिल करना:** यदि कॉलेज में आंतरिक अनुशासनात्मक समिति है तो श्री चंद्रकांत को उसे जाँच प्रक्रिया में शामिल करना चाहिये। इसके अतिरिक्त इस मामले को उच्च शिक्षा नियामक निकायों या संघों के संज्ञान में लाना चाहिये ताकि इस मुद्दे को हल करने में उनका समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।
- **इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बनाए रखना:** इस क्रम में श्री चंद्रकांत के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वह किये जाने वाले कार्यों और निर्णयों के बारे में पीड़ितों, फैकल्टी और कर्मचारियों को सूचित करें ताकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सके। इससे कॉलेज के अन्य हितधारकों के बीच विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी।

- **बाहरी सहयोग प्राप्त करना:** यदि आवश्यक हो तो श्री चंद्रकांत इस मामले में ऐसे बाहरी संगठनों या एनजीओ को शामिल कर सकते हैं जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों को हल करने में विशेषज्ञ हों। ये संगठन पीड़ितों के लिये मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान करने के साथ निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं।
- **साक्ष्य को सुरक्षित रखने के साथ व्हिसलब्लोअर की रक्षा करना:** श्री चंद्रकांत को प्रोफेसर के कदाचार से संबंधित सबूतों को सुरक्षित रखने हेतु कदम उठाने चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्हें व्हिसलब्लोअर को आश्वस्त करना चाहिये कि उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें किसी भी प्रकार के संभावित प्रतिशोध से बचाया जाएगा।
- **निवारक उपायों को लागू करना:** इस प्रकार की समस्याओं को रोकने के लिये श्री चंद्रकांत को कॉलेज के अंदर एक सुरक्षित और अधिक पारदर्शी वातावरण बनाने के क्रम में निवारक उपायों को लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिये। इसमें संवेदीकरण कार्यक्रम एवं जागरूकता अभियानों के साथ उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित नीतियों में संशोधन किया जाना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

इस विकल्प को अपनाने से एक लोक सेवक के रूप में प्रधानाचार्य महिला शिक्षकों एवं छात्रों की गरिमा तथा अधिकारों की सुरक्षा करने के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम होंगे। इससे संबंधित प्रोफेसर के साथ अन्य लोगों को यह संदेश जाएगा कि कॉलेज में इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पीड़ितों के लिये न्याय मिल सकेगा। इससे कॉलेज के शैक्षणिक माहौल एवं प्रतिष्ठा में सुधार होने के साथ लोगों के मनोबल में वृद्धि होगी।

Q84. आप किसी राज्य में लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं। आप राज्य में विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव के लिये जिम्मेदार हैं। हाल ही में आपके विभाग द्वारा बनाए गए एक पुल के गिरने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस पुल का उद्घाटन कुछ महीने पहले ही हुआ था और इसे इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का एक मॉडल माना जाता था। इस घटना से लोग आक्रोशित हैं और आपके विभाग पर लापरवाही तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। यह लोग आपके इस्तीफे की मांग करते हुए आपके कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा आप पर इस भ्रष्टाचार में शामिल होने तथा पुल बनाने वाले ठेकेदार से रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया है। आप इस घटना से काफी दुखी हैं और इस पुल के गिरने के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। आप अपनी प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा की भी रक्षा करना चाहते हैं, जिसे आपने वर्षों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों को बताते हुए इस संदर्भ में अपने द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में चर्चा कीजिये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **परिचय:** इस केस स्टडी का संक्षिप्त विवरण देते हुए इस संदर्भ में अपने समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- **मुख्य भाग:** इसमें शामिल नैतिक मुद्दों और हितधारकों का उल्लेख करते हुए संभावित विकल्पों और उनके गुणों तथा दोषों की चर्चा कीजिये।
- **निष्कर्ष:** नैतिकता, सत्यनिष्ठा और लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

इस मामले में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का एक मॉडल माना जाने वाला नवनिर्मित पुल गिरने से कई लोगों की मृत्यु हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। लोक निर्माण विभाग के सचिव के रूप में मुझे, जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और मुझसे इस्तीफे की मांग किये जाने के साथ मुझ पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इस संदर्भ में मेरा प्रमुख लक्ष्य इस पुल के गिरने के पीछे की सच्चाई का पता लगाना, लोगों का विश्वास फिर से हासिल करना और अपनी प्रतिष्ठा तथा सत्यनिष्ठा की रक्षा करना है।

मुख्य भाग:

शामिल हितधारक	संबद्ध नैतिक मुद्दे
सचिव के रूप में स्वयं मैं	जवाबदेहिता, पारदर्शिता, हितों का टकराव, कर्त्तव्य बनाम व्यक्तिगत लाभ
मीडिया	सच्चाई, निष्पक्षता, जिम्मेदारी
कानून प्रवर्तन एजेंसी	गैर-पक्षपात, न्याय और जवाबदेहिता
ठेकेदार	ईमानदारी, प्रदर्शन, दायित्व
विभाग	गुणवत्ता, क्षमता, व्यावसायिकता
सरकार	शासन, निरीक्षण, जनहित
जनता	सुरक्षा, विश्वास

संभावित कदम: संबंधित गुण और दोष

संभावित कदम	गुण	दोष
अविलंब इस्तीफा दे देना	• असफलता के संदर्भ में मेरे नैतिक साहस और जवाबदेहिता का प्रदर्शन होगा । • इससे जनता की भावना का सम्मान होगा। • इस संदर्भ में किसी अन्य विवाद या आलोचना से मेरा बचाव होगा।	• इसको जनता, मीडिया या सरकार द्वारा अपराध या मेरी अक्षमता के रूप में देखा जा सकता है। • इससे विभाग में तत्काल रूप से नेतृत्व का अभाव हो सकता है। • इससे मैं अपना बचाव करने और अपनी बेगुनाही या सत्यनिष्ठा साबित करने के अवसर से वंचित हो सकता हूँ।
	• नए नेतृत्व से विभाग के लिये नए अवसर मिल सकते हैं।	• इससे मैं अपने उन अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करने से वंचित रह सकता हूँ जिनका इस स्थिति को सुधारने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता था।
उचित कार्रवाई करने के साथ न्याय सुनिश्चित करना	• यह विकल्प मेरे कर्त्तव्य के प्रति मेरी पेशेवर क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। • इससे विभाग और सरकार के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। • इससे पीड़ितों और उनके परिवारों के लिये न्याय और जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। • इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक सकती है।	• पूरी तरह से इस मामले की जाँच करने और अनुशासनात्मक तथा कानूनी कार्रवाई करने में बहुत समय, प्रयास और संसाधन लग सकते हैं। • मुझे कुछ अधीनस्थों, ठेकेदारों या सलाहकारों के प्रतिरोध या विरोध का सामना करना पड़ सकता है। • पुल परियोजना से संबंधित मेरी कुछ गलतियों या कमियाँ उजागर हो सकती हैं। • इससे कुछ लोग या मीडिया समूह संतुष्ट या खुश नहीं हो सकते हैं और यह मेरे इस्तीफे की मांग कर सकते हैं।

इस संदर्भ में मेरी कार्रवाई का क्रम:

इस संदर्भ में मेरे द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का क्रम निम्नलिखित होगा:

- **पीड़ितों की सहायता करना:** सबसे पहले मैं घायल पीड़ितों को चिकित्सा सहायता और राहत प्रदान करने के लिये सभी उपलब्ध संसाधनों को समेकित करूँगा। इसके अतिरिक्त मैं यह सुनिश्चित करते हुए मृतक के परिवारों की सहायता करूँगा कि उन्हें इस कठिन समय के दौरान आवश्यक मुआवजा और सहायता प्राप्त हो सके।
- **स्वतंत्र जाँच शुरू करना:** पुल के गिरने का कारण निर्धारित करने के लिये मैं इंजीनियर और बुनियादी ढाँचे के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के माध्यम से एक स्वतंत्र जाँच शुरू करूँगा। इसके साथ ही सुनिश्चित करूँगा कि यह जाँच निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी हितों के टकराव के होनी चाहिये।
- **संबंधित अधिकारियों का निलंबन करना:** निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के क्रम में मैं लापरवाही या भ्रष्टाचार में शामिल होने के संदेह वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को तुरंत निलंबित करूँगा।
- **कानून प्रवर्तन निकायों के साथ सहयोग करना:** मैं भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के किसी भी आरोप की जाँच करने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूँगा। इससे तथ्यों के आधार पर सभी संभावित आयामों की गहन जाँच सुनिश्चित होगी।
- **संचार और पारदर्शिता पर बल देना:** इस संदर्भ में जनता, मीडिया और प्रभावित हितधारकों के साथ संचार को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जाँच की प्रगति पर नियमित अपडेट जारी करूँगा।
- **इससे संबंधित मुद्दों को हल करना:** एक बार जाँच में पुल गिरने के कारणों की पहचान हो जाने के बाद मैं स्थिति को सुधारने के लिये तत्काल कार्रवाई करूँगा। इसमें पुल का पुनर्निर्माण, उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना और विभाग के अंदर निर्माण तथा निरीक्षण प्रक्रियाओं की समीक्षा करना शामिल हो सकता है। इस संदर्भ में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये मज़बूत गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और निरीक्षण तंत्रों को मज़बूत करने पर बल दूँगा।
- **जवाबदेहिता बढ़ाने के साथ सुधारों पर बल देना:** अगर जाँच के दौरान भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी का कोई सबूत सामने आता है तो मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि जिम्मेदार लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई हो। इसके साथ ही मैं भ्रष्टाचार को रोकने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिये विभाग के अंदर सुधारों के साथ सख्त प्रोटोकॉल लाने पर बल

दूँगा जिसमें खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करना, निरीक्षण तंत्र को मज़बूत करना और कर्मचारियों के लिये आचार संहिता स्थापित करना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

इस संदर्भ में मैं पारदर्शिता, स्वतंत्र जाँच, जवाबदेहिता निर्धारित कर और सुधारों पर बल देकर सच्चाई को उजागर करने, जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का प्रयास करूँगा। मैं अपने कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिकता, सत्यनिष्ठा के साथ जनता के कल्याण को प्राथमिकता दूँगा।

Q85. आप एक शहर के अग्निशमन विभाग में कार्यरत अधिकारी हैं। एक दिन एक कोचिंग संस्थान की एक इमारत में भीषण आग लग जाती है जिसमें 1000 से अधिक विद्यार्थी फंसे हुए हैं। इसके अलावा उस इमारत में उचित अग्नि सुरक्षा उपायों और पर्याप्त निकास का अभाव है। आग और धुएँ से बचने की कोशिश के क्रम में इमारत के अंदर विद्यार्थियों के बीच दहशत फैल जाने के कारण कुछ विद्यार्थी खुद को बचाने के लिये इमारत से कूद जाते हैं।

जैसे ही आप घटनास्थल पर पहुँचते हैं, आपको निम्नलिखित दुविधाओं का सामना करना पड़ता है ऐसे में: सीमित संसाधनों और उपलब्ध समय को देखते हुए बचाव कार्यों को आप किस प्रकार प्राथमिकता देंगे? भवन स्वामी की लापरवाही और अग्नि सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित नैतिक और कानूनी निहितार्थों से आप कैसे निपटेंगे?

अपने और अपनी टीम के सदस्यों पर इस तरह की दुखद घटना को देखने के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को आप किस प्रकार संतुलित करेंगे?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **भूमिका:** अपने उत्तर की शुरुआत केस के परिचय से कीजिये
- **मुख्य भाग:** शामिल नैतिक मुद्दों और हितधारकों का उल्लेख कीजिये, और प्रश्न में पूछे गए अनुसार कार्रवाई कीजिये।
- **निष्कर्ष:** प्रमुख बिंदुओं को सारांशित करते हुए अपने उत्तर को समाप्त कीजिये।

भूमिका:

आप अग्निशमन विभाग में कार्य करने वाले एक अधिकारी हैं जो एक कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग, जहाँ 1000 से अधिक छात्र फँसे हुए हैं, के लिये प्रतिक्रिया देते हैं। कोचिंग संस्थान की इमारत में अग्नि सुरक्षा के कोई उपाय नहीं हैं या पर्याप्त रूप से निकास व्यवस्था नहीं हैं, जिसके कारण कुछ छात्र इमारत से कूद जाते हैं। आपको यह तय करना है कि छात्रों को कैसे बचाया जाए, इमारत के मालिक की लापरवाही और मानसिक आघात से कैसे निपटा जाए।

मुख्य भाग:

हितधारक (ज़ोखिम उठाने वाले)	नैतिक मुद्दे
अग्निशामक (फायरमेन)	• कर्त्तव्य बनाम व्यक्तिगत सुरक्षा • पहले बचाने की प्राथमिकता
छात्र	• शांत रहना और दूसरों के जीवन को खतरे में न डालना • बचाव और चिकित्सा सहायता के लिये अग्निशामकों और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर निर्भर रहना
इमारत के मालिक	• अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करना और उनके जीवन को खतरे में डालना। • जाँच में अधिकारियों के साथ सहयोग या विरोध करना।
प्राधिकारी	• इमारतों के लिये अग्नि सुरक्षा कानूनों और मानकों को लागू करना या उनकी उपेक्षा करना। • लापरवाही के लिये इमारत के मालिक पर मुकदमा चलाना या उसे छोड़ देना।
जनता	• किसी दुखद घटना में मदद करना या अनदेखा करना • अग्निशामकों और अन्य आपातकालीन सेवाओं का समर्थन करना

कार्रवाई:

1. सीमित संसाधनों और उपलब्ध समय को देखते हुए आप बचाव कार्यों को कैसे प्राथमिकता देते हैं?

- **पहली प्राथमिकता- छात्रों को बचाना:**
  - इमारत के अंदर आग और धुएँ में फँसे छात्रों को बचाने को प्राथमिकता देना।
  - संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना: निम्न से उच्च ज़ोखिम में बचाव, बचावकर्त्ताओं के ज़ोखिम को कम करना।
  - खिड़कियों, बालकनियों या कूदने से घायल हुए छात्रों तक पहुँचने हेतु सीढ़ी, हवाई मंच या रस्सियों का उपयोग करना।

- इमारत के अंदर फँसे छात्रों के लिये प्रवेश उपकरण, वेंटिलेशन तकनीक या नली लाइनों का उपयोग करके सुरक्षित निकास मार्ग तैयार करना।
- दृश्य सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और चिकित्सा संबंधी सहायता के लिये पुलिस, एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा के साथ समन्वय करना।

- **दूसरी प्राथमिकता- आग पर काबू पाना:**
  - आग पर काबू पाना और बुझाना और इसके प्रसार को रोकना।
  - ज्वलनशील सामग्री, अग्नि अवरोध और ऑक्सीजन जैसे कारकों पर विचार करना।
  - आग के प्रकार और स्थान के आधार पर उपयुक्त रणनीति और उपकरण (पानी, फोम, सूखे रसायन) का उपयोग करना।
  - आग और इमारत की की स्थिति की निगरानी करना, आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से निकलने के लिये तैयार रहना।
- **तीसरी प्राथमिकता - निरीक्षण करना:**
  - संपत्ति को पानी, धुएँ या आग से होने वाले नुकसान से बचाना।
  - किसी भी बचे हुए हॉट स्पॉट या खतरों को हटाना।
  - आग लगने के कारण और उत्पत्ति की जाँच करना।
  - उपस्थित लोगो से जानकारी इकट्ठा करना।
  - ड्रोन और उन्नत विज़न कैमरों जैसी तकनीक का उपयोग करना।

2. आप इमारत के मालिकों की लापरवाही और अग्नि सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के नैतिक और कानूनी निहितार्थों से किस प्रकार सामना करते हैं?

- इमारत के मालिकों तथा निर्माणकर्त्ताओं को भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 (NCB 2016) के अंतर्गत लापरवाही और उल्लंघन के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- अग्निशमन विभाग की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने संचालन के दौरान उल्लंघन या खतरों की सूचना दें, जैसे अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी, अपर्याप्त निकास, या ज्वलनशील सामग्रियों का अनुचित भंडारण।
- अग्निशमन विभाग को मामले की जाँच करने में शामिल अन्य अधिकारियों, जैसे भवन निरीक्षकों, स्वास्थ्य अधिकारियों, या अभियोजकों के साथ सहयोग करना चाहिये।
- अग्निशमन विभाग को भविष्य में भवन या इसी तरह के परिसर में अग्नि सुरक्षा में सुधार के लिये सिफारिशें या सुझाव देने चाहिये।
- अग्निशमन विभाग को बचाव कार्यों के दौरान अपने कार्यों के नैतिक निहितार्थों पर विचार करना चाहिये।
- अग्निशमन विभाग को सर्वोत्तम उपाय और साक्ष्य-आधारित शोध के आधार पर परिचालन दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिये।
- अग्निशमन विभाग को पीड़ितों, उनके परिवारों और जनता की गरिमा एवं अधिकारों का सम्मान करना चाहिये।

3. आप अपने और अपनी टीम के सदस्यों पर इस तरह की दुखद घटना के साक्षी होने के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सामना किस प्रकार करेंगे?

- एक दुखद घटना के साक्षी होने से अग्निशमकों और आपातकालीन उत्तरदाताओं पर गहरा और दीर्घकालिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है।
- अग्निशमकों द्वारा अनुभव किये गए लक्षणों में चिंता, क्रोध, उदासी, दु:स्वप्न, पूर्वदृश्य और ध्यान केंद्रित करने में होने वाली कठिनाई शामिल हो सकती है।
- ये लक्षण उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, जो पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), अवसाद, मादक द्रव्यों के सेवन या आत्महत्या जैसी गंभीर स्थितियों को जन्म दे सकते हैं।
- अग्निशमन विभागों को अपने सदस्यों को ऐसी घटनाओं से निपटने में मदद करने के लिये सहायता और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिये।
- एक प्रभावी तनाव प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जिसमें घटना से पहले की शिक्षा, ऑन सीन सपोर्ट, घटना के बाद डीब्रीफिंग, डिफ्यूजिंग, पीयर सपोर्ट, काउंसलिंग, रेफरल सर्विसेज, फॉलो अप केयर और मूल्यांकन शामिल हो, आवश्यक है।
- ज़रूरत पड़ने पर अग्निशमकों को मदद लेने के लिये प्रोत्साहित करना तथा शारीरिक गतिविधि, सामाजिक संपर्क, विश्राम और घटना से निपटने के कौशल के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- अग्निशमकों के प्रयासों और उपलब्धियों को पहचानना एवं सराहना करना तथा विभाग के भीतर विश्वास, सम्मान एवं टीम वर्क की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

अग्निशमन विभाग के अधिकारी के रूप में, बचाव कार्यों को प्राथमिकता देना, कानूनी और नैतिक निहितार्थों को संबोधित करना तथा भावनात्मक समर्थन प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है। जीवन बचाने पर ध्यान केंद्रित करके, लापरवाही के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर हम दुखद घटनाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं साथ ही सुरक्षा में वृद्धि कर सकते हैं।

Q86. आप बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये ज़िम्मेदार सरकारी विभाग में कार्यरत एक अनुभवी सिविल सेवक हैं। आपके विभाग को हाल ही में एक प्रसिद्ध निर्माण कंपनी से एक प्रमुख राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो दूरदराज के क्षेत्र में कनेक्टिविटी में काफी सुधार करेगा। हालाँकि, आपको विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि कंपनी का भ्रष्ट आचरण में शामिल होने और अनुबंध हासिल करने के

लिये सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का इतिहास रहा है। इसके अलावा, प्रस्तावित राजमार्ग के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में भी चिंताएँ भी हैं क्योंकि यह पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। एक लोक सेवक के रूप में, आपको इस परियोजना का समर्थन करना है या विरोध करना है, इस संदर्भ में आपको नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये और आपके द्वारा उठाए जाने वाले संभावित कदमों की रूपरेखा तैयार कीजिये। प्रत्येक कार्रवाई का उसके नैतिक निहितार्थ और सार्वजनिक प्रशासन पर प्रभाव के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- **परिचय:** इस मामले का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- **मुख्य भाग:** इसमें शामिल नैतिक मुद्दों को बताते हुए अपनी कार्रवाई के क्रम का उल्लेख कीजिये।
- **निष्कर्ष:** संक्षेप में निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

इस मामले में मुझे एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है जिसमें मुझे भ्रष्टाचार और पर्यावरण उल्लंघनों का इतिहास रखने वाली एक निर्माण कंपनी के प्रस्ताव के बारे में निर्णय लेना है। इस प्रस्ताव में एक प्रमुख राजमार्ग का निर्माण शामिल है जो कनेक्टिविटी और विकास के मामले में दूरदराज के क्षेत्र को लाभान्वित करेगा। हालाँकि इसमें नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करने के साथ पर्यावरणीय क्षति एवं लोक विश्वास से संबंधित जोखिम शामिल हैं। इसलिये मुझे एक लोक सेवक के रूप में अपनी भूमिका के कानूनी और नैतिक दायित्वों पर विचार करते हुए इस परियोजना का समर्थन या विरोध करने के पक्ष और विपक्ष पर विचार करना होगा।

इसमें शामिल नैतिक मुद्दे:
- **भ्रष्टाचार:**
  - क्या किसी ऐसी कंपनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करना नैतिक है जिसका भ्रष्ट आचरण में शामिल होने और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का इतिहास रहा है।
- **विकास का मुद्दा:**
  - क्या ऐसी परियोजना का विरोध करना नैतिक है जो सुदूर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास में सुधार करेगी।
- **पर्यावरण नैतिकता:**
  - क्या ऐसी परियोजना का समर्थन करना नैतिक है जिसका पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा।
- **जवाबदेहिता:**
  - क्या कंपनी के भ्रष्टाचार और पर्यावरण संबंधी उल्लंघनों के बारे में जानकारी को नज़रअंदाज़ करना या छिपाना नैतिक है?
- **पारदर्शिता:**
  - क्या कंपनी के भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय उल्लंघनों के बारे में जानकारी प्रकट करना या छिपाना नैतिक है।
- **न्याय:**
  - क्या यह सुनिश्चित करना नैतिक है कि इसमें शामिल सभी हितधारकों के साथ न्याय हो।

मार्गदर्शक नैतिक सिद्धांत:
- **लोक हित:**
  - एक लोक सेवक के रूप में मेरा कर्त्तव्य है कि मैं जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करूँ और उनके कल्याण को ध्यान में रखूँ।
- **ईमानदारी और सत्यनिष्ठा:**
  - एक लोक सेवक के रूप में मेरा कर्त्तव्य है कि मैं ईमानदार रहूँ और अपने कार्य और आचरण में सत्यनिष्ठा बनाए रखूँ।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता:**
  - एक लोक सेवक के रूप में मेरा कर्त्तव्य है कि मैं अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति पारदर्शी और जवाबदेह रहूँ।
- **विधि का शासन:**
  - एक लोक सेवक के रूप में विधि के शासन का पालन करना और यह सुनिश्चित करना मेरा कर्त्तव्य है कि कोई भी इससे ऊपर या नीचे नहीं है।
- **सतत् विकास:**
  - एक लोक सेवक के रूप में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को संतुलित करने वाले सतत् विकास को बढ़ावा देना मेरा कर्त्तव्य है।

इस संदर्भ में मेरी कार्रवाई का क्रम: इन नैतिक सिद्धांतों के आधार पर मैं निम्नलिखित संभावित कार्रवाई कर सकता हूँ:
- **इस परियोजना का समर्थन करना:**
  - मैं इस आधार पर इस परियोजना का समर्थन कर सकता हूँ कि इससे सुदूर क्षेत्र में कनेक्टिविटी के साथ विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  - इस परियोजना के लाभ इसकी लागत और जोखिमों से अधिक हैं। कंपनी के भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय उल्लंघन मौजूदा प्रस्ताव के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं और उनसे अलग से निपटा जा सकता है।

- हालाँकि कार्रवाई के इस तरीके से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधि के शासन और सतत् विकास जैसे नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।
  - इससे एक लोक सेवक के रूप में मेरी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा भी कमजोर होगी।
  - यदि कंपनी के भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय उल्लंघन के मामले उजागर होते हैं या इन्हें बाद में चुनौती दी जाती है तो इससे मुझे कानूनी और नैतिक दायित्वों के संदर्भ में नकारात्मक स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा।

- **इस परियोजना का विरोध करना:**
  - मैं इस आधार पर परियोजना का विरोध कर सकता हूँ कि इसमें ऐसी भ्रष्ट और अनैतिक कंपनी का समर्थन करना शामिल है जिसने पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया है।
  - इस परियोजना से क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जैव विविधता को क्षति होगी।
  - नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किये बिना इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास में सुधार हेतु वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं।
  - हालाँकि इस कार्रवाई से सार्वजनिक हित से संबंधित नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
    - इससे आर्थिक या राजनीतिक कारणों से परियोजना का समर्थन करने वाले विभिन्न हितधारकों की आलोचना और विरोध का सामना करना होगा।
    - इसके लिये मुझे परियोजना को अस्वीकार करने के लिये मजबूत सबूत प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी।

- **इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना:**
  - इस संदर्भ में निर्णय लेने से पहले मैं परियोजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। मैं एक स्वतंत्र अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण आदि पर विचार कर सकता हूँ।
  - मैं परियोजना के संदर्भ में विचार और प्रतिक्रिया जानने के लिये विभिन्न हितधारकों जैसे स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों आदि से भी परामर्श कर सकता हूँ।
  - मैं अन्य स्रोतों से भी कंपनी की साख और ट्रैक रिकॉर्ड को सत्यापित कर सकता हूँ।
  - हालाँकि इस कार्यवाही के लिये समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी जो उपलब्ध या व्यवहार्य नहीं हो सकते हैं।
    - इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी देरी होगी और विभिन्न हितधारकों के बीच अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी।

मूल्यांकन: कार्रवाई के इन क्रमों के आधार पर मैं इनके नैतिक निहितार्थ और लोक प्रशासन पर इनके प्रभाव के संदर्भ में इनका मूल्यांकन इस प्रकार करूँगा:

- **इस परियोजना का समर्थन करना:**
  - इस कार्रवाई का लोक प्रशासन पर नकारात्मक नैतिक प्रभाव होगा।
  - इससे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधि का शासन और सतत् विकास जैसे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता होगा।
  - इससे सार्वजनिक सेवा वितरण के प्रति लोगों के विश्वास में कमी आएगी।
  - यदि कंपनी के भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय उल्लंघन से संबंधित मामले उजागर होते हैं या बाद में इन्हें चुनौती दी जाती है तो इससे मुझे कानूनी और नैतिक जोखिमों का भी सामना करना पड़ेगा।

- **इस परियोजना का विरोध करना:**
  - इस कार्रवाई के सकारात्मक नैतिक प्रभाव होंगे लेकिन लोक प्रशासन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  - इससे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधि का शासन और सतत् विकास जैसे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखा जा सकेगा। इससे सार्वजनिक सेवा वितरण में लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा।
  - हालाँकि इससे सुदूर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास की भी अनदेखी होगी।
    - इससे आर्थिक या राजनीतिक कारणों से परियोजना का समर्थन करने वाले विभिन्न हितधारकों की आलोचना और विरोध का भी सामना करना पड़ेगा।
    - इसके लिये मुझे परियोजना को अस्वीकार करने के लिये मजबूत सबूत और औचित्य प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी।

- **अधिक जानकारी प्राप्त करना:**
  - इस कार्रवाई से सार्वजनिक प्रशासन पर मिश्रित नैतिक प्रभाव पड़ेगा।
  - इससे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधि का शासन और सतत् विकास जैसे नैतिक मूल्य और सिद्धांत प्रतिबिंबित होंगे।
  - इससे मुझे तथ्यों और आँकड़ों के आधार पर एक सूचित और तर्कसंगत निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी।
  - हालाँकि इसके लिये अधिक समय और संसाधनों की भी आवश्यकता होगी जो उपलब्ध या व्यवहार्य नहीं हो सकते हैं।
    - इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी देरी होगी और विभिन्न हितधारकों के बीच अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति होगी।

निष्कर्ष:

इस मूल्यांकन के आधार पर मैं निर्णय लेने से पहले परियोजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का विकल्प चुनूँगा। मुझे लगता है कि कार्रवाई का यह तरीका सबसे नैतिक और विवेकपूर्ण होगा, क्योंकि इससे मुझे इस मामले में शामिल विभिन्न नैतिक सिद्धांतों को जानने के साथ हितधारकों के हितों को संतुलित करने में सहायता मिलेगी। इससे मुझे ऐसा निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी जो भावनाओं या पूर्वाग्रहों के बजाय तथ्यों और डेटा पर आधारित हो। इससे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के साथ-साथ सार्वजनिक हित और कल्याण के प्रति मेरी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होगी।

Q87. दिल्ली में फ्रंटियर मुख्यालय में कमांडेंट (प्रशासन) के रूप में तैनात रहे एक सिविल सेवक पर व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिये वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अवकाश यात्रा रियायत (LTC) से संबंधित हवाई टिकटों की बुकिंग में धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने के क्रम में अधीनस्थों को प्रभावित करने के लिये अपने पद का दुरुपयोग किया है। इन अनियमितताओं में व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड का उपयोग और LTC टिकटों में हेराफेरी करना शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला।

इस संदर्भ में वित्तीय अनियमितताओं और आधिकारिक पद के दुरुपयोग में सिविल सेवक की संलग्नता के नैतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। इससे लोगों के विश्वास के साथ संगठन की सत्यनिष्ठा किस प्रकार प्रभावित होती है?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **परिचय:** इस मामले को संक्षेप में बताते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- **मुख्य भाग:** इसमें शामिल नैतिक निहितार्थों का उल्लेख करते हुए बताइये कि यह लोक विश्वास और संगठन की सत्यनिष्ठा को कैसे प्रभावित करता है।
- **निष्कर्ष:** अपने उत्तर को संक्षेप में लिखते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वित्तीय अनियमितताओं के साथ अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग में सिविल सेवक की संलिप्तता के नैतिक निहितार्थ महत्त्वपूर्ण और दूरगामी होते हैं। इस तरह के कार्यों से लोगों के विश्वास के साथ संगठन की सत्यनिष्ठा पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

मुख्य भाग:

नैतिक निहितार्थ और लोक विश्वास पर इसका प्रभाव:

- **सत्यनिष्ठा का उल्लंघन:**
  - सिविल सेवक की वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्तता और आधिकारिक पद का दुरुपयोग सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है।
  - एक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में सिविल सेवक से ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के सिद्धांतों के आधार पर ईमानदारी और भरोसेमंद तरीके से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
  - इस मामले में व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिये धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में शामिल होकर सिविल सेवक ने संगठन के साथ लोगों के विश्वास को तोड़ा है।
- **लोक विश्वास का उल्लंघन:**
  - लोक अधिकारियों को सार्वजनिक हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
  - जब कोई सिविल सेवक व्यक्तिगत लाभ के लिये अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करता है तो इससे संगठन के साथ संपूर्ण सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणाली में लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है।
  - लोगों को सार्वजनिक अधिकारियों से समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अपेक्षा होती है और इस विश्वास का कोई भी उल्लंघन संगठन की विश्वसनीयता और वैधता को कमजोर करता है।
- **संगठनात्मक प्रतिष्ठा को नुकसान होना:**
  - इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं में सिविल सेवक की संलिप्तता से संगठन की प्रतिष्ठा धूमिल होना शामिल है।
  - संगठन की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता उसके अधिकारियों के कार्यों से गहराई से जुड़ी होती है।
  - जब एक उच्च-रैंक वाला अधिकारी अनैतिक कार्यों में संलिप्त होता है तो इससे संगठन के अंदर समग्र नैतिक संस्कृति पर प्रश्नचिन्ह लगता है तथा जनता एवं अन्य हितधारकों की नज़र में इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है।
- **निष्पक्षता और समानता का कमज़ोर होना:**
  - आधिकारिक पद के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं से असमानता का माहौल बनता है।
  - जब लोक अधिकारी भ्रष्टाचार गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो वे दूसरों (जो अधिक योग्य हो सकते हैं) की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करते हैं।
  - इससे योग्यता और निष्पक्षता के सिद्धांत (जिन पर लोक प्रशासन आधारित होना चाहिये) धूमिल होते हैं।

- **कर्मचारियों के मनोबल पर प्रभाव:**
  - इस मामले में सिविल सेवक के कार्यकलाप संगठन के अंदर अन्य कर्मचारियों के मनोबल पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
  - जब कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों को अनैतिक व्यवहार में संलग्न होते देखते हैं तो इससे उनका मनोबल गिर सकता है और अन्य कर्मचारियों के बीच नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता में कमी आ सकती है।
  - इससे भ्रष्टाचार की संस्कृति को और बढ़ावा मिल सकता है एवं ईमानदारी के साथ संगठन की कार्य करने की क्षमता से समझौता हो सकता है।

निष्कर्ष:

वित्तीय अनियमितताओं एवं आधिकारिक पद के दुरुपयोग में सिविल सेवक की संलिप्तता के महत्त्वपूर्ण नैतिक निहितार्थ होते हैं। इससे लोक विश्वास कमजोर होने के साथ संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है तथा लोक प्रशासन की समग्र नैतिक संस्कृति पर प्रश्नचिन्ह लगता है। लोक विश्वास तथा संगठन की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिये सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है। ऐसे नैतिक उल्लंघनों को प्रभावी ढंग से हल करने एवं लोगों का विश्वास बहाल करने के साथ यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाने चाहिये कि भविष्य में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये प्रभावी तंत्र मौजूद हैं।

Q88. आप ऐसे ज़िले के पुलिस अधीक्षक (SP) हैं जहाँ पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में व्यापक हिंसा होने के कारण कई लोगों की मृत्यु होने के साथ गंभीर चोटें आईं हैं। इस संदर्भ में सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, धमकी और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) द्वारा इस स्थिति पर रिपोर्ट मांगने के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये आपसे आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

आपके ज़िले में हिंसा के प्रमुख कारणों में से एक, बाहुबली नेता है जो सत्ताधारी दल से संबंधित है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। यह अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है और कथित तौर पर उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों और मतदाताओं को बलपूर्वक अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। उसे कुछ प्रभावशाली राजनेताओं और धार्मिक गुरुओं का भी संरक्षण प्राप्त है जिन्होंने अपने अनुयायियों से उसे वोट देने की अपील की है।

a) इस मामले में कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

b) SP के रूप में इस संदर्भ में आपके समक्ष कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प का उसके गुण-दोषों के आधार पर मूल्यांकन कीजिये।

c) SP के रूप में इस संदर्भ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? अपने निर्णय के पक्ष में उचित कारण दीजिये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- **परिचय:** इस मामले का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- **मुख्य भाग:** इसमें शामिल नैतिक मुद्दे एवं उपलब्ध विकल्पों के साथ अपनी कार्रवाई के क्रम का उल्लेख कीजिये।
- **निष्कर्ष:** उचित एवं संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

यह मामला ज़िले में स्वतंत्र और निष्पक्ष पंचायत चुनाव सुनिश्चित करने में पुलिस अधीक्षक (SP) के समक्ष उत्पन्न नैतिक चुनौतियों से संबंधित है। इसमें कुख्यात बाहुबली नेता की भूमिका, हिंसा और धाँधली तथा धमकी के आरोपों के आलोक में सैद्धांतिक और निर्णायक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

a) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे:

- **निष्पक्षता और पारदर्शिता:**
  - यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि चुनाव किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के प्रभाव के बिना निष्पक्ष रूप से आयोजित हों।
  - इस मामले में आपराधिक मामलों में संलग्न कुख्यात बाहुबली नेता की भूमिका से असंतुलन पैदा होने के साथ चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता कमजोर होती है।
- **विधि का शासन:**
  - लोकतांत्रिक समाज के लिये विधि के शासन को बनाए रखना आवश्यक है।
  - बाहुबली नेता द्वारा हिंसा और डराने-धमकाने की रणनीति को अपनाने से कानून एवं व्यवस्था के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है जिससे नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों पर प्रश्नचिन्ह लगता है।
- **जवाबदेहिता और पारदर्शिता:**
  - SP के रूप में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना मेरा कर्त्तव्य है।
  - किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, बूथ कैप्चरिंग या धमकी से चुनाव की पारदर्शिता से समझौता होने के साथ लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों के विश्वास में कमी आती है।
- **निष्पक्ष प्रवर्तन:**
  - प्रभावशाली राजनेताओं और धार्मिक नेताओं से संबंधित बाहुबली नेता को मिलने वाले लाभ एवं संरक्षण की स्थिति का समाधान

करना महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक संबद्धता या प्रभाव के बिना, कानून को लागू करने में निष्पक्षता बनाए रखना चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।

- **सार्वजनिक सुरक्षा:**
  - व्यापक हिंसा के परिणामस्वरूप होने वाली मौतें और चोट लगने की घटनाओं से नैतिक चिंताएँ पैदा होती हैं।
  - नागरिकों की सुरक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है और हिंसा का समाधान करने में विफलता से शासन प्रणाली में लोगों के विश्वास में और भी कमी आएगी।

b) एसपी के रूप में मेरे समक्ष उपलब्ध विकल्प:

विकल्प 1: ज़िले में बाहुबली नेता और उसके दबदबे और प्रभाव से डरकर उसकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करना।

- **गुण:**
  - इस विकल्प से बाहुबली नेता और उसके समर्थकों के साथ किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष टकराव या संघर्ष से बचा जा सकता है।
  - इससे मैं उसकी ऐसी किसी भी प्रतिक्रिया या प्रतिशोध से बच सकता हूँ जो मेरे जीवन या करियर के लिये जोखिमपूर्ण हो।
- **दोष:**
  - इस विकल्प से विधि के शासन का उल्लंघन होने के साथ चुनाव के दौरान हिंसा और कदाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
  - इससे मतदाता, उम्मीदवार और चुनाव कर्मचारी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से भी वंचित हो सकते हैं।
  - इससे चुनाव कराने के लिये एक जिम्मेदार और निष्पक्ष एजेंसी के रूप में पुलिस की विश्वसनीयता और अखंडता भी कमजोर हो सकती है।

विकल्प 2: बाहुबली नेता और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना।

- **गुण:**
  - इस विकल्प से विधि के शासन को बनाए रखने के साथ चुनाव के दौरान हिंसा को नियंत्रित करके सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है।
  - इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव द्वारा मतदाताओं, उम्मीदवारों और चुनाव कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - इससे चुनाव कराने के लिये एक जिम्मेदार और निष्पक्ष एजेंसी के रूप में पुलिस के अधिकार और सत्यनिष्ठा को बल मिल सकता है।
- **दोष:**
  - इससे सत्तारूढ़ दल या बाहुबली नेता और उसके समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो पुलिस पर पक्षपात या मनमानी का आरोप लगा सकते हैं। इससे विभिन्न दलों या समूहों के बीच हिंसा या संघर्ष भी बढ़ सकता है।
  - शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये पुलिस को साहस और प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता हो सकती है।

विकल्प 3: बाहुबली नेता के साथ बातचीत करने के साथ उसे चुनाव के दौरान हिंसा या कदाचार से दूर रहने के लिये सहमत करना और उसे चुनाव लड़ने का उचित मौका देने का आश्वासन देना।

- **गुण:**
  - इससे ज़िले में हिंसा या तनाव को कम किया जा सकता है।
  - इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये अनुकूल माहौल भी बन सकता है।
  - इससे चुनाव कराने के लिये पुलिस, ज़िला प्रशासन और SEC के बीच सहयोग और समन्वय भी बनाए रखा जा सकता है।
- **दोष:**
  - इस विकल्प से बाहुबली नेता सहमत नहीं हो सकता है क्योंकि हिंसा या कदाचार में लिप्त होने के उसके अन्य राजनीतिक या आपराधिक उद्देश्य हो सकते हैं।
  - इसके लिये पुलिस से समझौते या रियायत देने की भी आवश्यकता हो सकती है जिससे इनकी सत्यनिष्ठा या निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
  - इससे अन्य दलों या समूहों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में अविश्वास या हस्तक्षेप की धारणा भी बन सकती है।

विकल्प 4: अर्धसैनिक बलों से सहायता लेना:

- **गुण:**
  - अर्धसैनिक बलों के सहयोग से इस अस्थिर स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु अतिरिक्त जनशक्ति एवं विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है।
  - इससे संभावित उपद्रव को रोका जा सकता है।
- **दोष:**
  - अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय में समय लगने के साथ अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है।
  - इससे तनाव भी बढ़ सकता है।

विकल्प 5: प्रभावशाली हितधारकों के साथ बातचीत करना:

- **गुण:**
  - प्रभावशाली राजनेताओं और धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत करने से बाहुबली नेता के प्रति उनके समर्थन को कम किया जा सकता है।

- इससे इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्राथमिकता देने हेतु सहमत किया जा सकता है।

- **दोष:**
  - इस बातचीत की सफलता लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के प्रति इन हितधारकों की भागीदारी की इच्छा और उनकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।
  - इस बातचीत के असफल होने से लोगों के हितों के साथ समझौता होने का जोखिम शामिल है।

इस संदर्भ में SP के रूप में मेरी कार्रवाई का क्रम:

- **अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात करना:**
  - मैं अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात करके मतदान केंद्रों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर ध्यान दूँगा।
  - मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि पुलिस कर्मियों की तैनाती हिंसा वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखकर की जाए।
- **अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय करना:**
  - सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिये अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय करने के साथ ही इस स्थिति के बेहतर प्रबंधन हेतु पुलिस कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दूँगा।
- **एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करना:**
  - हिंसा या धमकी की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिये नागरिकों हेतु एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करूँगा।
  - इस हेल्पलाइन नंबर का व्यापक रूप से प्रचार करने के साथ लोगों को गोपनीयता और सुरक्षा का आश्वासन दूँगा।
- **इस संदर्भ में गहन जाँच करना:**
  - बाहुबली नेता और उसके समर्थकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की गहन जाँच शुरू करूँगा।
  - इस संदर्भ में सबूत इकट्ठा करने, अपराधियों की पहचान करने के साथ यह सुनिश्चित करने पर बल दूँगा कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- **सामुदायिक समन्वय पर बल देना:**
  - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के महत्त्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान चलाने पर बल दूँगा।
  - लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिये जन नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ समन्वय करूँगा।
- **नियमित निगरानी करना:**
  - तकनीक की सहायता से जमीनी स्तर पर निगरानी के माध्यम से (विशेष रूप से मतदान के दिनों में) संबंधित स्थिति से लगातार अवगत रहूँगा।
  - समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये राज्य चुनाव आयोग और अन्य संबंधित अधिकारियों को नियमित अपडेट दूँगा।

निष्कर्ष:

इस संदर्भ में अंतिम लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ प्रत्येक मतदाता स्वतंत्र हो, उम्मीदवार समान प्रतिस्पर्धा कर सकें एवं निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित हो सकें। इन सिद्धांतों को बनाए रखने से न केवल चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलने से नागरिकों के बीच विश्वास और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है।

Q89. आप एक सूखाग्रस्त क्षेत्र के ज़िला कलेक्टर हैं। इस क्षेत्र के लिये सरकार ने किसानों के लिये राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें उनका कर्ज माफ करना और उन्हें मुफ्त बीज तथा उर्वरक उपलब्ध कराना शामिल है। हालाँकि आपको पता चला है कि कुछ स्थानीय राजनेता और अधिकारी इस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और संसाधनों का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिये कर रहे हैं। यह लोग उन किसानों को धमकी भी दे रहे हैं जो इनकी शिकायत करते हैं या इनका सहयोग करने से मना कर देते हैं।

एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में आप इस स्थिति से किस प्रकार निपटेंगे? इसमें शामिल नैतिक मुद्दों को बताते हुए इस संदर्भ में अपने द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **परिचय:** इस मामले का परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये
- **मुख्य भाग:** इसमें शामिल नैतिक मुद्दे और औचित्य के साथ इस संदर्भ में की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख कीजिये।
- **निष्कर्ष:** अपने उत्तर को संक्षेप में लिखते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

यह मामला स्थानीय राजनेताओं और अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित है। इसमें किसानों के अधिकारों और हितों का भी उल्लंघन किया जाना शामिल है, जो पहले से ही सूखे से ग्रसित हैं। ज़िला कलेक्टर के रूप में इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि राहत पैकेज सही लाभार्थियों तक पहुँचे और सार्वजनिक धन का उचित एवं पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए।

मुख्य भाग:

इसमें शामिल नैतिक मुद्दे:

- **ईमानदारी और सत्यनिष्ठा:**
  - एक सिविल सेवक के रूप में मुझे अपने कार्य में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को बनाए रखने, राहत पैकेज के कार्यान्वयन में किसी भी कदाचार या अनियमितता को रोकने के साथ भ्रष्ट तत्वों के साथ समझौता करने या उनके गलत कार्यों को नजरअंदाज करने के किसी भी दबाव या प्रलोभन का विरोध सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **जवाबदेहिता और पारदर्शिता:**
  - एक लोक सेवक के रूप में मुझे लोगों और सरकार के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी रहने के साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पात्र किसानों के बीच राहत पैकेज उचित और न्यायसंगत रूप से वितरित हो एवं आवंटित और उपयोग किये गए धन तथा संसाधनों का उचित रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण हो सके। इस संदर्भ में किसी भी विचलन या विसंगति के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करने के साथ सुधारात्मक उपाय करना आवश्यक है।
- **सहानुभूति और करुणा:**
  - व्यक्तिगत रूप से किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के प्रति सहानुभूति रखना आवश्यक है, जो सूखे के परिणामस्वरूप कठिनाई और संकट का सामना कर रहे हैं। उनकी जरूरतों और चिंताओं के प्रति करुणा और संवेदनशीलता प्रदर्शित करने और सक्रिय रूप से उनकी समस्याओं को सुनने के साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हें समय पर पर्याप्त सहायता और समर्थन मिल सके।
- **न्याय और निष्पक्षता:**
  - मुझे यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस स्थिति में शामिल सभी हितधारकों के साथ न्याय होने के साथ स्थानीय राजनेताओं और अधिकारियों के किसी भी शोषण या भेदभाव से किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए।

इस स्थिति में मैं निम्नलिखित कार्रवाई करूँगा:

- **जाँच करना:**
  - मैं राहत पैकेज के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों की जाँच करूँगा और किसानों, अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से साक्ष्य एकत्र करूँगा।
  - मैं आवंटित और उपयोग किये गए धन और संसाधनों से संबंधित तथ्यों और आँकड़ों का सत्यापन करने के साथ दोषियों की पहचान करूँगा
- **कार्यवाही करना:**
  - जाँच के निष्कर्षों के आधार पर मैं उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करूँगा जो भ्रष्टाचार के साथ धन या संसाधनों के दुरुपयोग के दोषी पाए जाएँगे।
  - मैं उनके खिलाफ नियमों और विनियमों के अनुसार अनुशासनात्मक या कानूनी कार्यवाही शुरू करूँगा।
  - मैं उस धन या संपत्ति की भी वसूली करूँगा जो उन्होंने सरकारी खजाने से हड़प ली है।
- **शिकायतों का निवारण:**
  - मैं उन किसानों की शिकायतों का निवारण करूँगा जिन्हें राहत पैकेज से वंचित किया गया है।
  - मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि उन्हें यथाशीघ्र इसका उचित लाभ मिले। इसके साथ ही मैं उन्हें आय या आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करूँगा।
- **शासन व्यवस्था में सुधार:**
  - मैं सुधारों और नवाचारों को शुरू करके राहत पैकेज के पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करूँगा।
  - मैं वितरण में दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिये ऑनलाइन पंजीकरण, सत्यापन, निगरानी, ऑडिटिंग आदि जैसे उपाय अपनाऊँगा।
  - मैं किसानों के बीच इस संदर्भ में जागरूकता पैदा करने के लिये नागरिक समाज संगठनों, मीडिया आदि को भी शामिल करूँगा।

निष्कर्ष:

यह मामला एक ज़िला कलेक्टर के रूप में मेरे लिये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति प्रस्तुत करता है। नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को लागू करके मैं इस चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान कर सकता हूँ। ऐसा करके मैं न केवल अपने व्यावसायिक दायित्वों को पूरा कर सकता हूँ बल्कि अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को भी पूरा कर सकता हूँ।

Q90. आप एक आईपीएस अधिकारी हैं जो ऐसे क्षेत्र में तैनात हैं जहाँ सांप्रदायिक तनाव बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एक दिन, एक समुदाय द्वारा धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। जैसे ही वे दूसरे समुदाय के प्रभुत्व वाले इलाके में पहुँचे, अचानक गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप जुलूस में शामिल कई लोग घायल हो गए और उन्हें बंधक बना लिया गया। जब आप स्थिति को नियंत्रित करने के लिये पुलिस बल भेजते हैं, तो बल भी हमलावरों द्वारा पीछे धकेल दिया जाता है। बंधकों में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।

1. **इस स्थिति में आपको किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?**
2. **संकट को हल करने के लिये आप कौन-से संभावित कदम उठा सकते हैं?**
3. **आप नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के संदर्भ में अपनी चुनी हुई कार्रवाई को कैसे उचित ठहराएँगे?**

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- इस मामले का संक्षेप में परिचय देते हुए इसमें शामिल हितधारकों का उल्लेख कीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये। उपलब्ध कार्रवाइयों के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करते हुए कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुनने के साथ प्रासंगिक तर्कों के साथ अपनी कार्रवाई को उचित ठहराइए।
- अपने उत्तर को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष दीजिये।

इस मामले में सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्र में तैनात एक आईपीएस अधिकारी के रूप में, मुझे जटिल और अत्यधिक अस्थिर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक समुदाय द्वारा निकाला गया धार्मिक जुलूस दूसरे समुदाय के प्रभुत्व वाले क्षेत्र से गुजरते समय हिंसक संघर्ष में बदल गया। अचानक हुई गोलीबारी के परिणामस्वरूप जुलूस में शामिल कई लोग घायल हो गए और उन्हें बंधक बना लिया गया, यहाँ तक कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिये मैंने जो पुलिस बल भेजा था, उसे भी हमलावरों ने शिकार बनाया। बंधकों में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और जिन्हें तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।

इस मामले में शामिल हितधारक:
- घायल बंधक
- धार्मिक समुदाय
- सामुदायिक नेता
- पुलिस बल
- आईपीएस अधिकारी (स्वयं मैं)
- सरकारी प्राधिकारी
- मीडिया
- जनता

A. एक आईपीएस अधिकारी के रूप में मेरे समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाएँ:

- **सामुदायिक तनाव को संतुलित करना बनाम सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना:** एक आईपीएस अधिकारी के रूप में मुझे हस्तक्षेप के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ने से रोकने की ज़िम्मेदारी के साथ सार्वजनिक सुरक्षा के लिये संभावित खतरों को कम करने की अनिवार्यता को संतुलित करना चाहिये।
- **बल का उपयोग बनाम नुकसान को कम करना:** एक आईपीएस अधिकारी के रूप में मुझे स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये आवश्यक बल का उपयोग करने के कर्तव्य और बंधकों तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित नागरिकों के नुकसान को कम करने के दायित्व के बीच संतुलन बनाना होगा।
- **चिकित्सा देखभाल को प्राथमिकता देना बनाम व्यवस्था बहाल करना:** एक आईपीएस अधिकारी के रूप में मुझे हमलावरों को दंडित करने के क्रम में कानून और व्यवस्था बहाल करने की अनिवार्यता के बजाय घायल बंधकों को तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने पर विचार करना चाहिये।

B. संकट को हल करने के लिये उठाए जा सकने वाले संभावित कदम:

- **तत्काल चिकित्सा सहायता:** मैं गंभीर रूप से घायल बंधकों के तत्काल चिकित्सा उपचार को प्राथमिकता दूँगा, भले ही वे किसी भी समुदाय से जुड़े हों। यह मानव जीवन के मूल्य के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **संचार और बातचीत:** मैं बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की सुविधा के लिये दोनों पक्षों के समुदाय के नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बातचीत शुरू करूँगा। यह दृष्टिकोण शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष समाधान के मेरे नैतिक सिद्धांत के अनुरूप है।
- **न्यूनतम बल का उपयोग:** मैं पुलिस बल को स्थिति को नियंत्रित करने और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिये आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग करने के लिये अधिकृत करूँगा। मैं सुनिश्चित करूँगा कि बल का प्रयोग आनुपातिक रूप से किया जाए और हिंसा से बचा जाए।
- **तटस्थ उपस्थिति:** मैं एक विविध और तटस्थ पुलिस बल तैनात करूँगा जो व्यापक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हो एवं जिससे पक्षपात का आभास नहीं हो। यह निष्पक्षता के मेरे नैतिक मूल्य को दर्शाता है।
- **कानूनी कार्रवाई:** मैं गोलीबारी के लिये ज़िम्मेदार हमलावरों की पहचान करूँगा और यह सुनिश्चित करूँगा कि उन्हें कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए। विधि के शासन को बनाए रखना एक मौलिक नैतिक सिद्धांत है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता:** मैं इस घटना की गहन और निष्पक्ष जाँच करूँगा, जिसके मूल में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि किसी भी पुलिस कदाचार का तुरंत और निष्पक्षता से समाधान किया जाए।
- **सामुदायिक समन्वय:** मैं दीर्घकालिक शांति और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने के लिये दोनों समुदायों के बीच सामुदायिक समन्वय और संवाद को बढ़ावा दूँगा। मैं उन्हें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये मिलकर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करूँगा।

C. मेरी कार्रवाई को उचित ठहराने वाले नैतिक सिद्धांत और मूल्य:

- **मानवाधिकार:** मैं इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के जीवन और कल्याण की सुरक्षा को प्राथमिकता दूँगा, चाहे वे किसी भी समुदाय से जुड़े हों। यह मूल्य मानवाधिकारों का सम्मान करने के मेरे मूल मूल्यों के अनुरूप है।
- **विधि का शासन:** हमारे समाज में न्याय एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिये विधि के शासन को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इस मूलभूत सिद्धांत को मज़बूत करने के लिये हिंसा के लिये ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है।
- **निष्पक्षता:** मेरा मानना है कि यह सुनिश्चित करना कि पुलिस बल निष्पक्ष रहे और किसी भी समुदाय के साथ पक्षपात न करे, इस प्रक्रिया में विश्वास और निष्पक्षता बनाए रखने के लिये आवश्यक है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** मैं निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच करने तथा किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने वालों को जवाबदेह ठहराने की वकालत करूँगा। मेरे विचार से, यह न्याय और नैतिक आचरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **संघर्ष समाधान:** मैं संघर्ष समाधान के प्रभावी साधन के रूप में बातचीत और समन्वय को बढ़ावा दूँगा। मेरा मानना है कि इन दृष्टिकोणों को अपनाना विवादों को सुलझाने के क्रम में शांतिपूर्ण एवं नैतिक तरीकों के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

मेरी कार्रवाई का उद्देश्य लोगों के जीवन की रक्षा करना, विधि का शासन बनाए रखना तथा न्याय और निष्पक्षता के नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए समुदाय में शांति और समन्वय को बढ़ावा देना होगा।

Q91. आप एक ऐसे सामाजिक उद्यम के संस्थापक हैं जो उन ग्रामीण क्षेत्रों में सौर लैंप प्रदान करता है जहाँ बिजली की पहुँच नहीं है। आप अपना प्रभाव बढ़ाने और अधिक ज़रूरतमंद समुदायों तक पहुँचने के लिये कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आपको एक प्रमुख तेल कंपनी के सीईओ से एक ईमेल प्राप्त होता है जो आपके साथ साझेदारी में रुचि रखता है। उनका कहना है कि वह आपके उद्देश्य का समर्थन करना चाहते हैं तथा आपके कार्यों का विस्तार करने में आपकी सहायता करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें अपनी कंपनी के लिये पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों को पूरा करना होगा। हालाँकि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करते हुए, जीवाश्म ईंधन कंपनियों के प्रति आपकी नकारात्मक धारणा विकसित हो गई है। सीईओ के प्रस्ताव ने आपको नैतिक दुविधा में डाल दिया है। एक तरफ आप ऐसी कंपनी से मदद स्वीकार करने के विचार से खुश नहीं हैं जो जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय क्षरण में योगदान दे रही है और दूसरी तरफ आपको लगता है कि कंपनी की सहायता आपके उद्यम को और अधिक लोकप्रियता प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर है।

1. **उपर्युक्त मामले में शामिल विभिन्न नैतिक मुद्दे क्या हैं?**
2. **क्या तेल कंपनी से धन लेना आपके लिये नैतिक रूप से सही होगा?**

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- इस मामले का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- इस मामले में शामिल विभिन्न नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि क्या तेल कंपनी से पैसा स्वीकार करना नैतिक रूप से सही होगा?
- अपने निर्णय को नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप होने को सिद्ध करते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

यह केस स्टडी एक सामाजिक उद्यम के संस्थापक से संबंधित है, जो बिजली की पहुँच से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लैंप उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। एक प्रमुख तेल कंपनी के सी.ई.ओ. द्वारा परिचालन के विस्तार हेतु सहायता की पेशकश करने से इसके संस्थापक के समक्ष एक नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई है। यह प्रस्ताव पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, नैतिक सत्यनिष्ठा, सामाजिक प्रभाव, कॉर्पोरेट ज़िम्मेदारी एवं कथित भ्रष्टाचार की संभावना से संबंधित नैतिक मुद्दों को उठाता है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या संस्थापक के लिये तेल कंपनी से धन स्वीकार करना (जीवाश्म ईंधन कंपनियों के प्रति उनकी सख्त नापसंदगी और उनके द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए) नैतिक रूप से उचित है।

मुख्य भाग:

A. इस मामले में शामिल विभिन्न नैतिक मुद्दे:

- **पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी:** संबंधित तेल कंपनी जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और दहन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय क्षरण में प्रमुख योगदानकर्ता है। ऐसी कंपनी से समर्थन स्वीकार करने को अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पर्यावरणीय रूप से हानिकारक गतिविधियों का समर्थन करने या उनसे लाभ उठाने के रूप में देखा जा सकता है।
- **नैतिक सत्यनिष्ठा और मूल्य:** नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्थिरता पर केंद्रित एक सामाजिक उद्यम के संस्थापक के रूप में, आपने संभवत: अपने संगठन को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से संबंधित मज़बूत मूल्यों

और सिद्धांतों पर स्थापित किया है। किसी तेल कंपनी से धन स्वीकार करने को इन सिद्धांतों के साथ विश्वासघात के रूप में देखा जा सकता है।

- **सामाजिक प्रभाव बनाम फंडिंग स्रोत:** आपके संचालन के विस्तार से अधिक सामाजिक प्रभाव की संभावना तथा मूल्यों के खिलाफ जाकर वित्तीय सहायता स्वीकार करने के बीच नैतिक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
- **ESG मानक और कॉर्पोरेट ज़िम्मेदारी:** तेल कंपनी के CEO ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या उनकी पेशकश सकारात्मक बदलाव के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता को दर्शाती है या यह केवल अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिये ग्रीनवॉशिंग का एक रूप है?
- **कथित भ्रष्टाचार:** एक तेल कंपनी से फंडिंग स्वीकार करने से आपके सामाजिक उद्यम को दाताओं, ग्राहकों एवं आपके द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले समुदायों सहित हितधारकों की ओर से आलोचना और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, जो इस साझेदारी को आपके मिशन के विरोधाभासी के रूप में देख सकते हैं।
- **दीर्घकालिक निहितार्थ:** आपको इस साझेदारी के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करना चाहिये। क्या यह आपके संगठन की स्वतंत्रता और मिशन को बनाए रखने की आपकी क्षमता से समझौता करेगा? तेल कंपनी आपके परिचालन पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ कोई प्रभाव डाल सकती है?

B. तेल कंपनी से पैसा स्वीकार करना नैतिक रूप से सही होगा, इसका कोई एक जवाब नहीं है जो सभी के लिये उपयुक्त हो। मेरा निर्णय मेरे अपने मूल्यों और मेरे सामाजिक उद्यम के मिशन द्वारा निर्देशित होगा। अपना निर्णय लेते समय, मैं निम्नलिखित बातों पर विचार करूँगा:

- **इरादे और प्रभाव का आकलन:** मैं तेल कंपनी के इरादों का भी आकलन करूँगा कि क्या वे वास्तव में स्थायी समाधानों का समर्थन करने और अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने के लिये प्रतिबद्ध हैं? मैं अपने मिशन पर इस समर्थन के संभावित सकारात्मक प्रभाव का भी मूल्यांकन करूँगा।
- **नकारात्मक प्रभावों को कम करना:** मैं इस बात पर विचार करूँगा कि क्या मैं उन शर्तों पर बातचीत कर सकता हूँ जो मुझे अपने संगठन की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्थिरता को प्राथमिकता देना जारी रखने की अनुमति देती हैं? इसके अतिरिक्त मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि उनकी भागीदारी के कारण मेरे मूल्यों से समझौता न हो।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता:** मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि यह साझेदारी पारदर्शी हो और दोनों पक्षों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिये जवाबदेह ठहराया जाए। इसमें स्पष्ट रिपोर्टिंग तंत्र तथा साझेदारी के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन करना शामिल है।
- **वैकल्पिक फंडिंग स्रोत:** मैं फंडिंग के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाऊँगा जो मेरे मूल्यों और मिशन के साथ अधिक निकटता से मेल खाते हों। इसमें अधिक प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन इससे मुझे अपने सिद्धांतों से समझौता करने से बचने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

अंततः मेरे द्वारा लिया गया निर्णय मेरे संगठन की मूल्य प्रणाली पर आधारित होगा। इस पूरे प्रक्रम में मैं संपूर्ण नैतिक चिंतन में संलग्न रहूँगा, हितधारकों के साथ परामर्श करूँगा और अपने संगठन के मिशन तथा मूल्यों के साथ संरेखित विकल्प चुनने से पहले उसके संभावित लाभों एवं कमियों का सावधानीपूर्वक मूल्याँकन करूँगा।

Q92. लंबे समय से सूखे के कारण राज्य गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इसके साथ ही भू-जल स्तर में भारी गिरावट आई है तथा कई कुएँ और बोरवेल सूख गए हैं। किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिये संघर्ष कर रहे हैं और लोग जल की व्यापक कमी का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति के कारण प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई है। मुख्यमंत्री को चिंता है कि इससे आगामी चुनावों में पार्टी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। हालाँकि राज्य के पास बाँधों, नहरों या पाइपलाइनों के निर्माण के रूप में किसी भी दीर्घकालिक उपाय को लागू करने के लिये धन का अभाव है। इस संदर्भ में एकमात्र विकल्प, टैंकरों एवं ट्रेनों के माध्यम से जल की आपूर्ति करके अस्थायी राहत प्रदान करना है लेकिन इसके लिये बहुत अधिक समन्वय और लॉजिस्टिक्स के साथ-साथ बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है। राज्य इसे केवल अन्य विकास योजनाओं के लिये आवंटित धन के उपयोग या केंद्र सरकार तथा बाहरी एजेंसियों से उधार लेकर ही वहन कर सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव रमेश कुमार को इस संकट के समाधान हेतु उपाय खोजने को कहा है।

स्वयं की मुख्य सचिव के रूप में कल्पना करते हुए इस संदर्भ में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कीजिये और बताइये कि इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- समस्या या मुद्दे (जल संकट) का संक्षेप में परिचय देकर शुरुआत कीजिये।
- उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कीजिये तथा आप इस स्थिति पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे।
- मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताइये तथा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के संयोजन को अपनाने के महत्त्व को दोहराइये।

परिचय:

लंबे समय से सूखे के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहे राज्य के मुख्य सचिव के रूप में मेरी प्राथमिक ज़िम्मेदारी उपलब्ध विकल्पों का आकलन करना तथा संकट से प्रभावी ढंग से निपटान हेतु एक व्यापक योजना विकसित करना होगा।

मुख्य भाग:

यहाँ विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं तथा मैं इस स्थिति पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दूँगा:

- **अन्य विकास योजनाओं को आवंटित धन का उपयोग:**
  - यह विकल्प प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल राहत प्रदान करेगा, लेकिन यह शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना आदि जैसी अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रगति से भी समझौता करेगा।
  - इससे उन योजनाओं के लाभार्थियों में नाराज़गी एवं असंतोष भी उत्पन्न हो सकता है तथा समग्र विकास प्रभावित हो सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, यह विकल्प समस्या के मूल कारण का समाधान नहीं करेगा, जो कि स्थायी जल प्रबंधन एवं संरक्षण प्रथाओं की कमी है।
  - मैं इस विकल्प की अनुशंसा नहीं करूँगा जब तक कि कोई अन्य विकल्प न हो।
- **केंद्र सरकार या बाहरी एजेंसियों से उधार लेना:**
  - यह विकल्प प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल राहत भी प्रदान करेगा, लेकिन इससे राज्य पर कर्ज़ का बोझ भी बढ़ेगा तथा इसकी वित्तीय गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।
  - इससे राज्य की अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने में स्वायत्तता और लचीलापन भी सीमित हो सकता है, क्योंकि उसे ऋणदाताओं के नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा।
  - इसके अलावा, यह विकल्प समस्या के मूल कारण को भी संबोधित नहीं करेगा, जो कि स्थायी जल प्रबंधन एवं संरक्षण प्रथाओं की कमी है।
  - मैं भी इस विकल्प की अनुशंसा नहीं करूँगा, जब तक कि कोई अन्य विकल्प न हो।
- **बाँधों, नहरों या पाइपलाइनों के निर्माण जैसे दीर्घकालिक उपायों को लागू करना:**
  - यह विकल्प समस्या के मूल कारण (स्थायी जल प्रबंधन एवं संरक्षण प्रथाओं की कमी) को संबोधित करेगा।
  - इससे कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिये जल की उपलब्धता और पहुँच भी सुनिश्चित होगी।
  - इससे लोगों तथा राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
  - हालाँकि, इस विकल्प के लिये बहुत अधिक समय, धन एवं संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो इस समय राज्य के पास नहीं है।
  - मैं इस विकल्प की अनुशंसा करूँगा, लेकिन केवल दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में, तत्काल समाधान के रूप में नहीं।
- **टैंकरों और ट्रेनों के माध्यम से जल की आपूर्ति करके अस्थायी राहत प्रदान करना:**
  - यह विकल्प प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल राहत प्रदान करेगा, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक समन्वय और लॉजिस्टिक्स के साथ-साथ बड़ी मात्रा में धन की भी आवश्यकता होगी।
  - यह विकल्प अन्य राज्यों एवं एजेंसियों की उपलब्धता और सहयोग पर भी निर्भर करेगा, जो विश्वसनीय या सुसंगत नहीं हो सकता है।
  - इसके अलावा यह विकल्प समस्या के मूल कारण (स्थायी जल प्रबंधन एवं संरक्षण प्रथाओं की कमी) को भी संबोधित नहीं करेगा।
  - मैं इस विकल्प की अनुशंसा करूँगा, लेकिन केवल एक अल्पकालिक उपाय के रूप में।

निष्कर्ष:

मैं सुझाव दूँगा कि राज्य को जल संकट से निपटान हेतु अल्पकालिक (टैंकरों एवं ट्रेनों के माध्यम से जल की आपूर्ति करके अस्थायी राहत प्रदान करना) तथा दीर्घकालिक उपायों (स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना, जैसे बाँध, नहर या पाइपलाइन का निर्माण करना) का संयोजन अपनाना चाहिये। इन उपायों को लागू करने के लिये राज्य को केंद्र सरकार एवं बाहरी एजेंसियों की सहायता लेनी चाहिये, लेकिन अपने स्वयं के संसाधन जुटाने तथा कर, शुल्क, टैरिफ आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से राजस्व उत्पन्न करने का भी प्रयास करना चाहिये। राज्य को लोगों की भागीदारी शामिल करनी चाहिये तथा उन्हें जल संरक्षण के महत्त्व के बारे में जागरूकता देनी चाहिये। ऐसा करने से राज्य जल संकट से उबरने तथा लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।

Q93. रमेश एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय निगम में कर्मचारी है जो अपनी मेहनती कार्यनीति के लिये जाना जाता है। वह लगातार समय पर कार्यालय पहुँचता है, समय पर कार्य करता है और कभी-कभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिये अधिक समय तक कार्य करता है।

रमेश के रिपोर्टिंग मैनेजर के रूप में कार्यरत राजेश, विश्वसनीय नेतृत्वकर्ता है जो पचास व्यक्तियों की टीम के लिये ज़िम्मेदार है। संगठन के अंदर उनकी प्रतिष्ठा एक ईमानदार और परिणाम-उन्मुख प्रबंधक के रूप में है जो दबाव में कार्य करने में उत्कृष्टता रखते हैं। एक दशक की अटूट सेवा के साथ, राजेश ने शीर्ष प्रबंधन में बढ़त हासिल की है, जिन्हें संकट या उच्च कार्यभार की अवधि के दौरान पसंदीदा व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। नतीजतन वह कंपनी में उच्च पद हेतु योग्य उम्मीदवार के रूप में हैं।

हालाँकि इस बीच कंपनी के समक्ष एक अप्रत्याशित चुनौती सामने आती है। कर्मचारियों के बीच प्रसारित एक फीडबैक फॉर्म में राजेश एवं रमेश से संबंधित काफी अधिक नकारात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त होती हैं। इन समीक्षाओं में उन पर दुर्व्यवहार, कदाचार और यहाँ तक कि मानसिक शोषण के आरोप भी लगाए गए हैं। यह घटनाक्रम कंपनी के CEO (अंतिम निर्णयकर्ता) को राजेश की आसन्न पदोन्नति के संबंध में एक उलझन भरी स्थिति में डाल देता है।

a) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

b) उपर्युक्त स्थिति में कंपनी के CEO के लिये उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

c) उपर्युक्त में से CEO के लिये सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा और क्यों?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- केस स्टडी में शामिल विभिन्न हितधारकों के बारे में चर्चा कीजिये।
- केस स्टडी में शामिल नैतिक मूल्यों का उल्लेख कीजिये।
- केस स्टडी में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
- कार्रवाई के विभिन्न संभावित तरीकों का, गुण-दोषों सहित उल्लेख कीजिये।
- कार्रवाई का सबसे उपयुक्त तरीका बताइये।
- कार्रवाई के सबसे उपयुक्त तरीके का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दीजिये।

इस मामले में शामिल हितधारक:
- रमेश एवं अन्य कर्मचार
- राजेश, रिपोर्टिंग मैनेजर
- CEO

उपयोगी नैतिक मूल्य:
- सत्यनिष्ठा
- निष्पक्षता और न्याय
- जवाबदेहिता
- पारदर्शिता
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता
- कार्य संस्कृति

(a) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे:

इस मामले में नैतिक मुद्दे के रूप में एक कर्मचारी, राजेश के **अच्छे प्रदर्शन एवं उसके खिलाफ कदाचार तथा दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों के बीच द्वंद** शामिल है।

इन नैतिक चिंताओं को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

- **कर्मचारी कल्याण:** प्राथमिक नैतिक चिंता उन कर्मचारियों की भलाई है जिन्होंने राजेश के दुर्व्यवहार, कदाचार और मानसिक शोषण करने की सूचना दी है। सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करना किसी भी संगठन का नैतिक दायित्व है।
- **निष्पक्षता और न्याय:** राजेश के खिलाफ आरोपों की **निष्पक्ष जाँच करना** एक नैतिक दायित्व है। यह शिकायतकर्ताओं और अभियुक्तों दोनों के लिये निष्पक्षता और **न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने** के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **पदोन्नति और पुरस्कार:** राजेश की आसन्न पदोन्नति एक नैतिक दुविधा पैदा करती है। क्या सीईओ को राजेश के पिछले प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत करने को प्राथमिकता देनी चाहिये या आरोपों का इनके निर्णय पर असर पड़ना चाहिये? इससे पदोन्नति और पुरस्कारों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है।
- **कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा:** कंपनी की नैतिक प्रतिष्ठा दाँव पर होने से कदाचार और दुर्व्यवहार के आरोपों को हल करने में विफलता से कंपनी की छवि और विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है जिससे कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ सकता है।

(b) उपर्युक्त स्थिति में कंपनी के CEO के लिये उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

राजेश से जुड़ी स्थिति का सामना करने के क्रम में कंपनी के CEO के समक्ष कई विकल्प हैं:

विकल्प 1: वह राजेश के कदाचार को नजरअंदाज कर उसके अनुकरणीय प्रदर्शन के आधार पर उसे पदोन्नत करे।

गुण	दोष
• कंपनी के लिये राजेश अधिक उत्साह के साथ कार्य करेंगे जिससे बेहतर परिणाम मिलेंगे।	• यह राजेश को कदाचार और ऐसे अन्य कृत्यों में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करेगा। • इससे अन्य सहकर्मियों में असुरक्षा की भावना पैदा होगी।

विकल्प 2: वह ऐसे कदाचार के मामले में अनिवार्य उचित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करेगा।

गुण	दोष
• इससे न्याय के प्राकृतिक क्रम को स्थापित किया जा सकेगा। • प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान होता है,इसको बल मिलेगा।	• राजेश क्रोध में आकर पद छोड़ने का फैसला कर सकता है। • कंपनी को नुकसान हो सकता है।

विकल्प 3: वह शिकायतों पर ध्यान न देकर जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दे।

गुण	दोष
• कुछ समय के लिये टीम में असहज शांति बनी रह सकती है।	• यह अन्य कर्मचारियों को भी कदाचार में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।

(c) उपर्युक्त में से कौन-सा विकल्प CEO के लिये सबसे उपयुक्त होगा और क्यों ?

CEO के लिये कार्रवाई का सबसे उपयुक्त तरीका विकल्प 2 होगा यानी उचित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना:

- **गहन जाँच:** CEO को राजेश के खिलाफ आरोपों की **गहन और निष्पक्ष जाँच** को प्राथमिकता देनी चाहिये। यह कार्रवाई **नैतिक सिद्धांतों** के अनुरूप होने के साथ इसमें शामिल **सभी पक्षों के लिये निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।**
- **अस्थायी निलंबन:** जाँच के दौरान **कर्मचारियों की सुरक्षा और संभावित नुकसान** को रोकने के लिये, राजेश को उनकी प्रबंधकीय ज़िम्मेदारियों से अस्थायी रूप से निलंबित करने की सलाह दी जाती है।
- **कर्मचारी सहायता:** शिकायत करने वाले **कर्मचारियों के लिये सहायता तंत्र** प्रदान करना, उनके हित को बनाए रखने और अनैतिक व्यवहार की रिपोर्ट करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक है।
- **नैतिक निर्णय लेना:** CEO को केवल पिछले प्रदर्शन पर विचार करने के बजाय, **जाँच के निष्कर्षों और नैतिक सिद्धांतों** के आधार पर राजेश की पदोन्नति पर निर्णय लेना चाहिये। यह निर्णय **निष्पक्षता और न्याय** से निर्देशित होना चाहिये।
- **पारदर्शिता और संचार:** कर्मचारियों को की गई कार्रवाइयों और जाँच की प्रगति के बारे में सूचित रखने से संगठन के अंदर **पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा** मिलेगा।
- **कानूनी अनुपालन:** यह सुनिश्चित करना कि सभी **कार्य प्रासंगिक श्रम कानूनों और विनियमों** के अनुरूप हों, संगठन को कानूनी रूप से सुरक्षित रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

इन चरणों का पालन करके, CEO कंपनी की प्रतिष्ठा और नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए कदाचार के आरोपों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकता है। यह दृष्टिकोण सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल बनाए रखने की ज़िम्मेदारी के साथ मूल्यवान कर्मचारियों को पहचानने और पुरस्कृत करने की आवश्यकता को संतुलित करता है।

Q94. आप एक सुदूर एवं पिछड़े ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं। आप विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करके लोगों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिये कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में से एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN) का निर्माण है जिसमें ज़िले के सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और पंचायतों को जोड़ना शामिल है। इससे सार्वजनिक सेवाओं का बेहतर संचार, समन्वय और वितरण संभव हो सकेगा। आपने इस नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीणों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की भी योजना बनाई है।

हालाँकि, इस परियोजना को क्रियान्वित करने में आपको कई चुनौतियों और नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

स्थानीय विधायक आपके प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे लोगों पर उनका प्रभाव और नियंत्रण कम हो जाएगा। वह आप पर इस परियोजना को रोकने के साथ अपने वोट बैंक को लक्षित करने वाली किसी अन्य योजना के लिये धन का उपयोग करने का दबाव डाल रहे हैं।

जिन ठेकेदारों को केबल बिछाने और उपकरण स्थापित करने का टेंडर दिया गया है, वे भ्रष्ट और अक्षम माने जाते हैं। वे कार्य में देरी कर रहे थे और अधिक पैसे की मांग कर रहे थे। वे घटिया सामग्री का भी उपयोग कर रहे हैं तथा नेटवर्क की गुणवत्ता एवं सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं।

कुछ ग्रामीण आपके प्रोजेक्ट के प्रति संदेहास्पद और प्रतिरोधी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी जासूसी करने और उनका निजी डेटा एकत्र करने की एक चाल है। वे अपने स्वास्थ्य और संस्कृति पर नेटवर्क के हानिकारक प्रभावों के बारे में अफवाहें और गलत सूचना फैला रहे हैं। वे नेटवर्क के बुनियादी ढाँचे में भी तोड़-फोड़ कर रहे हैं।

कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आपके प्रोजेक्ट के प्रति अनिच्छुक और उदासीन हैं क्योंकि उनके पास नेटवर्क का उपयोग करने के लिये कौशल और प्रेरणा की कमी है। वे उन प्रशिक्षण सत्रों और कार्यशालाओं से बच रहे हैं जो आपने उन्हें नेटवर्क से परिचित कराने के लिये आयोजित किये हैं। वे अपने व्यक्तिगत और अवैध उद्देश्यों के लिये नेटवर्क का दुरुपयोग भी कर रहे हैं।

ज़िला कलेक्टर के रूप में आप इन चुनौतियों और दुविधाओं से कैसे निपटेंगे? इस संदर्भ में कौन से मूल्य और सिद्धांत आपके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करेंगे? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- इस मामले का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि आप विभिन्न हितधारकों (विधायक, ठेकेदार, ग्रामीणों और अधिकारियों) के साथ किस प्रकार व्यवहार करेंगे। इसके अलावा, उन मूल्यों और सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये जो आपके कार्य को निर्देशित करेंगे।
- दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एक दूरस्थ और आर्थिक रूप से वंचित ज़िले के ज़िलाधिकारी/ज़िला कलेक्टर के रूप में मैं एक महत्त्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व कर रहा हूँ जिसमें सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों एवं पंचायतों को जोड़ने के लिये एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN) की स्थापना करना शामिल है। इस पहल को एक शक्तिशाली स्थानीय राजनेता के विरोध, भ्रष्ट ठेकेदारों, ग्रामीणों के अविश्वास और सरकारी अधिकारियों की उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य भाग:

निम्नलिखित तरीके से मैं प्रत्येक मुद्दे का समाधान करूँगा:

स्थानीय विधायक के विरोध से निपटना:
- **पारदर्शिता बनाए रखना:** मैं परियोजना के वित्तपोषण, निष्पादन और लक्ष्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करूँगा। परियोजना के बारे में संदेह को खत्म करने के लिये सभी वित्तीय लेनदेन और परियोजना विवरण को सार्वजनिक रूप से सुलभ करने का प्रयास करूँगा।
- **संवाद करना:** मैं परियोजना के लाभों को समझाने के लिये क्षेत्र के विधायकों के साथ एक रचनात्मक बातचीत शुरू करूँगा।
  - क्योंकि बेहतर संचार और समन्वय से शासन एवं सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होने के साथ लोगों की चिंताओं का समाधान हो सकता है।

भ्रष्ट और अक्षम ठेकेदार:
- **सख्त निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण:** मैं यह सुनिश्चित करने के लिये सख्त निगरानी करूँगा कि ठेकेदार समय सीमा में कार्य को पूरा करने के साथ अच्छी गुणवता की सामग्री का उपयोग करें।
- **कानूनी कार्रवाई:** यदि भ्रष्टाचार या खराब कार्य की सूचना मिलती है तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। जैसे अनुबंध समाप्त करना, जुर्माना लगाना या ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना।

ग्रामीणों का संदेह और विरोध:
- **जन जागरूकता अभियान:** मैं ग्रामीणों को परियोजना के लाभों के बारे में शिक्षित करने, संबंधित मिथकों को दूर करने एवं डेटा गोपनीयता और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये बैठकों, कार्यशालाओं एवं जागरूकता अभियानों की व्यवस्था करूँगा। इससे समुदाय के नेताओं और प्रभावशाली लोगों के साथ समन्वय से विश्वास को बढ़ावा मिलेगा।

सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा का समाधान:
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** मैं सरकारी अधिकारियों के लिये इंटरनेट कौशल प्रशिक्षण को अनिवार्य करने एवं उनकी ऑनलाइन दक्षता को बढ़ाने के साथ उनकी पेशेवर दक्षता को बेहतर करने का प्रयास करूँगा।
- **जवाबदेहिता और निगरानी:** मैं इसमें होने वाले दुरुपयोग का पता लगाने के लिये एक निगरानी प्रणाली नेटवर्क स्थापित करूँगा।

कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाले मूल्य एवं सिद्धांत:
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** इस परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ धन के उचित उपयोग हेतु जवाबदेह रहना आवश्यक है।
- **नैतिक नेतृत्व:** राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत हितों के बावजूद नैतिक मानकों को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।

- **सत्यनिष्ठा:** यह सुनिश्चित करने के लिये कि ठेकेदार भ्रष्टाचार के बिना गुणवत्तापूर्ण कार्य करें।
- **सामुदायिक सहभागिता:** खुले संचार के माध्यम से सामुदायिक चिंताओं को हल करने में यह महत्त्वपूर्ण है।
- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता:** यह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान एवं संरक्षण करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- **व्यावसायिक विकास:** कर्मचारियों को LAN नेटवर्क का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम करना।
- **विधि का शासन:** संवाद के माध्यम से लोगों की चिंताओं को दूर करते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु यह महत्त्वपूर्ण है।
- **लोक कल्याण:** इससे परियोजना लक्ष्यों में समुदाय की भलाई को प्राथमिकता देना शामिल है।

निष्कर्ष:

इन विशिष्ट कार्यों के अलावा हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव, लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना और इसके अनुकूलन को ध्यान में रखना महत्त्वपूर्ण है। गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साझेदारी से काफी सहायता मिल सकती है। ज़िला कलेक्टर के रूप में मेरे लिये इस परियोजना के लक्ष्यों के साथ जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध रहना सर्वोपरि है।

Q95. श्री वर्मा, एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी, अपनी ईमानदारी और लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिये जाने जाते हैं। जिन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये ख्याति अर्जित की है। बीते वर्षों में, उन्होंने राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ विकसित की है, जिसमें भ्रष्टाचार, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक सुविधाएँ और बेरोज़गारी के मुद्दे शामिल हैं। अपने दृढ़ कर्त्तव्य परायणता की भावना और सार्थक परिवर्तन लाने की इच्छा से प्रेरित होकर, श्री वर्मा ने राजनीतिक स्तर पर इन मुद्दों को संबोधित करने के लिये चुनाव लड़ने का फैसला किया।

हालाँकि, राज्य सरकार ने यह तर्क देते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इंकार कर दिया कि उनकी विशेषज्ञता और अनुभव, चल रही विकास परियोजनाओं के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। उनका दावा है कि उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने से राज्य की प्रशासनिक स्थिरता बाधित होगी।

A. मामले में कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

B. जब चुनावों में भाग लेने की बात आती है तो सिविल सेवकों के लिए क्या दिशानिर्देश हैं?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- मामले को संक्षेप में समझाते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- श्री वर्मा द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं की सूची बनाइये और उनका वर्णन कीजिये।
- चुनाव लड़ने के इच्छुक सिविल सेवक हेतु नियमों पर चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

श्री वर्मा सिविल सेवा से जुड़े होने की वजह से नैतिक और पेशेवर दुविधाओं में उलझे हुए हैं, एक सिविल सेवक के रूप में इस उलझन ने उनकी भूमिका की मूलभूत प्रकृति पर सवाल खड़ा कर दिया है।

सार्वजनिक हित में सेवा करने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने की दृढ़ व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के साथ श्री वर्मा को राज्य सरकार के प्राधिकार का सम्मान करते हुए सिविल सेवा के कड़े नियमों एवं विनियमों का पालन करने की जटिल वास्तविकता का सामना करना पड़ता है।

रूपरेखा:

A. श्री वर्मा के मामले में नैतिक मुद्दे:

- **हितों का टकराव:** एक आईएएस अधिकारी और राजनीतिक उम्मीदवार के रूप में श्री वर्मा की दोहरी भूमिकाएँ **उनके सार्वजनिक कर्त्तव्यों एवं व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं के बीच टकराव का कारण बन सकती हैं**, जिससे उनकी निष्पक्षता तथा निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग:** इस बात की भी काफी संभावना है कि श्री वर्मा अपने राजनीतिक अभियान के लिये कर्मचारियों और सुविधाओं जैसे **सरकारी संसाधनों का उपयोग** कर सकते हैं, जो अनैतिक व करदाताओं के धन का दुरुपयोग भी हो सकता है।
- **सार्वजनिक सेवा क्षेत्र को कमज़ोर करना:** राज्य सरकार का दावा है कि **कार्याधीन विकास परियोजनाओं के लिये श्री वर्मा की विशेषज्ञता काफी महत्त्वपूर्ण है।** यह श्री वर्मा के जाने के बाद सार्वजनिक सेवा वितरण और विकास लक्ष्यों के बाधित होने संबंधी नैतिक दुविधाओं को भी उजागर करता है।
- **जनता का विश्वास और जवाबदेही:** श्री वर्मा की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं से सरकारी एजेंसियों में जनता के विश्वास और जवाबदेही पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे **सिविल सेवा पर राजनीतिक प्रभाव अथवा पक्षपात के आरोप** लग सकते हैं।

- **निष्पक्षता और समान अवसर:** राज्य सरकार द्वारा **श्री वर्मा का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार किये जाने को उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के निष्पक्ष और समान अवसर से वंचित करने के रूप में देखा जा सकता है,** जो व्यक्तिगत अधिकारों एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों को लेकर सवाल खड़े कर सकता है।
- **कानूनी और नैतिक दायित्व:** एक आईएएस अधिकारी के रूप में **श्री वर्मा के लिये नैतिक दिशा-निर्देश एवं आचार संहिता बाध्यकारी है।** एक लोक सेवक के तौर पर अपने कानूनी उत्तरदायित्वों तथा नैतिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती है।

B. चुनाव लड़ने के इच्छुक सिविल सेवक हेतु दिशा-निर्देश:

- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, जो कि केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों पर लागू होते हैं, के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी विधायी अथवा स्थानीय प्राधिकार के लिये चुनाव नहीं लड़ सकता है।
  - इन दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित कार्य नही कर सकते:
    - चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के लिये प्रचार करना।
    - चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करना।
    - निर्वाचित पद धारण करना।
- यही नियम अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 द्वारा शासित अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) पर भी लागू होता है।
- यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चयन अवैध माना जा सकता है और उसे अपना निर्वाचित पद छोड़ना पड़ सकता है। संबद्ध अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है तथा उस पर CCS (CCA) नियम, 1965 के तहत निर्धारित उचित दंड भी लगाया जा सकता है।
- जो सिविल सेवक चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपनी सेवा से इस्तीफा देना पड़ता है। उन्हें चुनाव अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का भी पालन करना अनिवार्य होता है।

निष्कर्ष:

श्री वर्मा द्वारा सामना किये गए नैतिक और पेशेवर चुनौतियों के आलोक में ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें अपने कार्यों के संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिये, किसी भी मामले पर खुला संवाद करना चाहिये, और जनता के हितों, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सिविल सेवक के रूप में अपने नैतिक मूल्यों पर केंद्रित एक संतुलित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिये।

Q96. रवीश (एक युवा और समर्पित सिविल सेवक जिन्हें अपनी योग्यता एवं ईमानदारी के लिये जाना जाता है) को एक ऐसे ज़िले में नियुक्त किया गया था, जिसमें साक्षरता अनुपात कम होने के साथ शिक्षा प्रणाली माफियाओं द्वारा नियंत्रित थी और यहाँ परीक्षा में नकल के बदले छात्रों से पैसे वसूले जाते थे। इस स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए रवीश ने माफियाओं की जटिल कार्यप्रणाली को समझने के साथ इसमें स्थानीय अधिकारियों और ताकतवर लोगों की मिलीभगत का पता लगाया।

जाँच करने पर रवीश ने इस अवैध गठबंधन में अपने कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता का पता लगाया। निर्णायक कार्रवाई करते हुए उन्होंने उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए और इस अवैध प्रणाली को समाप्त करने के लिये जाँच कार्रवाइयाँ कीं। इस तरह के प्रतिरोध का सामना करने से अनभिज्ञ माफिया चिंतित हो गए, कुछ कार्यालय कर्मचारियों ने उन्हें ज़िले में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के उन्मूलन के क्रम में रवीश के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया।

इसके विरोध में माफियाओं ने शत्रुतापूर्ण रुख अपनाते हुए जवाबी हमला किया। उन्होंने रवीश को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी तथा उनके परिवार (जिसमें उनकी पत्नी और बुज़ुर्ग माँ भी शामिल थीं) को नुकसान पहुँचाने की धमकी देने के कारण उन्हें अत्यधिक मानसिक परेशानी हुई। यह स्थिति तब और गंभीर हो गई जब एक माफिया रवीश के कार्यालय पहुँचा और उसने इससे संबंधित जाँच बंद करने या उनके कुछ पूर्ववर्तियों के समान परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी, उक्त माफिया ने एक दशक पहले एक अधिकारी की हत्या कर दी थी।

- **शिक्षा माफियाओं से निपटने में रवीश के समक्ष आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति को प्रभावी ढंग से हल करने के लिये रवीश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?**
- **इस ज़िले में शिक्षा माफियाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु रवीश के लिये बताए गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।**

हल करने का दृष्टिकोण:

- सिविल सेवक के रूप में रवीश की विशेषताएँ और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- इस स्थिति से निपटने के लिये रवीश के समक्ष उपलब्ध चुनौतियों और विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कीजिये।
- रवीश के पास उपलब्ध प्रत्येक विकल्प के पक्ष एवं विपक्ष के बारे में बताइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

एक समर्पित और सक्षम सिविल सेवक के रूप में रवीश को एक ऐसे ज़िले में जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जहाँ शिक्षा में बहुत भ्रष्टाचार है। जैसे ही वह इस अवैध नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है, उसे विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है साथ ही उसके परिवार को परेशान किया जाता है। इस कठिन परिस्थिति को संभालने के लिये, रवीश को ज़िले की शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखने के क्रम में सावधानीपूर्वक कदम उठाना होगा।

मुख्य भाग:

- **ज़िले में अवैध गतिविधियों में शामिल शिक्षा माफियाओं द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना कर रहे रवीश के पास इस स्थिति से निपटने के लिये विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं:**
  - **कड़ी कार्रवाई जारी रखना:**
    - रवीश शिक्षा माफियाओं के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई को जारी रखने के साथ उनके अवैध तंत्र को खत्म करने के लिये गहन जाँच और छापेमारी कर सकता है। कड़ा रुख अपनाकर, वह माफियाओं की अवैध गतिविधियों को रोक सकता है।
  - **बाहरी सहायता लेना:**
    - शिक्षा माफियाओं से निपटने में अधिक व्यापक और समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के लिये रवीश उच्च अधिकारियों से समर्थन मांग सकता है, जैसे इस मामले को राज्य या केंद्र सरकार के अधिकारियों तक पहुँचाना। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग से उसके कार्यों की प्रभावशीलता बढ़ सकती है।
  - **परिवार की रक्षा करना:**
    - परिवार के समक्ष उत्पन्न खतरों को ध्यान में रखते हुए, रवीश सुरक्षा सुनिश्चित करने का विकल्प चुन सकता हैं। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करना या अपने परिवार को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है।
  - **भ्रष्ट अधिकारियों को प्रकाश में लाना:**
    - यह देखते हुए कि उनके कार्यालय के कुछ कर्मचारी कथित तौर पर माफियाओं से जुड़े हुए हैं, रवीश आंतरिक जाँच शुरू करने के साथ भ्रष्ट व्यक्तियों को बेनकाब कर सकता है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। इससे माफियाओं और स्थानीय पदाधिकारियों के बीच गठजोड़ को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
  - **जन जागरूकता बढ़ाना:**
    - रवीश, शिक्षा माफियाओं द्वारा संचालित नकल के हानिकारक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने पर विचार कर सकता है। समुदाय के साथ जुड़कर, वह समर्थन जुटाने के साथ माफियाओं की गतिविधियों के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध पैदा कर सकता है।
- **ज़िले में शिक्षा माफिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये रवीश के समक्ष उपलब्ध प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन:**
  - **कड़ी कार्रवाई जारी रखना:**
    - **पक्ष:** इससे प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित होता है जिससे संभावित रूप से माफियाओं की गतिविधियों को रोका जा सकता है।
    - **विपक्ष:** इससे शत्रुता बढ़ सकती है, जिससे रवीश और उनके परिवार को अधिक खतरा हो सकता है। इससे भ्रष्टाचार के मूल कारणों को हल नहीं किया जा सकता है।
  - **बाहरी सहायता लेना:**
    - **पक्ष:** इससे अतिरिक्त संसाधन और अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें समन्वित प्रयासों के माध्यम से समग्र प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा।
    - **विपक्ष:** नौकरशाही प्रक्रिया धीमी हो सकती है। उच्च स्तर पर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप का भी खतरा हो सकता है।
  - **परिवार की रक्षा करना:**
    - **पक्ष:** इससे रवीश के परिवार की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित होता है।
    - **विपक्ष:** इसे आक्रामक रणनीति के बजाय रक्षात्मक माना जा सकता है। यह प्रणाली के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रत्यक्ष तौर पर संबोधित नहीं करता है।
  - **भ्रष्ट अधिकारियों को प्रकाश में लाना:**
    - **पक्ष:** आंतरिक भ्रष्टाचार में कमी आने से माफियाओं का समर्थन नेटवर्क कमज़ोर होगा।
    - **विपक्ष:** इसमें संगठन के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसकी प्रतिक्रिया से बचने के लिये ठोस सबूत के साथ सावधानी से निपटने की आवश्यकता है।

- **जन जागरूकता बढ़ाना:**
  - **पक्ष:** माफियाओं के खिलाफ लोगों को संगठित किया जा सकेगा।
  - **विपक्ष:** इससे लोक व्यवस्था में व्यवधान हो सकता है।
- **कानूनी कार्यवाही:**
  - **पक्ष:** इससे कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित होने के साथ माफियाओं को दोषी ठहराया जा सकता है और उनके तंत्र को नष्ट किया जा सकता है।
  - **विपक्ष:** कानूनी कार्यवाही लंबी हो सकती है। गवाहों को डराने-धमकाने का खतरा हो सकता है।
- **गुप्त ऑपरेशन:**
  - **पक्ष:** माफियाओं को सचेत किये बिना बहुमूल्य खुफिया जानकारियाँ मिल सकती हैं।
  - **विपक्ष:** इसमें कुशल कर्मियों की आवश्यकता के साथ गुप्त अभियानों में शामिल लोगों के लिये जोखिम और व्यक्तिगत खतरा हो सकता है।

निष्कर्ष:

ज़िले में ईमानदारी की संस्कृति बनाए रखने तथा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये रवीश की अटूट प्रतिबद्धता एक सच्चे लोक सेवक के गुणों को दर्शाती है। रवीश द्वारा प्रदर्शित अनुकूलन क्षमता व्यवस्था में सुधार हेतु एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करती है।

Q97. आप केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत एक सरकारी अधिकारी हैं। बेहतर लोक सेवाओं के क्रम में केंद्र सरकार एक डिजिटल परिवर्तन पहल लागू कर रही है, जिसमें नागरिकों के डेटा का संग्रह एवं विश्लेषण करना शामिल है। आपको केंद्र सरकार की डिजिटल परिवर्तन पहल को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके कार्यान्वयन के क्रम में निजता के अधिकार तथा निजी तकनीकी फर्मों द्वारा होने वाले व्यक्तिगत डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। हालाँकि यह पहल सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है लेकिन स्पष्ट नियमों के अभाव के कारण इसके तहत उचित लाभ वितरण एवं सामाजिक असमानताओं के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।

- **इस आलोक में डिजिटल परिवर्तन पहल के प्रभारी अधिकारी के रूप में आपके समक्ष कौन-सी नैतिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं?**
- **इस स्थिति में आप सरकार, नागरिकों तथा निजी तकनीकी कंपनियों के प्रतिस्पर्द्धी हितों को कैसे संतुलित करेंगे?**

हल करने का दृष्टिकोण:

- डिजिटल पहल और संबंधित चुनौतियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न नैतिक दुविधा का उल्लेख कीजिये।
- लाभ और कमियों के साथ उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

लोक प्रशासन के गतिशील परिदृश्य में केंद्र सरकार लोक सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक डिजिटल पहल के माध्यम से परिवर्तनशील यात्रा प्रारंभ कर रही है। इसमें नागरिकों के डेटा का संग्रह और विश्लेषण, निजता के अधिकार एवं निजी तकनीकी फर्मों द्वारा व्यक्तिगत सूचना के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ शामिल हैं।

(a) नैतिक चुनौतियाँ:

- **गोपनीयता का अधिकार:** सबसे महत्त्वपूर्ण नैतिक चुनौतियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के डेटा के संग्रहण और विश्लेषण में उनकी गोपनीयता के अधिकार का सम्मान किया जाए।
- **निजी तकनीकी फर्मों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का संभावित दुरुपयोग:** डेटा संग्रह और विश्लेषण में निजी तकनीकी फर्मों की भागीदारी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये संवेदनशील जानकारी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।
- **उचित लाभ वितरण:** सामाजिक-आर्थिक विकास के वादे के साथ उचित लाभ वितरण की प्रतिबद्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिये।
- **सामाजिक असमानताएँ और स्पष्ट विनियमों का अभाव:** स्पष्ट विनियमों का अभाव सामाजिक असमानताओं में योगदान कर सकता है, क्योंकि कुछ समूहों को इस पहल से असमान रूप से लाभ या हानि हो सकती है।
- **डिजिटल विभाजन:** यह सुनिश्चित करना एक नैतिक चुनौती है कि डिजिटल परिवर्तन पहल का लाभ सभी नागरिकों तक पहुँच सके।

(b) डिजिटल परिवर्तन पहल में हितों को संतुलित करने की रणनीतियाँ

- **सरकार:**
  - **पारदर्शिता और जवाबदेही:**
    - नागरिकों को लक्ष्य, तरीके और परिणाम स्पष्ट रूप से बताना।
    - पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को लागू करना और डेटा उपयोग के लिये जवाबदेही सुनिश्चित करना।

- **नैतिक विनियमन एवं दिशानिर्देश:**
  - व्यापक नैतिक दिशानिर्देश एवं विनियमन विकसित और लागू करना।
  - निष्पक्षता, समानता और ज़िम्मेदार डेटा प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले विनियमन स्थापित करना।
- **सार्वजनिक परामर्श:**
  - नागरिक इनपुट और फीडबैक एकत्र करने के लिये नियमित सार्वजनिक परामर्श की सुविधा प्रदान करना।
  - चिंताओं को दूर करने के लिये निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों को सक्रिय रूप से शामिल करना।
- **न्यायसंगत लाभ वितरण:**
  - इस पहल के लाभों का समान वितरण हेतु नीतियाँ लागू करना।
  - सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने वाले कार्यक्रमों का विकास और निगरानी करना।
- **विनियामक अनुपालन और लेखापरीक्षा:**
  - नियमित ऑडिट के माध्यम से अनुपालन लागू करना।
  - गैर-अनुपालन के लिये दंड स्थापित करना, सरकार और तकनीकी फर्मों दोनों को जवाबदेह ठहराना।

- **नागरिक:**
  - **डेटा सुरक्षा का समर्थन:**
    - मज़बूत डेटा सुरक्षा अधिकारों और पारदर्शिता का समर्थन करना।
    - डिजिटल अधिकारों पर नागरिकों को शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियानों में भाग लेना।
  - **निर्णय लेने में संलग्नता:**
    - सार्वजनिक परामर्शों में सक्रिय रूप से भाग लेना और राय व्यक्त करना।
    - विविध नागरिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने के लिये वकालत समूह का निर्माण करना।
  - **उचित लाभ का समर्थन:**
    - उचित लाभ वितरण सुनिश्चित करने वाली नीतियों का समर्थन करना।
    - असमानताओं को दूर करने के लिये सरकार और तकनीकी कंपनियों को उत्तरदायी ठहराना।
  - **निगरानी और जवाबदेही:**
    - विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और उल्लंघनों की रिपोर्ट करना।
    - सरकारी और तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही में योगदान देना।

- **निजी टेक फर्मों:**
  - **संचालन में पारदर्शिता:**
    - भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों और डेटा उपयोग प्रथाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना।
    - प्रौद्योगिकी समाधान और एल्गोरिदम के बारे में पारदर्शिता प्रदान करना।
  - **नैतिक तकनीकी विकास:**
    - ज़िम्मेदार डेटा प्रथाओं को प्राथमिकता देते हुए नैतिक दिशानिर्देशों का पालन करना।
    - प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव पर विचार करना और नकारात्मक परिणामों को कम करना।
  - **सरकार के साथ सहयोग:**
    - नैतिक प्रौद्योगिकी समाधान सुनिश्चित करने में सरकार के साथ सहयोग करना।
    - चिंताओं को दूर करने और डेटा के ज़िम्मेदारीपूर्ण उपयोग के लिये पारदर्शी संचार सुनिश्चित करना।
  - **सामाजिक प्रभाव का आकलन:**
    - प्रौद्योगिकी समाधानों के सामाजिक प्रभाव का नियमित मूल्यांकन करना।
    - अनपेक्षित परिणामों को संबोधित करना और सकारात्मक सामाजिक परिणामों में योगदान देना।
  - **विनियमनों का अनुपालन:**
    - मौजूदा विनियमनों का अनुपालन करना और नियामक निकायों के साथ सहयोग करना।
    - नैतिक व्यावसायिक आचरण और ज़िम्मेदार प्रौद्योगिकी विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना।

निष्कर्ष:

एक ज़िम्मेदार डिजिटल परिवर्तन पहल के लिये संतुलन, पारदर्शिता, नागरिक जुड़ाव और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। सरकार, नागरिकों तथा निजी तकनीकी फर्मों के बीच सहयोग एवं जवाबदेही को प्राथमिकता देकर हमारे सामाजिक मूल्यों तथा व्यक्तिगत अधिकारों को कायम रखते हुए प्रौद्योगिकी विकास सुनिश्चित कर सकती है।

Q98. एक प्रसिद्ध भारतीय कार कंपनी ने ग्राहकों को समान गुणवत्ता के उत्पाद प्रदान करने के वादे के साथ स्थानीय बाज़ार में एक कार का एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल लॉन्च किया। हालाँकि एक औचक जाँच में पाया गया कि यह कारें अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं हैं और बाद में की गई जाँच से जानकारी मिली कि इसमें कदाचार किया गया है। यह कंपनी भारत में सिर्फ कम गुणवत्ता की कारें ही नहीं बेच रही थी बल्कि इसके द्वारा स्थानीय बिक्री हेतु अस्वीकृत

निर्यात मॉडल को अपनाया जा रहा था। इस अनैतिक आचरण का पता चलने से कंपनी की प्रतिष्ठा के साथ उसे वित्तीय नुकसान हुआ। ऐसे में कंपनी को लोगों का विश्वास हासिल करने तथा ऑटोमोटिव उद्योग में अपनी स्थिति को बहाल करने हेतु इन मुद्दों को हल करना आवश्यक हो गया। इन अनैतिक कार्यों से कंपनी की छवि को काफी नुकसान होने के साथ इसके परिणामस्वरूप घरेलू और वैश्विक स्तर पर इसको वित्तीय नुकसान हुआ। उपभोक्ताओं के साथ विश्वासघात करने से प्रतिस्पर्धी ऑटोमोटिव उद्योग में इस कंपनी की स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। ऐसे में कंपनी को सुधारात्मक उपायों को लागू करने तथा लोगों के बीच विश्वास को फिर से बहाल करने के साथ बाज़ार में अपनी स्थिति को पुनः मजबूत करना आवश्यक हो गया।

a) इस आलोक में उपभोक्ताओं तथ नियामकों के बीच विश्वास बहाल करने में कंपनी की निर्णय निर्माण प्रक्रिया किन नैतिक विचारों से निर्देशित होनी चाहिये ?

b) कंपनी अपने हितधारकों के बीच नैतिक जागरूकता तथा जवाबदेही की संस्कृति को किस प्रकार बढ़ावा दे सकती है ?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- निर्णय लेने में नैतिकता के विषय में एक संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- उन नैतिक विचारों का उल्लेख कीजिये जिनका कंपनी द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन किया जाना आवश्यक है।
- विभिन्न हितधारकों की नैतिक जागरुकता और जवाबदेहिता का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

निर्णय लेने में नैतिकता महत्त्वपूर्ण है, जो व्यक्तिगत और संगठनात्मक नैतिक मूल्यों को आकार देती है। इसमें हितधारक और सामाजिक प्रभाव पर विचार करते हुए उचित एवं अनुचित के आधार पर विकल्पों का आकलन करना शामिल है। नैतिक मानकों को कायम रखने से विश्वास, अखंडता और ज़िम्मेदार नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों एवं सामाजिक मानदंडों के अनुरूप कार्यों का मार्गदर्शन होता है।

निकाय:

(a) अनैतिक कार्यों को सुधारने एवं उपभोक्ताओं और नियामकों के साथ विश्वास का पुनर्निर्माण करने में कंपनी को कई प्रमुख नैतिक विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये:

- **पारदर्शिता और प्रकटीकरण:** कंपनी को स्वीकृत विनिर्देशों से विचलन और अस्वीकृत निर्यात मॉडल के उपयोग को खुले तौर पर स्वीकार करके पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व:** जानबूझकर कदाचार के लिये ज़िम्मेदारी लेना आवश्यक है। कंपनी को अनैतिक गतिविधियों हेतु ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करनी चाहिये और उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिये।
- **उपभोक्ता कल्याण:** कंपनी को यह सुनिश्चित करके अपने उपभोक्ताओं के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिये कि सुधारात्मक उपाय उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और नियामक मानकों के पालन पर ध्यान केंद्रित करें।
- **नियामक अनुपालन:** नियामक मानकों का सख्ती से पालन करना और प्रभावित उत्पादों के लिये पुनः अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। यह नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और स्थापित मानदंडों के अनुपालन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- **नैतिक नेतृत्व और संस्कृति:** कंपनी के नेतृत्व को नैतिक व्यवहार का उदाहरण देना चाहिये और एक कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिये, जो अखंडता एवं नैतिक निर्णय लेने को महत्त्व देती है।
- **क्षतिपूर्ति और मुआवज़ा:** कंपनी को प्रभावित उपभोक्ताओं को मुआवज़ा देने और घटिया उत्पादों के कारण होने वाले वित्तीय क्षति को कम करने के उपायों पर विचार करना चाहिये।

(b) कंपनी कई प्रमुख पहलों के माध्यम से अपने हितधारकों के बीच नैतिक जागरुकता और जवाबदेहिता संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है:

- **नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रम:** सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिये व्यापक नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करें। इन कार्यक्रमों को नैतिक निर्णय लेने पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिये और नैतिक मानकों के पालन के महत्त्व को सुदृढ़ करना चाहिये।
- **नेतृत्व का उदाहरण:** नेतृत्व को नैतिक भूमिका मॉडल के रूप में काम करना चाहिये, लगातार नैतिक व्यवहार का प्रदर्शन और प्रचार करना चाहिये।
- **स्पष्ट नैतिक दिशा-निर्देश:** इन दिशा-निर्देशों में व्यवसाय संचालन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिये और नैतिक निर्णयों को कर्मचारियों के लिये एक संदर्भ बिंदु के रूप में काम करना चाहिये।
- **मुखबिरों (व्हिसिलब्लोअर) का संरक्षण:** अनैतिक आचरण की रिपोर्ट करने के लिये एक सुरक्षित और गोपनीय तंत्र प्रदान करना, जवाबदेहिता संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- **आँकड़ों के प्रदर्शन में नैतिकता को शामिल करना:** यह नैतिक व्यवहार के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दृढ़ करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये पुरस्कृत किया जाए।

- **नैतिकता समितियाँ:** ये समितियाँ जटिल नैतिक मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं और नैतिकता नीतियों के विकास में योगदान कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

इन पहलों के साथ कंपनी एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर सकती हैं, जहाँ नैतिक जागरूकता और जवाबदेहिता इसकी पहचान के अभिन्न अंग हैं, जो हितधारकों को अपनी दैनिक गतिविधियों में नैतिक मूल्यों को अपनाने तथा बनाए रखने के लिये प्रोत्साहित करती हैं।

Q99. ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आपको अपने ज़िले में एक बड़ी विकास परियोजना के लिये दो प्रतिस्पर्द्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं: एक आधुनिक औद्योगिक पार्क से संबंधित है जिसमें महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकास के साथ रोज़गार का वादा किया जाता है और एक वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने के साथ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। दोनों परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के साथ स्थानीय समुदायों का विस्थापन होना संभावित है। हालाँकि औद्योगिक पार्क से संभावित पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चिंता उत्पन्न होती है।

a) इन दो असंगत प्रतीत होने वाली परियोजनाओं के बीच चयन संबंधी नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये।

b) सार्वजनिक हित, स्थिरता, न्याय एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए इस संदर्भ में नैतिक रूप से सही निर्णय लेने हेतु एक रूपरेखा तैयार कीजिये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- किसी औद्योगिक परिसर की स्थापना और उससे संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में एक संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- नैतिक दुविधाओं और ठोस निर्णय लेने की रूपरेखा का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

एक आधुनिक औद्योगिक परिसर की स्थापना अपने साथ पर्यावरण प्रदूषण की संभावना लेकर आती है, जो ज़िला मजिस्ट्रेट के लिये एक महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करती है। इन घटकों से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियाँ, जैसे- विनिर्माण प्रक्रियाएँ, अपशिष्ट निपटान और उत्सर्जन, वायु, जल एवं मृदा की गुणवत्ता के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं।

मुख्य भाग:

a) निर्णय लेने में दुविधाओं को संतुलित करना:

उपयोगितावाद बनाम अधिकारों की दुविधा (Utilitarianism vs. Rights Dilemma):

- आर्थिक विकास के लिये औद्योगिक परिसर को चुनने से बहुसंख्यकों को लाभ हो सकता है, लेकिन विस्थापित अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। वन्यजीव अभयारण्य का विकल्प चुनने से अधिकारों की रक्षा होती है, लेकिन संभावित रूप से विकास पर निर्भर लोगों के हित में बाधा उत्पन्न होती है।

न्याय बनाम सामान्य अच्छी दुविधा (Justice vs. Common Good Dilemma):

- समृद्धि को बढ़ावा देने वाले औद्योगिक परिसर के परिणामस्वरूप हाशिये पर रहने वाले समूहों के साथ अन्याय हो सकता है। इसके विपरीत, वन्यजीव अभयारण्य न्याय को बरकरार रखता है, लेकिन समग्र सामाजिक प्रगति को सीमित कर सकता है।

स्थिरता बनाम अल्पकालिक लाभ की दुविधा (Sustainability vs. Short-Term Gains Dilemma):

- औद्योगिक परिसर के अल्पकालिक लाभ भविष्य की स्थिरता से समझौता कर सकते हैं, जबकि वन्यजीव अभयारण्य तत्काल विकास आवश्यकताओं की कीमत पर दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है। इन दुविधाओं को संतुलित करने के लिये नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

b) नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा:

इस जटिल परिदृश्य से निपटने के लिये, एक दृढ़ नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा महत्त्वपूर्ण है। विचार करने के लिये यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत दिये गए हैं:

- **सार्वजनिक हित:** दोनों परियोजनाएँ जनता की भलाई की सेवा करने का दावा करती हैं, लेकिन यह निर्धारित करना महत्त्वपूर्ण है, कि दीर्घ अवधि में हितधारकों की एक विस्तृत शृंखला को क्या लाभ होता है। एक लागत-लाभ विश्लेषण जिसमें आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारक शामिल हों, आवश्यक है।
- **स्थिरता:** दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता को प्राथमिकता देना। क्या औद्योगिक परिसर महत्त्वपूर्ण क्षति के बिना पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर काम कर सकता है? परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का आकलन करना और शमन रणनीतियों का पता लगाना।
- **न्याय:** सभी हितधारकों, विशेषकर विस्थापित समुदायों के लिये न्याय सुनिश्चित करना। उनकी चिंताओं को समझना और पुनर्वास विकल्पों का पता लगाने के लिये सहभागी मूल्यांकन करना, जो नुकसान को कम तथा लाभ को अधिकतम करते हों।

- **पारदर्शिता:** निर्णय लेने की प्रक्रिया को खुली और पारदर्शी बनाए रखना। प्रभावित समुदायों, पर्यावरण विशेषज्ञों एवं संबंधित अधिकारियों को चर्चा में शामिल करना तथा जानकारी तक पहुँच सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

औद्योगिक परिसर एवं वन्यजीव अभयारण्य के बीच चयन करने के लिये पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक आकांक्षाओं को संतुलित करते हुए नैतिक सिद्धांतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। एक ठोस निर्णय लेने की रूपरेखा को नियोजित करके, सक्रिय रूप से हितधारकों को शामिल करके और प्रासंगिक कानूनी ढाँचे को तैयार करके, ज़िला मजिस्ट्रेट एक ऐसे समाधान के लिये प्रयास कर सकता है जो पर्यावरण तथा समुदाय दोनों के लिये दीर्घकालिक कल्याण सुनिश्चित करता हो।

Q100. ABC फार्मा के प्रबंध निदेशक के रूप में (नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं एवं अभूतपूर्व समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिये प्रसिद्ध) आपके समक्ष एक ऐसा प्रमुख वित्तीय संकट आता है जिससे ABC कंपनी के अस्तित्व को खतरा है। ईमानदारी एवं नवाचार के प्रति अपनी लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा के बावजूद, ABC फार्मा पतन होने की कगार पर है।

इस गंभीर परिस्थिति के बीच एक अप्रत्याशित अवसर सामने आता है। XYZ कंपनी ने एक आकर्षक व्यवसाय प्रस्ताव के साथ ABC से संपर्क किया है। XYZ कंपनी का अवैध गतिविधियों में शामिल होने का इतिहास रहा है, जैसे कि मादक दवाओं का गैर-कानूनी उत्पादन एवं कालाबाज़ारी में संलग्न होना।

XYZ के प्रस्ताव की स्वीकृति से ABC फार्मा में वित्तीय स्थिरता आने तथा बाज़ार में व्यापक विकास के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने से ABC फार्मा का पतन हो सकता है।

प्रबंध निदेशक के रूप में आप अपनी कंपनी को बचाने तथा नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के संबंध में दुविधा की स्थिति में हैं।

इस आलोक में प्रबंध निदेशक के रूप में आपको किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

इस स्थिति के समाधान हेतु ABC कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में आपके समक्ष कौन से विकल्प उपलब्ध हैं।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- नैतिक मूल्यों एवं वित्तीय स्थिरता के बीच विरोधाभास के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- प्रबंध निदेशक (MD) के समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये।
- MD के लिये उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वित्तीय व्यवहार्यता तथा नैतिक मानकों के बीच संतुलन बनाना, निदेशक के रूप में एक प्रमुख दुविधा है। यह चुनौती ABC फार्मा (जो एक प्रतिष्ठित कंपनी है, जिसे नैतिक व्यावसायिक आचरण एवं अभूतपूर्व नवाचारों के प्रति दृढ़ समर्पण हेतु जाना जाता है) के प्रबंध निदेशक के रूप में मेरे समक्ष स्पष्ट है।

मुख्य भाग:

(a) ABC फार्मा के प्रबंध निदेशक के रूप में इस परिदृश्य में मुझे जिन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, वे बहुआयामी हैं:

- **नैतिक सत्यनिष्ठा के साथ वित्तीय स्थिरता को संतुलित करना:** XYZ कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से ABC फार्मा को वित्तीय लाभ प्राप्त होने के साथ बाज़ार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इससे नैतिकता के प्रति ABC की प्रतिबद्धता के साथ टकराव होता है क्योंकि XYZ दवा उत्पादन एवं कालाबाज़ारी जैसी अवैध गतिविधियों में संलग्न है। इससे वित्तीय लाभ एवं नैतिक अखंडता के बीच एक जटिल दुविधा उत्पन्न होती है।
- **प्रतिष्ठा बनाए रखने के साथ बुनियादी मूल्यों को बनाए रखना:** ABC फार्मा को नैतिक और नवोन्वेषी होने के लिये जाना जाता है। अनैतिक व्यवहार के लिये जानी जाने वाली XYZ के साथ साझेदारी करने से ABC की प्रतिष्ठा तथा मूल्यों को नुकसान हो सकता है। इस आलोक में प्रतिष्ठा एवं वित्तीय लाभ के बीच संतुलन बनाना एक महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंता का विषय है।
- **हितधारकों और समाज के प्रति ज़िम्मेदारी:** प्रबंध निदेशक के रूप में मेरा निर्णय ABC के हितधारकों, उद्योग एवं समाज को प्रभावित करेगा। इस नैतिक दुविधा से निपटते समय मुझे कर्मचारियों, ग्राहकों, शेयरधारकों और समुदाय के हितों पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है। सभी हितधारकों के प्रति कंपनी के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करना आवश्यक है।
- **दीर्घकालिक प्रभाव:** त्वरित धन प्राप्त करने के क्रम में XYZ के प्रस्ताव को स्वीकार करने से दीर्घकालिक स्तर पर ABC को

नुकसान हो सकता है। सही नैतिक विकल्प चुनने के लिये ABC को दीर्घकालिक जोखिम और लाभों के बारे में सोचने की जरूरत है।

(b) ABC फार्मा के प्रबंध निदेशक के रूप में XYZ कंपनी के प्रस्ताव के संदर्भ में स्थिति को संभालने के लिये कई विकल्प उपलब्ध हैं:

- **XYZ के प्रस्ताव को स्वीकार करना:** इस विकल्प में अल्पकालिक वित्तीय लाभ के साथ बाज़ार विस्तार के अवसरों को प्राथमिकता देना शामिल है, जिससे संभावित रूप से ABC की वित्तीय स्थिरता को मज़बूती मिलेगी। हालाँकि इसमें ABC की प्रतिष्ठा धूमिल होने के साथ उसके नैतिक मूल्यों से समझौता होना शामिल है।
- **XYZ के प्रस्ताव को अस्वीकार करना:** इस विकल्प में ABC की प्रतिष्ठा तथा नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को बनाए रखने को प्राथमिकता देना शामिल है। XYZ के प्रस्ताव को अस्वीकार करके, ABC की सामाजिक ज़िम्मेदारी एवं प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है, भले ही वह संभावित रूप से वित्तीय लाभ से वंचित हो जाए।
- **XYZ के साथ परामर्श:** ABC नैतिक मानकों के अनुरूप स्पष्ट नियम एवं शर्तें मानने के क्रम में XYZ के साथ परामर्श कर सकती है। यह विकल्प ABC को अवैध गतिविधियों में लगी कंपनी के साथ साझेदारी से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए संभावित व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करता है।
- **दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु प्रयास:** निर्णय लेने से पहले ABC अवैध गतिविधियों में अपनी भागीदारी की सीमा का आकलन करने तथा इस साझेदारी के संभावित जोखिमों और लाभों का मूल्यांकन करने के लिये XYZ के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकती है। यह विकल्प निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुमूल्य साबित हो सकता है।
- **वैकल्पिक साझेदारियाँ खोजना:** ABC समान मूल्यों और नैतिक मानकों वाली कंपनियों के साथ वैकल्पिक साझेदारियाँ कर सकती है। यह विकल्प ABC को अपनी सत्यनिष्ठा एवं प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए विकास के अवसरों को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

प्रबंध निदेशक के रूप में इन चुनौतियों का सामना करने के लिये ABC फार्मा के वित्तीय हितों एवं नैतिक सिद्धांतों के साथ-साथ हितधारकों तथा समाज के प्रति इसके दायित्वों के बीच संतुलन की आवश्यकता है। प्रत्येक विकल्प में कुछ जोखिम और लाभ निहित हैं, अंततः तार्किक निर्णय ABC फार्मा के मूल्यों, प्राथमिकताओं एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ-साथ नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

Q101. आप एक व्यस्त शहर में यातायात पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। एक दिन एक केंद्रीय मंत्री का काफिला शहर से होकर गुजरने के कारण नियमित यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस काफिले के कारण ट्रैफिक जाम होने के साथ सड़कों पर अव्यवस्था हो गई। इस आलोक में गंभीर रूप से बीमार हृदय रोगी को ले जा रही एक एम्बुलेंस इस जाम में फँस गई।

मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने के साथ अस्पताल पहुँचने में किसी भी प्रकार की देरी, इसके जीवन के लिये खतरा साबित हो सकती है। इस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर के रूप में आप स्वयं दुविधा (VIP काफिले की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एम्बुलेंस को रास्ता देने के बीच) में फँसे हुए हैं।

इन परिस्थितियों में इंस्पेक्टर (यातायात पुलिस) के रूप में आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? इंस्पेक्टर (यातायात पुलिस) के रूप में आप VIP काफिले के आवागमन को सुगम बनाने तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को प्राथमिकता देने के बीच प्रबंधन किस प्रकार करेंगे?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- मौजूदा परिस्थितियों में यातायात पुलिस निरीक्षक के समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिये।
- परिस्थितियों और उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख कीजिये।
- मौजूदा परिस्थितियों के बीच नाज़ुक संतुलन को प्रबंधित करने हेतु आवश्यक विचारों का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

एक व्यस्त शहर में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से जूझ रहा है, जो जीवन बचाने की तात्कालिकता के सामने VIP सुरक्षा की मांग को चुनौती देती है। एक ओर, उसे हाई-प्रोफाइल काफिलों के सुचारु मार्ग को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है, वहीं दूसरी ओर, उन पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुविधाजनक बनाने का भार भी है। इस नाज़ुक संतुलन में उसके प्रत्येक निर्णय के दूरगामी परिणाम होते हैं।

मुख्य भाग:

(a) ऐसी परिस्थितियों में यातायात पुलिस निरीक्षक के पास दुविधा को दूर करने और VIP काफिले का प्रबंधन करते समय एंबुलेंस के मार्ग को प्राथमिकता देने के लिये कई विकल्प हैं:

- **एंबुलेंस को वैकल्पिक मार्ग की ओर जाने दें:**
  - इंस्पेक्टर एंबुलेंस चालक से संपर्क कर सकता है तथा उसे एंबुलेंस को एक अलग मार्ग पर ले जाने का निर्देश दे सकता है, जो कम भीड़भाड़ युक्त हो और अस्पताल के नज़दीक हो।
  - यह विकल्प VIP काफिले में किसी भी हस्तक्षेप से बचाएगा और मरीज़ की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
  - हालाँकि कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न होने या एंबुलेंस चालक का क्षेत्र से अपरिचित होने की स्थिति में यह विकल्प संभव नहीं हो सकता है।
- **VIP काफिले को रोकें और एंबुलेंस को जाने दें:**
  - निरीक्षक VIP काफिले को अस्थायी रूप से रुकने और एंबुलेंस को यातायात से गुज़रने की अनुमति देने के लिये अनुरोध कर सकता है।
  - यह विकल्प रोगी के जीवन को प्राथमिकता देगा और आपातकालीन सेवाओं के प्रति सम्मान दिखाएगा।
  - हालाँकि यह विकल्प VIP के लिये सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकता है और काफिले के लिये असुविधा उत्पन्न कर सकता है। यह VIP मूवमेंट के लिये ट्रैफिक पुलिस प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन कर सकता है।
- **एंबुलेंस के लिये बफर ज़ोन बनायें:**
  - इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस और VIP काफिले के साथ समन्वय करके एंबुलेंस के लिये सुरक्षित दूरी पर काफिले का पीछा करने के लिये एक बफर ज़ोन बना सकता है।
  - यह विकल्प बिना किसी देरी या व्यवधान के VIP काफिले और एंबुलेंस दोनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
  - हालाँकि इस विकल्प के लिये किसी भी सुरक्षा समझौते या भ्रम को रोकने के लिये जैमर और रेडियो जैसे उन्नत तकनीक एवं संचार उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। यह VIP तथा काफिले के सहयोग पर भी निर्भर हो सकता है।

(b). इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को VIP काफिले में व्यवधान को कम करने और इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गंभीर रूप से बीमार रोगी के जीवन को बचाने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यहाँ बताया गया है, कि वे इस नाज़ुक संतुलन को कैसे संभाल सकते हैं:

- **तुरंत कार्रवाई:**
  - **परिस्थिति का आकलन करना:** मरीज़ की स्थिति, अस्पताल तक यात्रा का अनुमानित समय और काफिले के स्थान तथा प्रगति के बारे में विवरण इकट्ठा करें।
  - **संवाद करना:** गंभीर परिस्थिति के बारे में काफिले के एस्कॉर्ट को सूचित करना, एंबुलेंस को गुज़रने की अनुमति प्रदान करने के लिये नियोजित मार्ग से अस्थायी विचलन का अनुरोध करना। तात्कालिकता और संभावित मृत्यु पर ज़ोर देना।
  - **रास्ता बनाना:** यदि काफिला सहमत है, तो एंबुलेंस के लिये एक समर्पित लेन बनाने के लिये उपलब्ध यातायात संसाधनों (मोटरसाइकिल, सायरन) का उपयोग करना। चौराहों पर अस्थायी रूप से यातायात रोकने या वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने पर विचार करना।
  - **संचार बनाए रखना:** एंबुलेंस चालक दल को साफ रास्ते और किसी भी संभावित बाधा के बारे में अपडेट करना। व्यवधान को कम करने एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये काफिले के एस्कॉर्ट के संपर्क में रहना।
- **ज़िम्मेदारियों को संतुलित करना:**
  - **पारदर्शिता:** आपातकाल की जीवन-घातक प्रकृति और व्यवधान को कम करने के लिये उठाए गए कदमों पर ज़ोर देते हुए उपलब्ध चैनलों (सोशल मीडिया, समाचार आउटलेट) के माध्यम से जनता को स्थिति समझाना।
  - **प्रोटोकॉल में लचीलापन:** VIP गतिविधियों के महत्त्व का सम्मान करते हुए, स्वीकार करना कि असाधारण परिस्थितियों में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जीवन को प्राथमिकता देते हुए प्रोटोकॉल का पालन करने पर प्रकाश डालना।
  - **व्यवधान को कम करना:** यदि संभव हो तो प्रमुख यातायात चौराहों या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने के लिये काफिले के मार्ग को न्यूनतम रूप से समायोजित करना। वैकल्पिक मार्गों का पता लगाना, जो समय पर VIP आवागमन और एंबुलेंस मार्ग दोनों को सुनिश्चित करते हैं।
  - **दस्तावेज़ीकरण:** की गई सभी कार्रवाइयों, संचार लॉग और निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दस्तावेज़ित करना। यह पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करता है, विशेषत: अगर बाद में सवाल उठाया जाए तब।

निष्कर्ष:

गंभीर रूप से बीमार रोगी की तात्कालिक चिकित्सा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर और साथ ही VIP काफिले की सुरक्षा एवं सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करके, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर एक नाज़ुक संतुलन बना सकता है तथा मानव जीवन की सुरक्षा व संरक्षण के मौलिक कर्त्तव्य को कायम रख सकता है।

Q102. क्षेत्र में पर्यावरण अनुपालन की देखरेख करने वाले अधिकारी के रूप में, आपको पर्यावरण मंज़ूरी प्रमाण पत्र धारण करने वाले कई छोटे और मध्यम उद्योगों से उत्पन्न

एक जटिल चुनौती का सामना करना पड़ा है। इन उद्योगों के पास पर्यावरण मंज़ूरी प्रमाण पत्र तो है लेकिन यह जल, वायु और मृदा को प्रदूषित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय आबादी पर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव पड़ रहा है।

पर्यावरण से संबंधित उल्लंघनों का पता चलने पर, आपने सभी औद्योगिक इकाइयों को नए सिरे से पर्यावरण मंज़ूरी हेतु आवेदन करने के लिये नोटिस जारी करके निर्णायक कार्रवाई की। हालाँकि, आपके प्रयासों को कुछ औद्योगिक हितधारकों, निहित स्वार्थी समूहों और स्थानीय राजनेताओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के बीच संभावित नौकरी छूटने और आर्थिक असुरक्षा को लेकर आशंका भी विद्यमान है।

संभावित वित्तीय घाटे और उत्पाद की कमी को उजागर करने वाले उद्योग मालिकों की दलीलों और श्रमिक संघों द्वारा बंद से बचने की अपील के बावजूद, आप पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहे। हालाँकि, इस रुख ने आपको अज्ञात स्रोतों से खतरों के प्रति उजागर कर दिया।

प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए आपको उन सहकर्मियों का समर्थन मिला जो पर्यावरण नियमों के कड़ाई से पालन पर ज़ोर दे रहे थे और आसपास के गैर सरकारी संगठनों ने मांग की थी कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को तुरंत बंद कर दिया जाए।

a) इस मामले में कौन-से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?

b) उपरोक्त केस स्टडी के आधार पर, आपके लिये क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

c) पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आप किस प्रकार की व्यवस्था का सुझाव देंगे?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत परिचय के साथ कीजिये, जो प्रश्न के लिये एक संदर्भ निर्धारित करता है।
- इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों को बताइये।
- परिस्थिति से निपटने के लिये उपलब्ध विकल्पों का वर्णन कीजिये।
- पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के तंत्र का वर्णन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

इस परिदृश्य में, चुनौती क्षेत्र के कई छोटे और मध्यम उद्योगों के बीच पर्यावरण अनुपालन लागू करने के इर्द-गिर्द घूमती है। ये उद्योग पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिक इकाइयों, निहित स्वार्थी समूहों और राजनेताओं के विरोध का सामना करने के बावजूद, सहकर्मियों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) से पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाती है।

(a) इस मामले में निम्न नैतिक मुद्दे शामिल हैं:

- **पर्यावरण संरक्षण बनाम आर्थिक हित:** संभावित आर्थिक प्रभावों, जैसे कि नौकरी छूटना और उद्योगों के लिये वित्तीय क्षति के विरुद्ध पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने की आवश्यकता को संतुलित करना।
- **जवाबदेही और उत्तरदायित्व:** यह सुनिश्चित करना कि उद्योग पर्यावरण नियमों का पालन करें और अपने कार्यों का उत्तरदायित्व संभालें, मूलत: जब उन्हें पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई हो।
- **पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा:** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना और निहित स्वार्थ समूहों और राजनेताओं के दबाव का विरोध करना, जो पर्यावरण मानकों से समझौता कर सकते हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति कर्त्तव्य:** वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता पर प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों पर विचार करते हुए, उद्योगों के वित्तीय हितों पर स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना।
- **व्यक्तिगत सुरक्षा और अखंडता:** पर्यावरणीय नियमों के प्रवर्तन के कारण अज्ञात स्रोतों से खतरों का सामना करना, नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालना।

(b) परिस्थिति से निपटने के लिये उपलब्ध विकल्प:

- **प्रवर्तन कार्रवाइयाँ जारी रखना:** उद्योगों को नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये नोटिस जारी करना और हितधारकों के विरोध के बावजूद गैर-अनुपालन इकाइयों को बंद करना।
- **संवाद में शामिल होना:** चिंताओं को दूर करने और पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक स्थिरता दोनों को प्राथमिकता देने वाले संभावित समाधान तलाशने के लिये उद्योग मालिकों, श्रमिक संघों, स्थानीय राजनेताओं और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की सुविधा प्रदान करना।
- **कानूनी सहारा लेना:** कानूनी कार्यवाही में उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए पर्यावरणीय नियमों को लागू करने और गैर-अनुपालन करने वाले उद्योगों को जवाबदेह बनाने हेतु कानूनी तंत्र का उपयोग करना।

- **सहायक हितधारकों के साथ सहयोग करना:** समर्थन जुटाने और प्रवर्तन प्रयासों को मज़बूत करने के लिये पर्यावरण अनुपालन का समर्थन करने वाले सहयोगियों के साथ-साथ स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों के साथ मिलकर काम करना।
- **अनुपालन हेतु प्रोत्साहन लागू करना:** पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों में निवेश करने के इच्छुक उद्योगों को नियमों के अनुपालन को प्रोत्साहित करते हुए प्रोत्साहन या सहायता तंत्र की पेशकश करना।

(c) पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये तंत्र:

- **नियमित निगरानी और निरीक्षण:** पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघनों का शीघ्र पता लगाने और उनका समाधान करने के लिये औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी और नियमित निरीक्षण करने के लिये एक मज़बूत प्रणाली स्थापित करना।
- **सार्वजनिक रिपोर्टिंग और पारदर्शिता:** पर्यावरणीय अनुपालन डेटा और प्रवर्तन कार्यों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग के लिये तंत्र लागू करना, नियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये उद्योग हितधारकों, नियामक कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों के लिये प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल प्रदान करना।
- **नियामक ढाँचे को मज़बूत करना:** खामियों को दूर करने और प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत करने के लिये नियामक ढाँचे की समीक्षा और अद्यतन करना, उभरते पर्यावरणीय मानकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

सरकारी एजेंसियों, उद्योगों, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देकर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास के लिये साझा जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी।

Q103. एक प्रमुख शहर के नगर निगम आयुक्त (जो आपकी ईमानदारी और कानून के प्रति दृढ़ पालन के लिये प्रसिद्ध है) के रूप में एक निर्माण स्थल पर एक दुखद घटना होने के बाद आपके समक्ष जटिल स्थिति उत्पन्न होती है। इस घटना में एक बहुउद्देश्यीय परियोजना (जिसमें कई दिहाड़ी मजदूर कार्यरत थे) में कार्य के दौरान छत ढहने से दो नाबालिगों सहित चार श्रमिकों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस विनाशकारी घटना से लोगों के बीच आक्रोश फैल गया तथा इस आलोक में सरकार को जाँच शुरू करने के लिये मजबूर होना पड़ा।

प्रारंभिक जाँच में अनियमितताओं का चिंताजनक मामला सामने आने के साथ यह पता चला कि निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया गया था। नगरपालिका भवन निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये जाने के बावजूद, इन विसंगतियों का पता नहीं चल पाया। इसके अलावा इस निर्माण कार्य में शहर के जोनल मास्टर प्लान में उल्लिखित ग्रीन बेल्ट एवं स्लिप रोड क्षेत्रों का अतिक्रमण होना भी शामिल है।

इस मामले की जटिलता के बावजूद आपके पूर्ववर्ती, एक वरिष्ठ सहकर्मी एवं एक परिचित द्वारा इस परियोजना के निर्माण की मंजूरी देने के मामले में नगर निगम के अधिकारियों एवं बिल्डरों के बीच संभावित मिलीभगत के संदर्भ में प्रश्न उठता है। इस आलोक में नगर निगम के आंतरिक स्तर से भी जाँच को नियंत्रित रखने का दबाव पड़ने के साथ आपके सहकर्मियों ने भी इस संदर्भ में आपसे सावधानी रखने को कहा है। इसके अतिरिक्त बिल्डर (जिसके पास काफी संपत्ति एवं प्रभाव है) एक प्रभावशील राज्य कैबिनेट मंत्री का करीबी रिश्तेदार है। इस मामले में इन्होंने वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करने के साथ धमकी के रूप में यौन उत्पीड़न निवारण (POSH) अधिनियम के तहत संभावित कानूनी परिणाम का सामना करने का हवाला देते हुए जांच को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है।

a) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

b) इस स्थिति में आपके समक्ष कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

c) अपनी चुनी हुई कार्रवाई की व्याख्या कीजिये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत परिचय के साथ कीजिये, जो प्रश्न के लिये एक संदर्भ निर्धारित करता है।
- इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों को लिखिये।
- परिस्थिति से निपटने के लिये उपलब्ध विकल्पों को बताइये।
- अपनी चुनी हुई कार्यवाही की व्याख्या कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

केस स्टडी में एक मॉल निर्माण के ढहने से मज़दूरों की मौत, भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रभाव को बढ़ावा देना शामिल है। कानून को बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध एक नगर निगम आयुक्त के रूप में व्यक्तिगत संबंधों या दबावों पर नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देना एक नैतिक ज़िम्मेदारी है।

मुख्य भाग:

(a) मामले में शामिल नैतिक मुद्दे:

- **मिली-भगत और भ्रष्टाचार:** घटिया सामग्री की खोज, अनुमोदित योजनाओं से विचलन, नगर निगम के अधिकारियों और बिल्डरों के बीच संभावित मिली-भगत से भ्रष्टाचार, जवाबदेही एवं शासन में विश्वास के संबंध में महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **न्याय और निष्पक्षता:** चार श्रमिकों की मृत्यु की दुखद सूचना, जिनमें दो नाबालिग थे, दिहाड़ी मज़दूरों के शोषण को उजागर करती है। प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं के दबाव के बावजूद, पीड़ितों के लिये न्याय सुनिश्चित करना और जाँच में निष्पक्षता बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।
- **हितों का टकराव:** निर्माण को स्वीकृति देने में एक वरिष्ठ सहकर्मी और परिचित की भागीदारी, जिसने एक निर्दिष्ट हरित बेल्ट का अतिक्रमण किया है, हितों के टकराव एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निष्पक्षता के बारे में चिंता उत्पन्न करता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता:** भवन निरीक्षक और अन्य अधिकारियों के नोटिसों का उल्लंघन करने तथा संबोधित करने में विफलता उनके कर्त्तव्यों में लापरवाही को प्रदर्शित करती है।
  - नैतिक नेतृत्व की स्थिति को संबोधित करने और लापरवाही या अनुचित कार्य के लिये ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने में पारदर्शिता की आवश्यकता होती है, चाहे उनकी परिस्थिति या कनेक्शन कुछ भी हो।

(b) परिस्थिति से निपटने के लिये उपलब्ध शामिल विकल्प इस प्रकार हैं:

विकल्प 1: भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की सख्त नीति के साथ गहन जाँच प्रारंभ करें, जिसमें शामिल हैं:

- **गहन जाँच शुरू करना:** निर्माण परियोजना की व्यापक जाँच शुरू करना, सत्यता को उजागर करने और ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिये संबंधित अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं स्वतंत्र निकायों के साथ मिलकर काम करना।
- **सख्त अनुशासनात्मक उपाय:** भ्रष्टाचार या मिली-भगत के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक उपाय लागू करना।
- **निगरानी और जवाबदेहिता को मज़बूत करना:** नगर निगम के भीतर निगरानी और जवाबदेहिता को मज़बूत करने के उपायों को लागू करना, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बढ़े हुए निरीक्षण तथा नियमों को सख्ती से लागू करना शामिल है।

विकल्प 2: घटना को कम महत्त्व देना और क्षति को कम करना, जिसमें शामिल हैं:

- **कवर-अप:** नगर निगम या इसमें शामिल प्रभावशाली व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये, घटना की गंभीरता को कम करने या ज़िम्मेदार पक्षों से दोष हटाने के लिये साक्ष्य को छुपाना।
- **आपातकालीन चिकित्सा सहायता:** घायल पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिये चिकित्सा टीमों को तैनात करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें शीघ्र उपचार और देखभाल मिले।
- **वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना:** पीड़ितों तथा उनके परिवारों को तत्काल खर्चों को कवर करने और उनकी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का समर्थन करने के लिये तत्काल वित्तीय सहायता या मुआवज़े की व्यवस्था करना।

विकल्प 3: कानूनी प्रक्रियाओं को स्वाभाविक रूप से सामने आने देना और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें शामिल हैं:

- **कानूनी प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से सामने आने देना:** मामले को पुलिस अधिकारियों को सौंपना, उन्हें संपूर्ण जाँच करने की ज़िम्मेदारी सौंपना और कानूनी प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से सामने आने देना।
- **पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करना:** खरीद, अनुबंध और लाइसेंसिंग सहित नगरपालिका संचालन के सभी पहलुओं के लिये पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करना। यह पारदर्शिता अनियमितताओं का पता लगाना और रिपोर्ट करने को आसान बनाकर भ्रष्ट आचरण को रोकने में मदद करती है।
- **प्रौद्योगिकी समाधान:** भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने और नगरपालिका संचालन की दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार करने के लिये ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग प्लेटफॉर्म जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों में निवेश करना।
- **फोस्टर पब्लिक ट्रस्ट:** जाँच के निष्कर्ष, की गई कार्रवाइयों और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिये लागू किये जा रहे कदमों के बारे में जनता के साथ खुले और पारदर्शी तरीके से संवाद करना, जिससे शासन में जनता का विश्वास और जवाबदेहिता बढ़े।

(c) चयनित कार्यवाही में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से पहलुओं को क्रमिक रूप से नीचे बताए अनुसार एकीकृत करना शामिल है:

- **आपातकालीन चिकित्सा सहायता:** घायल पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिये चिकित्सा टीमों को तैनात करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें शीघ्र उपचार और देखभाल मिले।
- **गहन जाँच शुरू करना:** निर्माण परियोजना की व्यापक जाँच शुरू करें, सत्यता को उजागर करने और ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिये संबंधित अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा स्वतंत्र निकायों के साथ मिलकर काम करें।

- **वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना:** पीड़ितों और उनके परिवारों को तत्काल खर्चों को कवर करने एवं उनकी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का समर्थन करने के लिये तत्काल वित्तीय सहायता या मुआवज़े की व्यवस्था करना।
- **सख्त अनुशासनात्मक उपाय लागू करना:** भ्रष्टाचार या मिली-भगत के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक उपाय लागू करना।
- **पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करना:** खरीद, अनुबंध और लाइसेंसिंग सहित नगरपालिका संचालन के सभी पहलुओं के लिये पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करना।
- **निगरानी और जवाबदेहिता को मज़बूत करना:** नगर निगम के भीतर निगरानी और जवाबदेहिता को मज़बूत करने के उपायों को लागू करना, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बढ़े हुए निरीक्षण एवं नियमों को सख्ती से लागू करना शामिल है।
- **प्रौद्योगिकी समाधान:** भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने और नगरपालिका संचालन की दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार करने के लिये ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम तथा डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग प्लेटफॉर्म जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों में निवेश करना।
- **फोस्टर पब्लिक ट्रस्ट:** जाँच के निष्कर्ष, की गई कार्रवाइयों और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिये लागू किये जा रहे कदमों के बारे में जनता के साथ खुलें तथा पारदर्शी तरीके से संवाद करें, जिससे शासन में जनता का विश्वास एवं जवाबदेहिता बढ़े।

निष्कर्ष:

नगर निगम के भीतर भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता का प्रदर्शन न केवल कदाचार और मिली-भगत की पिछली घटनाओं को संबोधित करता है बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने में भी मदद करता है। यह न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि लोकतांत्रिक शासन के काम-काज और सफलता के लिये एक व्यावहारिक आवश्यकता भी है।

Q104. आदिवासी जनसँख्या वाला एक सुदूर ज़िला, लखीमपुर अत्यधिक पिछड़ेपन और घोर गरीबी के रूप में चिह्नित है। कृषि स्थानीय आबादी का मुख्य आधार है, हालाँकि अत्यधिक छोटी जोत के कारण यह मुख्य रूप से निर्वाह योग्य है। वहाँ नगण्य औद्योगिक या खनन गतिविधि है। यहाँ तक कि लक्षित कल्याण कार्यक्रमों से भी आदिवासी जनसँख्या को अपर्याप्त लाभ हुआ है। इस प्रतिबंधात्मक परिदृश्य में, युवाओं ने परिवार की आय बढ़ाने के लिये दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। नाबालिग लड़कियों की दुर्दशा यह है कि उनके माता-पिता को श्रमिक ठेकेदारों द्वारा उन्हें पास के राज्य के बीटी कपास खेतों में काम करने के लिये भेजने के लिये राजी किया जाता है। क्योंकि छोटी लड़कियों की कोमल उंगलियाँ कपास तोड़ने के लिये उपयुक्त होती हैं। इन फॉर्मों में अपर्याप्त रहने और काम करने की स्थिति के कारण नाबालिग लड़कियों के लिये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिवास वाले ज़िलों और कपास के खेतों में गैर सरकारी संगठनों ने समझौता कर लिया है तथा उन्होंने बाल श्रम एवं क्षेत्र के विकास के दोहरे मुद्दों का प्रभावी ढंग से समर्थन नहीं किया है।

आपको लखीमपुर का ज़िलाधिकारी नियुक्त किया जाता है। इसमें शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिये। आप अपने ज़िले की नाबालिग लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने और ज़िले के समग्र आर्थिक परिदृश्य में सुधार हेतु कौन-से विशिष्ट कदम उठाएँगे?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- प्रश्न के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
- नाबालिग लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने के साथ ज़िले में समग्र आर्थिक परिदृश्य में सुधार हेतु आवश्यक कदमों पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

इस मामले में लखीमपुर व्यापक गरीबी और अविकसित स्थिति का सामना कर रहा है क्योंकि इसकी स्थानीय आबादी जीवन निर्वाह स्तर तक भी पहुँचने में चुनौतियों का सामना कर रही है। जबरन प्रवासन, बाल श्रम एवं महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ इस क्षेत्र की कठिनाइयों को और बढ़ा देती हैं।

मुख्य भाग:

इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे:

- **नाबालिग लड़कियों का शोषण:**
  - बीटी कॉटन फार्मों में नाबालिग लड़कियों से जबरन मज़दूरी करवाना उनके अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर असर पड़ता है।
  - कम उम्र के बच्चों को श्रम के लिये नियोजित करने की प्रथा उन्हें शिक्षा, अवकाश और उचित एवं स्वास्थ्य बचपन के अधिकार से वंचित कर देती है, जिससे गरीबी का दुष्चक्र बना रहता है।

- **सामाजिक न्याय की उपेक्षा:** लक्षित कल्याण कार्यक्रमों का अपर्याप्त कार्यान्वयन आदिवासी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के प्रति समर्पण की कमी को दर्शाता है।
- **कर्त्तव्य से समझौता:** संबंधित ज़िले और कपास फार्म दोनों में गैर सरकारी संगठनों का समझौतावादी रुख कमज़ोर आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के क्रम में अपने कर्त्तव्य को बनाए रखने में विफलता को दर्शाता है।

इन मुद्दों के समाधान के लिये आवश्यक कदम:

- **तत्काल बचाव और पुनर्वास:** नाबालिग लड़कियों को शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियों से निकालने के लिये त्वरित बचाव अभियान लागू करना चाहिये। उन्हें चिकित्सा देखभाल, परामर्श, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिये पुनर्वास केंद्र स्थापित करना आवश्यक है।
- **कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना:** बाल श्रम के खिलाफ मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने के साथ नाबालिगों को श्रम के लिये मजबूर करने में शामिल अपराधियों के लिये सख्त दंड की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- **जागरूकता अभियान:** बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों के आलोक में बच्चों की भविष्य की संभावनाओं के लिये शिक्षा के महत्त्व के बारे में माता-पिता, समुदायों और स्थानीय अधिकारियों को लक्षित करते हुए जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिये।
- **सशक्तीकरण कार्यक्रम:** बाल श्रम पर परिवारों की निर्भरता को कम करने के लिये कौशल विकास कार्यक्रम के साथ माइक्रोफाइनेंस तक पहुँच प्रदान कर परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम लागू करना चाहिये।
- **सहयोगात्मक प्रयास:** बाल श्रम के मूल कारणों को संयुक्त रूप से हल करने और ज़िले में सतत् विकास पहल की वकालत करने के लिये विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों एवं सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी बनाना आवश्यक है।
- **निगरानी और निरीक्षण:** नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देने के साथ, कृषि एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में श्रम कानूनों तथा संबंधित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये एक मज़बूत निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिये।
- **समग्र विकास दृष्टिकोण:** इस ज़िले में सतत् आर्थिक विकास के साथ समग्र जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये विविध आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिये, जैसे- टिकाऊ कृषि प्रथाओं, कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों और पर्यावरण-पर्यटन पहल को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा एवं कल्याण को प्राथमिकता देकर तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये समग्र दृष्टिकोण अपनाकर, लखीमपुर के ज़िला कलेक्टर के रूप में अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

Q105. विधानसभा का एक सदस्य (MLA), जो विभिन्न मुद्दों पर अपने सैद्धांतिक रुख के साथ अपनी राजनीतिक पार्टी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिये जाना जाता है, ने दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। वह वैचारिक मतभेदों एवं अपने मतदाताओं को बेहतर सेवा देने की आवश्यकता का हवाला देकर अपने फैसले को सही ठहराता है। हालाँकि उसके इस निर्णय के अवसरवादी होने तथा पार्टी के सदस्यों के साथ विश्वासघात करने के रूप में आलोचना की जाती है। मुख्यमंत्री (जो सत्तारूढ़ दल से हैं) का आरोप है कि पद एवं वित्तीय प्रोत्साहन के बदले में अनैतिक तरीकों से यह दल-बदल किया गया है।

एक महत्त्वाकांक्षी सिविल सेवक के रूप में, राजनीतिक दल-बदल के नैतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। अपनी वैचारिक मान्यताओं, पार्टी के प्रति वफादारी एवं ज़िम्मेदारियों को संतुलित करने के क्रम में सांसदों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ शासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखते हुए राजनीतिक दल-बदल के मुद्दे के समाधान हेतु उपाय बताइये। (300 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत राजनीतिक दल-बदल की परिभाषा के साथ कीजिये।
- राजनीतिक दल-बदल के विभिन्न नैतिक निहितार्थों का वर्णन कीजिये।
- अपनी विभिन्न वैचारिक मान्यताओं को संतुलित करने में कानून निर्माताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों की व्याख्या कीजिये।
- लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए राजनीतिक दल-बदल के मुद्दे के समाधान हेतु उपाय सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

राजनीतिक दल-बदल, किसी की निष्ठा या पार्टी संबद्धता को बदलने का कार्य, लोकतांत्रिक प्रणाली में गहन नैतिक निहितार्थ वाला एक जटिल मुद्दा है। यह वैचारिक मान्यताओं, पार्टी की वफादारी और घटकों के प्रति ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन पर सवाल उठाता है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये कानून निर्माताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों की सूक्ष्म समझ और शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अखंडता को बनाए रखने के उपायों की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

राजनीतिक दल-बदल के नैतिक निहितार्थ:

- **विश्वासघात करना:**
  - दल-बदल प्राय: उन घटकों के विश्वास को तोड़ता है जिन्होंने किसी विशेष विचारधारा या पार्टी के लिये मतदान किया था।
  - निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपने मतदाताओं की इच्छाओं और हितों को बनाए रखने का नैतिक दायित्व है, जिसका उल्लंघन हो सकता है।
    - जब ब्रिटिश संसद या संयुक्त राज्य कॉन्ग्रेस के सदस्य पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध मतदान करते हैं, ऐसा आमतौर पर इसलिये होता है क्योंकि वे किसी विशेष कानून या विषय पर पार्टी की स्थिति से असहमत होते हैं, या उनके घटक पार्टी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं।
  - अफसोस की बात यह है कि जब भारतीय विधायक/संसद सदस्य संसद या विधानसभाओं से विदा होते हैं तो सिद्धांत शायद ही कभी मायने रखते हैं।
- **लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण:**
  - दल-बदल प्रतिनिधि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को कमज़ोर करता है, जहाँ मतदाता पार्टी संबद्धता और विचारधारा के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनते हैं।
  - यह निर्वाचित अधिकारियों के चुनावी वादों को पूरा करने में ईमानदारी पर सवाल उठाता है।
- **विधि निर्माताओं की नैतिक दुविधा:**
  - विधि निर्माताओं को अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, पार्टी की वफादारी और मतदाताओं के हितों के बीच एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है।
  - नैतिक आचरण सुनिश्चित करते हुए इन परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **कानून निर्माताओं के समक्ष चुनौतियाँ:**
  - **वैचारिक संघर्ष:**
    - कानून निर्माता प्राय: अपनी पार्टी के रुख और अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के बीच परस्पर विरोधी विचारधाराओं से जूझते हैं।
    - यह संघर्ष उन्हें विश्वास के साथ अधिक निकटता से जुड़ने वाली पार्टी में दल-बदल की ओर धकेल सकता है।
- **पार्टी नेतृत्व का दबाव:**
  - पार्टी अनुशासन और पार्टी नेतृत्व से प्रतिशोध का भय सांसदों को वैचारिक मतभेदों के बावजूद वफादार रहने के लिये मजबूर कर सकता है।
  - यह दबाव उनकी स्वायत्तता और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता से समझौता करता है।
- **लोगों की अपेक्षाएँ:**
  - निर्वाचित प्रतिनिधि अभियान के वादों को पूरा करने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये अपने मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हैं।
  - हालाँकि दल-बदल से मतदाताओं के बीच विश्वास का उल्लंघन और मोहभंग हो सकता है।

राजनीतिक दल-बदल को संबोधित करने के उपाय:

- **दल-बदल विरोधी कानूनों को मज़बूत करना:**
  - दल-बदल के लिये कठोर दंड लागू करना, जिसमें सार्वजनिक पद संभालने या चुनाव लड़ने की अयोग्यता भी शामिल है।
  - अवसरवादी बदलाव को रोकने के लिये दल-बदल मामलों के शीघ्र समाधान हेतु व्यवस्था लागू करना।
  - राष्ट्रमंडल के 53 देशों में से तेईस देशों के पास किसी न किसी रूप में दल-बदल विरोधी कानून है। जब बांग्लादेश, केन्या, दक्षिण अफ्रीका या सिंगापुर में कोई नेता पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो वह दल-बदल विरोधी कानून के तहत स्वचालित रूप से पद से अयोग्य हो जाता है।
- **अंतर-पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा देना:**
  - राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की संस्कृति का पोषण करना, सदस्यों को असहमति व्यक्त करने और पार्टी के निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति देना।
  - पारदर्शी उम्मीदवार चयन प्रक्रियाएँ शिकायतों को कम कर सकती हैं और दल-बदल के लिये प्रोत्साहन को कम कर सकती हैं।
- **स्वतंत्र संस्थानों को सशक्त बनाना:**
  - दल-बदल की घटनाओं की निगरानी और जाँच करने के लिये स्वतंत्र चुनावी निकायों एवं भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को सशक्त बनाना।
  - चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिये समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करना।
- **नागरिक शिक्षा को बढ़ाना:**
  - नागरिकों को राजनीतिक उत्तरदायित्व के महत्त्व और दल-बदल के परिणामों के बारे में शिक्षित करना।
  - निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह बनाने हेतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

भारत में दल-बदल विरोधी कानून:

- **पृष्ठभूमि:**
  - भारत का दल-बदल विरोधी कानून, 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाना था।
  - यह निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ निर्दिष्ट शर्तों के तहत अयोग्यता का सामना किये बिना दल-बदल करने से रोकता है।
- **प्रभाव:**
  - इस कानून ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों की स्थिरता को बनाए रखते हुए, बड़े पैमाने पर दल-बदल के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य किया है।
  - हालाँकि कानून में खामियों और अस्पष्टताओं के कारण इसके उल्लंघन के उदाहरण सामने आए हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो गई है।
- **शिक्षा:**
  - भारतीय अनुभव उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये दल-बदल विरोधी कानून की निरंतर समीक्षा और परिशोधन के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।
  - लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित करने और अवसरवादी दल-बदल को रोकने के बीच संतुलन बनाना एक सतत् चुनौती बनी हुई है।

निष्कर्ष:

राजनीतिक दल-बदल सांसदों के लिये महत्त्वपूर्ण नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, जिससे उन्हें पार्टी की वफादारी, वैचारिक मान्यताओं और घटकों के प्रति ज़िम्मेदारियों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें दल-बदल विरोधी कानूनों को मज़बूत करना, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और घटकों के प्रति जवाबदेही बढ़ाना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि राजनीतिक दल-बदल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं के विश्वास को कम न करना, शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों और अखंडता को बनाए रखना आवश्यक है।

Q106. आप एक ऐसे क्षेत्र में ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं जहाँ वनों की कटाई एक गंभीर मुद्दा बन गया है। यहाँ का स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका के लिये वन संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिनमें ईंधन एवं घर निर्माण के लिये लकड़ी सहित आजीविका के लिये अन्य वन उत्पादों का संग्रह करना, जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। हालाँकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर होने वाली वनों की कटाई से पारिस्थितिकी असंतुलन होने के साथ विभिन्न समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वनों की कटाई में वृद्धि विभिन्न कारकों से प्रेरित है, जिसमें अवैध कटाई, कृषि और बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु भूमि का अतिक्रमण करना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता के नुकसान एवं मृदा के क्षरण के साथ जल चक्र बाधित हुआ, जिससे कृषि एवं स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आपको इन समस्याओं का समाधान करने एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ समुदायों की ज़रूरतों को संतुलित करने वाले स्थायी समाधान खोजने का कार्य सौंपा गया है।

इस परिदृश्य में वनों की कटाई से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करते हुए स्थानीय समुदायों तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करने हेतु व्यापक कार्ययोजना बताइये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- वनों की कटाई और मामले के अध्ययन के तथ्यों का परिचय देकर अपने उत्तर की शरूआत कीजिये।
- केस स्टडी में शामिल नैतिक मुद्दों और विभिन्न हितधारकों पर भी चर्चा कीजिये।
- इसके अलावा, वनों की कटाई से संबंधित समस्याओं और मुद्दों का वर्णन कीजिये।
- दोनों समुदायों और पर्यावरण की चिंताओं को संबोधित करने वाली एक व्यापक कार्य योजना का प्रस्ताव दीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वनों की कटाई से तात्पर्य मुख्य रूप से कृषि विस्तार, शहरीकरण, कटाई और बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु जंगलों का बड़े पैमाने उन्मूलन या उन्हें नष्ट करने से है। यह जैवविविधता, जलवायु और मानव आजीविका पर दूरगामी प्रभावों वाला एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है।

केस स्टडी के तथ्य:

- **वन संसाधनों पर भारी निर्भरता:** स्थानीय समुदाय ईंधन हेतु लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उत्पादों सहित आजीविका के लिये वनों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं।
- **वनों की कटाई:** बुनियादी ढाँचे के विकास और कृषि के लिये बड़े पैमाने पर वनों की अवैध रूप से कटाई।
- **पारिस्थितिक असंतुलन:** वनों की कटाई से जैवविविधता का नुकसान, मिट्टी का क्षरण और जल चक्र बाधित होता है, जिससे कृषि एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मुख्य भाग:

शामिल हितधारक:

- **स्थानीय समुदाय:** वन संसाधनों पर निर्भर।
- **वन विभाग:** संरक्षण और प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार।
- **सरकार:** नीतियाँ निर्धारित कर संसाधन उपलब्ध कराती है।
- **गैर सरकारी संगठन:** संरक्षण प्रयासों में शामिल।
- **व्यवसाय:** वन संसाधनों की कटाई या उपयोग में शामिल।
- **शैक्षणिक संस्थान:** अनुसंधान करना और विशेषज्ञता प्रदान करना।

नैतिक मुद्दें:

- **पर्यावरण न्याय:**
  - **संसाधन उपभोग में समानता:** पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा करते हुए वन संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
  - **अंतर-पीढ़ीगत समानता:** स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और संसाधनों तक पहुँचने के लिये भावी पीढ़ियों के अधिकारों पर विचार करना।
- **स्वदेशी अधिकार:**
  - **पारंपरिक ज्ञान:** संरक्षण के प्रयास हेतु स्वदेशी ज्ञान और प्रथाओं को अपनाना एवं उन्हें शामिल करना।
  - **भूमि अधिकार:** वन क्षेत्रों पर स्वदेशी समुदायों के भूमि अधिकारों और संप्रभुता को बनाए रखना।
- **उत्तरदायित्त्व और जवाबदेहिता:**
  - **सरकारी उत्तरदायित्त्व:** पर्यावरण नियमों को लागू करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
  - **व्यक्तिगत उत्तरदायित्त्व:** सतत् संसाधन उपयोग और संरक्षण के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्त्व को प्रोत्साहित करना।

वनों की कटाई से संबंधित समस्याएँ और मुद्दे:

- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - **जैवविविधता का ह्रास:** वनों की कटाई से विभिन्न प्रजातियों के आवास में कमी आती है, जिससे जैवविविधता का ह्रास होता है।
  - **मिट्टी का कटाव:** वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है, जिससे कृषि उत्पादकता और पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
  - **बाधित जल चक्र:** वनों की कटाई से स्थानीय जल विज्ञान परिवर्तित हो जाता है, जिससे पानी की उपलब्धता में कमी आती है और बाढ़ एवं सूखे का खतरा बढ़ जाता है।
- **सामाजिक प्रभाव:**
  - **आजीविका संबंधी चुनौतियाँ:** स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका के लिये वन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, जिनमें ईंधन की लकड़ी, लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उत्पाद शामिल हैं। वनों की कटाई से उनकी आजीविका प्रभावित होती है।
  - **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** वनों की कटाई बढ़ने से वायु और जल प्रदूषण हो सकता है, जिससे समुदायों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
- **आर्थिक प्रभाव:**
  - **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का नुकसान:** वनों की कटाई से वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सेवाओं, जैसे- कार्बन पृथक्करण, जल शोधन और मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है।
  - **पर्यटन पर प्रभाव:** वनों की कटाई पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
- **कानूनी और शासन संबंधी मुद्दे:**
  - **अवैध कटाई:** अनियमित रूप से वनों की कटाई संरक्षण संबंधी प्रयासों को कमज़ोर करती है।
  - **भूमि अधिक्रमण:** कृषि उद्देश्यों के लिये वन भूमि पर अधिक्रमण से वन क्षेत्र में कमी आती है।
  - **प्रवर्तन का अभाव:** वन कानूनों और विनियमों के कमज़ोर कार्यान्वयन से वनों की कटाई बढ़ जाती है।
- **कृषि हेतु अधिक्रमण:**
  - जनसंख्या के बढ़ते दबाव और कृषि योग्य भूमि की मांग के कारण तेज़ी से कृषि विस्तार के कारण वन क्षेत्रों में अधिक्रमण हो रहा है।
  - पारंपरिक स्थानांतरण खेती पद्धतियाँ समस्या को और अधिक तीव्र करती हैं, जिससे वनों की कटाई का चक्र कायम हो जाता है।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:**
  - सड़क, बाँध और खनन कार्यों जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये अक्सर वन भूमि के बड़े हिस्से को साफ करने, पारिस्थितिक तंत्र को खंडित करने एवं वनों की कटाई में तेज़ी लाने की आवश्यकता होती है।
  - पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की ज़रूरतों को संतुलित करना एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है।

व्यापक कार्य योजना:

- **सामुदायिक सहभागिता एवं सशक्तीकरण:**
  - **हितधारकों से परामर्श:** वन प्रबंधन और संरक्षण के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करना।

- **क्षमता निर्माण:** समुदायों को सतत् आजीविका प्रथाओं को अपनाने के लिये सशक्त बनाने हेतु प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना।
  - भारत में संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रम, जहाँ स्थानीय समुदाय वन प्रबंधन में शामिल हैं, ने वन संरक्षण और आजीविका में सुधार किया है।
  - नेपाल में सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को वन संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिये सशक्त बनाया है, जिससे आजीविका और वन संरक्षण में सुधार हुआ है।

- **विधि और नीतिगत सुधार:**
  - **प्रवर्तन को मज़बूत करना:** अवैध कटाई और अतिक्रमण को रोकने के लिये निगरानी एवं प्रवर्तन तंत्र में वृद्धि करना।
  - **भूमि के उपयोग संबंधी योजना:** सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए संरक्षण को प्राथमिकता देने वाली व्यापक भूमि-उपयोग संबंधी योजनाएँ विकसित करना।
    - ब्राज़ीलियाई अमेज़न में वनों की कटाई को संबोधित करने वाला सस्टेनेबल अमेज़न प्लान (PAS) इस दृष्टिकोण का एक व्यापक उदाहरण है।
    - सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और स्वदेशी समुदायों को शामिल करते हुए सहयोगात्मक शासन के माध्यम से, सस्टेनेबल अमेज़न प्लान स्थायी भूमि प्रबंधन, जैवविविधता संरक्षण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

- **सतत् विकल्प:**
  - **वैकल्पिक आजीविका:** वन संसाधनों पर निर्भरता को कम करने वाली वैकल्पिक आय-सृजन गतिविधियों जैसे इको-पर्यटन या कृषि वानिकी, को बढ़ावा देना।
  - **ऊर्जा विकल्प:** खाना पकाने और हीटिंग के लिये ईंधन की लकड़ी पर निर्भरता कम करने के लिये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
  - REDD+ (वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना) पहल में विकासशील देशों के लिये वनों की कटाई को कम करने, स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन शामिल है।

- **संरक्षण और पुनर्वनीकरण:**
  - **वनरोपण और पुनर्वनीकरण:** वनों की कटाई को कम करना, अनुपयुक्त वन क्षेत्रों की उचित बहाली और नए वन स्थापित करने के लिये कार्यक्रम लागू करना।
  - **संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन:** जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिये संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन को मज़बूत करना।
    - अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और भूमि बहाली जैसे प्रयासों के माध्यम से मरुस्थलीकरण से निपटना है।
    - भारत में "हरियाली" पहल कृषि वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देती है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और जैवविधता में सुधार के लिये पेड़ों को कृषि परिदृश्य में एकीकृत करती है।

- **जल संरक्षण के उपाय:**
  - जल संसाधनों के संरक्षण और जल चक्र को बहाल करने के लिये वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम लागू करना।
  - भूजल स्तर के पुनर्वनीकरण करने के लिये चेक डैम और अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना।

- **बुनियादी ढाँचा योजना और विकास:**
  - सुनिश्चित करना कि बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं की योजना पर्यावरण की दृष्टि से सतत् तरीके से बनाई जाए, ताकि इनका वनों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।
  - वनों और स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिये बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का संचालन करना।
    - **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (PES) के लिये भुगतान:** कोस्टा रिका का PES कार्यक्रम द्वारा भूमि मालिकों को वनों के संरक्षण हेतु भुगतान किया जाता है, जिससे वन आवरण और कार्बन पृथक्करण में वृद्धि होती है।

- **शिक्षा और जागरूकता:**
  - **पर्यावरण शिक्षा:** संरक्षण के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये स्कूल पाठ्यक्रम और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों में पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करना।
  - **सूचना प्रसार:** सतत् प्रथाओं और संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिये मीडिया एवं संचार चैनलों का उपयोग करना।

- **अनुसंधान और निगरानी:**
  - **डेटा संग्रह:** निर्णय लेने की जानकारी देने के लिये वन आवरण, जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य पर नियमित निगरानी एवं डेटा संग्रह का संचालन करना।
  - **अनुसंधान और नवाचार:** सतत् वन प्रबंधन प्रथाओं और वैकल्पिक आजीविका विकल्पों के लिये अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश करना।

निष्कर्ष:

वनों की कटाई की चुनौतियों से निपटने के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो समुदायों और पर्यावरण दोनों की ज़रूरतों पर विचार कर सके। प्रभावी शासन, हितधारक जुड़ाव और सतत् प्रथाओं के माध्यम से, विकास एवं संरक्षण के बीच संतुलन हासिल करना संभव है, जिससे सभी के लिये समृद्ध तथा किफायती भविष्य सुनिश्चित हो सके।

Q107. मोहन एक युवा लोक सेवक है तथा सक्षमता, ईमानदारी, समर्पण तथा मुश्किल और दुर्वह कामों के लिये अथक प्रयास हेतु उसकी प्रतिष्ठा है। उसकी प्रोफाइल को देखते हुए उसके अधिकारियों ने उसे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्यभार को संभालने के लिये चुना था।

उसे अवैध बालू खनन के लिये कुख्यात आदिवासी-बहुल ज़िले में तैनात किया गया। नदी पट्टी से, अनियंत्रित रूप से बालू उत्खनन करके ट्रकों से ढोकर उसको काला बाजार में बेचा जा रहा था। यह अवैध बालू खनन माफिया स्थानीय कार्यकर्ताओं और आदिवासी बाहुबलियो के सहयोग से काम कर रहा था जो बदले में चुनिंदा गरीब आदिवासियों को रिश्वत देते रहते थे तथा उनको डरा और धमका कर रखते थे।

मोहन ने एक तेज और ऊर्जावान अधिकारी होने के नाते जमीनी हकीकत पहचानकर और माफिया के द्वारा कुटिल तथा संदिग्ध तंत्र के माध्यम से अपनाए गए उनके तौर-तरीको को तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने पाया कि उसके अपने कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की उनसे मिलीभगत है और उन्होंने उनके साथ घनिष्ठ अवांछनीय गठजोड़ विकसित कर लिया है। मोहन ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की और उनके बालू से भरे ट्रकों की आवाजाही के अवैध संचालन पर छापे मारना शुरू कर दिया। माफिया भड़क गया क्योंकि पहले बहुत अधिकारियों ने उनके विरुद्ध इतने बड़े कदम नहीं उठाये थे। कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने जो कथित तौर पर माफिया के करीब थे, उनको सूचित किया कि अधिकारी उस ज़िले में माफिया के अवैध बालू खनन संचालन को साफ करने के लिये दृढ़ संकल्पित है और उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है।

माफिया शत्रुतापूर्ण हो गया और जवाबी हमला शुरू किया। आदिवासी बाहुबली और माफिया ने उसको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देना शुरू कर दिया। उसके परिवार (पत्नी और वृद्ध माता) का पीछा किया जा रहा था, वे उनकी वास्तविक निगरानी में थे जिससे कि उन सभी को मानसिक यातना, यंत्रणा और तनाव हो रहा था। उस समय मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया जब एक बाहुबली उसके कार्यालय में आया और उसको छापे मारना इत्यादि बंद करने की धमकी दी और कहा कि उसका हाल उसके पूर्व अधिकारियों से अलग नहीं होगा (दस वर्ष पूर्व माफिया द्वारा एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी)।

a) इस स्थिति को संभालने में मोहन के लिये उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की पहचान कीजिये।

b) आपके द्वारा सूचीबद्ध विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

c) आपके विचार से उपर्युक्त में से कौन-सा विकल्प मोहन के लिये सबसे उपयुक्त होगा और क्यों?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- केस स्टडी के तथ्यों का सटीक उल्लेख करते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- इस स्थिति से निपटने के लिये मोहन के पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कीजिये।
- सूचीबद्ध प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

मोहन, एक युवा सिविल सेवक है, जो अपनी योग्यता और ईमानदारी के लिये जाना जाता है, बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन से पीड़ित आदिवासी बहुल ज़िले में एक कठिन चुनौती का सामना करता है। जैसे ही वह इस अवैध गतिविधि के पीछे माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करता है, वह और उसका परिवार माफिया की धमकियों का निशाना बन जाते हैं।

केस स्टडी के तथ्य:

- मोहन एक सक्षम और समर्पित सिविल सेवक है जिसे आदिवासी बहुल ज़िले में अवैध रेत खनन से निपटने के लिये नियुक्त किया गया है।
- अवैध रेत खनन माफिया स्थानीय पदाधिकारियों, आदिवासी बाहुबलियों और भ्रष्ट कार्यालय कर्मचारियों के समर्थन से काम करता है।
- माफिया के खिलाफ मोहन की कार्रवाइयों के कारण उसे और उसके परिवार को धमकियाँ मिल रही हैं, जिसमें पीछा करना तथा डराना-धमकाना भी शामिल है।

शामिल हितधारक:

- **मोहन:** कानून प्रवर्तन के प्रति प्रशासन की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

- **अवैध रेत खनन माफिया:** लाभ के लिये गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न है और उनके संचालन पर अंकुश लगाने के मोहन के प्रयासों का विरोध करता है।
- **स्थानीय पदाधिकारी और भ्रष्ट कार्यालय कर्मचारी:** माफिया के साथ मिलीभगत, मोहन के प्रवर्तन प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं।
- **जनजातीय आबादी:** जो अवैध रेत खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित और माफिया द्वारा मजबूर है, जिसे प्रोत्साहित भी किया जा सकता है।
- **मोहन का परिवार:** धमकियों और निगरानी का शिकार, स्थिति के कारण मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
- **जनहित:** कानूनी शासन को कायम रखना और प्राकृतिक संसाधनों को शोषण से बचाना।

नैतिक मुद्दें:

- **ईमानदारी और जवाबदेही:** मोहन पर अपनी ईमानदारी से समझौता करने या स्वयं को एवं अपने परिवार को क्षति पहुँचाने का दबाव है।
- **कानून का शासन:** धमकियों के बीच व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ कानून प्रवर्तन को संतुलित करना।
- **कमज़ोर आबादी की सुरक्षा:** माफिया द्वारा शोषित आदिवासी समुदायों का कल्याण सुनिश्चित करना।
- **हितों का टकराव:** नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए प्रशासन के भीतर भ्रष्ट सहयोगियों से निपटना।
- **निष्क्रियता के परिणाम:** अवैध गतिविधियों को संबोधित करने में विफलता पर्यावरणीय क्षरण को कायम रखती है और शासन की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है।

मोहन के लिये उपलब्ध विकल्प:

- **छापेमारी और प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखना:**
  - **पेशा:** कानून के शासन को कायम रखना, माफिया को निरोध का संदेश भेजना और सार्वजनिक हितों की रक्षा करना है।
  - **विपक्ष:** व्यक्तिगत जोखिम बढ़ जाता है, जो मोहन के परिवार को खतरे में डाल देता है।
- **उच्च अधिकारियों से सहायता लेना:**
  - **पेशा:** प्रवर्तन प्रयासों के लिये अतिरिक्त संसाधन और समर्थन जुटाना।
  - **विपक्ष:** मोहन एवं उसके परिवार के लिये तत्काल सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती, जिससे परिस्थिति और बिगड़ने का खतरा है।
- **गुप्त संचालन और निगरानी:**
  - **पेशा:** प्रत्यक्ष रूप से टकराव को कम करते हुए माफिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना।
  - **विपक्ष:** व्यापक संसाधनों और समय की आवश्यकता है एवं मोहन तथा उसके परिवार के लिये तात्कालिक खतरों को समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- **सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता अभियान:**
  - **पेशा:** माफिया के खिलाफ जनता का समर्थन जुटाना, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना।
  - **विपक्ष:** माफिया द्वारा घुसपैठ या जबरदस्ती के प्रति संवेदनशील और तत्काल सुरक्षा चिंताओं का समाधान नहीं किया जा सकता है।

विकल्पों का महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन:

- **निरंतर प्रवर्तन कार्रवाइयाँ:** कानून के शासन को बनाए रखने के लिये आवश्यक होते हुए भी, यह मोहन और उसके परिवार को महत्त्वपूर्ण जोखिमों में डालता है, जिससे उसकी सुरक्षा पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
- **उच्च अधिकारियों से सहायता मांगना:** अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है, लेकिन तात्कालिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, जिससे तात्कालिकता और प्रक्रियात्मक विचारों के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है।
- **गुप्त ऑपरेशन:** सबूत इकट्ठा करने में प्रभावी, लेकिन संसाधन-गहन और संभावित रूप से मोहन की भेद्यता को बढ़ाता है।
- **सामुदायिक जुड़ाव:** जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाता है, लेकिन माफिया के प्रतिशोध को रोकने के लिये सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है।

सबसे उपयुक्त विकल्प:

- स्थिति की तात्कालिकता और मोहन एवं उसके परिवार की सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उच्च अधिकारियों से तत्काल सहायता मांगना सबसे उपयुक्त विकल्प प्रतीत होता है।
- यह दृष्टिकोण उन्नत सुरक्षा उपायों के साथ प्रवर्तन कार्रवाइयों को जोड़ता है, तात्कालिक खतरों और अवैध रेत खनन के अंतर्निहित मुद्दे दोनों को संबोधित करने के लिये संस्थागत समर्थन का लाभ उठाता है।

निष्कर्ष:

Q108. मोहन की दुर्दशा मज़बूत आपराधिक नेटवर्क का सामना करने में सिविल सेवकों के समक्ष आने वाली जटिल नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। उपलब्ध विकल्पों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके तथा सभी हितधारकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर मोहन ईमानदारी, जवाबदेही और सार्वजनिक सेवा के सिद्धांतों को कायम रखते हुए इस संकट से निपट सकते हैं।

आप एक सेवा क्षेत्र में कार्यरत मध्यम आकार की कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक हैं। यह कंपनी विविध कार्यबल (जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक एवं लैंगिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं) को रोज़गार देती है। हाल ही में एक कर्मचारी, सुश्री A (जो तीन वर्ष से कंपनी में है) ने अपने तत्काल पर्यवेक्षक (श्री B) के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है।

सुश्री A का आरोप है कि मिस्टर B उनके प्रति अवांछित दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जिसमें उनकी शक्ल-सूरत के संबंध में अनुचित टिप्पणियाँ तथा अवांछित शारीरिक संपर्क शामिल हैं। उनका कहना है कि ये घटनाएँ कई महीनों से चल रही हैं और इससे उनके लिये कार्य वातावरण प्रतिकूल हो गया है।

शिकायत प्राप्त होने पर आपने प्रारंभिक जांच की और आपको गवाहों के बयान तथा ईमेल के रूप में कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए। हालाँकि श्री B इन आरोपों को नकारते हुए दावा करते हैं कि सुश्री A के साथ उनका व्यवहार मित्रवत और पेशेवर था।

मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में आपको इस संवेदनशील मुद्दे को निष्पक्ष तरीके से निपटाने का कार्य सौंपा गया है। आपके कार्य से न केवल संबंधित व्यक्ति प्रभावित होंगे बल्कि कंपनी की समग्र कार्य संस्कृति तथा प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ेगा।

उपर्युक्त परिदृश्य में मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में अपने समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये। यौन उत्पीड़न की शिकायत का समाधान करने तथा पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं कानूनी और नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार कीजिये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- यौन उत्पीड़न का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मानव संसाधन प्रबंधक के समक्ष नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये।
- यौन उत्पीड़न की शिकायत के समाधान के साथ पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

यौन उत्पीड़न लिंग-आधारित भेदभाव का एक रूप है जिसमें यौन संबंधों के लिये अनुरोध या कार्यस्थल पर यौन प्रकृति से संबंधित अन्य मौखिक या शारीरिक आचरण शामिल हैं। ऐसे व्यवहार से पीड़ित के लिये कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण, डर वाला या आपत्तिजनक वातावरण बनता है।

मुख्य भाग:

केस स्टडी के तथ्य:
- एक महिला कर्मचारी सुश्री A ने अपने तत्काल पर्यवेक्षक श्री B के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है।
- सुश्री A का आरोप है कि श्री B उनके प्रति अवांछित दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क के साथ अनुचित टिप्पणियाँ शामिल हैं।
- ये घटनाएँ कई महीनों से जारी हैं, जिससे सुश्री A के लिये कार्य वातावरण प्रतिकूल बन गया है।
- मानव संसाधन प्रबंधक द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक जाँच में गवाहों के बयान के साथ ईमेल जैसे कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए।
- श्री B द्वारा इन आरोपों से इनकार करने के साथ दावा किया गया कि सुश्री A के साथ उनकी बातचीत मित्रवत और पेशेवर थी।

हितधारक:
- **सुश्री A:** शिकायतकर्त्ता, जिसने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है।
- **श्री B:** आरोपी, जो आरोपों से इनकार करता है।
- **मानव संसाधन प्रबंधक:** शिकायत को उचित और निष्पक्ष तरीके से निपटाने के लिये ज़िम्मेदार है।
- **अन्य कर्मचारी:** कंपनी शिकायत का किस प्रकार समाधान करती है, इससे अन्य कर्मचारियों की कार्य संस्कृति के प्रति धारणा प्रभावित हो सकती है।
- **कंपनी:** इसकी प्रतिष्ठा और कार्य संस्कृति पर प्रश्न चिह्न लगा सकते है।
- **कानूनी प्राधिकारी:** यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी निहितार्थ एवं कानूनों के अनुपालन से संबंधित।

शामिल नैतिक मुद्दे:
- **निष्पक्षता:** यह सुनिश्चित करना कि शिकायतकर्त्ता और आरोपी दोनों के साथ उचित एवं निष्पक्ष व्यवहार किया जाए।
- **गोपनीयता:** शिकायत और जाँच प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखना।
- **जवाबदेहिता:** आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को जवाबदेह ठहराना।

- **अनुपालन:** यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी एवं नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

नैतिक दुविधाएँ:

- **विरोधाभाषी दृष्टिकोण बनाम निष्पक्ष जाँच:** निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करते हुए सुश्री A और श्री B के प्रति विरोधाभाषी दृष्टिकोण को संतुलित करना।
- **कर्मचारी कल्याण बनाम शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण:** सुश्री A की भलाई सुनिश्चित करना, उस प्रतिकूल कार्य वातावरण को ध्यान में रखते हुए जिसे वह अनुभव करने का दावा कर रही है।
- **व्यावसायिकता बनाम व्यक्तिगत पूर्वाग्रह:** यह सुनिश्चित करते हुए जाँच प्रक्रिया में व्यावसायिकता बनाए रखना कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से परिणाम प्रभावित न हो।
- **कंपनी की प्रतिष्ठा बनाम आरोपों की पुष्टि करना:** आरोपों को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संबोधित करते हुए कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा करना।
- **विधिक अनुपालन बनाम निशुल्क और निष्पक्ष कार्रवाई:** श्री B के लिये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

विधिक एवं नैतिक मानकों के अनुरूप शिकायत का समाधान:

त्वरित कार्रवाई:

- शिकायत प्राप्त होने के बाद मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सुश्री A को आवश्यक सहायता तथा परामर्श प्रदान किया जाए।
- आगे की घटनाओं को रोकने के लिये श्री B को सुश्री A के ऊपर किसी भी पर्यवेक्षी भूमिका से अस्थायी रूप से हटा दिया जाना चाहिये।
- यौन उत्पीड़न के प्रति कंपनी की शून्य-सहिष्णुता नीति पर बल देते हुए सभी कर्मचारियों को एक आधिकारिक संचार भेजा जाना चाहिये।

जाँच पड़ताल:

- आरोपों की गहन एवं निष्पक्ष जाँच करना, जिसमें गवाहों का साक्षात्कार और सबूतों की समीक्षा शामिल है।
- सुश्री A और श्री B को अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा अपने बचाव में कोई सबूत या गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये।
  - वर्ष 2017 में उबर से संबंधित यौन उत्पीड़न मामले के कारण इसके CEO एवं अन्य कई अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा। इन शिकायतों के प्रभावी समाधान न होने तथा जवाबदेहिता की कमी के कारण इस कंपनी को आलोचना का सामना करना पड़ा।

निर्णय लेना:

- जाँच के निष्कर्षों के आधार पर शिकायत की वैधता के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिये।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 और कंपनी की नीतियों का पालन करना चाहिये।
- यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो श्री B के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिये, जिसमें बर्खास्तगी या पदावनति शामिल हो सकती है।
- यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये कि सुश्री A के खिलाफ कोई प्रतिशोध न हो।

निवारक उपाय:

- यौन उत्पीड़न एवं कंपनी की नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये सभी कर्मचारियों हेतु नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना चाहिये।
- यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिये कर्मचारियों हेतु एक स्पष्ट रिपोर्टिंग तंत्र लागू करना आवश्यक है।

अनुवर्ती और निगरानी:

- शिकायत के समाधान के बाद सुश्री A से पूछताछ करते रहना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह कार्यस्थल में सुरक्षित महसूस करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कार्य वातावरण की निगरानी करते रहना आवश्यक है कि आगे यौन उत्पीड़न की कोई घटना न हो।
  - माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने यौन उत्पीड़न से निपटने के लिये मज़बूत नीतियाँ और तंत्र लागू किये हैं, जिसमें घटनाओं की गोपनीय रिपोर्टिंग के लिये एक हॉटलाइन भी शामिल है।

निष्कर्ष:

यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिये सहानुभूति एवं व्यावसायिकता के साथ विधिक और नैतिक मानकों के बीच तार्किक संतुलन की आवश्यकता है। मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में सकारात्मक कार्य संस्कृति तथा कंपनी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिये इस मामले में गहन जाँच करना, पीड़ित के कल्याण को प्राथमिकता देना तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।

Q109. आप भारत के एक ज़िले में ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात हैं, जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जाति समूह के लोग रहते हैं। विधिक प्रावधानों एवं सकारात्मक नीतियों के बावजूद, इस ज़िले में जातिगत भेदभाव के मामले प्रचलित हैं। हाल ही में उच्च मानी जाने वाली जाति की प्रमुखता वाले गाँव के एक सरकारी स्कूल के दलित छात्रों के एक समूह

ने अपने उच्च जाति के सहपाठियों तथा शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले भेदभाव एवं उत्पीड़न की शिकायत करते हुए आपसे संपर्क किया है।

इन छात्रों का आरोप है कि उन्हें अक्सर अलग बैठाने तथा सामान्य जल स्रोत का उपयोग करने की अनुमति न देने के साथ साथियों एवं शिक्षकों द्वारा उनके प्रति मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है। वे यह भी दावा करते हैं कि परीक्षा में उन्हें उच्च जाति के समकक्षों की तुलना में कम ग्रेड दिये जाते हैं।

जाँच करने पर आपको पता चलता है कि उपर्युक्त आरोप सही हैं तथा इस स्कूल में दलित छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह बना हुआ है। उच्च जाति के सदस्यों के प्रभुत्व वाला यह स्कूल प्रबंधन "परंपरा" एवं "सामाजिक मानदंडों" का हवाला देते हुए इस मुद्दे को हल करने के प्रति भी अनिच्छुक है।

ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आप इस स्कूल के जातिगत भेदभाव का समाधान करने के क्रम में इस स्थिति से नैतिक तथा प्रभावी ढंग से किस प्रकार निपटेंगे? दलित छात्रों हेतु न्याय सुनिश्चित करने तथा स्कूल में अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत माहौल सुनिश्चित करने के क्रम में आप क्या कदम उठाएंगे?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- समाज में जातिगत भेदभाव को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- बताइए कि स्कूल में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में इस स्थिति से नैतिक और प्रभावी ढंग से किस प्रकार निपटेंगे।
- दलित छात्रों हेतु न्याय सुनिश्चित करने के साथ अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत वातावरण को बढ़ावा देने के लिये उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कानूनी प्रावधानों एवं सकारात्मक नीतियों के बावजूद जातिगत भेदभाव एक चुनौती बना हुआ है। यह केस स्टडी एक सरकारी स्कूल में दलित छात्रों के प्रति उच्च जाति के सहपाठियों एवं शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले भेदभाव तथा उत्पीड़न से संबंधित है।

रोहित वेमुला (दलित स्कॉलर) द्वारा भेदभाव के चलते की गई आत्महत्या, शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव का समाधान करने के क्रम में प्रणालीगत बदलाव की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य भाग:

शामिल हितधारक:
- **दलित छात्र:** भेदभाव एवं उत्पीड़न के शिकार होने के कारण इनके शिक्षा और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन होता है।
- **उच्च जाति के छात्र एवं शिक्षक:** भेदभाव में संलग्न, सामाजिक पूर्वाग्रहों तथा मानदंडों से प्रभावित।
- **स्कूल प्रबंधन:** उच्च जाति के सदस्यों का वर्चस्व, सभी छात्रों के लिये अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार।
- **ज़िला प्रशासन:** ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में इन्हें ज़िले में न्याय, समानता तथा समावेशिता सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
- **स्थानीय समुदाय:** सामाजिक मानदंडों एवं दृष्टिकोणों को प्रभावित करने के साथ इसकी जातिगत भेदभाव को दूर करने के प्रयासों के समर्थन या विरोध में भूमिका हो सकती है।

नैतिक मुद्दे:
- **अधिकारों का उल्लंघन:** दलित छात्रों को समान व्यवहार तथा अवसरों से वंचित करना समानता एवं सम्मान के उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।
- **संस्थागत पूर्वाग्रह:** स्कूल प्रबंधन में निहित पूर्वाग्रह भेदभाव के साथ जाति-आधारित पदानुक्रम को मज़बूत करने हेतु उत्तरदायी है।
- **निष्क्रियता:** इस मुद्दे को हल करने में स्कूल प्रबंधन की विफलता तथा "परंपरा" एवं "सामाजिक मानदंडों" का हवाला देना भेदभाव को बनाए रखने में निष्क्रियता का संकेत देता है।
- **ज़िला मजिस्ट्रेट की नैतिक ज़िम्मेदारी:** ज़िले के सभी व्यक्तियों के लिये न्याय, निष्पक्षता एवं समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने का दायित्व है।

स्कूल में जातिगत भेदभाव को हल करने का दृष्टिकोण:
- **मूल कारणों को समझना:**
  - स्कूल में जातिगत भेदभाव की सीमा एवं प्रकृति को समझने के लिये व्यापक जाँच आवश्यक है।
  - जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को बनाए रखने में योगदान देने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के साथ ऐतिहासिक कारकों का विश्लेषण कीजिये।
  - स्कूल प्रबंधन तथा समुदाय के अंदर प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करना आवश्यक है जो भेदभाव हेतु उत्तरदायी हैं।
- **हितधारकों के साथ समन्वय:**
  - जातिगत भेदभाव से निपटने के उद्देश्य से संबंधित चिंताओं को दूर करने तथा इस दिशा में पहल हेतु समर्थन जुटाने के लिये स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के साथ संवाद तथा परामर्श करना महत्त्वपूर्ण है।

- स्कूल के प्रबंधन में हाशिए पर स्थित समुदायों के प्रतिनिधित्व द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनकी आवाज़ सुने जाने के साथ उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो सके।
- जाति-आधारित असमानताओं से निपटने में संसाधनों तथा विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिये नागरिक समाज संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है।

- **विधिक प्रावधानों का प्रवर्तन:**
  - दलित छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जैसे विधिक प्रावधानों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
  - भेदभाव की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिये स्कूल में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना आवश्यक है।
  - भेदभाव-विरोधी कानूनों एवं नीतियों के अनुपालन का आकलन करने के लिये नियमित निगरानी तथा निरीक्षण आवश्यक है।
  - भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन ने समावेशी शिक्षा नीतियों के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए, दलितों सहित हाशिए पर स्थित समुदायों के बीच नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि में भूमिका निभाई है।

दलित छात्रों के लिये न्याय सुनिश्चित करने तथा अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत वातावरण को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक कदम:

समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना:

- स्कूल में समावेशी प्रथाओं जैसे बच्चों के एक साथ बैठने की व्यवस्था, पाठ्येतर गतिविधियों में संयुक्त भागीदारी तथा मिलने वाली सुविधाओं तक साझा पहुँच को प्रोत्साहन देना निर्णायक है।
- विभिन्न जातिगत पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच सकारात्मक बातचीत एवं सम्मान को बढ़ावा देने के क्रम में सहकर्मियों के बीच समन्वय आवश्यक है।
- दलितों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के योगदान एवं अनुभवों को प्रतिबिंबित करने वाले समावेशी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों को अपनाना महत्त्वपूर्ण है।
- **कर्नाटक मॉडल:** स्कूली पाठ्यक्रम में सामाजिक समावेशन जैसे अध्याय को शामिल करने की कर्नाटक सरकार की पहल का उद्देश्य छात्रों को जातिगत भेदभाव के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।

जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम:

- जातिगत भेदभाव के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये छात्रों, शिक्षकों एवं स्कूल प्रबंधन के लिये कार्यशालाएँ तथा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना आवश्यक है।
- व्यक्तियों और समाज पर भेदभाव के प्रभाव को दर्शाने के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा केस अध्ययनों का उपयोग करना चाहिये।
- जाति-आधारित पूर्वाग्रहों से संबंधित विमर्श को सुविधाजनक बनाने तथा सामाजिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न समुदाय के नेताओं को शामिल करना चाहिये।
- महाराष्ट्र में 'बाबासाहेब अंबेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (BARTI)' पहल: इसके तहत सामाजिक न्याय तथा समानता को बढ़ावा देने के लिये कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

जवाबदेहिता एवं उपचारात्मक उपाय:

- अनुशासनात्मक कार्रवाइयों या कानूनी उपायों के माध्यम से जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने के दोषी पाए गए व्यक्तियों या समूहों को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है।
- उन दलित छात्रों को सहायता एवं परामर्श सेवाएँ प्रदान करनी चाहिये, जिन्होंने भेदभाव के परिणामस्वरूप आघात या मनोवैज्ञानिक संकट का सामना किया है।
- दलित छात्रों के प्रति शैक्षणिक असमानताओं तथा भेदभावपूर्ण प्रथाओं के प्रभाव को कम करने के लिये अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता एवं परामर्श कार्यक्रम जैसे उपचारात्मक उपायों को लागू करना चाहिये।
- **अंबेडकर स्कूल:** तेलंगाना में अंबेडकर आवासीय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य हाशिए पर स्थित दलित छात्रों को निशुल्क शिक्षा के साथ आवास प्रदान करना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष:

स्कूलों में जातिगत भेदभाव का समाधान करने के क्रम में जागरूकता बढ़ाना, कानूनी प्रवर्तन, समावेशी प्रथाओं को अपनाना, हितधारक समन्वय के साथ जवाबदेही उपायों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। एक नैतिक एवं प्रभावी दृष्टिकोण अपनाकर, ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में शिक्षा में समानता, गरिमा और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के क्रम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण तथा न्यायसंगत समाज के निर्माण में योगदान दिया जा सकता है।

Q110. आप एक ऐसे ग्रामीण बाहुल्य ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) हैं जिसे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक प्रथाओं के लिये जाना जाता है। इस ज़िले में विभिन्न जातीय समुदाय एवं जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग-अलग रीति-रिवाज़ और मान्यताएँ हैं। ज़िला प्रशासन आधुनिकीकरण एवं विकास की आवश्यकता के साथ इन परंपराओं के संरक्षण को संतुलित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

हाल ही में सरकार के नेतृत्व वाली एक विकास परियोजना तथा आदिवासी समुदाय की पारंपरिक प्रथाओं के बीच संघर्ष पैदा हो गया। इस परियोजना में जनजातियों के वन क्षेत्र (जिसे वे अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिये पवित्र और आवश्यक मानते हैं) से होते हुए एक सड़क का निर्माण करना शामिल है। संबंधित समुदाय इस परियोजना का विरोध कररने के साथ पक्ष रखता है कि इससे न केवल उनकी जीवनशैली बाधित होगी बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होगा।

डीएम के रूप में, आप विकास परियोजना (जो क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी तथा आर्थिक विकास हेतु समर्पित है) के क्रियान्वयन तथा आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत एवं अधिकारों की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी के संदर्भ में दुविधा वाली स्थिति में हैं। स्थानीय प्रशासन के समक्ष इसमें गति लाने के लिये उच्च अधिकारियों का दबाव बना हुआ है।

इस परिदृश्य में डीएम के रूप में अपने समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करते हुए लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्यों तथा नैतिकता को बनाए रखते हुए इस संघर्ष को हल करने के क्रम में अपने द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा बताइये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण :

- ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय और जनजातीय समुदायों के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) के रूप में आपके समक्ष आने वाली नैतिक समस्याओं का वर्णन कीजिये।
- लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्यों तथा नैतिकता को बनाए रखते हुए संघर्ष को हल करने के लिये उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय :

ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय समुदायों एवं जनजातियों को असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके विकास में बाधा डालने के साथ उनकी सांस्कृतिक विरासत को खतरे में डालती है। ये समुदाय अक्सर दूरदराज़ और हाशिये पर रहने वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ वे बुनियादी सेवाओं तथा अवसरों तक पहुँचने के लिये संघर्ष करते हैं। समावेशी नीतियों एवं हस्तक्षेपों को तैयार करने के लिये उनकी चुनौतियों को समझना महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग :

केस स्टडी से जुड़े तथ्य:

- यह ज़िला अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक प्रथाओं के लिये प्रसिद्ध है।
- यहाँ विभिन्न जातीय समुदायों और जनजातियों सहित विविध जनसंख्या शामिल है।
- यह मामला सरकार के नेतृत्व वाली विकास परियोजना तथा आदिवासी समुदाय की पारंपरिक प्रथाओं के बीच संघर्ष से संबंधित है।
- इस परियोजना का उद्देश्य जनजातियों द्वारा पवित्र माने जाने वाले वन क्षेत्र से होते हुए एक सड़क का निर्माण करना है।
- यहाँ की जनजाति द्वारा सांस्कृतिक व्यवधान तथा पर्यावरणीय क्षति का हवाला देते हुए इस परियोजना का पुरज़ोर विरोध किया गया है।
- क्षेत्रीय विकास हेतु इस परियोजना में तेज़ी लाने के लिये उच्च अधिकारियों द्वारा दबाव बना हुआ है।

शामिल हितधारक:

- **जनजातीय समुदाय:** सांस्कृतिक विरासत तथा अधिकारों के संरक्षक, जंगल से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए।
- **सरकार:** आर्थिक वृद्धि एवं कनेक्टिविटी हेतु विकास के एजेंडे पर कार्यरत।
- **ज़िला प्रशासन:** परस्पर विरोधी हितों के बीच मध्यस्थता के लिये ज़िम्मेदार।
- **उच्च अधिकारी:** इनके द्वारा विकास परियोजना को समय पर पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है।

नैतिक दुविधाएँ:

- **सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण बनाम विकास अनिवार्यताएँ:**
  - विकास की अनिवार्यता के साथ स्वदेशी परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करना एक महत्त्वपूर्ण नैतिक दुविधा उत्पन्न करता है।
  - महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण बनाम आर्थिक संवृद्धि:**
  - इस संघर्ष में आर्थिक विकास पर पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देने पर सवाल उठाना शामिल है।
  - हालाँकि अमर्त्य सेन का मानना था कि विकास को उन वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जो लोगों को प्राप्त हैं।

- **शक्ति समीकरण बनाम उच्च अधिकारियों का दबाव:**
  - वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव के बीच निर्णय लेने में स्वायत्तता तथा ईमानदारी बनाए रखने की नैतिक चुनौती।
- **स्थानीय समुदायों के अधिकार बनाम सरकार के नेतृत्व वाली विकास परियोजनाएँ:**
  - सरकार के नेतृत्व वाली विकास परियोजनाओं की पृष्ठभूमि में स्थानीय समुदायों के अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं से जुड़ी नैतिक दुविधाओं तथा स्वदेशी समुदायों एवं पर्यावरण पर उनके प्रभाव को उजागर करता है।

संघर्ष को सुलझाने के लिये कदम:

- **समझ और समानुभूति:**
  - **संवाद में शामिल होना :** आदिवासी समुदाय की चिंताओं और आकांक्षाओं को समझने के लिये उनके साथ खुली और समानुभूतिपूर्ण बातचीत शुरू कीजिये।
  - **सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण:** स्वदेशी संस्कृतियों और परंपराओं के प्रति समझ एवं संवेदनशीलता बढ़ाने के लिये सरकारी अधिकारियों के लिये कार्यशालाएँ आयोजित कीजिये।
  - **नैतिक शिक्षा:** प्रशासन के भीतर नैतिक निर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये लोक सेवा मूल्यों और नैतिकता पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
- **मध्यस्थता और संघर्ष समाधान:**
  - **एक मध्यस्थता समिति स्थापित करना:** बातचीत और समझौते की सुविधा के लिये आदिवासी समुदाय, सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाएँ।
  - **वैकल्पिक मार्गों की पहचान करना :** सड़क निर्माण के लिये वैकल्पिक मार्गों का पता लगाएँ जो विकास के उद्देश्यों को पूरा करते हुए पवित्र वन क्षेत्र में व्यवधान को कम करें।
  - **संघर्ष समाधान तंत्र:** पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिये मध्यस्थता या सर्वसम्मति-निर्माण जैसी संघर्ष समाधान तकनीकों का उपयोग कीजिये।
- **नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा:**
  - **उपयोगितावादी दृष्टिकोण:** समग्र कल्याण को अधिकतम करने वाली कार्रवाई के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिये जनजातीय समुदाय और व्यापक क्षेत्रीय विकास दोनों पर विकास परियोजना के परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।
  - **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण:** मौलिक नैतिक सिद्धांतों के रूप में स्वदेशी अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिये, भले ही इसके लिये कुछ विकास लक्ष्यों से समझौता करना पड़े।
  - **सदाचार नैतिकता:** सार्वजनिक प्रशासन में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समानुभूति, अखंडता और विविधता के प्रति सम्मान जैसे गुणों को विकसित करना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:**
  - **लोक परामर्श:** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में साझेदारों को शामिल करके और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं पर उनका इनपुट मांगकर पारदर्शिता सुनिश्चित कीजिये।
  - **जवाबदेही तंत्र:** विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नज़र रखने और प्रभावित समुदायों द्वारा उठाई गई किसी भी शिकायत या चिंता का समाधान करने के लिये निगरानी एवं जवाबदेही के लिये तंत्र स्थापित कीजिये।

निष्कर्ष:

विकास की अनिवार्यताओं और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संघर्ष से उत्पन्न नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिये समानुभूति, संवाद और नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा पर आधारित एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में मेरी ज़िम्मेदारी लोक प्रशासन में सार्वजनिक सेवा मूल्यों और नैतिकता के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए आदिवासी समुदाय की आकांक्षाओं तथा क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में निहित है।

Q111. एक गंभीर प्राकृतिक आपदा के बाद, एक समुदाय स्वयं को एक विकट स्थिति में पाता है, जिसमें हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं और उनके पास बुनियादी आवश्यकताओं की कमी हो जाती है। भारी वर्षा और बुनियादी ढाँचे की क्षति ने बचाव प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित किया है, जिससे प्रभावित लोगों में हताशा और बढ़ गई है। जैसे ही बचाव दल घटनास्थल पर पहुँचता है, उन्हें शत्रुता और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसमें टीम के कुछ सदस्यों पर हमला किया जाता है और एक सदस्य को गंभीर चोटें आती हैं। इस उथल-पुथल के बीच, टीम के भीतर से उनकी सुरक्षा के भय से ऑपरेशन को बंद करने का अनुरोध किया जाता है।

a) उपर्युक्त मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं की जाँच कीजिये।

b) एक लोक सेवक के उन गुणों की जाँच कीजिये, जिनकी स्थिति को प्रबंधित करने के लिये आवश्यकता होगी।

c) मान लीजिये आप उस क्षेत्र में बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उपर्युक्त मामले का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक दुविधा का परीक्षण कीजिये।
- इस आलोक में एक लोक सेवक के उन गुणों की जाँच कीजिये जिनकी इस स्थिति को प्रबंधित करने के लिये आवश्यकता होगी।
- इस स्थिति को संभालने के लिये चरणबद्ध प्रतिक्रिया का प्रस्ताव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

यह मामला एक ऐसे समुदाय से संबंधित है जो गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है, जहाँ हज़ारों लोगों के बेघर होने के साथ ही भारी वर्षा एवं बुनियादी ढाँचे की क्षति के कारण बुनियादी आवश्यकताओं की कमी हो गई है। इस क्षेत्र में जैसे ही बचाव दल पहुँचते हैं, उन्हें शत्रुता और हिंसा का सामना करना पड़ता है, साथ ही टीम के कुछ सदस्यों पर हमला भी किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप बचाव प्रयासों में बाधा उत्पन्न होने के कारण प्रभावित आबादी में हताशा और निराशा की स्थिति देखि गई। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है जहाँ सुरक्षा चिंताओं के साथ बचाव के प्राथमिकताओं को संतुलित करने की नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई है।

मुख्य भाग:

A. केस स्टडी में नैतिक दुविधा:
- **प्राथमिकताओं को संतुलित करना:** इसमें आपदा प्रभावित समुदाय को सहायता प्रदान करने के कर्त्तव्य तथा बचाव टीमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कर्त्तव्य के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।
- **नैतिक दायित्व बनाम सुरक्षा चिंताएँ:** इसमें बचावकर्मियों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के अपने कर्त्तव्य को पूरा करने तथा प्रतिकूल वातावरण में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच एक दुविधा का सामना करना पड़ता है।
- **संसाधन आवंटन:** सीमित संसाधनों का आवंटन प्रभावित समुदाय को सहायता प्रदान करने तथा बचावकर्त्ताओं की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के बीच संतुलित रूप से किया जाना चाहिये।

B. इस स्थिति को प्रबंधित करने के लिये लोक सेवक के आवश्यक गुण:
- **साहस:** ऐसी स्थिति में लोक सेवकों को खतरे और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के साथ जोखिम के बावजूद दूसरों की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहने के साहस की आवश्यकता होती है।
- **सहानुभूति:** इससे लोक सेवक आपदा प्रभावित समुदाय की पीड़ा एवं हताशा को समझने तथा करुणा और संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है।
- **नेतृत्व:** प्रभावी नेतृत्व कौशल इस प्रकार की स्थिति को संभालने, बचाव प्रयासों का समन्वय करने तथा इसमें शामिल सभी लोगों के हित में निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **अनुकूलनशीलता:** इससे बदलती परिस्थितियों का त्वरित आकलन करने और उसके अनुरूप बचाव रणनीतियों को समायोजित करने में सक्षमता आती है।
- **ईमानदारी:** ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करने से यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय एवं बचाव टीमों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये संसाधनों को निष्पक्ष तथा नैतिक रूप से आवंटित किया गया है।

C. स्थिति को संभालने के लिये चरणबद्ध प्रतिक्रिया:
- **तात्कालिक खतरों का आकलन करना:** जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के साथ बचाव टीमों के लिये खतरे के स्तर का आकलन करना।
- **सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना:** जोखिम वाले क्षेत्रों में अस्थायी रूप से कार्रवाई रोकने के साथ सुरक्षा उपाय लागू करना एवं बचावकर्मियों को आगे की हिंसा से बचाना।
- **सामुदायिक शिकायतों को हल करना:** स्थानीय अधिकारियों तथा समुदाय के नेताओं के साथ संचार को प्रभावी बनाने के साथ निराशा के अंतर्निहित कारणों का समाधान करना।
- **व्यावसायिकता और संवेदनशीलता:** व्यावसायिकता के साथ कार्रवाई करने के साथ प्रभावित व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करना।
- **संसाधन प्रबंधन:** तत्काल ज़रूरतों के आधार पर सुरक्षा एवं सहायता वितरण को प्राथमिकता देते हुए संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करना।
- **समन्वय:** समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना।
- **कार्रवाई की समीक्षा एवं निष्पादन:** नियमित रूप से संचालन की समीक्षा करने के साथ आवश्यकतानुसार रणनीतियों को अपनाना तथा भविष्य की प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिये अनुभवों से सीखना।
- **अनुकूलनशीलता:** टीम के सदस्यों से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लचीला रुख अपनाने तथा उभरती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का आग्रह करना। ऐसे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना तथा कठिनाइयों के बावजूद टीम को अपने प्रयासों में लगे रहने के लिये प्रेरित करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

लोक सेवा के सहानुभूतिपूर्ण गुणों को अपनाने के साथ एक रणनीतिक दृष्टिकोण का पालन करके, लोक सेवक ऐसी जटिल एवं चुनौतीपूर्ण स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं।

Q112. आप हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर और गरीब ज़िले, दंतेवाड़ा के ज़िला कलेक्टर के रूप में तैनात हुए एक युवा आईएएस अधिकारी हैं। दंतेवाड़ा हिंसक नक्सली विद्रोह का केंद्र रहने के साथ माओवादी विद्रोहियों एवं सुरक्षा बलों के बीच एक लंबे संघर्ष का क्षेत्र रहा है जिसके कारण पिछले कुछ दशकों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है।

आदिवासी किसानों तथा उत्पीड़ितों के अधिकारों के लिये लड़ने का दावा करने वाले नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के जंगलों एवं गाँवों के बड़े हिस्से में शासन की एक समानांतर प्रणाली स्थापित की है। ये अपनी अदालतें चलाते हैं, नागरिकों पर कर लगाते हैं तथा बारूदी सुरंग हमलों के माध्यम से सरकारी बुनियादी ढाँचे तथा सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हैं।

अर्द्धसैनिक बलों की काफी अधिक उपस्थिति के बावजूद, ज़िला प्रशासन का दायरा मुश्किल से ही ज़िला मुख्यालय से आगे विस्तारित हो पाता है। दंतेवाड़ा के लिये आवंटित अधिकांश विकास निधि का भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है या अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के कारण यह अप्रयुक्त रह जाती है।

दंतेवाड़ा की स्थिति अत्यधिक अस्थिर होने के कारण हिंसा की नियमित घटनाओं से बेहतर शासन एवं विकास के प्रयास बाधित हो रहे हैं। सबसे वरिष्ठ लोक प्राधिकारी के रूप में, आप पर लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष को हल करने के क्रम में एक प्रभावी रणनीति खोजने का दायित्व बना हुआ है।

उपर्युक्त परिदृश्य में:

- इस मुद्दे में शामिल प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
- इस संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन को बेहतर बनाने के साथ विकास को बढ़ावा देने के क्रम में ज़िला कलेक्टर के रूप में आपकी प्राथमिकताएँ और कार्य योजनाएँ क्या होंगी?
- इस मामले पर विचार करते हुए आप विकास, सुरक्षा तथा शिकायत निवारण जैसे व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से उग्रवाद के इस लंबे संघर्ष को हल करने के लिये कौन से नीतिगत उपायों की सिफारिश करेंगे?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- केस स्टडी के संदर्भ का संक्षेप में परिचय लिखिये।
- मामले के अध्ययन में शामिल नैतिक दुविधाओं का विश्लेषण कीजिये।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और आवश्यक कार्य योजनाओं का वर्णन कीजिये।
- उग्रवाद के समाधान के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

छत्तीसगढ़ में स्थित दंतेवाड़ा, भारत के लंबे विद्रोहों के सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता है। इस क्षेत्र में माओवादी विद्रोह सरकारी प्राधिकरण को चुनौती देता है, जिससे हिंसा होती है और विकास बाधित होता है। यहाँ ज़िला कलेक्टर के कंधों पर जटिल सुरक्षा खतरों को दूर करने, सामाजिक शिकायतों को दूर करने तथा प्रगति को बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी होती है।

मुख्य भाग:

1. इस मुद्दे में शामिल प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

- मानवतावादी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा: संघर्ष क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के साथ नागरिक सुरक्षा और अधिकारों को संतुलित करना।
- पारदर्शिता बनाम सुरक्षा: संघर्ष क्षेत्र में परिचालन सुरक्षा के साथ शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को संतुलित करना, जहाँ सूचना लीक होने से जीवन को खतरा हो सकता है।
- विधि का शासन बनाम समानांतर शासन: क्षेत्र में शासन की समानांतर प्रणाली स्थापित करने की नक्सलियों की चुनौती का समाधान करते हुए विधि के शासन को कायम रखना।
- सांस्कृतिक संरक्षण और मुख्यधारा: आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक और पारंपरिक अधिकारों का सम्मान करते हुए उनकी मुख्यधारा में एकीकरण को बढ़ावा देना।

2. इस संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन को बहाल करने और विकास पहुँचाने के लिये ज़िला कलेक्टर के रूप में आपकी प्राथमिकताएँ एवं कार्य योजना क्या होंगी?

प्राथमिकताएँ और कार्य योजना:

प्राथमिकता वाले क्षेत्र	कार्य योजना
सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा	• संवेदनशील क्षेत्रों में चौकियों और गश्त को मज़बूत करना। • किसी भी सुरक्षा संकट को तुरंत रोकने के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया टीमें तैनात करना।

आवश्यक सेवाएँ बहाल करना	• स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और उपयोगिताओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करना। • प्रभावित समुदायों में राहत प्रयासों के लिये गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।
तत्काल विकास की आवश्यकता	• तत्काल लाभ वाली बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। • प्रमुख विकास प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिये हितधारकों को शामिल करना।
आपातकालीन प्रतिक्रिया और संकट प्रबंधन	• एक मज़बूत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करना। • संकट प्रबंधन में स्थानीय कानून प्रवर्तन और उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करना।
सामुदायिक विश्वास और सहयोग का निर्माण	• सामुदायिक संपर्क और विश्वास-निर्माण के लिये आउटरीच तथा टाउन हॉल बैठकें आयोजित करना। • विकास में भागीदारी के लिये स्थानीय नेताओं और नागरिक समाज के साथ सहयोग करना।
संचार एवं सूचना प्रबंधन	• सटीक जानकारी, अपडेट और सलाह प्रसारित करने के लिये एक समर्पित संचार रणनीति स्थापित करना। • मीडिया और नेताओं को ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

3. इस मामले के अध्ययन पर विचार करते हुए कि आप विकास, सुरक्षा और शिकायत निवारण के संयोजन के व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से दीर्घकालिक उग्रवाद की समस्या को हल करने के लिये कौन-से नीतिगत उपायों की सिफारिश करेंगे?

- **समानता के साथ विकास:**
  - **भूमि अधिकार संरक्षण:** भूमि स्वामित्व प्रक्रियाओं को फास्ट ट्रैक करना और भूमि विवादों के लिये शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
  - **सतत् आजीविका कार्यक्रम:** कृषि, वानिकी और हस्तशिल्प में कौशल विकास के माध्यम से आय सृजन के अवसरों को बढ़ावा देना।
    - IAS रजत बंसल द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में चलाया गया थिंक-बी इनक्यूबेटर कार्यक्रम एक प्रमुख मॉडल हो सकता है।
  - **शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल:** स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर ध्यान देने के साथ आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूलों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश करना।
  - **विकेंद्रीकृत शक्ति:** सूक्ष्म-विकास परियोजनाओं से संबंधित योजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिये स्थानीय ग्राम परिषदों (ग्राम पंचायतों) को सशक्त बनाना।
  - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नक्सल प्रबंधन नीति की सफलता, जिसने विकास पहलों को मज़बूत सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ा, एक प्रमुख मॉडल हो सकता है।
- **संवेदनशीलता के साथ सुरक्षा:**
  - **सुरक्षा मूल्यांकन:** सुरक्षा अभियानों की प्रभावशीलता का नियमित रूप से आकलन करना और नागरिक के हताहत होने की समस्या को कम करना। तनाव कम करने की रणनीति पर ध्यान देने के साथ सुरक्षा बलों के लिये जुड़ाव के कड़े नियम लागू करना।
  - **सामुदायिक पुलिसिंग:** सामुदायिक पुलिसिंग पहल विकसित करना, जहाँ स्थानीय पुलिस सुरक्षा में सुधार और विश्वास बनाने के लिये ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करती है।
  - **पुनर्वास और पुन:** एकीकरण: पूर्व विद्रोहियों के पुनर्वास एवं समाज की मुख्यधारा में पुन: एकीकरण के लिये कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करना, उन्हें वैकल्पिक आजीविका के अवसर और सहायता सेवाएँ प्रदान करना।
    - **उदाहरण:** गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद श्रीलंका में पूर्व LTTE (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) कैडरों का सफल पुनर्वास और पुन: एकीकरण।
    - इसके अलावा भारत सरकार के "चीता मित्र" कार्यक्रम का उद्देश्य डकैतों को समाज में पुन: शामिल होने के लिये प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करके उनका पुनर्वास करना है।
- **शिकायत निवारण एवं संवाद:**
  - **शिकायत तंत्र:** ग्रामीणों के लिये स्थानीय अधिकारियों के साथ उनकी चिंताओं को दूर करने हेतु सुलभ और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

- **वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना:** नीतिगत बदलावों और कानूनी सुधारों के माध्यम से नक्सलियों द्वारा उठाई गई वैध शिकायतों, जैसे- भूमि बेदखली या पर्यावरण क्षरण, का समाधान करना।

निष्कर्ष:

नैतिक सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए, तात्कालिक चिंताओं को प्राथमिकता देकर और एक व्यापक नीतिगत ढाँचे के साथ दीर्घकालिक रणनीतियों को लागू कर दंतेवाड़ा जैसे उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में स्थायी शांति एवं विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

Q113. आप एक ऐसे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हैं जो बूथ कैप्चरिंग, चुनाव में धमकी और हिंसा सहित चुनावी कदाचार की परंपरा से ग्रस्त है। यहाँ पर लोकसभा के लिये हो रहे आम चुनावों में बूथ कैप्चरिंग की व्यापक घटनाएँ सामने आई हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ रहा है।

मतदान के तीसरे दिन, स्थिति अभूतपूर्व होने से राज्य भर के कई निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाताओं एवं चुनाव अधिकारियों को डराने-धमकाने की रिपोर्टें सामने आईं। इसके अतिरिक्त, प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक गुटों के बीच झड़पों सहित हिंसा की घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया।

कदाचार की व्यापक घटनाओं से चुनाव प्रणाली में लोगों के विश्वास में कमी आने के साथ मतदाताओं में चुनाव प्रणाली के संदर्भ में मोहभंग हो गया।

CEO के रूप में आपको इस संकट से निपटने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिये त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

प्रश्न:

- इस मामले में शामिल हितधारक कौन हैं?
- इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, चल रही बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं से निपटने तथा प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में सुचारु व्यवस्था बहाल करने के लिये अपनी तात्कालिक रणनीति की रूपरेखा तैयार कीजिये।
- एक बार तात्कालिक संकट का समाधान हो जाने के बाद, आप राज्य में चुनावी ढाँचे में सुधार हेतु कौन से दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करेंगे?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- केस स्टडी के संदर्भ का संक्षिप्त रूप में परिचय लिखिये।
- इस मामले में शामिल हितधारकों का उल्लेख कीजिये।
- चल रही बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं से निपटने और व्यवस्था बहाल करने के लिये तत्काल रणनीति की रूपरेखा तैयार कीजिये।
- आवश्यक दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों को सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

किसी राज्य में लोकसभा के लिये चल रहे आम चुनाव बूथ कैप्चरिंग, धमकी और हिंसा सहित चुनावी कदाचार की व्यापक घटनाओं से प्रभावित हैं। बढ़ती हिंसा, मतदाताओं एवं चुनाव अधिकारियों के विरुद्ध धमकियों तथा प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक गुटों के बीच झड़प जैसी रिपोर्टों ने चुनावी प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर दिया है, जिससे मतदाताओं में व्यापक निराशा उत्पन्न हुई है।

इस प्रकार, यह स्थिति चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है।

मुख्य भाग:

इस मामले में शामिल हितधारक हैं:

- **भारत निर्वाचन आयोग:** चुनावों के संचालन की देख-रेख और चुनावी कानूनों एवं विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी।
- **राजनीतिक दल:** चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना और संभावित रूप से कदाचार में शामिल होना।
- **मतदाता:** नागरिक, मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हैं तथा चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से प्रभावित होते हैं।
- **चुनाव अधिकारी:** मतदान केंद्रों के प्रबंधन और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ:** कानून व्यवस्था बनाए रखने, चुनावी कदाचार को रोकने और मतदाताओं एवं चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं।
- **मीडिया:** चुनाव प्रक्रिया और कदाचार की घटनाओं पर रिपोर्टिंग, सार्वजनिक धारणा एवं जागरूकता को प्रभावित करना।
- **बूथ कैप्चरिंग की चल रही घटनाओं से निपटने और व्यवस्था बहाल करने की तत्काल रणनीति:**
- **अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती:** बूथ कैप्चरिंग और हिंसा की आगे की घटनाओं को रोकने के लिये प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन कर्मियों की उपस्थिति बढ़ाना।

- **त्वरित प्रतिक्रिया टीमें:** कदाचार या हिंसा की रिपोर्टों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने और समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिये सुसज्जित विशेष टीमों की स्थापना कराना।
- **कानूनों का सख्त प्रवर्तन:** यह सुनिश्चित करना कि चुनावी कदाचार के अपराधियों को तेज़ी से पकड़ा जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए, जिससे एक निवारक संदेश पहुँच सके।
- **उन्नत निगरानी:** मतदान केंद्रों की निगरानी करने और संभावित गड़बड़ी वाले स्थानों की पहचान करने के लिये CCTV कैमरे एवं ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करना।
- **मतदाता सहायता बूथ:** मतदाताओं को सहायता प्रदान करने, चिंताओं को दूर करने और मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा समर्पित बूथ स्थापित करना। यह कदाचार के अवसरों को कम करते हुए पारदर्शिता एवं पहुँच को बढ़ाता है।
- **राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ सहयोग:** शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने के लिये राजनीतिक दलों, गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय के नेताओं के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

चुनावी ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन के लिये दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार:

- **विधान के माध्यम से चुनावी सुधार:** चुनावी कानूनों और विनियमों को मज़बूत करने के उद्देश्य से चुनावी सुधार कानून प्रस्तुत करना तथा लागू करना।
  - इसमें चुनावी अधिकारियों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को बढ़ाने, अभियान के वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उपाय शामिल हो सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिये चुनावी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के एकीकरण में निवेश करना।
  - इसमें सुरक्षित मतदान और परिणाम के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), बायोमेट्रिक मतदाता पहचान प्रणाली तथा ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाना शामिल हो सकता है।
- **संस्थानों को मज़बूत बनाना:** चुनाव आयोगों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक निकायों सहित चुनावी प्रक्रिया में शामिल प्रमुख संस्थानों की क्षमता एवं स्वतंत्रता को दृढ़ करना।
  - इन संस्थानों को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से और निष्पक्ष रूप से पूर्ण करने में सक्षम बनाने के लिये पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान करना।
- **कानूनी प्रवर्तन और जवाबदेही:** चुनावी कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत करना। इसमें चुनावी अपराधों की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये मज़बूत तंत्र के साथ-साथ न्यायपालिका द्वारा चुनावी विवादों का निष्पक्ष निर्णय शामिल है।
- **राजनीतिक दलगत सुधार:** राजनीतिक दलों के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उपायों को लागू करना, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र, उम्मीदवार चयन प्रक्रियाओं तथा वित्तीय प्रकटीकरण पर नियम शामिल हैं।
  - राजनीतिक संगठनों के भीतर नैतिक आचरण और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के पालन की संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित करना।
- **मतदाता शिक्षा और जागरुकता:** चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाने के लिये निरंतर मतदाता शिक्षा एवं जागरुकता कार्यक्रम लागू करना।
  - इसमें मतदाताओं को कदाचार की घटनाओं की पहचान करने और रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में शिक्षित करना साथ ही नागरिक सहभागिता तथा भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है।
- **नागरिक समाज की भागीदारी:** चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों एवं सामुदायिक समूहों के साथ अधिक सहयोग तथा जुड़ाव को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

चुनावी अखंडता की ओर यात्रा के लिये संस्थागत लचीलापन, तकनीकी परिष्कार और सार्वजनिक जागरुकता को बढ़ावा देने के लिये एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। प्रभावी चुनावी सुधारों को लागू करके, चुनावी अधिकारी अधिक लचीला और जवाबदेह चुनावी ढाँचा तैयार कर सकते हैं जो बूथ कैप्चरिंग जैसे कदाचार के जोखिम को कम करता है तथा लोकतांत्रिक चुनावों की अखंडता में जनता के विश्वास को बढ़ाता है।

Q114. पिछले दो निर्वाचन चरणों में आपके ज़िले में चिंताजनक रूप से कम मतदान की सूचना आपको, ज़िला निर्वाचन अधिकारी को दी गई है। यह जानकारी, विशेष रूप से आपके नियंत्रण वाले कई समुदायों में, कम मतदान प्रतिशत की परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाती है। मतदाता पंजीकरण और जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिये पूर्व ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEOs) द्वारा किये गए मजबूत प्रयासों के बावजूद, संख्याएँ एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, जो इस लोकतांत्रिक कमी के पीछे के अंतर्निहित कारणों के बारे में आलोचनात्मक प्रश्न उत्पन्न करती है।

स्थिति आपके तत्काल ध्यान देने और इन प्रभावित गाँवों के निवासियों के बीच नागरिक जुड़ाव की भावना को पुनर्जीवित करने के लिये एक व्यापक कार्य योजना की मांग करती है।

प्रश्न :

- **इस मुद्दे में कौन से हितधारक शामिल हैं?**
- **इन विशिष्ट गाँवों में मतदाता भागीदारी में गिरावट के संभावित कारण क्या हो सकते हैं?**
- **आगामी चुनावों में अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिये मतदाता जागरूकता और शिक्षा में सुधार के लिये आप कौन सी रणनीतियाँ लागू करेंगे?**

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- मामले का सटीक विवरण देकर उत्तर लिखिये
- मामले में शामिल सभी हितधारकों का उल्लेख कीजिये
- मतदाता भागीदारी में गिरावट में योगदान देने वाले संभावित कारणों को बताइये
- मतदाता जागरूकता और शिक्षा में सुधार के लिये रणनीतियाँ सुझाइये

परिचय:

ज़िला निर्वाचन अधिकारी के रूप में विशेष रूप से कुछ गाँवों में निरंतर कम मतदान का मुद्दा तत्काल ध्यान देने की मांग करता है। पूर्व प्रयासों के बावजूद, इन क्षेत्रों में नागरिक भागीदारी को पुन: शुरू करने के लिये एक व्यापक रणनीति की तत्काल आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

1. इस मुद्दे में कौन-से हितधारक शामिल हैं?

हितधारक	भूमिका/हित
वोटर	प्राथमिक प्रतिभागी जिनकी भागीदारी प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिये आवश्यक है।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO)	समग्र चुनाव प्रशासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और मतदाता मतदान में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार है।
ग्राम पंचायतें और स्थानीय नेता	प्रशासन और ग्रामीणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, जो मतदाताओं को संगठित करने तथा शिक्षित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)	चुनाव प्रक्रियाओं के लिये दिशा-निर्देश, समर्थन और निरीक्षण प्रदान करता है; चुनाव कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
मतदान अधिकारी एवं कर्मचारी	चुनाव के दिन मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, मतदान केंद्रों का सुचारु और कुशल संचालन सुनिश्चित करना।
राजनीतिक दल और उम्मीदवार	प्रचार-प्रसार के माध्यम से मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, मतदान प्रतिशत को अधिकतम करने में निहित स्वार्थ रखना।
गैर सरकारी संगठन (NGOs)	मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियानों में सहायता करना, प्राय: नागरिक सहभागिता तथा लोकतंत्र के मुद्दों पर कार्य करना।
मीडिया	सूचना प्रसारित करने, जागरूकता बढ़ाने और मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
शिक्षण संस्थान	मतदाता जागरूकता अभियानों में छात्रों और कर्मचारियों को शामिल करना; यह मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों के लिये स्थान के रूप में कार्य कर सकता है।
परिवहन सेवाएँ	यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुँच सकें, परिवहन सेवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है ।

2. इन विशिष्ट गाँवों में मतदाता भागीदारी में गिरावट के संभावित कारण क्या हो सकते हैं?

- **जागरूकता और मतदाता शिक्षा का अभाव:** अपर्याप्त मतदाता शिक्षा अभियान और चुनावी प्रक्रिया, मतदान प्रक्रियाओं एवं किसी के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के महत्त्व से संबंधित जानकारी तक सीमित पहुँच से मतदाताओं में उदासीनता तथा अलगाव की भावना उत्पन्न हो सकती है।
- **पहुँच संबंधी बाधाएँ:** दूरस्थ स्थान, अपर्याप्त परिवहन सुविधाएँ और मतदाता पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करने में चुनौतियाँ जैसे कारक मूलत: हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिये मतदाता भागीदारी में बाधा डाल सकते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** निर्धनता, शैक्षिक अवसरों की कमी और आर्थिक असुरक्षा राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग की भावना तथा मतदान एवं जीवन स्थितियों में ठोस सुधार के बीच एक कथित अलगाव में योगदान कर सकती है।
- **चुनावी प्रक्रियाओं में अविश्वास:** चुनावी कदाचार के उदाहरण, बूथ कैप्चरिंग के आरोप, या विगत चुनावों में पारदर्शिता की कमी लोक विश्वास को कम कर सकती है और मतदाता भागीदारी को हतोत्साहित कर सकती है।

- **जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** यदि इन समूहों की आवश्यकताओं और चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है, तो जनसंख्या जनसांख्यिकी में परिवर्तन, जैसे प्रवासन प्रारूप या वृद्ध आबादी, मतदाता मतदान को प्रभावित कर सकते हैं।

3. आगामी चुनावों में अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिये मतदाता जागरूकता और शिक्षा में सुधार के लिये आप कौन-सी रणनीतियाँ लागू करेंगे?

- **ग्राम्य-स्तरीय "लोकतंत्र राजदूत" कार्यक्रम:** "लोकतंत्र राजदूत" के रूप में सेवा करने के लिये प्रत्येक प्रभावित गाँव के उत्साही युवा व्यक्तियों की एक टीम की पहचान करना और प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - इन राजदूतों को घर-घर अभियान चलाने और मतदान के महत्त्व एवं चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये अपने स्थानीय नेटवर्क का लाभ उठाने का कार्य सौंपा जाएगा।
- **स्थानीय लोक मीडिया के माध्यम से कहानी सुनाना:** स्थानीय कलाकारों और कहानीकारों के साथ मिलकर आकर्षक कथाएँ तथा नाटक तैयार करना, जो मतदान के महत्त्व एवं सामुदायिक विकास पर इसके प्रभाव को बता सकें।
  - दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने और नागरिक भागीदारी को प्रेरित करने के लिये सांस्कृतिक रूप से गुंजायमान कला रूपों की शक्ति का लाभ उठाते हुए, इन कथाओं को ग्रामीण सभाओं, त्योहारों या नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।
  - **मतदाता जागरूकता रथ** भी तैनात किये जा सकते हैं, जो गाँवों और कस्बों में यात्रा करते हैं, ऑडियो-विज़ुअल डिस्प्ले तथा आकर्षक गीतों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रसारित करते हैं।
  - **तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू** का युवाओं को मतदान के लिये प्रोत्साहित करने हेतु माइक की ओर रुख करने का हालिया उदाहरण एक महत्त्वपूर्ण रोल मॉडल हो सकता है।
- **अनुकरण से सशक्तीकरण तक:** प्रत्येक प्रभावित गाँव में अस्थायी "मतदान अनुभव केंद्र" स्थापित करना, जहाँ निवासी एक अनुकूलित वातावरण में मतदान प्रक्रिया से परिचित हो सकें।
  - इन केंद्रों में मॉक पोलिंग बूथ, मतपेटियाँ और मतदान प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक चरण के महत्त्व को समझाने वाले इंटरैक्टिव डिस्प्ले होंगे।
- **दीर्घकालिक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम:** सक्रिय नागरिकता की संस्कृति को बढ़ावा देने और मतदान की उम्र से लोकतांत्रिक भागीदारी के मूल्य को बढ़ावा देने के लिये स्कूलों एवं समुदायों में दीर्घकालिक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम लागू करना।

निष्कर्ष:

मतदाताओं की उदासीनता में योगदान देने वाले अंतर्निहित मुद्दों से निपटने के लिये एक संपूर्ण और समावेशी रणनीति बनाना, जो यह दर्शाता है कि प्रत्येक मत की गणना में सभी संबंधित दलों को भी शामिल किया जाना है, इससे आगामी चुनावों में बढ़े हुए मतदान को प्राप्त करने के लिये नागरिक भागीदारी के योगदान को पुन: प्राप्त किया जा सकता है।

Q115. आप किसी राज्य (जो प्रकाशन माफियाओं के गहन प्रभाव के लिये जाना जाता है) के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के नवनियुक्त सचिव हैं। सचिव के रूप में आपके समक्ष दो बड़ी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले माफियाओं द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत करके सरकार की मुफ्त पुस्तक वितरण योजना का फायदा उठाया जाना, जिससे वित्तीय नुकसान होने के साथ किताबों की गुणवत्ता से समझौता होता है। दूसरा ये निज़ी स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों की खरीद में हेराफेरी करते हैं, जिससे स्कूलों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आलोक में महँगी पाठ्यपुस्तकें खरीदने का दबाव बनाए जाने से छात्रों एवं परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ता है।

आपके पूर्ववर्ती एक ईमानदार अधिकारी ने इन मुद्दों से निपटने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें प्रकाशन माफियाओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस आलोक में इन माफियाओं से लड़ने के लिये दृढ़ संकल्पित होकर, आपको इस मुद्दे को हल करने के साथ पाठ्यपुस्तक खरीद एवं वितरण प्रक्रिया में निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

- इस मामले में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
- आप प्रकाशन माफियाओं द्वारा सरकार की मुफ्त पुस्तक वितरण योजना में किये जाने वाले घोटाले को किस प्रकार रोकेंगे?
- सभी छात्रों के लिये निष्पक्ष, पारदर्शी तथा उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु आप कौन-सी दीर्घकालिक रणनीति अपनाएंगे?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- केस स्टडी का सार बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- इस मामले में शामिल हितधारकों का उल्लेख कीजिये।
- सरकार की मुफ्त पुस्तक वितरण योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिये राज्य की रणनीतियाँ बताइये।
- उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये दीर्घकालिक रणनीतियों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

यह मामला स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के नवनियुक्त सचिव से संबंधित है, जिन्हें प्रकाशन माफियाओं के गहन प्रभाव से निपटने का कार्य सौंपा गया है। इनका उद्देश्य माफियाओं की शोषणकारी प्रथाओं को खत्म करने तथा पाठ्य पुस्तकों की खरीद एवं वितरण को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।

मुख्य भाग:

1. इस मामले में शामिल हितधारक:

हितधारक	भूमिका/हित
सरकारी अधिकारी	पाठ्य पुस्तकों के वितरण और खरीद की देख-रेख करना।
प्रकाशन माफिया	वित्तीय लाभ के लिये पाठ्य पुस्तक वितरण प्रणाली का दुरुपयोग करना।
शिक्षक और स्कूल प्रशासक	इन्हें पाठ्य पुस्तकों के रूप में महँगे विकल्प चुनने के लिये प्रकाशकों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
छात्र और परिवार	पाठ्य पुस्तकों के अंतिम उपयोगकर्त्ता के रूप में यह शैक्षिक सामग्री की लागत और गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं।
NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद)	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानक, किफायती पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।
निजी प्रकाशक	पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन और बिक्री करने के साथ निजी स्कूल की पाठ्य पुस्तक खरीद में हेर-फेर करने में शामिल हो सकते हैं।
भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ	पाठ्य पुस्तक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की जाँच और रोकथाम में भूमिका निभाती हैं।
मीडिया और जनता	यह जागरूकता बढ़ाने के साथ सरकार पर इस मुद्दे को हल करने के लिये दबाव डाल सकते हैं।

2. आप प्रकाशन माफियाओं द्वारा सरकार की मुफ्त पुस्तक वितरण योजना के किये जाने वाले दुरुपयोग को किस प्रकार रोकेंगे?

- **प्रणालीगत सुधार:** माफियाओं द्वारा होने वाले शोषण के संदर्भ में इससे संबंधित कमियों और कमज़ोरियों की पहचान करने के लिये संपूर्ण पाठ्य पुस्तक खरीद एवं वितरण प्रक्रिया का व्यापक ऑडिट तथा समीक्षा करना।
- **ऑनलाइन खरीद पोर्टल:** पाठ्य पुस्तक खरीद के लिये उपयोगकर्त्ता के अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल बनाना तथा ऑफलाइन हेर-फेर के अवसरों को समाप्त करना।
- **विधिक और प्रशासनिक उपायों को ट्रैक करना:** अधिकारियों और प्रकाशन माफियाओं के बीच कथित मिलीभगत की गहन जाँच शुरू करना तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना।
- प्रकाशन माफियाओं के प्रभाव के संपर्क में आने से बचने और संबंधित नेटवर्क को रोकने के लिये अधिकारियों को बार-बार बदलना।
- **स्वतंत्र समीक्षा बोर्ड:** शॉर्टलिस्ट की गई पाठ्य पुस्तकों की शैक्षिक सामग्री एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये विषय वस्तु विशेषज्ञों को शामिल करते हुए स्वतंत्र समीक्षा बोर्ड स्थापित करना।
- **मुखबिरों के लिये पुरस्कार प्रणाली:** पाठ्य पुस्तक चयन प्रक्रिया के भीतर अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट करने वाले मुखबिरों के लिये एक मज़बूत पुरस्कार प्रणाली स्थापित करना। इससे पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिलने के साथ मिलीभगत हतोत्साहित होगी।

3. सभी छात्रों के लिये निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये आप कौन-सी दीर्घकालिक रणनीतियाँ लागू करेंगे?

- **ब्लॉकचेन-आधारित पाठ्य पुस्तक खरीद और वितरण प्रणाली:** पाठ्य पुस्तक खरीद और वितरण के लिये एक अपरिवर्तनीय, विकेंद्रीकृत तथा पारदर्शी प्रणाली बनाने के लिये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- **मोबाइल पाठ्य पुस्तक पुस्तकालय और डिजिटल पहुँच:** दूर-दराज़ और वंचित क्षेत्रों (जहाँ छात्रों की भौतिक पाठ्य पुस्तकों तक सीमित पहुँच हो सकती है) में पुस्तकों की डिजिटल पहुँच स्थापित करना।
  - स्थानीय समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- **पाठ्य पुस्तक ट्रैकिंग और सत्यापन प्रणाली:** मज़बूत पाठ्य पुस्तक ट्रैकिंग और सत्यापन प्रणाली को लागू करना, जो प्रत्येक पाठ्य पुस्तक को विशिष्ट पहचान कर्त्ता (जैसे QR कोड या RFID टैग) प्रदान करती है।
  - यह प्रणाली न केवल आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करेगी बल्कि किसी भी अनियमितता या दुर्भावना की वास्तविक समय पर निगरानी तथा इसके संदर्भ में त्वरित प्रतिक्रिया भी सक्षम हो सकेगी।

- **CSR पहलों का लाभ उठाना:** निजी निगमों के साथ सहयोग करने के साथ इनके द्वारा प्रदत्त CSR फंड का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों के विकास एवं वितरण में करना।
- **डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस पहलों का लाभ उठाना:** पाठ्य पुस्तकों की खरीद, वितरण और निगरानी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिये शिक्षा हेतु एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (UDISE) तथा ई-पाठशाला पोर्टल जैसे मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को प्रोत्साहन देना।

निष्कर्ष:

प्रकाशन माफियाओं से मुकाबला करना प्रणालीगत सुधार के लिये निर्णायक है। पारदर्शिता, डेटा-संचालित निर्णय निर्माण तथा हितधारक समन्वय को प्राथमिकता देने के रूप में एक बहु-स्तरीय रणनीति से माफियाओं के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। निरंतर निगरानी, प्रदर्शन मूल्यांकन और डेटा के आधार पर पाठ्यक्रम सुधार से यह सुनिश्चित होगा कि सभी छात्रों को उचित लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो सके।